लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)



PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51(19)
Date 29. 12. 81.

(खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य । चार रुपये

विषय-सूची

अंक 31, सोमवार, 30 मार्च, 1981/9 चैत्र, 1903 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 576 से 578, 580,582, 584 और 585	...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 579, 581, 583 और 587 से 596	...	21-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 5471 से 5484, और 5486 से 5670	...	31-160
विशेषाधिकार के प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	...	160-162
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	162-165
लोक लेखा समिति		
21वाँ और 22वाँ प्रतिवेदन	...	165
स्थगन प्रस्ताव पर ध्यानाकर्षण सूचना आदि के बारे में जारी	...	165
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	165-170
बम्बई में कार्यालय के लिए स्थान की खरीद के लिए मैस र्सजैनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा काले धन के भुगतान का समाचार		
श्री हरिकेश बहादुर	...	170-172
श्री आर. वेंकटरामन	...	170-175
श्री आर. के महालगी	...	172-174
श्री राम विलास पासवान	...	173-175
सदस्य द्वारा वक्तव्य		
बम्बई सेंट्रल टर्मिनस के वार्डमैनों की हड़ताल		
श्री जी. एम बनातवाला	...	176-177
श्री मल्लिकार्जुन	...	177-178

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानि के लिए किसानों को मुआवजा

श्री मनीराम बागड़ी ... 178

(दो) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कार्यकरण में सुधार के उपाय

श्री जगदीश टाइटलर ... 178-179

(तीन) शाहजहांपुर में एक सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद ... 179

(चार) नागपुर फ्लाइंग क्लब को बढ़ाये गये अनुदान का भुगतान करने की आवश्यकता ... 179-180

श्री उत्तम सिंह राठौर

(पांच) असनसोल रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं की आवश्यकता

श्री वासुदेव आचार्य ... 180

(छः) मद्रास के इंटों के भट्टों के लिए कोयले की सप्लाई

श्री राजगोपाल नायडु ... 180-181

(सात) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ जयपुर नगर को "बी" श्रेणी का दर्जा देने की मांग

श्री सतीश अग्रवाल ... 181

(आठ) रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में एक अल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री बापूसाहिब परुलेकर ... 181-182

(नौ) अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक ऊपरी रेलपुल की आवश्यकता

श्री रामसिंह यादव ... 182

अनुदानों की मांगें 1981-82

विदेश मंत्रालय

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 183-186

श्री बीजू पटनायक ... 186-193

श्री जयदीप सिंह ... 193-197

श्री एच. के. एल. भगत ... 197-201

श्री टी. नागरत्नम ... 201-204

प्रो. के. के. तिवारी ... 204-209

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया ... 209-213
श्री राम जेठमलानी ... 213-219
श्री एम. रामगोपाल रेड्डी ... 219-222
श्री यशवन्तराव चव्हाण ... 222230
श्री राम नगीना मिश्र ... 230-234

सभापटल पर रखे गये पत्र-जारी

बम्बई में कार्यालय के लिए स्थान की खरीद के लिए मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कालेधन के भुगतान के बारे में ध्यानाकर्षण पर दिए गए वक्तव्य में शुद्धि

श्री आर० वेंकटरामन ... 234-235

सभा का कार्य

सदस्य द्वारा त्यागपत्र ... 235-237

(श्री सरूप सिंह हिरया नाईक) ... 237

लोक सभा

सोमवार, 30 मार्च, 1981/9 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट परसमवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले विरोध पक्ष को नमस्कार किया करें ।

राव विरेन्द्रसिंह साहब को दे दूं यह प्रैजेन्ट ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपका जाती मामला है । आप उनको कुछ भी दे दें ।

श्री मनीराम बागड़ी : जाता नहीं है, राजनीति का मामला है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) जहां बागड़ी जी होंगे, वहाँ ओले ही पड़ेंगे और क्या होगा ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इससे पहले कि आप प्रश्न लें, मुझे कुछ निवेदन करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए । यदि आप प्रश्न संख्या 576 पढ़ें और यदि आप उस प्रश्न को पढ़ें जो मैंने दिया है । और उस प्रश्न को पढ़ें जो सम्पादित हुआ है तो आपको बहुत ही अन्तर दिखाई देगा । मुझे नहीं मालूम कि किस नियम के अधीन किसने सचिवालय को इस प्रश्न* को बदलने के लिए प्राधिकृत किया है । सारी बात निकाल दी गई है·····

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह प्लाट डेढ़ करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए का है···

अध्यक्ष महोदय : पहले सवाल कीजिए । फिर देखेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, नहीं सवाल वही है । मूल प्रश्न क्या है और छपा हुआ प्रश्न क्या है ? यही मामला है । किन नियमों के अधीन इसे बदला गया है । किसने किया है ? किसने उन्हें अधिकृत किया है ? प्रश्न करने से पहले मुझे यह यह बतया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप आइए और हम देखेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं । यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर आपके कक्ष में चर्चा की

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

जाये । कृपया देखिए कि मेरा मूल प्रश्न क्या था । वे मूल प्रश्न की प्रति आपके समक्ष प्रस्तुत करें और आप देखें कि सूची में क्या छपा है । यह बड़ी भारी बात है । हम इस प्रकार काम नहीं कर सकते ।

प्रो. एन. जी. रंगा : क्या श्री बसु अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम नहीं खरीद सकते ···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस अधिकार के अधीन ? यह बहुत ही गम्भीर मामला है । यह अनुपूरक प्रश्नों का मालला नहीं है । प्रश्नों को बदल दिया जाता है और उनको तोड़ मरोड़ दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : उनमें तोड़ मरोड़ नहीं किया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से इस पर चर्चा करना चाहूंगा ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आपके कार्यालय की यह आदत है* महोदय मैं भी यह बात आपके ध्यान में लाया हूँ । वे बिना हमें सूचित किये ऐसा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम ···

श्री बापू साहिब परुलेकर : कृपया कुछ कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं करूंगा ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : हमें ठीक छपे हुए प्रश्न नहीं मिल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा कुछ नियमों के अधीन करते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय आप जरा देखिए प्रश्न क्या है*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न कहां है । आपका छपा हुआ प्रश्न कहां है और प्रश्न क्या है ? क्या हम यहां किसी अन्य की दया पर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न क्या है ? आप मेरा प्रश्न पढ़िए । कृपया मेरा प्रश्न पढ़िए ।

अध्यक्ष महोदय आप का प्रश्न यह है :

"(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नियमों का उल्लंघन किया था तथा कनाट प्लेस क्षेत्र में एक 5-स्टार होटल स्थल का पट्टा देने की कार्यवाही में एक स्थानीय उद्योगपति के प्रति पक्षपात किया था; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?"

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है । अतः मेरा प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मेरी कार्यालय की प्रति है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो यह मेरा दूसरा प्रश्न होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यही है ।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

ज्योतिर्मय बसु : यह दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो वे अनावश्यक हैं। उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं दूसरे को मैंने लिखवाया था। मैंने कार्यालय की प्रति रखी थी।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मेरे पास है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह दूसरा प्रश्न हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यही प्रश्न मेरे पास है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं यह मेरी कार्यालय की प्रति है। मैं अपने कार्यालय की प्रति बड़े ध्यान से रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : फिर यह क्या हैं ? ये किसके हस्ताक्षर हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अतिरिक्त प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपत्तिजनक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी भी इस पर आपत्ति।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक ही विषय पर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य : निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कुछ गलती है तो मैं उसकी जांच करूंगा। मैं अपने सचिवालय को माफ नहीं करता

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मेरी कार्यालय की प्रति है और मेरी मिसिल में है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो आपकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मैंने आपको यह कह दिया है कि यह दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय . ऐसा हो सकता है। किन्तु यही प्रश्न है जिस पर मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न 5 6

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा नियमों का उल्लंघन

*576 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नियमों का उल्लंघन किया था तथा कनाट प्लेस क्षेत्र में एक ५-स्टार होटल स्थल का पट्टा देने की कार्यवाही में एक स्थानीय उद्योगपति के प्रति पक्षपात किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीम नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले का तथ्य यह है कि 12, बाराखम्बा लेन, दिल्ली स्थित इस आटोमोबाइल कम्पनी के श्री सागर सूरी 1975 में सत्ताधारी दल में किसी व्यक्ति के मित्र थे। वह अब मर चुके हैं और हम अब उनके बारे में चर्चा करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने नई दिल्ली नगर पालिका से 20 लाख रुपये में एक तीन एकड़ का प्लाट खरीदा यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका इस जमीन की मालिक नहीं थी। इसकी मालिक भारत सरकार थी। बाद में इस भू-खण्ड का क्षेत्र बढ़ाकर 6 एकड़ कर दिया गया और इसकी कीमत 38 लाख रुपये निश्चित की गई जब दूसरी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इसका पट्टा रद्द कर दिया क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका इसकी मालिक नहीं थी और यह सौदा गैर कानूनी था। नई सरकार के आने के बाद...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रश्न कर रहा हूं। जब नई सरकार सत्ता में आई तो मामला लाया गया। यद्यपि श्री सागर सूरी को 28 लाख रुपये जो उन्होंने जमा किये थे वापस मिल गये थे। अतः यह मुआवजा था अब यह जमीन जैसा मुझे मालूम हुआ है, बिना पर्याप्त प्रचार के 1.44 करोड़ रुपये में दी जा रही है और यह भी मालूम हुआ है कि उन्हें 253,000 वर्ग फुट में वाणिज्यिक निर्माण करने (प्रस्तावित होटल की इमारत में सीधे बिक्री योग्य दूकानों का निर्माण) की अनुमति दी जा रही है जिसमें से उन्हें सारा रुपया वापस मिल जायेगा और फिर भी वह होटल का मालिक रहेगा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि नीलामी के बाद जो झंडेवाला में हुई थी, इस सम्पत्ति का जो 6 एकड़ भूमि में है आज बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये तक हो सकता है और क्या सत्य नहीं है कि यह श्री सागरसूरी को 1.44 करोड़ रुपये में दिया जा रहा है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि तथ्य यह है कि सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका को बाराखम्बा क्षेत्र में होटल का निर्माण करने के लिए एक भूखन्ड दिया है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं। हम या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को देते हैं अथवा नई दिल्ली नगर पालिका को देते हैं। सरकार की यह पद्धति है। और यह सत्य है कि 1977 से पूर्व जब हमारी सरकार थी तो यह भूखंड नई दिल्ली नगर पालिका को दिया गया था और नई दिल्ली नगर पालिका ने सीमित टेंडर आमंत्रित कर इसे दिल्ली आटोमोबाइल कम्पनी को लाइसेंस दिया था। किन्तु बाद में सरकार बदली और जनता पार्टी ने इसे रद्द कर दिया जैसा कि प्रत्येक बात में इसने किया है। हम फिर सत्ता में आये और फिर एशिया खेलों के कारण न केवल एक समिति ने किन्तु तीन समितियों ने हमें इस सम्बन्ध में लिखा।

एशियाई खेलों सम्बन्धी तीन अलग-अलग समितियों, संचालन समिति, पर्यटन उप-समिति जिसके चेयरमैन पर्यटन विभाग के सचिव हैं तथा उपराज्यपाल ने हमें लिखा है कि एशियाई खेलों को देखते हुए उन्हें लगभग 2000 कमरों की और जरूरत होगी। इन बातों को ध्यान में रख कर सरकार ने इस भूखण्ड को पुनः नई दिल्ली नगर पालिका को देने का फैसला किया और उसके भाव में जो अन्तर है उसे आप देख सकते हैं। पीछे पूर्व-निर्धारित दर पर हमने न. — न. पा. दि. वि. प्रा जैसे अपने निकायों को यह दिया था। 1976-77 में जब यह भूखण्ड

दिया गया था तब इसकी पूर्वनिर्धारित दर 1,000 रु. प्रति वर्ग गज थी। उस समय 1976-77 में सरकार को न. दि. न. पा. से लगभग 19 लाख रु. प्रतिवर्ष मिलने थे। अब न. दि. न. पा. सरकार को 8,78,00,00 रु. उसकी कीमत के रूप में और 22 लाख रु. प्रतिवर्ष भूमि किराये के रूप में देगी। अतः आप देखेंगे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है और यह स्पष्ट है कि न. दि. न. पा. को कितनी धनराशि मिलती है उस पार्टी ने न. दि. न. पा. के विरुद्ध एक मामला अदालत में दायर किया है। इसी पार्टी यानि दिल्ली आटोमोबाईल, ने 1976-77 में भी सबसे ऊंची बोली दी थी। नई दिल्ली नगर पालिका को कितनी लाइसेंस फीस मिलेगी। मैं तुलनात्मक आंकड़े पेश करता हूँ। नई दिल्ली नगर पालिका को प्रतिवर्ष 37.38 लाख रुपये मिलते थे। अब उसे क्या मिलेगा। अब प्रतिवर्ष 1.45 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी। क्या इससे भी अधिक न्यायसंगत और कोई कार्यवाही हो सकती थी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री जी को उस ताजा निलामी के बारे में मालूम होना चाहिए जिसमें झंडेवाला में न कि कनाट सर्कस में 1,200 वर्ग मीटर जमीन बेची गई है। इसकी क्या कीमत मिली। इस जमीन के लगभग 50 करोड़ मिल सकते थे। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि जब यह तीन एकड़ का भूखंड था तब श्री सागर सूरी ने 20 लाख रुपये दिए थे। जब इसका रकबा बढ़ा कर छः एकड़ कर दिया गया तो उसने 38 लाख रुपये जमा किए। जब सरकार बदली तो उसने इसे गैर कानूनी करार दे दिया। इस भूमि की स्वामी न. दि. न. पा. नहीं है। भारत सरकार है। 38 लाख रुपये उन्होंने करार रद्द कर दिया। उन्होंने इसे गैर कानूनी माना। श्री सूरी ने पैसा वापस ले लिया। बस मामला खत्म। और जब एक आदमी... चला जाता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार बदलती है तो ये भी बदल जाते हैं। उन्हें अदालत में मुकादमा दायर करने के लिए कहा गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकारी वकील ने श्री सूरी के वकील से साँठ-गांठ क्यों की और समझौता क्यों करना चाहा। इसी आधार पर उन्होंने 50 करोड़ रुपए की इस जमीन को 1.44 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। क्या यह सही है कि दो प्रभावशाली व्यक्ति—एक सज्जन श्री नगर के भूतपूर्व मंत्री के पुत्र हैं और दूसरे प्रधान मंत्री सचिवालय के हैं—इस पार्टी को भूमि देने पर अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु कल्पना सीमा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें यह जानकारी दे चुका हूं। मामले का इतिहास भी उनको बता चुका हूँ। इस जमीन को एक होटल के निर्माण हेतु न. दि. न. पा. को देने में कुछ भी गलत नहीं है। यह कोई नया मामला नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बन्द निविदा क्यों ? प्रतिबन्धित निविदा क्यों ? खुली निविदाएं क्यों नहीं माँगी गई। उन्हें विज्ञापित क्यों नहीं किया गया।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह सीमित निविदा क्यों माँगी गई, मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। अकबर होटल के लिए थी निविदा आमंत्रित की गयी। छः बार माँगी गई। परिणाम क्या हुआ आपको पता है। अतः न. दि. न. पा. को व्यावहारिक बातें ध्यान में रखनी होती हैं किसी के प्रति पक्षपात का सवाल ही नहीं है। मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अकबर होटल भारतीय पर्यटन विकास निगम का एक सरकारी उपक्रम है। आप प्राइवेट मुनाफाखोर श्री सूरी और भारतीय पर्यटन विकास निगम की तुलना कर रहे हैं। आपकी बुद्धि को क्या हो गया है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं मैं उनका खंडन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिलोक चन्द्र।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सागर सूरी के वकील से मिलकर सरकारी वकील राजीनामा करने के लिए क्यों तैयार हो गया ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : राजीनामा तब हुआ जब मुकदमा चल रहा था क्योंकि लाइसेंस धारी अपनी शिकायतें दूर करवाने अदालत में चला गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बोगस शिकायतें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : पार्टी का क्या कसूर था ? केवल यही कसूर था कि कोई लाइसेंस नहीं दिया गया क्योंकि सरकार बदल गई···

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय हंस रहे हैं। वह समझ गये हैं जो मैंने कहा है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनता सरकार क्या कर रही थी, हमने जो अच्छे काम किए थे उन्हें समाप्त कर रही थी (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : बिना जनता सरकार का उल्लेख किए उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री भीष्म नारायण सिंह : इस सरकार को भी राजनीतिक फैसले लेने होते हैं। इस सरकार ने भूमि न. दि. न. पा. को देने का फैसला किया।

एशियाई खेलों के लिए विदेशी सहायता

*577. श्री त्रिलोक चन्द :

श्री बी. डी. सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के लिए सरकार को विदेशों से कोई सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि की और किन किन देशों से उक्त सहायता मिल रही है;

(ग) इन खेलों के आयोजन पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(घ) इन खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) अब तक प्रस्तावित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहायता, कुवैत के अमीर से प्राप्त 12 करोड़ रुपये का ही नकद अनुदान है।

(ग) सरकार द्वारा एशियाई खेल परियोजना के सम्बन्ध में वहन किया जाने वाला अनुमानित खर्च 54.83 करोड़ रुपये है।

(घ) एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी भारतीय ओलम्पिक संघ तथा सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों की है और इनका चयन उन्हीं के

द्वारा किया जायेगा। तथापि, सरकार उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत, खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण के लिए खेल संघों को सभी सम्भव सुविधायें तथा वित्तीय सहायता देने का प्रयास कर रही है।

श्री बी. डी. सिंह : अध्यक्ष जी, एशियन गेम्स पर जो खर्च होने जा रहा है, पता नहीं सरकार उसको क्यों साफ नहीं करती है। विशेषकर अप्रत्यक्ष रूप से जो खर्च होने जा रहा है, चर्चा यह है कि एशियन गेम्स के लिए बाहर से सारी मदद मिल रही है, जिसमें केवल कुवेत के अमीर द्वारा 12 करोड़ रु. दिखाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि सरकार इसको स्वीकार करती है। इसलिए इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे भी कोई देश हैं जो सहायता देना चाह रहे हैं और सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही है ? साथ ही साथ इस पर भी प्रकाश डालें कि क्या कुवैत के अमीर ने जो आर्थिक सहायता दी है, अगर ऐशियन गेम्स नहीं होते तो हमारे देश में खेलकूद के विकास के लिए क्या यह आर्थिक सहायता दी जाती या नहीं दी जाती ?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं अन्तिम प्रश्न का पहले जवाब दूंगा। कुवैत के अमीर ने यह दान एशियाई खेलों के लिए दिया और वह भी एक स्टेडियम के लिए। प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या किसी अन्य देश ने भारत सरकार को या एशियन ओलम्बिक एसोशिएशन को मदद देने की पेशकश थी और क्या प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। मेरे ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें सहायता का प्रस्ताव किया गया हो और उसे स्वीकार न किया गया हो। हमें दो प्रस्ताव मिले हैं। एक जापान के सेइको से और दूसरा जापान के ही मेसर्स योनेक्स से। इन दोनों पार्टियों ने प्रस्ताव दिए हैं। पहली पार्टी ने किराए के आधार पर फोटो-फिनिश एप्रेटस और इलेक्ट्रानिक स्कोर बोर्ड समेत 13 टाइमर देने का प्रस्ताव किया है। इस पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही फैसला हो जाएगा। एक जापानी फर्म अपने प्रचार के लिए टेबल और लान टेनिस के लिए शार्ट और रैकेट देना चाहती है। उसने 25,000 अमरीकी डालर रायल्टी के रूप में देने का प्रस्ताव भी किया है।

श्री बी. डी. सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री विद्याचरण शुक्ल, भूतपूर्व मंत्री, हैं। आज उन को मंत्रिमन्डल से हटा दिया गया है, कारण यह कि चीनी के वितरण के सम्बन्ध में अनियमिततायें हुई हैं और वे अपने कार्य में अकुशल थे—इसलिए हटाया गया है। जहाँ तक एशियन गेम्स का सम्बन्ध है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कन्स्ट्रक्शन वर्क में घोर अनियमितायें चल रहा है एक सूचना है कि 10 लाख रुपया एडवांस दे दिया गया है विदआउट ऐनी कोरैसपोंडिंग वर्क/एकार्डिंग टू अदर सोर्स आफ डी. डी. ए. हैज टू रिक्वर 8 करोड़ रुपीज पेऽटू दी कान्ट्रैक्टस आन एकाउन्ट आफ एडवांसिस। इस प्रकार से पेमेंट हो रहा है और इतनी तेजी से काम जल्दबाजी में हो रहा है। रात-दिन काम हो रहा है। दो दिन हुए पानी की टंकी को पैप्स कर गई। टैंकी की बात आपको पता है, तो इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार श्री शुक्ल को चेयरमैन पद से हटाने पर विचार कर रही है ?

एक माननीय सदस्य : वह लगभग दे चुके हैं।

श्री बी. डी. सिंह : अध्यक्ष जी, खेलकूद की शिक्षा के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि हाई-स्कूल तथा ऊपर

की शिक्षा संस्थाओं में आप खेल-कूद के विकास के लिए कोई गेम्स इन्स्ट्रक्टर रखने की व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न दोहराएं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग खेल योजनाएं हैं । मुझे इसके लिए अलग नोटिस चाहिए ।

श्री नीरेन घोष : इस सभा में और सभा से बाहर बारबार यह कहा गया है कि एशियाई खेलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 700 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है । सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए गए है वे समाचारपत्रों में प्रकाशित आंकड़ों से कहीं कम हैं । क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वही अन्तिम है और उससे अधिक खर्च नहीं होगा ?

एशियाई खेलों के लिए कितने अतिथियों के आने की सम्भावना है ? दिल्ली में इस समय कितने कमरे होटलों में हैं । जो नया निर्माण हो रहा है क्या वह एशियाई खेल शुरू होने से पहले पूरा हो जायगा । यदि नहीं, तो आप इन अतिथियों को कहां ठहराएंगे ।

श्री एस. बी. चव्हाण : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वही सही है । माननीय सदस्य अखबारों में छपने वाली बातों पर अधिक विश्वास न करें । पर सब कुछ पूरा होने तक खर्च बढ़ भी सकता है । यह 10 या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

ये होटल प्राइवेट हैं और सरकार के लिए यह कहना कठिन है कि ये सरकार और न. दि. न. पा. पास के रिहायशी स्थान बढ़ाने के लिए किस आधार पर आएंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से पर्यटक भारत आएंगे हो सकता है कि खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो । इसी कारण न.दि.न.पा और संचालन समिति इस नतीजे पर पहुँची है कि कुछ और होटलों की जरूरत होगी ।

श्री निरेन घोष : श्री भीष्म नारायण सिंह ने कहा है कि 2000 लोगों के आने की आशा है पर 200 कमरे उपलब्ध नहीं हैं । अब प्रभारी मन्त्री जो कहते हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं है । दो मंत्रिमण्डलीए मंत्री सभा के समक्ष परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस असंगति का बाद में पता लग येंगे ।

लेवी की चीनी

*578. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालु वर्ष के दौरान गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ और अब तक चीनी का कितना उत्पादन हो चुका है;

(ख) चीनी मिलों से कितनी मात्रा में लेवी की चीनी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या खाण्डसारी मिलों पर लेवी लगाई गई है और यदि हां, तो कुल उत्पादन की तुलना में उसका प्रतिशत कितना है; और

(घ) खाण्डसारी तथा चीनी मिलों ने चालू वर्ष के दौरान गन्ने का कितना अधिकतम मूल्य दिया है और इन चीनी मिलों तथा खाण्डसारी मिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्तमान मौसम 1980-81 के दौरान, अनुमान है कि गन्ने की पैदावार 1520 लाख मी. टन होगी और 15-3-1981 तक चीनी का उत्पादन 41.91 लाख मी. टन हुआ है।

(ख) चीनी मिलों में अक्तूबर, 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान आंतरिक खपत के लिए 12.92 लाख मी. टन लेवी चीनी उठायी गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति से प्रथम सल्फीटेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित खाण्डसारी पर 50 प्रतिशत लेवी लगा दी है।

(घ) उपलब्ध सूचनानुसार, चीनी मिलों ने 18.00 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का अधिकतम मूल्य अदा किया था। लेह मूल्य पंजाब में बटाला, गुरदासपुर और जीरा में स्थित तीन मिलों द्वारा अदा किया गया है।

खाण्डसारी यूनिट राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन असंगठित क्षेत्र में हैं। इन यूनिटों की संख्या बहुत अधिक है और ये 5,000 के आस-पास हैं, जो कि दूरवर्ती क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। व्यक्तिगत यूनिटों द्वारा अदा किए गए गन्ने के मूल्यों का पता लगाना कठिन है।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष जी, जैसी कि मुझे जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया है कि 1520 लाख मिट्रि टन इस देश में गन्ना पैदा हुआ है। यदि यह सही है तो उत्पादन का दस प्रतिशत यानी 152 मिट्रीक टन शुगर पैदा होनी चाहिए।

मेरा प्रश्न यह है कि एक क्विंटल गन्ने में मोटे रूप से कितनी शक्कर उत्पादित होती है और शक्कर का जो उत्पादन होता है, उसका उत्पादन मूल्य क्या होता है तथा देश में कुल कितनी शक्कर पैदा होनी चाहिए,

राव बीरेन्द्र सिंह : सवाल का जवाब दे दिया गया है। शक्कर की पैदावार मुख्तलिफ फैक्टरीज में मुख्तलिफ रीजन्स में अलग अलग होती है। कीमत जब हम लगाते हैं तो साढ़े आठ परसेंट रिकवरी के ऊपर हम शुरू करते हैं, जो स्टेटूटरी प्राइस है उसके ऊपर कहीं 9 परसेन्ट है और कहीं साढ़े 9 परसेन्ट है और कहीं 10 परसेन्ट है। तो इस में बहुत फर्क होता है। कहीं 11 परसेन्ट है और 11 परसेन्ट से भी ऊपर महाराष्ट्र और साऊथ के कुछ इलाकों के अन्दर है। तो इसमें एवरच रिकवरी 10 परसेंट लगाई जा सकती है, मेरे अन्दाज से। और कुछ पूछना है, तो पूछ लो।

श्री सत्यनारायण जटिया : 1520 लाख मीट्रिक टन गन्ना पैदा हुआ है, यह आपने बताया है। क्या यह सही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल सही हैं, जो मैंने बताया हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : इस आधार पर तो देश के अन्दर 152 लाख मीट्रिक टन चीनी पैदा होनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जितना गन्ना पैदा होता है, उसमें से कुछ गन्ने से जो शूगर पैदा होती है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि जो गन्ना पैदा होता है उस में से बीज निकलता है, गुड़ भी उसमें से ही बनता है और खाण्डसारी भी बनती है और फैक्टरीज में जो गन्ना जाता है वह 33 और 35 फीसदी के दरमियान जाता है। इस आधार पर मैंने यह बताया है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मेरा यह कहना है कि खांडसारी मिलों पर क्या केन्द्रीय सरकार ने लेवी आरोपित की है और यदि आरोपित की है, तो जो लेवी आनेवाली है, वह कितनी आएगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका सही अन्दाजा तो मैं अभी नहीं लगा सकता कि कितनी लेवी आयेगी क्योंकि खांडसारी मिलों के मुताल्लिक हमारे पास कोई फीगर्स नहीं होते हैं। इस पर अभी तक हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं रहा है लेकिन यू. पी. और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भारत सरकार के स्प्रवल से खांडसारी के ऊपर लेवी लगाई है और वह 50 परसेंट है।

श्री सत्य नारायण जटिया : केन्द्रीय सरकार की इस बारे में कोई नीति नहीं है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : केन्द्रीय सरकार की नीति है कि खांडसारी में कम से कम गन्ना जाए ताकि शुगर का प्रोडक्शन बढे। इसलिए हमने पहले दिसम्बर के आखीर तक खाँडसारी मिलों के चलने के लिए हुक्म दिया था। भारत सरकार की नीति यही है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट खांडसारी मिलों पर लेवी लगाना चाहे तो वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाजत से लेवी का फैसला कर सकती है और यू. पी और मध्य प्रदेश की जो दो सरकारें हैं उन्होने इसका फैसला भी किया है।

श्री सत्यनारायण जटिया . केन्द्र य सरकार की नीति लेवी लगाने की नहीं है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वह तो मैंने बताया है कि हम चाहते हैं ··

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मन्त्री महादय ने जो जवाब दिया है,'उसमें यह है कि 41 लाख 81 हजार मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है 15 मार्च तक। पहली बात मैं जानना चाहूंगा कि उनका यह कहना है कि जो उत्पादन हुआ है, यह जो आपकी अपेक्षा थी, उससे कम है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर चीनी मिलें बिल्कुल बन्द हो चुकी हैं क्योंकि मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा है वैसे क्रशिंग सीजन भी समाप्त होने की बात आई है लेकिन क्रशिंग सीजन समाप्त होने के पहले ही मिलें बन्द हो गई हैं और मिल-मालिक जानबूझ कर गन्ने की क्रशिंग बन्द कर रहे हैं ताकि उत्पादन घटा दिया जाए। खुलेआम हिन्दुस्तान में यह चर्चा है कि इस साल खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को 15 रुपए प्रति किलो पर स्टेबीलाइज किया जायेगा। तो क्या सरकार इस परिस्थिति से अवगत है और उसका मुकाबला करने के लिए क्या करने जा रही है ताकि जैसे श्री विद्याचरण शुक्ल के बारे में कहा जाता है कि चीनी के घुटाले के कारण उनको जाना पड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी और मंत्री को चीनी का घुटाला चलते जाना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इनकी बड़ी फिक्र है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमको इसलिए फिक्र है कि एक के बाद दूसरे मन्त्री जा रहे हैं।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह · स्पीकर साहब, मुझे तो इस बात का फिक्र नहीं है। मैं तो अपना

घोटाला तीसरे दिन खुद कर लेता हूँ। कोई कीचड़ उछाले तो मेरे सिर पर नहीं जावेगी। जो माननीय सदस्य ने चीनी की कीमत के मुतल्कि अन्देशा जाहिर किया है, उससे आप सहमत होंगे कि चीनी की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा होता है। आज चीनी की कीमत भारत में 8 रुपए प्रति किलो स्टेबिलाइज हो गयी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, भारत सरकार ने दिन-रात सोच-सोच कर कोशिश कर शूगर की जो एकोनोमी जबकि यह सरकार बनी थी उसके पहले तीन सालों में बिल्कुल बर्बाद कर दी गई थी उसको सही ढंग पर लाया गया है। भगवान की दया से आज हम इस काबिल हैं कि हमें शूगर मंगाने की जरूरत नही पड़ेगी (व्यवधान) आप किसी बात की तारीफ करना तो जानते ही नहीं चाहे कितनी ही अच्छी बात हो, कितना ही अच्छा काम हुआ हो, आप उसका डार्क पहलू ही ढूंढते हैं। (व्यवधान)

पिछले साल जब चीनी का साल शुरू हुआ तो केरी ओवर स्टाक पिछले साल से 21 लाख टन से ऊपर था। चीनी की पैदावार 38 लाख टन या साढ़े 38 लाख टन तक पहुँच गई थी जबकि इसकी पैदावार जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी उस साल के अन्दर सबसे ज्यादा चीनी की पैदावार हुई थी। जहां चीनी की पैदावार 64 लाख 82 हजार टन हुई थी वहां पहली सरकार जाने के बाद, अगली जो सरकार आयी उसकी कुशल नीति से यह पैदावार घटकर 58.44 लाख टन पर पहुँच गई। उसके बाद और ओला पड़ा, उस सरकार की दया से जिसके लिए ये मालिक बैठे हैं। यह पैदावार 38 लाख 59 हजार टन घट कर आ गयी। 1978-79 के अन्दर गन्ने के प्रोडक्शन में 14.3 परसेंट का शार्टफाल हुआ, उसके बाद···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मन्त्री महोदय सरकार की नीति का बखान कर रहे हैं। मैंने एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछा है। (व्यवधान) महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है -

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न कीमतें निर्धारित करने या उन्हें स्थिर करने के सम्बन्ध में है और उन्हें उसी के अनुसार उत्तर देना है। आपका इस पर आपत्ति क्यो है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मेरा प्रश्न क्या था ? (व्यवधान)। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पिराई समाप्त हो चुकी है या मिलों ने जान-बूझकर पिराई बन्द कर दी है और क्या मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्पाद आँकड़े सरकार की अपनी आशा और लक्ष्य से कम है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मूल्यों के बारे में बात की है ··

श्री जार्ज फर्नान्डीस : और इसी लिए मिल-मालिक इसका मूल्य···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर दीजिए। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाए रखिए मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

राव विरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं क्योंकि श्री फर्नान्डीस ने यह कह कर कि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक जाएगा बाजार में भय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। जो कुछ वह कर रहे हैं मुझे उसे खत्म करना है। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि वर्ष 1978-79 में उत्पादन में 14.3 प्रतिशत की कमी आई। अगले वर्ष 1979-80 में जब वह सत्ता में थे उत्पादन में 15.6 प्रतिशत की कमी

रत्नगिरि के 'अल्फांसो' आम के उत्पादकों को प्रोत्साहन

*580. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में सर्वश्रेष्ठ किस्म के 'अल्फांसो' आम पैदा होते हैं,

(ख) आम बागान के लिए इस जिले में कुल कितना क्षेत्र उपलब्ध है और वास्तव में कितने क्षेत्र में बाग हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार रत्नगिरि जिले में आम उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन देने का है,

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रत्नगिरि जिले में आम के बागों के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्र लगभग 2 लाख हैक्टार है । परन्तु लगाये गये बागानों का वास्तविक क्षेत्र 11,496 हैक्टार है ।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार द्वारा रत्नगिरि जिले के आम उत्पादकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :

1- आम के बाग लगाने के लिए भूमि विकास बैंक के जरिए अग्रिम ऋण,

2. रोपण सामग्री पर राज सहायता,

3. छोटे किसानों को तीन वर्ष के लिए कुल लागत तथा रखरखाव की लागत पर राज सहायता ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, मुझे विश्वास है कि आपको रत्नगिरि में पैदा हुए 'अल्फांसो' आम को चखने का मौका मिला होगा ।

माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि रत्नगिरि में सबसे बढ़िया किस्म के 'अल्फांसो' आम पैदा होते हैं । इस फल का काफी मात्रा में निर्यात होता है और इससे अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है । देश के इस भाग का दौरा करने वाले कई कृषि विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि वहाँ बागान लगाये जाते हैं तो यह पिछड़ा क्षेत्र देश का कैलीफोर्निया बन सकता है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन कब से दिया जा रहा है । इन प्रोत्साहनों के बावजूद भी 2 लख हैक्टेयर भूमि में से 1 89,000 हैक्टेयर भूमि पर आम के बागान क्यों नहीं लगाये गए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, इधर-उधर से एकत्र की गई जानकारी से मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि राज्य सरकार ने कब से प्रोत्साहन देने आरम्भ किए । मैंने जो कुछ कहा है वह यही है कि रत्नगिरि में ऐसा कुल क्षेत्र 2 लाख हैक्टेयर है जहाँ आम के बागान लगाए जा सकते हैं । परन्तु किसानों को यह भी पता होगा कि यदि उस जमीन पर कोई और फसल लगाई जाए तो वह भी लाभकारी होगी । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह सारी भूमि खाली पड़ी है

और इस पर आम लगाए जाने चाहिए थे। परन्तु यह स्वीकार किया जाता है कि रत्नगिरि में देश के सर्वोत्म किस्म के आम होत हैं। राज्य सरकार पहल ही सस्ती बागान सामग्री के रूप में प्रोत्साहन दे रही है और सरकार के पास किसानों के लिए बागान लगाने की भी व्यवस्था है। राज्य सरकार प्रति एकड़ 1500 रुपए की अधिकतम सीमा तक राज सहायता भी देती है। बागान लगाने के पश्चात् भूमि किसानों को सौंप दी जाती है। यह क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और मुझे आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और 50,000 हैक्टेयर भूमि पर 'अल्फासों' आम के बाग लगाए जा सकेंगे।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, यह भूमि 1,89,000 हैक्टेयर नहीं हो सकती जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है क्योंकि कुछ भूमि पर शायद कोई और फसल लगाई गई होगी। किन्तु आम के बागों के लिए उपलब्ध विशाल क्षेत्र को दृष्टि में रखकर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार इन आमों के बागान के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी और क्या कोई विशेष कार्यक्रम बनायेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : भारत सरकार की अल्फांसो किस्म के आम तथा अन्य किसी किस्म के लिए विशेष रूप से अर्थ सहायता देने की कोई योजना नहीं है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और यदि राज्य सरकार को कोई कठिनाई हुई और उसके लिए वह केन्द्रीय सरकार के पास सहायता के लिए आई तो हम माननीय सदस्य के सुझाव तथा राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करेंगे।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, सबसे मीठा आम रत्नगिरि क्षेत्र से आता है। मैं भी उसी निर्वाचन क्षेत्र से हूँ। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यद्यपि एक मौसम विशेष आम के बाग लगाने के लिए निर्धारित है किन्तु रत्नगिरि जिले में विशेष रूप से उसके वनगोला तालुक में स्थानीय तौर पर कुछ प्रयोग किये गए हैं और यहाँ पर यह प्रयोग इस बात का पता लगाने के लिए किए गए हैं कि परम्परागत मौसम से पहले भी वह आम उगा सकें। वेनगोला के काका साहिब चमनकर जैसे लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनवरी और फरवरी में भी आम के पौधे लगाये जा सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने जो कोंकण में प्रयोग किए हैं उनका पूरा लाभ उठाया जायेगा और उसे देश के दूसरे भागों में भी बताया जाएगा ताकि आम का उत्पादन बढ़े और यदि आम का निर्यात किया जाए तो हम और अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सुझाव के लिए शुक्रिया। हमारा बंगलौर में एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और हम सभी राज्यों को आम की किस्मों में सुधार करने के लिए सहायता कर रहे हैं। यह सही है कि अल्फेंजों आम की बढ़िया किस्म रत्नगिरि के आस-पास के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के साथ-साथ उगाई जाती है। किन्तु मैं यह बात मानता हूँ कि भारत में सबसे बढ़िया आम अल्फेंजो आम है। उत्तर में कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में मलीहाबाद और अन्य स्थानों पर कुछ इस प्रकार की आम की फसल होती है जो एल्फेंजो की तरह ही होती है और हम इनकी ओर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं।

सिंचित कृषि क्षेत्र में पानी के उचित उपयोग सम्बन्धी वर्कशाप

*582. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचित कृषि क्षेत्र में पानी के उचित उपयोग के लिए किसान संगठन संबंधी वर्कशाप जिसका आयोजन इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलोर और फोर्ड फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, 8 अगस्त, से 10 अगस्त, 1980 तक बंगलोर में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारतीय प्रबन्ध संस्थान (इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) बंगलोर द्वारा 8 अगस्त से 10 अगस्त, 1980 तक 'सिंचित कृषि क्षेत्र में पानी के उचित उपयोग सम्बन्धी किसान संगठन' के बारे में जो वर्कशाप आयोजित की गई थी, उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न-लिखित हैं :—

1. सिंचित कृषि में पानी के उचित उपयोग के लिए शैक्षिक और सरकारी एजेंसियों को किसानों के संगठनों के सम्बन्ध में अनुसंधान का आयोजन करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए सहयोग करना चाहिए।

2. भारत सरकार की छठी योजना के दौरान पानी का बारी-बारी से वितरण करने की प्रणाली लागू करने और किसानों के संगठनों के विकास में सहायता देने के लिए विभिन्न आयकरों और सिंचाई परियोजनाओं में प्रचालनात्मक परियोजनाएं शुरू करनी चाहिएं। इससे जो अनुभव प्राप्त होगा उससे सारे देश में इस कार्य को शुरू करने में सहायता मिलेगी।

3. पानी के बारी-बारी से वितरण की प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए पानी को ठीक समय पर और सुनिश्चित तथा न्याय संगत सप्लाई की आवश्यकता है और इसके लिए नहर प्रणाली के पुनरुपण तथा उपयुक्त रख-रखाव की आवश्यकता है। प्रचालन और रख-रखाव के लिए निर्धारित धन-राशि केवल इसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए और इसे अन्य प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिए।

4. सिंचाई के लिए सप्लाई किए जाने वाले जल के प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी कर्मचारियों और किसानों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण कक्षाओं में, खेतों में अथवा अन्य सिंचाई परियोजनाओं आदि का दौरा करके दिया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए सभी राज्यों में, यदि सम्भव हो तो केन्द्रीय सहायता से, कारगर तरीके ढूंढे जाने चाहिएं।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : महोदय, क्या सरकार ने सिफारिशें लागू करने का निर्णय ले लिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : महोदय सिफारिशें भारत सरकार को भेज दी गई हैं। सरकार ने उनमें से कुछ पर कार्यवाही भी की है और कुछ पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या सरकार छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान परिचालनात्मक परियोजनाएं चला रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, जहां तक बारी बारी से जल वितरण व्यवस्था का सम्बन्ध है, हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। यह मान्य बात है कि हमें प्रत्येक किसान को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। योजना आयोग के सी. ये. डी. सम्बन्धी कार्यकारी दल ने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं जिनके अन्तर्गत राज्य को उसकी सी. ए. डी. परियोजनाओं के लिए 50-50 के आधार पर अनुदान दिये जायेंगे।

जहां तक तकनीकी कार्मिकों और किसानों को प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, हमने इस कार्यक्रम को महत्व दिया है और इसके लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 50-50 आधार पर सहायता दी जा रही है।

महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा

*584. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) ऐसी कितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जो इस समय महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षणसे किस स्वरूप में स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के +2 स्तर पर लड़कों तथा लड़कियों दोनों को प्रदान की जाती है। लड़कों तथा लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है क्योंकि सभी पाठ्यक्रम दोनों के लिए खुले हैं तथापि ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने में सावधानी बरती जाती है। जो विशेष रूप से छात्राओं के लिए उपयुक्त हों। अब तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात कर्नाटक. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्रों ने व्यावसायिकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। देश में 1354 ऐसी संस्थाएं हैं जो +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करती हैं। केवल लड़कियों को ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों और कालेजों की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

31 ऐसे पालिटेक्निक हैं जो केवल महिलाओं के लिये ही तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इनमें से 24 पालिटेक्निक भारत सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त, देश में ऐसे 306 पालिटेक्निक हैं जो पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए खुले हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, फीमेल एजूकेशन के बारे में जब भी यहां प्रश्न उठता है तो उत्तर तो उसका आता है, लेकिन वेग आता है, कभी स्पष्ट उत्तर नहीं आता है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि महिलाओं की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए कोई

विशेष ट्रेड का आइडिएन्टीफिकेशन किया गया है। या नहीं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ट्रे हैं और उसमें कितनी महिला ट्रेनी हैं, क्योंकि आपने उत्तर में लिखा है कि पाठ्यक्रम को बढ़ा के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : विवरण में यह स्पष्ट बताया गया है कि देश में +2 स्तर प 1354 संस्थाएं व्यावसायिक शिक्षा की हैं कुल 337 पालिटेक्निक हैं जिनमें से 31 में केवल महिलाओं को शिक्षित किया जाता है और विश्वविद्यालय स्तर के विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाला केवल एक ही संस्थान है। विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले 23 कालिज हैं जिनमें से केवल दो ही केवल महिलाओं के लिए हैं 831 हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें से 117 केवल महिलाओं के लि. हैं, एप्रेंटिसशिप कोर्सों के लिए 136 व्यावसाय हैं जिनमें से 65 व्यावसाय विशेषरूप से महिलाओं के लिए हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली केवल महिला के लिए हैं, दो क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से एक बम्बई में है और दूसरा बंगलौर में। मेरे पास उन छात्राओं के आंकड़े नहीं है जो इनसे लाभ उठा रही हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कुछ प्रदेशों का नाम दिया है कि वहां पर इसकी व्यवस्था हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिन प्रदेशों का नाम इसमें नहीं है, क्या वह वहां महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं करना चाहते हैं, या उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते है। बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल कालेजों एवं अन्य संस्थानों की संख्या को बढ़ाने और छठें पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने के लिए कोई विशेष प्रावधान करेगी या नहीं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : हम न केवल +2 स्तर पर बल्कि कालिज स्तर पर भी शिक्षा के व्यावसायिकीकरण पर बल दे रहे हैं।

जहां तक उन राज्यों का सम्बन्ध है, जिनके नाम दिये गये हैं, ये वे राज्य हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ कर सके हैं और यह विषय पूर्णतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। उन्हें इसके लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना को संसाधनों सहित राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले वाला जवाब दे दिया है— उन्होंने पहले जवाब को ही रिपीट किया है। क्या बिहार सरकार को कोई योजना भेजी गई है? जिन जिन प्रदेशों में यह काम नहीं किया गया है, क्या वह उन प्रदेशों को भी योजनाएं भेजने जा रहे हैं या नहीं ? क्या व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ायी जायेगी ? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : यह कार्य राज्य सरकारों का है कि वह अगले 10 से 15 वर्षों की अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रत्येक जिलों का सर्वेक्षण करें और उसके पश्चात् उन आधारों पर उन्हें पाठ्यक्रम लागू करने होंगे। उन्हें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्देश देने में भी विश्वास नहीं करती है।

टोक्यो और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस. टी. डी. डायलिंग सुविधाए

*585. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान के बढ़ते हुए आर्थिक सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए टोक्यो और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस. टी. डी. डायलिंग सुविधा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) फिलहाल टोकियो तथा दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधा सुलभ करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। नई दिल्ली में नया अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू हो जाने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा :

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि टोकियो और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग प्रारम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। जापान हमारा पड़ोसी देश है। जापान से हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक और और राजनैतिक सम्बन्ध हैं। जापान औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है और हम उससे व्यापार बढ़ाने लिए उत्सुक हैं। मुझे आश्चर्य है कि फिर भी सरकार का मत है कि टोकियो से ट्रंक डायलिंग स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि संचार विभाग ने विभिन्न देशों से ट्रंक डायलिंग शुरू करने के लिए क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं और अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग स्थापित करने के लिए क्या सिद्धान्त हैं।

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सीधा डायलिंग टेलीफोन भारत के चार महानगरों और यू. के. के बीच उपलब्ध है और इसे दिल्ली और बम्बई के इलैक्ट्रो-मेकेनिकल ट्रंक एकचेंजों द्वारा चलाया जा रहा है। सी. एल. आई. तथा ए. टी. टी. उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, उन पर डाक तार विभाग में परीक्षण लिया जा रहा है और हमें आशा है कि ज्योंहि वह उपलब्ध हो जायेंगे यह सुविधा दूसरे देशों के साथ भी उपलब्ध हो जायगी। दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय गटेवे एकचेंज की 1982 में चालू हो जाने की संभावना है। तब हम तकनीकी दृष्टि से टोकियों और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस. टी. डी. डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे।

श्री अब्दुल समद : खाड़ी देशों में तथा उनके इर्दगिर्द के देशों में लाखों भारतीय रह रहे हैं, इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार खाड़ी देशों तथा भारत के बीच एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी।

श्री विजय एन. पाटिल : अगली योजना में अनेक देशों के साथ भारत के सीधे टेलीफोन से सम्पर्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, उस समय तक दिल्ली में 600 एस. टी. डी. लाईने उपलब्ध हो जायेंगी। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

विशेष ट्रेड का आइडिएन्टीफिकेशन किया गया है। या नहीं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ट्रेड हैं और उसमें कितनी महिला ट्रेनी हैं, क्योंकि आपने उत्तर में लिखा है कि पाठ्यक्रम को बढ़ाने के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है ?

श्री एस. वी. चव्हाण : विवरण में यह स्पष्ट बताया गया है कि देश में +2 स्तर पर 1354 संस्थाएं व्यावसायिक शिक्षा की हैं कुल 337 पालिटेक्निक हैं जिनमें से 31 में केवल महिलाओं को शिक्षित किया जाता है और विश्वविद्यालय स्तर के विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाला केवल एक ही संस्थान है। विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले 23 कालिज हैं जिनमें से केवल दो ही केवल महिलाओं के लिए हैं 831 हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें से 117 केवल महिलाओं के लि- हैं, एप्रेंटिसशिप कोर्सों के लिए 136 व्यावसाय हैं जिनमें से 65 व्यावसाय विशेषरूप से महिलाओं के लिए हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सस्थान, दिल्ली केवल महिला के लिए हैं, दो क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से एक बम्बई में है और दूसरा बंगलौर में। मेरे पास उन छात्राओं के आंकड़े नहीं है जो इनसे लाभ उठा रही हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कुछ प्रदेशों का नाम दिया है कि वहां पर इसकी व्यवस्था हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिन प्रदेशों का नाम इसमें नहीं है, क्या वह वहां महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं करना चाहते हैं, या उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते है। बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल कालेजों एवं अन्य संस्थानों की संख्या को बढ़ाने और छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने के लिए कोई विशेष प्रावधान करेगी या नहीं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : हम न केवल +2 स्तर पर बल्कि कालिज स्तर पर भी शिक्षा के व्यावसायिकीकरण पर बल दे रहे हैं।

जहां तक उन राज्यों का सम्बन्ध है, जिनके नाम दिये गये हैं, ये वे राज्य हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ कर सके हैं और यह विषय पूर्णतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। उन्हें इसके लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना को संसाधनों सहित राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले वाला जवाब दे दिया है-- उन्होने पहले जवाब को ही रिपीट किया है। क्या बिहार सरकार को कोई योजना भेजी गई है ? जिन जिन प्रदेशों में यह काम नहीं किया गया है, क्या वह उन प्रदेशों को भी योजनाएँ भेजने जा रहे हैं या नहीं ? क्या व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ायी जायेगी ? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : यह कार्य राज्य सरकारों का है कि वह अगले 10 से 15 वर्षों की अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रत्येक जिलों का सर्वेक्षण करें और उसके पश्चात् उन आधारों पर उन्हें पाठ्यक्रम लागू करने होंगे। उन्हें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्देश देने में भी विश्वास नहीं करती है।

टोक्यों और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस. टी. डी. डायलिंग सुविधाए

*585. **श्रीमती संयोगिता राँणे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान के बढ़ते हुए आर्थिक सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए टोक्यों और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस. टी. डी. डायलिंग सुविधा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) फिलहाल टोकिटो तथा दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधा सुलभ करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। नई दिल्ली में नया अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक स्वचल एक्सन्चेज चालू हो जाने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा :

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि टोकियो और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग प्रारम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। जापान हमारा पड़ोसी देश है। जापान से हमारे व्यापासिक, सांस्कृतिक और और राजनैतिक सम्बन्ध हैं। जापान औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है और हम उससे व्यापार बढ़ाने लिए उत्सुक हैं। मुझे आश्चर्य है कि फिर भी सरकार का मत है कि टोकियो से ट्रंक डायलिंग स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि संचार विभाग ने विभिन्न देशों से ट्रंक डायलिंग शुरू करने के लिए क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं और अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग स्थापित करने के लिए क्या सिद्धान्त हैं।

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सीधा डायलिंग टेलीफोन भारत के चार महानगरों और यू. के. के बीच उपलब्ध है और इसे दिल्ली और बम्बई के इलैक्ट्रो-मेकेनिकल ट्रंक एकचेंजों द्वारा चलाया जा रहा है। सी. एल. आई. तथा ए. टी. टी. उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, उन पर डाक तार विभाग में परीक्षण लिया जा रहा है और हमें आशा है कि ज्योंहि वह उपलब्ध हो जायेंगे यह सुविधा दूसरे देशों के साथ भी उपलब्ध हो जायगी। दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय गटेवे एकचेंज की 1982 में चालू हो जाने की संभावना है। तब हम तकनीकी दृष्टि से टोकियों और दिल्ली के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एस. टी. डी. डायलिंग सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे।

श्री अब्दुल समद : खाड़ी देशों में तथा उनके इर्दगिर्द के देशों में लाखों भारतीय रह रहे हैं, इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार खाड़ी देशों तथा भारत के बीच एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी।

श्री विजय एन. पाटिल : अगली योजना में अनेक देशों के साथ भारत के सीधे टेलीफोन से सम्पर्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, उस समय तक दिल्ली में 600 एस. टी. डी. लाईने उपलब्ध हो जायेंगी। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

करनाल में आयोजित शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिये इन्जीनियरी विषयक सम्मेलन

*579. **श्री के. माल्लना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिये इंजीनियरी विषयक एक सम्मेलन में, जो कि सैन्ट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल में आयोजित हुआ था पूरे देश तथा विदेशों के अनेक वैज्ञानिकों ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी और सरकार को क्या सुझाव दिये गये थे ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिकपूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान। लगभग 350 कृषि अभियन्ता तथा विज्ञानियों (विदेशों से 5 सहित), फार्म उपस्कर निर्माता तथा प्रगतिशील किसानों ने सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) (i) इन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था। फार्म शक्ति तथा मशीनरी, मृदा तथा जल अभियान्त्रिकी, तथा फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी।

(ii) प्रमुख सुझाव; जो दिये गये वे हैं :—

(1) सूक्ष्म-स्तर पर जल संसाधनों का विकास

(2) नहर के जाल से पानी के वितरण की परिचालन अनुसूचियों का संशोधन,

(3) छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि उपकरण तथा मशीनरी के लिए 'कस्टम हायर' सेवाओं का प्रावधान;

(4) तिलहनों, दालों तथा मोटे अनाजों के लिए फसल कटाई के बाद की उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रायोजनाओं को पहचानना तथा कार्यान्वित करना;

(5) प्रोडक्शन-कैचमैन्ट पर आधारित-कृषि-उद्योगों की धारणा का क्षेत्रपरीक्षण विशेषकर तिलहनों, दालों तथा छोटी फसलों के लिए;

(6) सुरक्षा युक्तियों तथा कृषि उपस्करों का डिजाइन बनाना तथा उन्हें अपनाना;

(7) संकर 'ड्राफ्ट' पशुओं की 'ड्राफ्ट' क्षमता तथा उचित काम में लाने के संबंध में अनुसंधान की खोज;

(8) उच्चतर ऊर्जा कुशलताओं को प्राप्त करने के लिए शक्ति एककों तथा उपस्कर का सुधार;

(9) एक वरिष्ठ कृषि अभियन्ता द्वारा कृषि विभाग के विभिन्न स्कन्धों की सभी कृषि अभियान्त्रिकी गतिविधियों का समन्वय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अभियान्त्रिकी के लिए एक उप-महानिदेशक का प्रावधान;

(10) राज्य कृषि अभियान्त्रिकी कार्यक्रमों के सुधार की तुलना में बेरोजगार कृषि अभियन्ताओं की समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करना।

उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान/ऋण

*581. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में उड़ीसा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को कोई ऋण अथवा अनुदान मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे किन परियोजनाओं का वित्त-पोषण होगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग ने दिसम्बर 1980 में गैर-खाद्य तेल, साबुन, ग्रामीण तेल, कुटीर माचिस, चमड़ा, कुम्हारी, मधुमक्खी पालन, गोंद तथा राल, चूना आदि के विनिर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ऋण तथा अनुदान के रूप में निम्नलिखित निधियां मंजूर की है :

	(लाख रुपये में)
1. खादी अनुदान	0.37
2. खादी ऋण	1.93
3. ग्रामीण उद्योग अनुदान	27.08
4. ग्रामीण उद्योग ऋण	176 01

अभी हाल ही में फरवरी, 1981 में आयोग ने उड़ीसा में नए माडल के चर्खों की 20 यूनिटें मंजूर की हैं जिसके लिए 87,000 रुपये का अनुदान और 10.20 लाख रुपये का ऋण शामिल है। इसके अलावा, राज्य में सिल्की/मसलिन खादी तैयार करने वाली यूनिटें गठित करने तथा बिक्री डिपो स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

डी. डी. ए. फ्लैटों का तदर्थ मूल्य

*583. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्ववित्तपोषित आवास योजना के अन्तर्गत डी. डी ए. के फ्लैटों के मूल्यों में 26 से 58 प्रतिशत की वृद्धि घोषित की गई है और प्रसाद नगर, दिल्ली के कुछ मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में आबंटियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 52,600 रुपये की स्टेन्डर्ड लागत से 22,000 रुपये अधिक वसूल किए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बवेजा समिति में डी.डी. ए. फ्लैटों के तदर्थ मूल्य निर्धारित किये जाते की कठोर निन्दा की थी और पाया था कि इन फ्लैटों का मूल्य 20,000 रुपये तक अधिक वसूल किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में पूरे तथ्य क्या हैं और इस प्रकार नुकसान उठाने वालों को राहत देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और भविष्य के लिए क्या पूर्वोपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रिहायशी एककों की वास्तविक लागत उनके

पूरे होने पर या जब वे पूरे होने वाले होते हैं, पर, निर्धारित सूत्र के अनुसार निकाली जाती है : मानक लागत जैसी कोई चीज नहीं है।

(ख) ब्वेजा समिति ने यह टिप्पणी की थी कि चूंकि मूल्य निर्धारण में तदर्थता से जनता के विश्वास और आस्था में कमी होती जाती है इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह अपनी मूल्य नीति को निरन्तर पुनरीक्षित करता रहा है और यह लागत कम करने के लिए उनके स्थान पर सस्ती निर्माण सामग्री/तकनीकों को अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसने लागत के आकड़ों का विश्लेषण करने तथा संरचनाओं की लागत कम करने के लिए तरीकों तथा उपायों की सिफारिश करने तथा लागत को उपयुक्त सीमा के भीतर रखने के लिए नये डिजाइनों तथा तकनीकों/तकनीकी में परिवर्तन सुझाने के लिए एक समिति का भी गठन किया है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

*587: **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं;

(ख) क्या सरकार का इन कालोनियों के निवासियों को स्थायी आवास गृह प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा संकलित की गई संशोधित सूची के अनुसार दिल्ली में ऐसी 612 कालोनियां हैं और इस सूची में क्रमश: 30-6-77 और 16-2-77 तक बनाई गई रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल की गई हैं।

(ख) सरकार ने निदेश जारी किये हैं कि अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण करते समय, वे परिवार जो हैं सड़कों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में विस्थापित किये जायेंगे, उन्हें इस शर्त पर वैकल्पिक भूमि/फ्लैट/वास दे कर बसाया जाएगा कि उनके या उनके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के पास दिल्ली में अपना कोई मकान/प्लाट न हो।

(ग) ऐसा, सड़कें तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

नकली शराब के कारण मौतें

*588 **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकली शराब के कारण बार-बार हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी दर्दनाक मौतों को रोकने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई हैं; और

(ख) इस योजना को लागू करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) नशीली द्रवों के उत्पादन, संयोजन उनके यातायात तथा क्रय और विक्रय संबंधी सभी बातें राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए नकली शराब के उत्पादन को रोकने के सभी उपाय राज्य सरकारों द्वारा ही, कानून के अनुसार, किए जाते हैं। इस प्रयोजन हेतु कोई केन्द्रीय योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय भवन

*589. **श्री मनीराम बागड़ी :**

श्री रामविलास पासवान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का ग्रन्थालय भवन का निर्माण जो ठेके की शर्तों के अनुसार वर्ष 1977 तक पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक अधूरा पड़ा है;

(ख) क्या इसका ठेका ऐसे ठेकेदार को दिया गया था जिसका नाम काली सूची में है;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा खरीदा गया और ठेकेदार को सप्लाई किया गया 2 लाख रुपये के मूल्य का 83.77 मीटरी टन स्टील निर्माण स्थल से चूरा लिया गया है; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल स्कूल के भवन की छत गिर गई थी और गत एक वर्ष से उपरोक्त भवन को पूरा करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। कार्यविधि का अनुसरण करते हुए ठेका सबसे कम दर वाले निविदाकार मैसर्स उप्पल इन्जीनियरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को 12-2-1976 को दिया गया था। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाद में अर्थात 9-12-1976 को एक उसी नाम तथा समान साझेदारी की फर्म को अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा न करने के सिलसिले में काली सूची में रख दिया था :

(ग) जी, नहीं। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार को जारी किए गए 516.554 एम. टी. इस्पात में से 86.313 एम. टी. इस्पात, जिसकी कीमत लगभग 2.13 लाख रु. थी, उसे ठेकेदार ने हिसाब में दर्ज नहीं किया था। हिसाब देने के लिए कहे जाने पर ठेकेदार ने 86.313 एम टी. के आंकड़े को अमान्य साबित करने का प्रयास किया और आरोप लगाया कि 30 एम. टी. इस्पात का या तो माप ही नहीं लिया गया अथवा न ही इसे बिलों में शामिल किया गया था। उसने जुलाई, 1980 में निर्माण स्थल से लगभग 2 एम. टी. इस्पात की चोरी होने की भी रिपोर्ट की, लेकिन शेष 56.313 एम. टी. इस्पात के सम्बन्ध में उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चूंकि ठेकेदार को ठेके की शर्तों के अनुसार अपने पास के इस्पात को हिसाब में रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था, अत. मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया। मध्यस्थता की कार्यवाही अभी चल रही है।

(घ) यह सच है कि दिसम्बर, 1978 में विश्व विद्यालय के सेन्ट्रल स्कूल के सभा भवन की छत जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, गिर गई थी। इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी के बारे में विश्वविद्यालय और ठेकेदार के बीच विवाद था विवाद को हल करने के लिए बातचीत चल रही है और जैसे ही समझौता हो जायेगा कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सिंचाई मंत्रालय द्वारा निकाले गये प्रकाशन

*590 श्री कमला मिश्र मधुकर : सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की करेंगे :

(क) सिंचाई मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने प्रकाशन निकाले गये और उन प्रकाशनों के क्या नाम हैं जिनके द्विभाषाई संस्करण निकाले गये;

(ग) क्या एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिवेदन और विद्युत तथा सिंचाई बोर्ड के अनेक अन्य प्रकाशन केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं और इस प्रकार हिन्दी भाषा की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) क्या उनका अनुवाद केन्द्रीय ब्यूरो के साथ मंत्रणा करके नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) इन सभी प्रकाशनों के ठीक अनुवाद कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्वित हो सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :

(क) सिंचाई मंत्रालय और इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न उपबंधों को, जहां तक वे लागू होते है, यथासंभव सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है और जहां आवश्यक है, वहां इस समय हिन्दी एवक और हिन्दी का भी कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के प्रकाशन उच्च तकनीकी किस्म के हैं जो भारत और विदेश दोनों जगह वितरित किए जाते हैं। राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत इन प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ऐसे प्रकाशनों का अनुवाद करने का काम नहीं

करता । यह कार्य यथास्थिति मंत्रालय और इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी एककों या हिन्दी कक्षों द्वारा किया जाता है । आवश्यकता पड़ने पर अन्य मंत्रालयों के हिन्दी एककों की भी सहायता ली जाती है ।

'दियारा भूमि' में बाढ़

*591 श्री आर. पी. यादव :

श्री जय नारायण रौट : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल 40 लाख हैक्टेयर 'दियारा भूमि' है जो प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है;

(ख) क्या 'दियारा भूमि' देश में अत्यधिक उपजाऊ भूमियों में से एक है;

(ग) क्या राष्ट्रीय 'बाढ़ नियंत्रण आयोग' ने प्राय: सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम जैसे 'बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम' की स्थापना की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनिर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) देश में कुल दियारा क्षेत्र, जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, कितना है, इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि अनुमान लगाया गया है कि दियारा क्षेत्र, जो भिन्न भिन्न मात्रा में जलप्लावित होता है, उत्तर प्रदेश में 1.54 मिलियन हैक्टेयर और बिहार 0.86 मिलियन हैक्टेयर है । बाढ़ के दौरान गाद के जमा हो जाने से दियार भूमि की उर्वरता का स्तर आमतौर से ऊंचा है, हालांकि भूमि की विशेषताओं, जलप्लावन की आवर्तिता तथा जमा हुई गाद की कि किस्म के अनुसार इसकी मात्रा अलग-अलग होती है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मत्रालयों से है और राज्य सरकारों की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं; इनके प्राप्त हो जाने पर सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित शक्ति प्राप्त समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा । इस बीच, पायलट स्कीमों के लिए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार में उप-निदेशक पद हेतु योग्यताएं

*592. **श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार में उप निदेशक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम. ए. अथवा एम. एस. सी. हैं;

(ख) यदि हां, तो उप निदेशक के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) उप निदेशक के पद दोन्नति के लिए कोई शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित नहीं की गयी है।

सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की द्वितीय श्रेणी में मास्टर ा समकक्ष आनर्स डिग्री निर्धारित की गई है।

(ख) भर्ती नियमों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरीसृपों का समाप्त होना

593. श्री संतोष मोहन देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपकली, साँप, घड़ियाल और कछुए जैसे सरीसृपों की संख्या ाप्त होती जा रही है अथवा वे दुर्लभ होते जा रहे हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि आजकल भारत में घड़ियालों की वर्तमान संख्या नेपाल वा पाकिस्तानमें घड़ियालों की संख्या से कम है, और

(ग) सरीसृपों के निर्मम और व्यापक विनाश को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन ाए रखने तथा खाद्य फसलों को क्षति से बचाने के लिए सरकार का विचार जो कार्यवाही ने का है उसका ब्योरा क्या है,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)) यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सरीसृपों की संख्या काफी कम हो गई है और ह किस्मों को खतरे में पड़ी हुई किस्में माना जाता है। किन्तु इनके विनाश का कोई तत्काल रा नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) किए गए उपाय सभा पटल पर रखे गये विवरण मे दिए गए हैं।

विवरण

निम्नलिखित उपाय पहले ही किए गए हैं :

(1) 1972 में वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम लागू किया गया था और उस समय सृपों की 271 किस्मों तथा उप-किस्मों (जिसमें घड़ियाल, छिपकली, साँप और कछुए भी मेल है) को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार ऐसी किस्मों शिकार, वध तथा उन्हें पकड़ने के विरुद्ध कानूनी सरक्षण प्रदान किया गया है।

(2) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी किस्मों तथा इनसे बनी वस्तुओं के ाज्यिक उपयोग को भी विनियमित किया गया है।

(3) वन्य प्राणि तथा उनके उत्पादों के निर्यात को निर्यात नीति के तहत सख्ती से ामित किया जाता है। सरीसृपों अथवा उनके उत्पादों (जैसे खाल) का निर्यात पूरी तरह ंद कर दिया गया है।

(4) वन्य प्राणियों (सरीसृपों सहित) के प्राकृतिक वास स्थलों को बेहतर संरक्षण करने के उद्देश्य से समूचे देश में लगभग 73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 से भी ट्रीय पार्क और आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। यह क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र के ात से अधिक है।

(5) घड़ियाल की किस्मों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक विशेष परियोजना शुरू की है।

(6) हाल ही में लागू किए गए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से वनों का संरक्षण करने में काफी मदद मिलेगी, जो कि हमारे वन्य प्राणियों के वास्तविक प्राकृतिक वास स्थल हैं।

(7) राज्य सरकारों को समय समय पर सलाह दी गई है कि वे वन्य प्राणियों के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दें और इस विषय पर कानून तथा नियमों का समुचित प्रवर्तन सुनिश्चित करें। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि सांपों को पकड़ने के लाइसेंस जारी न करें।

पहाड़ी राज्यों में पेय जल की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता

*59. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1980-90 को 'वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर एण्ड सेनीटेशन डिकेड' (विश्व पेय जल और स्वच्छता दशक) के रूप में मनाये जाने में शामिल हुई है और इसे 10 नवम्बर, 1980 को शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में समस्या वाले गांवों की संख्या कितनी है और पेय जल पूर्ति योजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा शेष वर्षों हेतु प्रत्येक राज्य में पेय जल सप्लाई योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) ऐसे प्रत्येक गांव में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई किस तिथि तक कर दी जाएगी;

(घ) क्या पेय जल की व्यवस्था हेतु पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस तिथि तक प्राथमिकता दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :(क) सरकार 1981-90 को अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा सफाई दशक के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शामिल हो गई है। भारत में यह दशक अप्रैल, 1981 से आरम्भ किया जायेगा और मार्च, 1991 में समाप्त होगा।

(ख) 1971-72 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्यवार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है। वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल पूर्ति योजनाओं के लिए राज्यवार दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि संलग्न विवरण-2 मे दी गई है। 1981-82 और छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्य वार नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (च) कुछ राज्य सरकारों द्वारा समस्याग्रस्त ग्रामों की बढ़ी हुई संख्या बाद में

सूचित करने के परिणामस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय जिन शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेय जल मुहैया करवाना था उनकी संख्या अब 2 लाख से ऊपर आंकी गई है। योजना के अन्तर्गत किए गए वित्तीय प्रावधान से छठी योजनावधि के दौरान इन सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेय जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। सिवाय पहाड़ी तथा रेगिस्तान के कतिपय कठिनाई वाले क्षेत्रों जहां कि वास्तविक रुकावटों के कारण कार्यक्रम पर अधिक समय लग सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की आशा है।

त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों को देने लिए जब परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तब इस तथ्य पर उचित विचार किया जाता है कि पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में कभी-कभी स्थिति कठिन होती है और कीमतें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971-72 में किए गए सर्वेक्षण से पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या।
1.	आन्ध्र प्रदेश	6133
2.	असम	7619
3.	बिहार	35000
4.	गुजरात	3000
5.	हरियाणा	4191
6.	हिमाचल प्रदेश	9400
7.	जम्मू और कश्मीर	4000
8.	कर्नाटक	8252
9.	केरल	1514
10.	मध्य प्रदेश	14020
11.	महाराष्ट्र	5233
12.	मणीपुर	1100
13.	मेघालय	3306
14.	नागालैंड	814
15.	उड़ीसा	4619
16.	पंजाब	2340
17.	राजस्थान	4277
18.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
19.	तमिलनाडु	2585
20.	त्रिपुरा	3316
21.	उत्तर प्रदेश	15478
22.	पश्चिम बंगाल	12451
	योग	148728

1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	70
2.	अरुणाचल प्रदेश	2451
3.	चण्डीगढ़	—
4.	दादरा और नागर हवेली	72
5.	दिल्ली	145
6.	गोवा, दमन और दीव	241
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	693
9.	पांडिचेरी	75
	योग	3747
	कुल योग	152475

विवरण-2

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

1980-81 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियाँ (25-3-1981 के अनुसार)।

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1980-81 में दी गई निधियाँ
1.	आन्ध्र प्रदेश	236.23
2.	असम	427.11
3.	बिहार	482.50
4.	गुजरात	258.50
	हरियाणा	322.09
6.	हिमाचल प्रदेश	417.00
7.	जम्मू व कश्मीर	262 75
8.	कर्नाटक	248.81
9.	केरल	200.08
10.	मध्य प्रदेश	624.00
11.	महाराष्ट्र	464.00
12.	मणिपुर	106·03
13.	मेघालय	149.00
14.	नागालैंड	100.00

15.	उड़ीसा	282.00
16.	पंजाब	128.95
17.	राजस्थान	359.10
18.	सिक्किम	19.50
19.	तमिलनाडु	215.00
20.	त्रिपुरा	107.44
21.	उत्तर प्रदेश	951.95
22.	पश्चिम बंगाल	443.50
23.	अरुणाचल प्रदेश	35.00
24.	गोआ, दमण तथा दीव	11.46
25.	मिजोरम	15.00
26.	पांडिचेरी	6.00
27.	अंडमान तथा निकोबार	6.00
28.	दिल्ली	13.50
	योग	6972 50

दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन्जीनियरों की विदेश यात्रा

*595. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री एस. रामकृष्ण : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों को एशियाई खेल, 1982 की तैयारी के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की और प्रत्येक देश में वे कितने-कितने समय तक रहे और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या मार्च के प्रथम सप्ताह में एशियाई खेलों से सम्बन्धित निर्माण कार्य में लगे हुए लगभग सभी वरिष्ठ इन्जीनियर विदेशों में थे और इससे देश में हो रहे कार्य को क्षति पहुंची और

(घ) यदि हां तो एक ही समय में सभी व्यक्तियों को विदेश भेजने के क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) चार

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पर्याप्त वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिये थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय शास्त्रीय संगीत में शिक्षा/प्रशिक्षण देना

*596. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा/प्रशिक्षण देने के लिए देश

भर में सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा सहायता प्राप्त कोई भी कालेज अथवा विश्वविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने शास्त्रीय संगीत की पारम्परिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने हेतु लड़कों या लड़कियों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि शास्त्रीय संगीतज्ञ जिन्हें भी कभी राजा महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था, अब निर्धनता तथा भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार, छात्रवृत्तियों तथा शिक्षा वृत्तियों से सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वयन बच्चों तथा प्रौढ़ों को, शास्त्रीय संगीत सहित, सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कर रही है। ये पुरस्कार, औपचारिक संस्थाओं तथा पारम्परिक स्कूलों में प्रशिक्षण तथा अध्ययन के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ग) विपन्नावस्था में पाए जाने वाले कलाकारों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा संगीत नाटक अकादमियों जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार का पौष्टिक आहार की सप्लाई

5471. **आचार्य भगवान देव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त राज्यों के लिए केन्द्र सरकार से पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग के कितने व्यक्तियों को 1980 में पूरा पौष्टिक आहार दिया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य मे सूखे से उत्पन्न भंयकर स्थिति का सामना करने हेतु अपेक्षित सहायता का अनुमान लगाने के लिए राजस्थान में कोई केन्द्र दल नियुक्त किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस राज्य के प्रयेत्क जिले के बारे में इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण): (क) 3,80,000।

(ख) और (ग) जी हाँ। जो केन्द्रीय दल नवम्बर, 1980 में सूखा स्थिति का जायजा लेने राजस्थान गया था उसने जिलावरिस सिफारिशें नहीं की। फिर भी उसकी रिपोर्ट के आधार पर तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा 1980-81 के दौरान विभिन्न सूखा राहत कार्यों पर केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु 2019.50 लाख रुपये के व्यय की अनुमति प्रदान की।

विश्वविद्यालयों द्वारा एक दूसरे की परीक्षाओं तथा डिग्रियों को मान्यता दिया जाना

5472. **श्री एन. डेनिस** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के मद्रास तथा मदुरै विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और डिग्रियों को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तथा पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एव डिग्रियों को मद्रास तथा मदुरै विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और उससे छात्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या उनकी परीक्षाओं एवं डिग्रियों की एक दूसरे द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए इस संबंध में छात्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा डिग्रियों आदि की क्षमकक्षता प्रत्येक विश्वविद्यालयों द्वारा अलग अलग निर्धारित की जाती है। इस मामले में पारस्परिकता का सामान्य सिद्धांत अपनाया जाता है, बशर्ते कि प्रदेश सम्बन्धी अर्हतायें, पाठ्यक्रमों की समयावधि, उपलब्धि का सामान्य स्तर, एक समान हो। पंजाब विश्वविद्यालय ने, मद्रास और मदुरै की कला, कृषि विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा विधि, औषध विज्ञान, इन्जीनियरी, प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा विज्ञान, शारीरिक शिक्षा इत्यादि की बहुत सी परीक्षाओं को, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली तदनुरूपी डिग्रियों के समकक्ष, मान्यता प्रदान की है। इसी तरह, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय ने, पंजाब विश्वविद्यालय की पारस्परिक रूप से मान्यता दी है। पंजाब विश्वविद्यालय की ऐसी परीक्षाओं जिन्हें मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जाती है, के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

मिजोरम में सुधरी हुई टेलीफोन सेवा

5473. डा. आर. रौथुआमा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिजोरम में टेलीफोन विभाग के समग्र कार्यकरण के सुधारने के लिए सैजवाल, लुंगली और सेहा जिला मुख्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित पर विचार करने का है :

(1) स्टोर के वितरण के लिए पर्याप्त स्टोर की व्यवस्था करना, (2) एजवाल टेलीफोन एक्सचेन्ज की वर्तमान 700 लाइनों की क्षमता को 900 लाइनों में बढ़ाना, (3) जिला मुख्यालय वाले दोनों नगरों के अन्तर्गत अर्थात लुंगली और सैहा में स्वाचलित टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलना (4) मिजोरम में सभी उप-मंडलीय मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, (5) एजवाल से दिल्ली के लिए बराह्ता कलकत्ता एम. टी. डी. सुविधा लागू करना, (6) मिजोरम में डाक-तार विभाग के लिए इमारत बनाने का कार्य आरम्भ करना, जिसके लिए वित्तीय आवंटन बहुत समय पूर्व किया जा चुका है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (1) योजनाबद्ध कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्टोर आवंटित किए जा रहे है बशर्ते कि वे कुछ उपलब्ध हों स्टील एवं अलम्युनियम मदों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। मिजोरम की आवश्यकताओं को भी उत्तर-पूर्वी दूरसंचार सर्किल को स्टोर का आवंटन करते हुए शामिल किया गया है।

मिजोरम के लिए स्टोर गोहाटी स्थित सर्किलस्टोर डिपो से वितरित किये जाते हैं। शिलचर के लिये रेलवे बुकिंग की व्यवस्था करने में कुछ दिक्कतें हैं जोकि मिजोरम हेतु रेल पर्यन्त हैं। यथा आवश्यकता परिवहन हेतु किराये के ट्रकों का आश्रय लिया जा रहा है। केवल मिजोरम हेतु ही विभागीय वाहनों का प्रयोग औचित्य सम्मत नहीं है।

(2) ऐजूल एक्सचेंज का 700 से 800 लाइनों में विस्तार करने के लिए उपस्कर का आदेश 1980-81 के सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी भी किया गया था। तथापि, बिजली की

कटौती और तदुपरांत श्रमिक समस्याओं के कारण सप्लाई अत्यन्त कम रही। आशा है कि सप्लाई की व्यवस्था करके 1981-82 के दौरान संस्थापना कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

800 लाइनों से अधिक विस्तार के लिए मौजूदा भवन में स्थान नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार से नये एक्सचेंज भवन के लिये कोई अन्य स्थान देने का अनुरोध किया गया है।

(3) लुन्गलई में 100 लाइनों का स्वचलन एक्सचेंज कार्य कर रहा है

सैहा में एकस्वचल एक्सचेंज खोलने पर विचार किया गया था परन्तु विश्वासनीय पावर सप्लाई की अनुपलब्धता के कारण इसकी मन्जूरी नहीं दी जा सकी। इस सम्बध में सहायता प्रदान करने के लिए महाप्रबन्धक दूरसंचार ने यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है।

(4) 9 उप-मंडल मुख्यालयों में से टेलीफोन सुविधाएं निमानुसार उपलब्ध है :—

(क) ऐजल — टेलीफोन एक्सचेज मौजूद है।

(क) लुन्गलई — टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद है।

(ग) सैहा — लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर मौजूद है।

(घ) कोलाशिव — टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद है।

(ङ) लोंगतलाई — टेलीफोन एक्सचेज मौजूद है।

(च) मामित, (छ) चम्पाई, (ज) त्लाबुंग, (झ) चवांगटे — अभी तक कोई टेलीफन सेवा प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि इसमें अत्यन्त कठिन क्षेत्रीय एवं अनुरक्षण समस्याए शामिल हैं। चम्पाइ तथा त्लाबुंग में बगैर ट्रंक सुविधाओं के एक्सचेंज खोलने के मामलों पर राज्य सरकार के साथ पर्याप्त पावर, स्थान तथा टेलीफोन कनेक्शनों की न्यूनतम संख्या की गारंटी की व्यवस्था करने हेतु पत्र व्यवहार चल रहा है।

(5) उपभोक्ता ट्रंक डयलिंग हेतु ऐजल को शिलांग ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है। ऐजल और सिलचर के बीच एक यू. एच. एफ. माध्यम प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। तथा एस. टी. डी. सेवा 1984-85 में प्रदान किये जाने की संभावना है।

(6) भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

(क) ऐजल में भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है।

(ख) राज्य सरकार के लुन्गलई में 1600 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है तथा प्रथम चरण में एक टाइप ए, 6 टाइप बी. और एक टाइप सी. क्वार्टरों के निर्माण हेतु प्राक्लन तैयार किया जा रहा है।

(ग) कोलाशिव में भूमि हेतु मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है।

(घ) सैहा में राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इसका सीमांकन किया जा रहा है। इन सभी स्थानों पर जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

कृषि में अधिकतम उत्पादन के लिये नीति

5474. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तथाकथित अधिक उपज देने वाली किस्मों और सहकारी

पूंजीवाद का उपयोग करके भी अधिकतम उत्पादन नीति से कृषि विकास की दर में अपेक्षित गति प्राप्त नहीं हुई है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) इस प्रयोग को कुशलता के लिए अपेक्षित शर्तें क्या हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिणाम निकला,

(घ) क्या भूमि सुधार कार्यक्रमों के बावजूद समान वितरण नहीं हुआ था, जोतों को सीमान्त होने से नहीं रोका गया था और धनी व्यक्तियों के हित में सहकारिता के प्रयोग को नहीं रोका गया था,

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम का प्रयोगात्मक स्तर समाप्त हो चुका है। अब ये किस्में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कृषि नीति का मुख्य अंग बन गई हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

(च) प्रश्न ही नहीं होता।

सुन्दरवन में मत्स्यपालन विकास

5475. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में मत्स्यपालन विकास हेतु वर्ष 1981-82 में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय और अन्य प्रकार की क्या सुविधाएं अथवा सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : कृषि विकास विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कोष से सहायता प्राप्त सुन्दरबन विकास परियोजना (जो हाल ही में फरवरी 1981 से प्रारम्भ हुई है) के पास महिसानी तथा झरखाली द्वीप समूहों में खारी पानी तथा प्रान फार्मों की स्थापना का एक कार्यक्रम है। परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 1981-82 के दौरान इस कार्य पर 89 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

वर्ष 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय मत्स्य अनुसन्धान संस्थान काकाद्विप स्थित अपने केन्द्र में खारे पानी में मत्स्य पालन के सम्बन्ध में अपनी जांच के कार्य को तेज करने का प्रस्ताव है। अतः वर्तमान अनुसन्धान ढांचे तथा काकद्विप में मत्स्य पालन फार्म को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है।

"अवार्ड" द्वारा मुसाहेरी (मुजफ्फरपुर) बिहार के समेकित विकास के लिए प्राप्त धन का दुरुपयोग।

5476. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री वी. एन. गाडगिल : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास की स्वैच्छिक एजेंसियों की एसोसियेशन (एसोसिएशन आफ वालंटरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेन्ट "अवार्ड") को बिहार पर मुसाहेरी (मुजफ्फरपुर) के समेकित विकास के लिए पश्चिम जर्मनी के एक ईसाई संगठन ई. जेड. ई, से 13 मिलियन रुपए मिले और मुजफ्फरपुर एजेंसी के नाम पर केन्द्र सरकार से इस परियोजना के लिए एक ग्रामीण उद्योग परियोजना भी प्राप्त की :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई. जेड. ई. से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया गया था; और

(ग) क्या सरकार ने 'अवार्ड' के खिलाफ कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबेश्वर राम) : (क) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम द्वारा दिसम्बर 1972 में बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले के मुसाहेरी खण्ड और मुंगेर जिले के जमुई खण्ड में ग्रामीण निर्माण कार्यों तथा लघु सिंचाई से संबन्धित एक परियोजना संस्वीकृत की गई थी जिसके लिए केन्द्रीय एजेंसी (ई. जेड. ई.) पश्चिमी जर्मनी से कुल 123.00 लाख रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त की गई थी। भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) ने एसोसियेशन आफ वालेंटरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेंट (एवार्ड) को अब तक 113.50 लाख रुपये की राशि 17 किस्तों में बंटित की है। केन्द्र सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के लिए 1972-73 में एक ग्रामीण उद्योग परियोजना भी संस्वीकृत की गई था। बिहार सरकार ने इस परियोजना का कार्यान्वयन मुजफ्फरपुर विकास एजेंसी को सौंप दिया था। ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम को अब 1978-79 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग के केन्द्रीय कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार है।

(ख) व (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

शिक्षा विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद

5477. **श्री डी. पी. यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों की कमी है ;

(ख) क्या निम्न श्रेणी लिपिकों को ग्रेड "डी" स्टेनोग्राफर के पद पर तदर्थ नियुक्तियों के लिये चुना गया था परन्तु उन्हें उक्त पदभार संभालने की अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तदर्थ ग्रेड "डी" आशुलिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए सभी अवर श्रेणी लिपिकों को ग्रेड "डी" आशुलिपिक के पदों पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम द्वारा राजौरी गार्डन जी. 8 क्षेत्र के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया जाना

5478. **श्री केशवराव पारधी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने 1 दिसम्बर, 1980 से राजौरी गार्डन जी.-8 क्षेत्र के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर सभी फ्लैटों में पानी के मीटर हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण अब तक मीटर रीडिंग के अनुसार पानी के बिल भेजता रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने वहां पर मीटर रीडिंग के बिना ही सभी फ्लैटों को 12 रुपये की समान दर पर मार्च, 1981 तक पानी के बिल भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो वहां पर मीटर रीडिंग न लेने के क्या कारण हैं और क्या अन्य कालोनियों में भी ऐसा ही किया गया है; और

(ङ) क्या इस प्रकार प्रदा की गई राशि को समायोजित करने में कठिनाइयां नहीं होंगी और यह किस दर पर समायोजित की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि क्योंकि कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपने दखल में लेने की प्रक्रिया में काफी समय लगा था और मीटर रीडिंग का समय पर इन्दराज करना कठिन था, अतः बिलों को तदर्थ आधार पर जारी किया गया था। हाल ही में दखल में ली गई कालोनियों के बारे में भी बिल इसी ढंग से जारी किये गये हैं।

(ङ) क्योंकि भुगतान तदर्थ आधार पर किया गया है और प्रत्येक मीटर की रीडिंग को रिकार्ड करने के बाद समायोजित किया जाना है, अतः राशि को समायोजित करने में किसी कठिनाई की सम्भावना नहीं है।

कर्नाटक को पीने का पानी

5479. **श्री एस. बी. सिदनाल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सभी कस्बों और नगरों में पेय जल की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपयों की परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार को क्या वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पेय जल की सप्लाई राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित निधियां पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य क्षेत्र में दी जाती हैं। छठी पचवर्षीय योजना में जल सप्लाई तथा स्वच्छता के लिए स्वीकृत परिव्यय कर्नाटक के लिए 132 करोड़ रुपये है। इस परिव्यय की केन्द्र द्वारा प्रवर्धित त्वरित ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी,

जिसके अन्तर्गत चुने हुए समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सीमा का अभी तक फैसला नहीं किया गया है।

नागालैण्ड के लिए जल प्रदाय योजनाएं

5480. **श्री चिंगवांग कोनयाक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का नागालैण्ड राज्य में जल प्रदाय योजनाओं के लिए धनराशि देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में योजनाओं के लिए जल सप्लाई योजना भी शामिल है जिसमें 10.75 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। जिनमें धन की व्यवस्था जीवन बीमा निगम द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार ने अभी तक उन योजनाओं के ब्यौरे प्रस्तुत नही किए हैं।

वायु प्रदुषण पर निगरानी रखने और उसे नियन्त्रित करने के लिए केन्द्र

5481. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु प्रदुषण पर निगरानी रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए बड़े औद्योगिक शहरों में साठ केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितनी लागत आयेगी और इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले निरीक्षण केन्द्रों की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) देश में वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम को समन्वित और उचित ढंग से चलाने के लिए पर्यावरण विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबोधन पर एक कार्यकारी दल बनाया है और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र की स्थापना की कार्यवाही की एक योजना तैयार करने में सहायता करेगा। दल की रिपोर्ट शीघ्र ही आने की आशा है।

मध्य प्रदेश को माइक्रोवेव प्रणाली की सुविधा देना

5482 **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था के आधुनिकी करण के लिए माइक्रोवेव प्रणाली का विस्तार संबन्धी योजनाएं क्या हैं; और

(ख, इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान हाल में ली गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) मध्य प्रदेश में संचार

व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए माइक्रोवैव प्रणाली के विस्तार के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

1. जबलपुर-सागर-झांसी-ग्वालियर-आगरा/ सागर-भोपाल चौड़ीपट्टी माइक्रोवैव योजना।
2. नागपुर-छिंदवाड़ा तंग पट्टी-माइक्रोवैव योजना।
3. भोपाल-विदिशा तंग पट्टी माइक्रोवैव योजना।
4. इन्दौर-देवास तग पट्टी माइक्रोवैव योजना।
5. रायपुर-धमतरी-जगदलपुर तंग पट्टी माइक्रोवैव योजना।
6. अंबिकापुर-कोरबा-बिलासपुर तंग पट्टी माइक्रोवैव योजना।
7. जबलपुर-नरसिंहपुर तंग पट्टी माइक्रोवैव योजना।
8. इन्दौर-मऊ तंग पट्टी माइक्रोवैव योजना।

(ख) 1980-81 के दौरान सरकार द्वारा हाथ में की गई योजनाओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

योजना का नाम	स्वीकृत लागत पूरा करने का निश्चित वर्ष (लाख रुपयों में)	
1. इन्दौर-देवास-तग पट्टी माइक्रोवैव योजना	30.63	1982
2. अंबिकापुर-कोरबा-बिलासपुर तग पट्टी माइक्रोवैव योजना		1983
3. रायपुर-धमतरी-जगदलपुर तंग पट्टी माइक्रोवैव योजना	299.39	1983

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों में उप-प्रधानाचार्य

5483. श्री रोत लाल प्रसार वर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम क्या हैं जिनके लिए वर्ष 1980-81 में उप-प्रधानाचार्य के पद मंजूर किये गये हैं;

(ख) सीनियर सेकेन्डरी कम्पोजिट स्कूलों के नाम क्या हैं जिनमें 800 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जिन्होंने वर्ष 1980-81 में उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन भेजे थे परन्तु अब तक मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ग) इन स्कूलों के मामलों पर किस तारीख तक निर्णय कर लिया जायेगा।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 1. वेनी प्रसाद जयपुरिया सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, राजपुर रोड।

2. क्वीन मैरी सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, तीस हजारी, दिल्ली।

3. यूनियन अकादमी सैकेन्डी स्कूल, राजा बाजार।

4. कौमी बोयज सैकेन्ड्री स्कूल, शाही ईदगाह।

5. लेडी इर्विन सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, केनिग रोड।

6. केरल शिक्षा सोसाइटी, केनिग रोड।

(ख) और (ग) निम्नलिखित स्कूलों ने वर्ष 1980-81 के दौरान अपने स्कूलों में 800 से अधिक छात्रों की संख्या के आधार पर उप-प्राधानाचार्यों के पदों का दावा किया था परन्तु उनके मामलों पर विचार किया गया था और उन्हें पद-धिर्धारिण के लिए नियत मान-दण्डों के अनुसार, उनकी अपात्रता के कारण रद्द कर दिया गया था।

1. एस. आर. एस. डी. सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल लाजपत नगर।
2. विद्या ज्ञान मन्दिर सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, पहाड़ी धीरज।
3. जैन सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, धर्मपुरा।
4. एल. डी. जैन सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, पहाड़ गंज।
5. आर्य कन्या सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, तेलीवाड़ा।
6. आर. ए. गीता सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, शकर नगर।
7. एस. डी. सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल, शाहदरा।
8 दाऊ दयाल सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, नया बाजार दिल्ली।

उप-प्राधानाचार्य के पद के लिए स्कूलों की पात्रता निर्धारित करते समय कम्पोजिट स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं के दाखिले पर विचार नहीं किया जाता।

कुरुक्षेत्र और करनाल में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्ताव

5484. **श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा सरकार से कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों के गाँवों को बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ नियन्त्रण योजना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार को कुरुक्षेत्र और करनाल के जिलों के गाँवों को सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव हरियाणा सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु राज्य सरकार को बाढ़ नियन्त्रण विषयक तकनीकी सलाहकार समिति ने, चंडीगढ़ में 25 मार्च, 1981 को हुई अपनी बैठक में कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों के बारे में बहुत सी बाढ़-नियंत्रण स्कीमों को स्वीकृति देने के लिए उन पर विचार किया था।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

गाजीपुर. उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5486. **श्री जैनुल बशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत समस्तीपुर जिले (उत्तर प्रदेश में) कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं;

(ख) अप्रैल, 1978 से 28 फरवरी, 1980 की अवधि के दौरान, वर्षवार प्रत्येक कार्यक्रम पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उपरोक्त कार्यक्रमों द्वारा अलग-अलग कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है तथा इसके प्राप्त होते ही समा-पटल पर रख दी जायेगी।

वायरलैस आयोजना एवं समन्वय विंग के कर्मचारियों को बोनस

5487 **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय के वायरलैस आयोजना तथा समन्वय विंग के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बन्ध बोनस का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में 8 अक्टूबर 1980 को आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा एक घोषणा की गयी थी और यह 9 अक्टूबर 1980 के विभिन्न आगामी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सम्बद्ध कर्मचारियों को अब तक उपर्युक्त बोनस का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) डाक तार विभाग में उत्पादकता पर आधारित बोनस की अदायगी के बारे में, 8 और 9 अक्टूबर, 1980 को समाचार पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में की घोषणा में कहा गया था कि संचार मंत्रालय के अधीन, विदेश संचार सेवा तथा वेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध के पात्र कर्मचारी भी इसी आधार पर बोनस प्राप्त कर सकेंगे। वेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध के पात्र कर्मचारियों के बारे में की उपर्युक्त घोषणा वस्तुत: इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, वेतार अनुश्रवण संघटन के कर्मचारियों के बारे में थी। यह संघटन, मंत्रालय के वेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध के प्रभारी अधिकारी वेतार सलाहकार के माध्यम से अपनी गतिविधियां सूचित करता है।

क्योंकि वेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध मंत्रालय (मुख्य) का ही एक भाग है अत: उन्हें बोनस नहीं दिया जा सकता।

हुडको द्वारा ग्रामीण आवास

5488. **श्री के. ए. राजन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हुडको' के बजट की बहुत उच्च प्रतिशतता ग्रामीण आवास के लिए उपलब्ध की गई है; और

(ख) य द हां, तो इस ब रे में गत तीन वर्षों के ब्यौरे क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास तथा नगर निमग विकास निगम (हुडको) 1.77-78 से ग्रामीण आवास योजनाओं की वित्त व्यवस्था कर रहा है और यह अपनी ऋण स्वीकृतियो का 10 प्र. श. तक ऋण ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए निर्धारित कर रहा था जिसे 1980-81 से 15 प्र. श. तक बढ़ा दिया गया है।

(क) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा ग्रामीण आवास के लिए इस स्वीकृत ऋण का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत हुडको ऋण	स्वीकृत आवास
1977-78	7	26.42	11.25	85022
1978-79	7	10.5.	4.71	27200

—0

1	2	3	4	5
1979-80	29	33.78	14.62	105998
1980-81 28-2-81 तक	41	41.75	16.70	122025
जोड़	84	112.48	47.28	340245

छठी पचवर्षीय योजना के दौरान इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना

5489. **श्री हरिहर सोरन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिए धनराशि आवटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उठता ।

खाद्यान्नों के आवंटन के लिए मानदंड

5490. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को खाद्यान्नों के वितरण के लिए मानदन्ड क्या है;

(ख) क्या सरकार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों के लिए चीनी का कोटा निर्धारित करने के लिए विचार कर रही है जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा मांग की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों से प्राप्त मांगों के अनुसार, गेहूँ और चावल के आवंटन किए गए थे । तथापि, यह पाया गया कि किए गए आवंटनों से गेहूँ का उठान अपेक्षाकृत कम है । गेहूं के स्टाक को बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों और रोलर फ्लोर मिलों को गेहूँ के आवंटन करने संबंधी कार्य को अगस्त, 1980 से युक्तिरुक्त कर दिया गया था ताकि आवंटन को उठान की पहले की प्रवृत्ति के निकट लाया जा सके ।

(ख) और (ग) 17.12.79 से चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को फिर से लागू करने से लेवी चीनी के उन्हीं राज्यवार मासिक कोटों को बहाल कर दिया गया था जोकि 16.8.1978

को चीनी से नियंत्रण उठाने से तुरन्त पहले की आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान चल रहे थे। ये कोटे 1.4.1978 की प्रायोजित जनसंख्या के संदर्भ में प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए गए थे। कुछेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में जहां प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम से पहले ही अधिक पाई गई थी वहां उनके स्तर को बनाए रखा गया था। चीनी की कठिन सप्लाई-स्थिति होने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखना और तदनुसार कोटों में वृद्धि करना सम्भव नहीं पाया गया है।

राज्यों के भाण्डागार निगमों को आवंटित धनराशि

5491. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य भाण्डागार निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्षवार उन्हें आवंटित पूरी राशि का उपयोग नहीं किया ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) केन्द्रीय सरकार राज्य भाण्डागार निगमों के लिए निधि आवंटित नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार, अन्य शेयर धारियों और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अपने स्रोतों से उपलब्ध की गई निधि का राज्य भाण्डागार निगमों की अंश पूंजी के लिए 50 प्रतिशत का अंशदान देने के लिए केन्द्री भाण्डागार निगम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा राज्य भाण्डागार निगमों को दी गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	(लाख रु. में) केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा विभिन्न राज्य भाण्डागार निगमों में लगाई गई धन राशि
1977-78	214
1978-79	161
1979-80	177

(ख) राज्य भाण्डागार निगम केन्द्रीय भाण्डागार निगम से अपनी अंशपूंजी का केवल 50 प्रतिशत ही प्राप्त करते हैं। वे संस्थागत स्रोतों से भी ऋण ले सकते हैं। अतः अपनी भाण्डागारण संबंधी गतिविधियां चलाते रहने के उद्देश्य से आन्तरिक रूप से उपलब्ध धनराशि सहित कुल निधि से वे अपने कार्य चलाते हैं। केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा उपलब्ध की गई निधि के इस्तेमाल को अलग से नहीं दिखाया जाता है।

दिल्ली में कालेजों के शासी निकायों के सदस्य

5492. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती . क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि कितने संसद सदस्य और भूतपूर्व संसद सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों की शासी निकायों के सदस्य हैं और उनका सम्बन्ध किन किन दलों से है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : संसद सदस्य/भूतपूर्व ससद सदस्य जो दिल्ली विश्वविद्यालय से सबंद्ध कालेजों के शासी निकायों के सदस्य हैं, उनकी कुल संख्या 17 है।

इन सदस्यों के पार्टी विशेष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र में डाक संगठन में डाक संगठन में कर्मचारियों की संख्या

5493. **श्री आर के. महालगी** : क्या सचार मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में डाक सगठन में कर्मचारियों की संख्या इस संबंध में निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त हैं;

(ख) वहां 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी थी और उस दिन तक महाराष्ट्र में उन पदों पर वास्तव में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उस दिन, श्रेणी-वार कितने व्यक्ति अवकाश पर थे ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सर्किल के पोस्टल मास्टर जनरल से सूचना एकत्र की जा रही है तथा वह समा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा महिला वाइस प्रिंसीपलों को स्थायी किया जाना

5494. **श्री कुमबुम एन. नटराजन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 970 में दिल्ली प्रशासन द्वारा विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर कितनी महिलाओं को वाइस प्रिंसीपल के पद पर नियुक्त किया गया था; जो अभी तक इस पद पर काम कर रही हैं अथवा अगले उच्च ग्रेड में अपनी नियुक्ति तक काम करती रहेंगी।

(ख) इन्हें जब तक स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) 1970 में और तेइस तारीख तक वाइस प्रिंसीपलो के पद के लिए लागू होने वाले भर्ती नियम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर 25 महिला अधिकारी राजकीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों/उप प्रधानाचार्यों के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त की गई थी और वे अभी भी तदर्थ आधार पर प्रधानाचार्यों के रूप में कार्य कर रही है।

(ख) उप प्रधानाचार्यों के संवर्ग में वरिष्ठता का निर्धारण स्नातकोत्तर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची की अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर था, जिसे अगस्त, 1979 में अन्तिम रूप दिया गया था। अब उप प्रधानाचार्यों की एक अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है तथा पात्र उप प्रधानाचार्यों को उपलब्ध पदों पर स्थाई करने का कार्य शुरू किया जायेगा।

(ग) .970 में लागू भर्ती नियमों की एक प्रतिलिपि अनुबन्ध-1 में संलग्न है। इस समय लागू भर्ती नियमों की एक प्रतिलिपि अनुबन्ध 2 में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी-2251/81]

आसनसोल और रानी गंज की कोयला पट्टी पर टेलीफोन संचार व्यवस्था

5495, **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसनसोल और रानी गंज कोयला पट्टी पर और इन दोनों क्षेत्रों के बीच तथा कलकत्ता और दिल्ली के बीच, कोयले खानों में सुरक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, टेलीफोन संचार व्यवस्था में सुधार हेतु, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : आसनसोल और रानीगंज कोल वेल्ट में टेलफोन संचार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) आसनसोल बाराकर तथा आसनसोल नियामतपुर टेलफोन एक्सचेंजों के बीच जंक्शनों को पी. सी. एम. प्रणाली पर काम करने वाले बेहतर किस्म के जक्शन मुहैया कराकर बढ़ाया जा रहा है।

(2) दुर्गापुर रानीगंज आसनसोल मार्ग पर 60 चैनल की यू. एच. एफ. रेडियो प्रणाली संस्थापित किये जाने की योजना है। इस प्रणाली में से रानीगंज, आसनसोल, तथा दुर्गापुर के बीच स्थायी संचार व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी क्योंकि वर्तमान टेलीफोन केबुलों की चोरी हो जाती है।

(3) आसनसोल, रानीगंज तथा अन्य ग्रुप एक्सचेंजों से कलकत्ता हेतु एस. टी. डी. सेवा पहले से ही विद्यमान है। दिल्ली के साथ एस. टी. डी सुविधा के विस्तार हेतु इससे संबंधित तकनीकी कार्य पूरा हो गया है तथा इस मार्ग की यातायात जाँच कार्य चल रहा है।

सरकारी आवासों में रह रहे राजनीतिक नेता

5496. **श्री एन. ई. होरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनैतिक नेता जो संसद सदस्य अथवा महानगर पालिका अथवा अन्य किसी पद पर रहे हैं, अभी सरकारी आवासों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ लोगों के दिल्ली में अपने मकान हैं किन्तु वे सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं; और

(घ) क्या उनमें से कुछ लोग किराये का नियमित भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) 17 राजनैतिक नेता अभी तक सरकारी आवास के दखल में हैं। 7 मामलों में आवंटन को रद्द कर दिया गया है और मकान खाली कराने की अगली कार्रवाही प्रगति पर है। शेष मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है :

(1) असम के 7 भूतपूर्व संसद सदस्यों को राज्य में चुनाव पूर्ण होने तक आवास रखने की अनुमति दी गई है।

(2) एक भूतपूर्व संसद सदस्य को एक सरकारी समिति का अध्यक्ष होने के नाते वास रखने की अनुमति दी गई है।

(3) एक भूतपूर्व संसद सदस्य की मृत्यु हो गई है परन्तु उनके परिवार को मई 1981 तक वास रखने की अनुमति दी गई है।

(4) एक मामले में चिकित्सा के कारणों से आवंटन जारी रखा गया है और आगे मकान रखने की उनके अनुरोध की जांच की जा रही है।

(ग) नियमानुसार संसद सदस्यों को आवास के लिए रोक नहीं है, इसलिए यह सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हाँ। बकाया राशि को वसूल करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना के अधीन मजूरी के आंशिक भुगतान के लिए खाद्यान्न

5497. **प्रो मधु दण्डवते** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार गारंटी योजना के अधीन काम कर रहे श्रमिकों को खाद्यान्न के रूप में मजूरी का आंशिक भुगतान करने के लिए महाराष्ट्र को खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र से खाद्यान्न की पर्याप्त सहायता मिलने के अभाव में, इस योजना के अधीन काम कर रहे श्रमिकों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निमाण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन निर्धारित फार्मूला के आधार पर किया जाता है जिसके अधीन राज्य में 75 प्रतिशत बल कृषि श्रमिकों/सीमान्त किसानों की जनसंख्या और 25 प्रतिशत निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है। महाराष्ट्र का अंश उपर्युक्त फार्मूला के आधार पर आंका गया है और राज्य को उसके हिस्से का पूरा खाद्यान्न बंटित कर दिया गया है। चूंकि रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र सरकार की अपनी योजना है इसलिए इसके लिए कोई भी अतिरिक्त संसाधन राज्य सरकार द्वारा स्वयं सुलभ किए जाने हैं।

औषधियों का आदी होना

5498. **श्री जी. बाई. कृष्णन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के श्रमिकों के औषधियों के आदी होने की समस्या के बारे में अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) "ड्रग यूज अमंग इन्डस्ट्रियल वर्कर्स" पर एक अध्ययन इस मंत्रालय द्वारा 1979 में प्रायोजित किया गया। दिल्ली

में पंजीकृत फैक्ट्रियों से चार हजार औद्योगिक कर्मचारियों को नमूने के तौर पर लेकर यह अध्ययन उस आधार पर किया गया।

(ख) इस अध्ययन के अनुसार औषधियों के आदि होने की प्रतिशतता 10.43 पाई गई। औषधियों के आदी होने के सामूहिक कारण नीचे क्रमवार दिए जाते हैं :

1. औद्योगिक वातावरण में काम करने से उत्पन्न दबाव;
2. मनोरंजन की उपयुक्त सुविधाओं की कमी;
3. तम्बाकू और दवाइयों कावर में मित्रों और साथियों के दायरे में प्रचलन होने से वातावरण सम्बन्धी कारण।
4. देहाती/शहरी पृष्ठभूमि, मातृ भाषा, जाति तथा धर्म इत्यादि से सम्बन्धित सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि।
5. आर्थिक कारण जिसमें आय और कर्ज शामिल हैं;
6. कार्य की तरफ रवैया;
7. व्यक्तित्व;
8. परिवार जीवन;
9. कार्यतुष्टि;
10. सामाजिक जीवन;
11. बाल्यावस्था;
12. शैक्षिक पृष्ठभूमि;
13. आयु (कुछ-तजर्वे तथा प्रभावों के सन्दर्भ में, ना कि स्वतन्त्र रूप में)

पश्चिम बंगाल में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

5499. **श्री आनन्द पाठक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान किन-किन शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर बना दिया जायेगा; और

(ख) पश्चिम बंगाल के उन उप-डाकघरों के नाम क्या हैं जिन्हें उपरोक्त अवधि में में उनका दर्जा बढ़ाकर, मुख्य डाकघर बना दिया जायेगा ?

संसार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) 1981 एवं 1982 के दौरान 29 शाखा डाकघरों एवं उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के मामले पोस्टमास्टर जनरल के विचाराधीन हैं। डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर बनाए जाने वाले उन शाखा डाकघरों के नाम जिनके मामले विचाराधीन हैं :

1981-82

1. भाटागुडी
2. हरिपुर
3. कृष्णनगर
4. राजीदपुर

5. पेत्रापोल
6. गोसेरहाट
7. मादाराट
8. हुँसुरी
9. संडी
10. पानुरिया
11. गोपालपुर
12. कुमारडिही
13. हू नूतनग्राम
14 मेतानी
15. पिपोलन
16. चकदिघी
17. हीराबन्ध
18. नूरपुर
19. दासाग्राम
20, माखराबाँध
21. उचितपुर
22. नाराजोले
23. मोहर
24. सारदापल्ली
25 खंजनचक
26. तालपुर
27. माजू
28. जयरामवती
29. नेरादियोल

(2) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर बनाए जाने वाले उप डाकघरों के नाम, जिनके मामले विचाराधीन हैं :

1981-85

1. मिमारी
2. वनगाँव
3. उलूबेरिया
4. महिषादल
5. हाबरा
6. पलाल्से
7. जयनगर मोझिलपुर
8. इगरा
9. छमडम
10. दक्षिण पूर्व रेलवे

1981-82 के दौरन केन्द्रीय विद्यालय खोले जाना

5500. श्री जर्नादन पुजारी :

श्री बी. आर. नहाटा : क्या शिक्षा और समाज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान देश में खोले जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे और उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ये विद्यालय खोले जाएंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में सिविल तथा सैनिक क्षेत्रों में बीस केन्द्रीय विद्यालय (सैन्ट्रल स्कूल) खोले जाने हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे स्थानों पर भी कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने की सम्भावना है जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उच्च अध्ययन संस्थाएं स्थित हैं।

(ख) सिविल तथा सैनिक क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय रक्षा और अर्ध-सैनिक कर्मिकों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखकर उक्त स्थान पर खोले जाते हैं, बशर्ते कि वहां भूमि तथा भवन इत्यादि जैसी अपेक्षित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को वेतन की अदायगी

5501. श्रीमती चेन्नुपति विद्या : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की अध्यापिकाओं को वेतन के भुगतान की कोई निश्चित तारीख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें मास के अन्तिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान करने का विचार है जैसा कि केन्द्र सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के मामले में किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अध्यापिकाओं को परेशान करने के लिए, वेतन वृद्धि मिलने (खास तौर पर दक्षतारोध पार करने के बाद) महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि तथा अवकाश यात्रा छूट के दावों के बकाया के भुगतान में देरी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम बठाए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई सूचना के अनुसार अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को वेतन का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की कोई निश्चित तारीख नहीं है किन्तु सदैव वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख से पहले ही करने का प्रयास किया जाता है।

महीने के अन्तिम कार्य दिवस को वेतन का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महंगाई भत्ते की बकाया राशि, अवकाश यात्रा छूट तथा अन्य बकाया राशि के दावों का निपटान सामान्यत. अविलम्ब किया जाता है ।

त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए कर्मचारियों की संख्या

5502. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी और अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिकाओं अर्थात् 'संस्कृति शिक्षा विवेचन' 'एजुकेशन क्वार्टरली' का कार्य पूरी तरह से गैर-सम्पादकीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जबकि अन्य सरकारी संगठनों, अर्थात् योजना आयोग, कृषि विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) प्रकाशन विभाग में उनकी पत्रिकाओं अर्थात् 'योजना' 'खेती' 'आजकल' आदि के लिए उसी प्रकार का कार्य सम्पादकीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रकाशन एककों में क्रमश: उपरोक्त प्रकाशनों तथा अन्य तदर्थ प्रकाशनों के लिए, कार्यवार, कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है और 1974 से काम कर रहे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस कार्य में लगे कर्मचारियों को उनके कार्यों के लाभों अर्थात् सम्पादकीय पदों, वेतन-मानों, आदि से वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी और अंग्रेजी पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों के लिए किसी पृथक सम्पादकीय स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। यह कार्य और इससे सम्बद्ध अन्य कार्य मन्त्रालय के हिन्दी और अंग्रेजी प्रकाशन एककों में किया जाता है। सम्पादन; अनुवाद और निरीक्षण सम्बन्धी कार्य इन एककों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था से अब तक सुचारू रूप से कार्य चल रहा है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) हिन्दी/अंग्रेजी प्रकाशन एककों की स्टाफ सम्बन्धी जरूरतों की समय-समय पर जाँच की जाती है ।

विवरण

प्रकाशन कार्य के लिए संस्वीकृत पदों की कार्यवार स्थिति का विवरण ।

पद का नाम	पदों की संख्या	
	1-1-74 तक की स्थिति के अनुसार	1-1-81 तक की स्थिति के अनुसार
हिन्दी प्रकाशनों के लिए		
1. विशेषाधिकारी (हिन्दी)*	1	1
2. हिन्दी अधिकारी	1	1
3. सहायक हिन्दी अधिकारी	1	2

1	2	3	4
4.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	—	1
5.	हिन्दी आशुलिपिक	1	1
6.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	4	6
7.	प्रूफ रीडर	1	1
8.	उच्च श्रेणी लिपिक	—	1
9.	अवर श्रेणी लिपिक	2	1
	अंग्रेजी प्रकाशन के लिए		
1.	सहायक शिक्षा सलाहकार	1	1
2.	शिक्षा अधिकारी	1	1
3.	सहायक शिक्षा अधिकारी	3	3
4.	बिक्रय सहायक	1	1
5.	सहायक	1	1
6.	तकनीकी सहायक	1	1
7.	आशुलिपिक	2	2
8.	प्रूफ रीडर	1	1
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3
10.	अवर श्रेणी लिपिक	6	5

*28-9-1977 से निदेशक (हिन्दी) के रूप में पुन: पदनामित ।

गणेश मन्दिर, अटरू

5503. **श्री चतुर्भुज** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत अटरू (कोटा, राजस्थान) में एक गणेश मंदिर है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को गणेश की मूर्ति को खडित करने के बारे में सूचना मिली है, और यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को गणेश की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए स्थानीय लोगों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी पुर्नस्थापना के लिए आदेश जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार कब तक आदेश जारी करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ । इस सम्बन्ध में पता चलते ही यह मामला कोटा के जिलाध्यक्ष तथा स्थानीय पुलिस के पास भेजा गया ताकि बदमाशों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाई की जा सके ।

(ग) व (घ) जी हाँ । मन्दिर-समिति ने गणेश की खडित मूर्ति की पुनस्थापित का अनुरोध किया है । मौलिक मूर्ति प्राचीन मंदिर में स्थापित की गई प्राचीन प्रतिमा है । इसलिए

उसके स्थान पर आधुनिक मूर्ति प्रतिस्थापित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस प्राचीन मूर्ति की मरम्मत की जा सकती है।

ए.-2 डी. ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली में एक स्थल का विकास

5504. **श्री भीकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ए.-3 डी. ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली में सामूहिक आवास के लिए 5.2 एकड़ भूमि निर्धारित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक तार विभाग को जिसे पहले उक्त भूमि आवंटित की गई थी, इस स्थान के बदले शालीमार बाग में एक वैकल्पिक स्थल दे दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ए.-2 डी स्थित इस स्थल को आवास तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके;

(घ) क्या इस स्थल का विकास डी. डी. ए. की स्वयं-वित्त पोषण आवास योजना के अधीन रखने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उप ब्लाक ए-2, जनकपुरी रिहायशी योजना में लगभग 5 एकड़ का ए.-2 डी पाकेट, ग्रुप आवास के लिए निर्धारित किया गया है।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) नक्शों को भी अन्तिम रूप दिया जाना है। अतः इस समय कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में समुन्द्री समिति का प्रतिवेदन

5505. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :**

श्री रशीद मसूद :

श्री ए. के. राय : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्र अनुशासनहीनता के मामलों की जाच करने के लिए बी. एस. समुन्द्री समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं और विश्वविद्यालय द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) यह सच

है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक छात्र के अनुशासनहीनता के मामले की जांच करने के लिए बी. एस. समुन्द्री समिति नियुक्त की थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि छात्र की उक्त कार्यवाई—जिसने कार्यकारी कुलपति की अवज्ञा तथा बेइज्जती करने के लिए बहुत ही अशोभनीय, असभ्य तथा अनावश्यक भाषा का इस्तेमाल किया है, ताकि वह कुलपति महोदय की भावनाओं को चोट पहुँचाकर उन्हें मानसिक वेदना पहुँचा सके,—बहुत ही गम्भीर किस्म का दुराचरण, कदाचार खुली बेइज्जती अशिष्टता तथा जानबूझ कर अवज्ञा तथा अनुशासनहीनता है। छात्र के विरुद्ध सभी आरोप पूरी तरह स्थापित किये गये थे और सही साबित हुए और वह छात्र सख्त-से-सख्त सम्भव दंड का पात्र है। तथापि, समिति ने इस पर नरमी का रुख अपनाते हुए सिफारिश की है कि उक्त छात्र को दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

तदनुसार उक्त छात्र को विश्वविद्यालय से 9 दिसम्बर 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया था।

आर. के. पुरम, नई दिल्ली के सेक्टर छः में धार्मिक स्थल

5506. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर. के. पुरम नई दिल्ली के सेक्टर छः में कुछ 'धार्मिक स्थल' (रिलीजिस पाकेट) हैं;

(ख) यदि हां तो किन-किन धार्मिक संगठनों को ये स्थल आवंटित किए गए हैं, और इनमें कितना क्षेत्र है;

(ग) क्या इनमें से कुछ प्लाटों और उनके चारों ओर लगी हुई भूमि पर भी अनधिकृत दखलकारों ने कब्जा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों के क्या नाम हैं और इस समय उनके कब्जे में कितना क्षेत्र है और उन्होंने इस पर कब कब्जा किया;

(ङ) क्या इन संगठनों ने वहां कोई मकान आदि बना लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या उन्होंने इन भूखंडों को उन्हें आवंटित किए जाने के लिए आवेदन किया है;

(च) यदि हां, तो उनके मौजूदा कब्जे के सन्दर्भ में सरकार ने उनके प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(छ) क्या इन भूखंडों का कोई विकास जैसे सीवर लाइन, पार्श्वपथ, जल सप्लाई आदि की व्यवस्था, किया गया है अथवा किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (1) ज्वालामुखी दुर्गा मन्दिर (हिमाचल संस्था, सेक्टर-6 रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली) आबंटित क्षेत्र 900 वर्ग गज है।

(2) गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा, सेक्टर-6 रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली आबंटित क्षेत्र 900 वर्ग गज है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) कुछ संगठनों ने भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया है और उनके मामलों की जाँच की जा रही है। उनके ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(छ) यह एक विकासित क्षेत्र है और मल निर्यास नालियाँ, सड़कें, जल सप्लाई आदि वहां पर विद्यमान हैं।

विवरण

नाम	दखल में कुल क्षेत्र	दखल की तारीख	आच्छादित क्षेत्र
1. आनन्दपुर सत संग*	11000 वर्ग फुट	1972/73	488 वर्ग फुट
2. हनुमान टेम्पल	10150 ,, ,,	वही	803 ,, ,,
3. यूनाइटिड चर्च*	13916 ,, ,,	वही	1089 ,, ,,
4. मराठी विट्ठल टेम्पल	15068 ,, ,,	वही	2281 ,, ,,
5. सिन्धी गुरुद्वारा उधेरोमल	11979 ,, ,,	1966/67	1651 ,, ,,
6. एस. डी. सभा शिव टेम्पल*	20955 ,, ,,	वही	1424 ,, ,,
7. आर्य समाज टेम्पल	21620 ,, ,,	1968	1188 ,, ,,
8. राधा स्वामी सतसंग (ब्यास)	9830 ,, ,,	1979	458 ,, ,,
9. दिल्ली योग सभा*	14963 ,, ,,	1972/73	1937 ,, ,,

† आवंटन के लिए आवेदन किया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित जनता एवं निम्न आय वर्ग फ्लैटों पर स्टाम्प शुल्क की छूट

5507. **श्री मोखा भाई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना जनता, निम्न आय समूह तथा मध्य आय समूह के ऐसे लोगों के लिए फ्लटों का निर्माण करने हेतु की थी जो अन्यथा अपने मकानों का निर्माण करने में असमर्थ थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि निजी स्वामित्व के मकानों के मामलों में स्टाम्प शुल्क केवल जमीन की कीमत पर लिया जाता है और निर्मित मकान की कीमत पर नहीं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता एवं निम्न आय समूह के आवंटियों के मामले में स्टाम्प शुल्क में छूट दी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत योजना के अनुसार दिल्ली के विकास तथा उससे सम्बद्ध मामलों के लिए स्थापित किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकारण फ्लेटों का निर्माण भी करता है और दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबन्ध तथा निपटान) विनियमन, 1968 के अनुसार जनता/निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग सहित विभिन्न आय वर्गों को उन्हें बेचता है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि स्टाम्प शुल्क उस भूमि के मूल्य पर लिया जाता है जहाँ मात्र इस द्वारा भमि बेची जाती है।

(ग) जी, हाँ।

आर. एम. एस. (पी) डिवीजन का मुख्यालय पटना से भागलपुर स्थानान्तरित किया जाना

5508. श्री ए. राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर. एस. एस. (पी) डिवीजन के मुख्यालय को पटना से भागलपुर ला के चिर प्रतीक्षित स्थानान्तरण के बारे में ईस्टर्न बिहार चैम्बर आफ कर्मस एंड इण्डस्ट्री भागलपुर से 6 मार्च का अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) एवं (ग) भागलपुर में रेलवे का कोई डिवीजन मुख्यालय नहीं है और यह डाक ले जाने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों से सम्बद्ध नहीं है। चूंकि सुविधाएं पटना में उपलब्ध हैं इसलिए 'पी' डिवीजन के मुख्यालय को पटना में रखना प्रचालन और प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है।

दिल्ली में पशु सहायक सर्जन

5509. डा. ए. यू. आजमी :

श्री रीतलाल वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में पशु सहायक सर्जन के सभी पदों का दर्जा बढ़ाकर रु. 550-25-750-द. रो.-900 के वेतनमान में लाया गया था;

(ख क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुछ पशु सहायक सर्जनों को बढ़ाया हुआ नया वेतनमान दिया गया और अन्यों को नहीं दिया दिया गया।

(ग) यदि हां तो उनकी सख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस विषमता को दूर करने तथा सभी पशु सहायक सर्जनों के साथ एक समान व्यवहार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) से)घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 51 पशु चिकित्सकों में से 23 का वेतन उनके अपने पहले विकल्प के आधार पर संशोधित वेतनमान में निर्धारित कर दिया गया था। परन्तु यह सारा मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजना पड़ा है ताकि प्रोन्नत पदों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण हो सके।

मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

सुभाष यादव : क्या संचार मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के दूरस्थ गाँवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : वर्तमान एक्सचेंज से 40 किलो-

मीटर औरीय दूर के बाहर स्थित सुदूरवर्ती ग्राम टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था पाने के योग्य समझे जाते हैं पर्वतीय इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय (वा. आ. व्यय) का 10 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का 15 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में वार्षिक आवर्ती व्यय का 25 प्रतिशत प्रत्याशित राजस्व प्राप्त हो सकने की उम्मीद हो।

मास्को में प्रकाशित भारतीय पुस्तकें

5511. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को में 200 भारतीय पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं;

(क) प्रकाशित पुस्तकों के नाम क्या हैं और वे किन भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं; और

(ग) सोवियत रूस द्वारा कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया है, वह राशि किसको दी गई है क्या भारत सरकार की पूर्व अनुमति माँगी गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय पुस्तकों को प्रकाशित करने के इच्छुक विदेशी प्रकाशक सीधे भारतीय कापीराइट के मालिकों से सम्पर्क करके शर्तें तय कर लेते हैं। विदेशों में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। अतः सरकार के पास, रूस में प्रकाशित पुस्तकों, अथवा उनके लिये रायल्टी की अदायगियों के बारे में सूचना नहीं है।

सहायता प्राप्त स्कूलों के लिये दिल्ली शिक्षा नियम

5512. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूल दिल्ली शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों का पूरी तरह से पालन करते है और क्या ये नियम उन पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं; और

दिल्ली प्रशासन को ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं जिनके अन्तर्गत वह ऐसे सहायता प्राप्त स्कूलों को इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, जो उनका उल्लंघन करते हुये पाए जायें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लघन के मामले मे, शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन को, अधिनियम की धारा 20 तथा नियमावली के नियम 69 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

सहकारी क्षेत्र में माचिस निर्माण करने वाले कुटीर उद्योग एकक

5513. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जिनमें माचिस निर्माण करने वाले कुटीर उद्योग एकक सदस्य हैं; और

(ख) इन सदस्य एककों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए उन समितियों को कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के संरक्षण में कुटीर माचिस यूनिटों की 220 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(ख) तमिलनाडु सरकार औद्योगिक सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों के उत्पादों के विपणन के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर रही है। अन्यों के मामले में विपणन या तो स्वयं विनिर्माण करने वाली सहकारी समितियों द्वारा अथवा खादी ग्रामोद्योग भवनों या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विपणन केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

त्रिपुरा के दंगाग्रस्त क्षेत्र के लिए खाद्यान्नों का आवंटन

5514. श्री अजय विश्वास क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राघवन समिति ने त्रिपुरा के दंगाग्रस्त लोगों के राहत कार्यों के लिए 25 हजार टन चावल देने की शिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक त्रिपुरा के लिए केवल दस हजार टन चावल ही आवंटित किया है;

(ग) क्या राघवन समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार का विचार शेष 15 हजार टन चावल आवंटन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने 20,000 मीटरी टन की मात्रा आवंटित करने का निर्णय किया है।

1959 में अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्माणों को गिराना

5515. श्री नीरेन घोष : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25,000 किसान के परिवारों की भूमि को 1959 में अधिग्रहीत करने की अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) क्या इस भूमि को अधिग्रहीत किया गया था तथा किसानों को मुआवजा दिया दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार 20 वर्षों के पश्चात् उनके मकानों को गिराने का है;

(घ) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में भूमिहीनों तथा हरिजनों को दिए गए रिहायशी प्लाटों पर मकानों को गिराया जाएगा, और

(ङ) प्रति वर्ग गज मुआवजे की दर क्या है, बाजार दर पर अथवा किस आधार पर;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीम नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 13-11-1959 को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत 34047 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई थी। यह बताना सम्भव नहीं है कि इससे कुल कितने कृषक परिवार प्रभावित हुए'

(ख) तदन्तर, अर्जित की गई भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबन्धों के अनुसार मुआवजे का निर्धारित/घोषणा/भुगतान किया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अर्जन प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देते समय 'लाल डोरे" के भीतर निर्मित क्षेत्रों को अवार्ड से अलग रखा जाता है। सरकार की नीति के अनुसार, ग्रामों के "लाल डोरा" के भीतर और बाहर की कालोनियों सहित दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों के विन्यास नक्शों में समाविष्ट कर, और सड़कों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्पष्ट स्थान छोड़ कर, नियमितिकरण हेतु विचार किया जाना है। इसमें 30 जून, 1977 और 16 फरवरी 1977 तक क्रमशः रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाएं आ जाती हैं यदि किसी मामले में अनधिकृत निर्माण को गिराया जाना आवश्यक होता है जिसे नियमितीकरण नक्शे में समायोजन न किया जा सकता हो तो इस प्रकिया में विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक भूमि/फ्लैट/आवास दिया जाना अपेक्षित होता है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस बारे में सम्बन्धित प्राधिकरणों से परामर्श करके उचित समय पर निर्णय लिया जायेगा और यह ध्यान रखा जायेगा कि विस्थापना कम से कम हो।

(ङ) मुआवजे की दर भूमि प्रति भूमि और गाँव प्रति गाँव भिन्न भिन्न है।

भारत में खाद्य प्रशासन का पुनर्गठन

5516. श्री बी. वी देसाई :

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सम्पूर्ण खाद्य प्रशासन का पुर्नगठन करने तथा इसे सरल और कारगर बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी अन्य राज्यों के लिए महाराष्ट्र खाद्य प्रशासन की पद्धति को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता

5517. श्री टी. आर. रामन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चावल, गेहूँ, अनाजों, दालों तथा तिलहनों की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उपरोक्त के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) इनका मूल्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पैदा किए गए चावल, गेहूँ, धान्यों, दालों तथा तिलहनों की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

(लाख मीटरी टन)

फसल	1977-78	1978-79	1979-80
चावल	526.7	537.7	421.9
गेहूँ	317.5	355.1	315.6
कुछ धान्य	1144.4	1197.2	1004.8
कुछ दालें	119.7	121.8	83.7
कुछ तिलहन (पांच प्रमुख तिलहत अर्थात् मूंगफली, तोरिया, तथा सरसों, तिल अलसी और एरेंड)	90.0	93.5	80.8

(ख) भारत चावल, गेहूँ तथा धान्यों के मामले में कुल मिलाकर आत्मनिर्भर है और इनकी थोड़ी मात्रा का निर्यात भी किया जा रहा है। दालों के मामले में, आंतरिक सप्लाई बढ़ाने के लिए आयात करने की अनुमति दी गई है।

खाद्य तेलों के संबन्ध में देश आत्म निर्भर नहीं है और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने सर्वाधिक विपणन की अवधि के दौरान प्राथमिक मंडियों में विद्यमान औसत थोक मूल्यों का प्रयोग करके, उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उत्पादन के मुल्य का अनुमान लगाया है। उक्त उत्पादन का अनुमानित मूल्य प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए)

मद	1979-80*	1978-79*	1977-78*
1. चावल	780348	859501	868749
2. गेहूँ	423123	415043	373954
3. चावल तथा गेहूँ सहित धान्य	1502415	1563898	1559530
4. दालें	203545	252856	240668
5. तिलहन	325037	290318	307083

*शीघ्र

*अस्थायी

जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन मुकदमें चलाए जाना

5518. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन और उर्वरक के बड़े-बड़े ऐसे कौन-कौन से कारखाने हैं जिन पर गत दो वर्षों में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन मुकदमें चलाए गए हैं;

(ख) उन पर कितनी धन राशि का जुर्माना किया गया और क्या यह उनसे वसूल कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने रसायन तथा उर्वरक के किसी भी बड़े कारखाने पर मुकदमा नहीं चलाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बलसौड़ में बौठ स्थित डाकघर का स्थानान्तरण

5519. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बलसौड़ (उड़ीसा) में बौठ स्थित एक उप डाकघर को एक मकान से दूसरे मकान में इसलिए ले जाया गया है क्योंकि उन्हें बन्दूक से डराया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या उस बस्ती के अधिकांश लोग इस तरह के स्थानान्तरण, विशेषकर जिस मकान में यह डाक घर ले जाया गया है, के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उक्त डाकघर द्वारा अपने ही भवन का निर्माण करवा कर वर्तमान समस्या को हमेशा के लिए हल करने हेतु शीघ्र ही धनराशि आबंटित करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) बालासोर जिले स्थित बौठ में कोई उप-डाकघर नहीं है परन्तु बांट में एक उप डाकघर है। यह डाकघर एक जीर्ण शीर्ण छप्पर में कार्य कर रहा था। स्टाफ यूनियन इसे किसी बेहतर स्थान पर अंतरित करने पर दबाव डाल रही थी। नया भवन, जोकि जनवरी 81 में किराए पर लिया गया था, पहले स्थान से केवल एक फर्लांग की दूरी पर स्थित है। स्थानीय जनता में इस मामले पर मत-भेद था। एक वर्ग ने नए भवन में कार के अन्तरण कार्य का विरोध किया। अतः जिला अधिकारियों की मदद माँगी गई तथा 14-2-81 को डाकघर नए भवन में अन्तरित कर दिया गया।

(घ) बांट उप डाकघर हेतु विभागीय भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

तालचेर ताप बिजलीघर के आसपास वायु प्रदूषण

5520. **श्री नारायण साहू :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालचेर ताप बिजली घर के चारों ओर 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग संयंत्र से दिन रात उड़ने वाली धूल के कारण अत्यधिक परेशान हो रहे हैं; और

(ख) प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और वह ऐसे कदम कब तक उठाएंगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक के मूल्यों में कमी करना

5521. श्री पी. के. कोडियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान बार-बार मांग कर रहे हैं कि उर्वरकों के मूल्यों में कमी की जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) उर्वरकों के विद्यमान मूल्यों में कमी करने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों का अन्य सामग्रियों के मूल्यों अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के मूल्यों और समुद्री भाड़े में तेजी से वृद्धि होने के कारण उर्वरकों के विद्यमान मूल्यों में कमी करना संभव नहीं हुआ है। उर्वरकों का मूल्य एक उपर्युक्त स्तर पर रखने के लिये सरकार उर्वरकों पर काफी मात्रा में राजसहायता प्रदान करती है। तथापि सरकार ने इस बात का सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं कि उर्वरकों का उपयोग करने पर कृषकों को आर्थिक लाभ मिले :—

(1) फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए उर्वरकों के विद्यमान मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है।

(2) उर्वकों की सुपुर्दगी निकटतम रेल शीर्ष तक करने के बजाय खण्ड मुख्यालय तक करने का निर्णय किया है।

(3) कृषकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले अल्पकालिक ऋण की मात्रा में वृद्धि की गयी है।

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर राज-सहायता देना 1980-81 के दौरान भी जारी रखा गया।

बाल-विवाह

5522. श्री हीरा लाल आर. परमार : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी भागों में बड़े पैमाने पर बाल-विवाह हो रहे हैं जिससे विधवाओं और तलाकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या लड़कियों के विवाह की आयु के सम्बन्ध में कोई खोज की गई है;

(ग) बाल-विवाहों में कितनी वृद्धि हुई है और इसके सामाजिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या-क्या निकल रहे हैं, और

(घ) सरकार का इसे रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) सरकार को यह बात विदित है कि देश के कुछ भागों में कुछ बाल विवाह किए जाते हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) लड़कियों के लिए बाल विवाह के कुछ दुष्परिणाम है–सूर्य मातृत्व स्वास्थ्य में कमी तथा कम शिक्षा/निरक्षरता।

(घ) बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम का संशोधन किया गया है और शादी की आयु लड़कियों के लिए बढ़ा कर 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है और कुछ प्रयोजनों हेतु इन अपराधों को कागनीजे-बल बना दिया गया है। प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है तथा समाज कल्याण संस्थाओं से निवेदन किया गया है कि वे बाल विवाहों के कानूनी और सामाजिक तात्पर्यों के विषय में जागरूकता बढ़ाएं।

स्नातकोत्तर तकनीकी के बारे में नयुडम्मा समिति का प्रतिवेदन

5523. श्री के. राममूर्ति : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्नातकोत्तर तकनीकी शिक्षा के बारे में नयुडम्मा समिति के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री. एस. बी. चव्हाण) : सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध पाठ्यक्रम

5524. श्री के. पी. सिंह देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और व्यापार उद्यमों में सम्बद्ध पर्याप्त पूंजीनिवेश को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध पाठ्यक्रम निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ताकि उचित शैक्षिक पृष्ठभूमि और व्यापार संगठन में व्यावहारिक प्रशिक्षण वाले होनहार युवक रिक्त स्थानों को भरने के लिए आ सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने अखिल भारतीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड के माध्यम से प्रबन्ध में अध्ययन के स्तर और पाठ्यक्रम निर्धारित करती है तथा प्रबन्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्यकलापो का समन्वय करती है ताकि प्रशिक्षण के उपयुक्त स्तर और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। समाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से चलाने के लिए बोर्ड द्वारा समीक्षा बराबर की जाती है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

5525. श्री मूलचन्द डागा : ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी और उसको अधिकार क्षेत्र एवं कृत्य क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक इसकी कितनी राशि के अनुदान दिये गये हैं;

(ग) इस द्वारा कितना ऋण लिया गया है; और

(घ) यह आयोग कब तक आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन जायेगा और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1 अप्रैल, 1957 को संसद के एक अधिनियम अर्थात् खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 (1956 का 61) के अन्तर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। तथापि, अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसी निधियाँ व्यय कर सकता है जिसे यह उस क्षेत्र जिस पर अधिनियम लागू किया गया हो, से बाहर इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए उचित समझे। आयोग के कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका आयोजन करना तथा कार्यान्वयन करना है।

(ख) व (ग) सरकार ने वर्ष 1980-81 के दौरान आयोग को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में निम्नलिखित धनराशि दी है :—

अनुदान	...	260,91 करोड़ रुपए
ऋण	...	306,95 करोड़ रुपए

(घ) कमीशन के लिए आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह मुख्य रूप से एक प्रोत्साहनात्मक संगठन है तथा केवल आंशिक रूप से एक वाणिज्यिक संगठन है।

खाद्यान्न और चीनी का अनुमानित लक्ष्य

5526. **श्री अशोक गहलोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उनके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री : (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1536 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया हैं, जो आधार वर्ष 1979-80 में खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। चीनी के लिए 1984-85 में 76.4 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आंतरिक खपत तथा निर्यात की माँगों पर आधारित है। यह आधार वर्ष 1977-78 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वन्य जीवन में व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर सम्मेलन

2527. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री एस. एम. कृष्ण :

श्री भीकूराम जैन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन्य जीवन में व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में हुए विचार विमर्श की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ह्वेल मछली, बाज, गेण्डा, हाथी शेर तितलियों आदि जैसे अधिक संख्या में मारे जाने वाले वन्य जीवों को, जिससे पारिस्थितिक असन्तुलन बढ़ गया है, मारे जाने से रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) और (ख) जी हां। वन्य जीव-जन्तु तथा वनस्पतियों की खतरे में पड़ी हुई किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित कन्वेन्शन के सदस्य देशों के सम्मेलन की तीसरी बैठक 25 फरवरी से 8 मार्च, 1981 तक नई दिल्ली में हुई थी। इस सम्मेलन में कुल 53 सदस्य देशों ने भाग लिया। भारत सरकार इस सम्मेलन की मेजमान थी।

(ग) और (घ) इन किस्मों को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 और 2 में पहले ही शामिल किया गया है, जिससे उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है तथा उनके उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था है। ऐसे वन्य प्राणियों तथा उनके उत्पादों के व्यापार को भी इस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। इन किस्मों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा विवेकाधिकारों का उपयोग किया जाना

5528. **श्री राम विलास पासवान** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 के बाद अपने विवेकाधिकारों का उपयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा कितने फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन किया गया था;

(ख) प्रत्येक मामले में विवेक का उपयोग करने के कारण और आधार क्या हैं; और

(ग) लाभ उठाने वाले इन व्यक्तियों का नाम/व्यवसाय क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी -

"अवार्ड फाउन्डेशन" के अंशदाता

5529. **श्री वी एन. गाडगील :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एसोसिएशन आफ वालेंटरी एजेन्सीज फोररूरल डवलपमेंट ने अवाड "फाउन्डेशन" नाम से एक स्थानीय निकाय बनाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "अवार्ड फाउन्डेशन" को अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ग) क्या यह भी एक तथ्य है कि "अवार्ड फाउन्डेशन के पास स्वैच्छिक संगठनों के नाम से उपर्जित सम्पत्तियां हैं; और

(घ) 'अवार्ड फाउन्डेशन" के मुख्य अंशदाता कौन हैं;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ ग्राम विकास के लिए "अवार्ड फाउन्डेशन" को 2-6-1973 के भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था।

(ख) 'अवार्ड फाउन्डेशन" ने स्विस विकास सहकारिता से वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

(ग) एसोसिएशन आफ वालेंटरी एजेंसीज फार रुरल डवलेपमेंट से प्राप्त सूचना के अनुसार "अवार्ड फाउन्डेशन" के पास इस प्रकार की कोई सम्पत्ति नहीं है।

(घ) एसोसिएशन आफ वालेंटरी एजेंसीज फार रुरल डवलेपमेंड से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने "अवार्ड फाउन्डेशन" के प्रारम्भिक पंजीकरण के समय 5,000 रुपये की धनराशि जुटाई थी। "अवार्ड फाउन्डेशन" ने स्विस विकास सहकारिता से 13,44 000 रुपए की सहायता भी प्राप्त की है।

अन्डों की खपत का अनुमान

5530. श्री आर. एन. राकेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अण्डे खाने वाले लोगों की संख्या कितनी है,

(ख) भारत में किन पक्षियों के अण्डे खाये जाते हैं, और

(ग) इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुर्गीपालन के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनथन) : (क) ऐसे विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 30वें दौर (जुलाई, 1975 से जून, 1976 तक) से पता चला था कि अण्डे की खपत करने वाले परिवारों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 11.04 और शहरी क्षेत्रों में 22.91 थी :

(ख) देश में अधिकांशत: मुर्गी और बतख के अण्डे खाए जाते हैं।

(ग) कुक्कुट विकास निश्चित रूप से राज्य सरकारों का उत्तरादायित्व है। तथापि, भारत सरकार ने कुक्कुट यूनिटें स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम के तहत राज सहायता के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की है :

1. छोटे किसानों को पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत,
2. सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों को पूंजीगत लागत पर 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशतत,
3. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पूंजीगत लागत पर 50 प्रतिशत।

खजुराहो समारोह में नृत्य प्रस्तुतियों पर सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध

5531. डा कर्ण सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा खजुराहो समारोह में नृत्य प्रस्तुतितों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) तथा (ख) । केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष समारोह करने के लिए अनुमति, अनुबद्ध शर्तों पर दी थी । तथापि, स्मारक तथा इससे संलग्न लान के हित में, मध्य प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि आगमी कार्यक्रम, सुरक्षित-सीमाओं से बाहर आयोजित किए जाएं ताकि स्मारकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे ।

भारत केयर समझौतों की शर्तें

5532. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी एजेंसियां भारत में अपने राहत कार्य चला रही है और उनके राहत कार्य किस प्रकार के हैं;

(ख) 'भारत केयर' समझौता 1950 की तथा दूसरे देशों के साथ हुए समझौते यदि कोई हों, की अनुबंधित शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या 'केयर' ही एक मात्र एसी राहत एजेंसी है जिसे अपनी खाद्य सहायता के लिए भुगतान मिल रहा है और जिसे अमरीका को विदेशी मुद्रा वापस भेजने की अनुमति है और यदि हाँ, तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस बी. चव्हाण) :(क)समाज कल्याण मंत्रालय के पास ऐसी संस्थाओं की पूरी सूची नहीं है ।

(ख) भारत केयर समझौता तथा भारत स्वीश, भारत स्वीडन, भारत-जर्मन और भारत संयुक्त राज्य समझौतों में व्यवस्था है कि समाज के कमजोर वर्गो में नि:शुल्क वितरण के लिए खाद्य सामग्री तथा पदार्थ निर्वाधित रूप से आ सकें ।

(ग) राज्य सरकारें केयर को केवल प्रशासनिक प्रभार की अदायगी करती हैं ताकि संयुक्त राज्य अमरीका और भारत में इन खाद्य सामग्रियों को लाने ले जाने का व्यय और प्रशासनिक खर्च जो केयर द्वारा किया जाता है वह उनको मिल सकें जिसमें भारत में उनके कार्यालय का अनुरक्षण भी शामिल है । संयुक्त राज्य में उन द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्च का कुछ भाग यहाँ से विदेशी मुद्रा में भेजे जाने की अनुमति है किन्तु इसकी अधिकतम सीमा यह है कि एक हजार पौंड खाद्य पदार्थों पर एक अमरीकी डालर वहाँ भेज सकते हैं । अन्य विदेशी एजेंसियों को इस प्रकार का कोई प्रशासनिक प्रभार नहीं दिया जाता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली

5533. श्री छोटू गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए धान की प्रत्येक किस्म की मात्रा और मूल्य क्या हैं;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिस मूल्य पर यह धान वसूल किया गया था और उस समय खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा जिस पर यह खरीदा गया था उस मूल्य के बीच अन्तर क्या है और इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में धान की वसूली के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य क्या हैं और भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसकी वसूली के लिये प्रत्येक राज्य में क्या प्रबन्ध किये गये हैं और तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) लगभग 11.5 लाख मी. टन साधारण, 0.5 लाख मी. टन बढ़िया और 9.1 लाख मी. टन बहुत बढ़िया किस्में इनका ठीक-ठीक मूल्य बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी खरीदारी सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार की गई है और ऐसे मामलों में जहाँ स्टाक विनिर्दिष्टियों से निम्न स्तर का था वहां किस्म सम्बन्धी कुछ कटौतियाँ की गई होंगी। तथापि, कुल मिलाकर इन तीन किस्मों को किस्म सम्बन्धी कटौतियों की शर्त पर क्रमशः 105/-रु, 109/रु. और 113 रु. प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और व्यापारियों द्वारा अदा किए गए मूल्यों के बीच अन्तर बताना सम्भव नहीं है।

(ग) खरीफ विपणन मौसम अक्तूबर में शुरू होता है और इस समय 1981-82 विपणन मौसम के लिए वसूली के राज्यवार लक्ष्यों अथवा इस संबंध में की जाने वाली व्यवस्था के बारे में कोई अनुमान बताना जल्द बाजी होगी।

किसानों को लाभप्रद मूल्य

5534. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में कृषि उत्पादों, विशेषतया गन्ना, प्याज तथा कपास के लाभप्रद मूल्य के बारे में राज्य के मुख्य मंत्री के सुझाव पर किसानों की शिकायतों पर पुनः विचार करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने का सुनिश्चिय करने के लिए अब तक क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) और (ख) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिले थे और उन्होंने कृषि जिनकी और विशेषकर गन्ना, प्याज और कपास के मूल्य निर्धारण के मामले पर विचार-विमर्श किया। सुझाव दिया गया था। कि कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए खेती की लागत के सभी पहलुओं और कृषि तथा उद्योग के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर सामान्यतया सभी सहमत थे। प्याज के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया था कि नाफड और राज्य सहकारी विपणन संघ प्रति क्विंटल 60 रुपये से 75 रुपये के हिसाब कुछ प्याज खरीदगें, ऐसा कर दिया गया था। जहाँ तक गन्ने का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट किया

था कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया किया मूल्य अर्थात् प्रति क्विंटल 13 रुपये फैक्टरियों द्वारा दिया जाने वाला गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य था जो अधिक वसूली के लिए पूर्ण आनुपातिक प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत की वसूली से जुड़ा हुआ है और फैक्टरियां अधिक मूल्य देने के लिए स्वतन्त्र थीं, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं और गन्ने की अधिकांश मात्रा की सप्लाई गन्ना सहकारी समितियों के सदस्यों के माध्यम से की जाती हैं तथा गन्ने के मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार एक समिति के माध्यम से स्वयं करती है जिसका अध्यक्ष मुख्य मन्त्री होता है। प्रक्रिया के रूप में समिति मौसम के आरम्भ में सहकारी कारखानों द्वारा दिया जाने वाला प्रारम्भिक मूल्य तत्पश्चात कारखाने की वास्तविक वसूली के आधार पर अन्तिम मूल्य निर्धारित करती हैं। इस प्रकार सांविधिक न्यूनतम मूल्य की तुलना में दिया जाने वाला मूल्य काफी अधिक होता है।

स्वतन्त्रता सेनानियों पर विशेष डाक टिकट

5535. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन किन स्वतन्त्रता सेनानियों और शहीदों के सम्मान में विशेष डाक-टिकट जारी किये जा चुके हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए और किन व्यक्तियों के नाम पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अभी तक जिन स्वतन्त्रता सेनानियों एवं शहीदों के सम्मान में डाक टिकट जारी किए गए हैं उनके नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न की जा रही है।

(ख) डाक टिकट सलाहकार समिति की एक उप समिति गठित की गई है जो सरकार को टिकटों की एक श्रृंखला जारी करने की सलाह देगी जिसमें भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाएगी। यह समिति इस सम्बन्ध में आगे के सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी।

विवरण

उन स्वतन्त्रता सेनानियों एवं शहीदों के नामों के सूची जिनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए गए हैं।

1. महात्मा गांधी
2. बाल गंगाधर तिलक
3. विपिन चन्द्र पाल
4. मदन मोहन मालवीय
5. गणेश शंकर विद्यार्थी
6. राजेन्द्र प्रसाद
7. दादा भाई नारौजी
8. एन्नी बेसेन्ट
9. गोपबन्धु दास
10. सुभाष चन्द्र बोस
11. सरोजनी नायडू
12. कस्तूरबा गांधी
13. जवाहर लाल नेहरू
14. आशुतोष मुखर्जी
15. अरविन्दो
16. राममोहन राय
17. लाजपत राय
18. गोविन्द बल्लभ पन्त
19. वल्लभभाई पटेल
20. चित्तरंजन दास
21. लाल बहादुर शास्त्री
22. बी. आर अम्बेडकर

23. गोपाल कृष्ण गोखले
24. बाबू कुंवर सिंह
25. अब्दुल कलाम आजाद
26 महाराणा प्रताप
27. एस. राधाकृष्णन
28. टी. प्रकाशम
29. भगत सिंह
30. रफी अहमद किदवई
31. जाकिर हुसैन
32. वी. डी. सावरकर
33. यतीन्द्र नाथ मुखर्जी
34. जमनालाल बजाज
35. सी. एफ. एण्ड्रयूज
36. रमेश चन्द्र दत्त
37. विट्ठल भाई पटेल
38. सी. राजगोपालाचार्य
39. शिवाजी
40. जयनारायण व्यास
41. वी. वी. गिरि
42. वी. के. कृष्णा मेनन
43. बहादुर शाह जफर
44. मधुसूदन दास
45. एल. एन. मिश्रा
46. के. कामराज
47. सुभद्रा कुमारी चौहान
48. फखरूद्दीन अली अहमद
49. राम मनोहर लोहिया
50. कित्तूर रानी चेन्नम्मा
51. सेनापति बापट
52. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
53. मोहम्म अली जोहर
54. भाई परमानन्द
55. महेन्द्र प्रताप
56. यतीन्द्र नाथ दास
57. जय प्रकाश नारायण
58. एम. ए. अन्सारी
59. जी. वी. मावलंकर
60. टिपू सुल्तान
61. कमला नेहरू
62. एन. सी. बार्डोलोई
63. हीरालाल शास्त्री
64. तरुन राम फूकन
65. ज्योतिबा फूले
66. सूर्य सेन
67. दीनदयाल उपाध्याय
68. मजहरुल हक
69. प्रेमचद
70. बंकिम चन्द्र चटर्जी
71. शरत् चन्द्र चटर्जी
73. कासीनाधुनी एन. आर. पांडुलू
72. सुब्रमण्यम भारती
74. मोतीलाल नेहरू
75. रवीन्द्रनाथ टैगोर
76. पी. सी. राय
77. भीखीजी कामा
78. रामबीर रानाडे
79. महाराजा रणजीतसिंह
80. रास बिहारी बसु
81. डा. भगवान दास
82. ठक्कर बापा
83. मुन्शी नवल किशोर
84. सी. एन. अन्नादुरै
85. वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री
86. आचार्य नरेन्द्र देव

कीड़ों द्वारा नष्ट किए गए खाद्यान्न

5536. **प्रो. के. तिवारी :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये के मूल्य का एक करोड़ टन खाद्यान्न उपयुक्त सुविधाओं की कमी के कारण कीड़ों और चूहों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उपयुक्त भण्डारण सुविधाएं न होने के कारण खाद्यान्नों की क्षति की सीमा का अन्दाजा लगाने के लिए भण्डारण के दौरान क्षति के बारे में कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है।

देश में उत्पादित खाद्यान्नों के अधिकांश भाग को किसान स्तर पर ही रख लिया जाता है. जोकि प्रचलित भंडारण के तरीकों को अपनाते हैं । ये तरीके भ्रष्कों, कीड़ों, नमी और पक्षियों, जोकि क्षति के मुख्य कारण हैं, से खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

सरकार के स्तर पर खाद्यान्नों को सम्भालने का कार्य जिस प्रमुख एजेन्सी को सौंपा गया है वह भारतीय खाद्य निगम है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करता है। इसके फलस्वरूप बेची गई मात्रा के आधार पर 1976-77 (0.7 प्रतिशत), 1977-78 (0.9 प्रतिशत) और 1978.79 (1.0 प्रतिशत) के दौरान न्यूनतम क्षति हुई है। सरकार फार्म स्तर पर भंडारण की हालत में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक है और इस सम्बन्ध में आधुनिक भंडारण के तौर-तरीके अपनाने और इस प्रकार खाद्यान्नों की क्षति को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण जनता को शिक्षित करने, प्रेरित करने और राजी करने के लिए एक सोपानवार देश व्यापी केन्द्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है।

गुजरात में पेय जल की कमी

5537. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पेय जल की कमी को दूर करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 116 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी किए जाने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के लिए सहायता के रूप में कितनी राशि दी जायेगी और

(ग) विश्व बैंक से कितनी राशि मिलने की संभावना है और शेष व्यय को किस प्रकार पूरा किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गुजरात जलपूर्ति और मल निकास परियोजना अभी हाल ही में विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित की गई है और अभी इसका मूल्यांकन किया जाना है।

(ख) तथा (ग) इस स्थिति में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन उद्योग का विस्तार

5538. **श्रीमती गुरबिन्दर कौर बराड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन उद्योग के विस्तार-कार्यक्रम का ब्योरा क्या है,

(ख) क्या पंजाब में सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दूरसंचार उपस्कर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने मौजूदा कारखानों का विस्तार कर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कई उपाय किए हैं। इनमें प्रमुख ये हैं :—

(एक) आई. टी. आई. के रायबरेली एकक में, देश में ही विकसित क्रासबार स्विचिंग उपस्कर (आई. सी. पी.) की प्रतिवर्ष 2 लाख लाइनों के उत्पादन के लिए एक कारखाने की स्थापना।

(दो) आई. टी. आई. के पालघाट कारखाने में, इलैक्ट्रोनिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, निजी स्वचल एक्सचेंज तथा ग्रामीण स्वचल एक्सचेंजों की मौजूदा उत्पादन शामिल कर छोटे इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की मौजूदा उत्पादन क्षमता की 10,000 लाइनें प्रतिवर्ष से 1.5 लाख लाइनें प्रतिवर्ष तक बढ़ाना :

(ख) और (ग) फिलहाल पंजाब में, सार्वजनिक क्षेत्र का टेलीफोन उद्योग स्थापित करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हैं। इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग उपस्कर बनाने के लिए दो प्रस्तावित कारखानों में से एक पंजाब में स्थापित करने के अनुरोध मिले हैं। उपर्युक्त दो कारखानों की स्थापना के लिए अन्तिम रूप से स्थान चुनते समय इन अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।

फैजाबाद में विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों का लगाया जाना

5539. श्री रामअवध : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नल कूपों के लगाये जाने में काफी हेराफेरी की जा रही है और कुछ स्थानीय अधिकारी उसमें शामिल हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सिंचाई एक राज्य-विषय है और उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में विश्व बैंक की सहायता से लगाए जा रहे नलकूपों सहित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को अभी तक इस परियोजना में किसी प्रकार की कथित हेराफेरी की जानकारी नहीं मिली है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह सवाल पैदा नहीं होता।

उड़ीसा में ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य के लिये सहायता

5540. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य के लिए सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उड़ीसा सरकार ने 80 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 20 ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) केन्द्र सरकार की उपदान की धनराशि 20 लाख रुपये आंकी गई है। ग्रामीण गोदामों के लिए परियोजना निधिदायी समिति ने सभी 20 स्थानों पर गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

डी. डी. ए. गांव मादीपुर तथा शाहपुर जट फ्लैटों के आबन्टन में विलम्ब

5541. **श्री दौलत राम सारण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी. डी. ए. की जनता योजना के अधीन मादीपुर में मकान नं. 25ए तथा 258, शाहपुर जट में मकान नं. 75, 76, 652 और मदनगीर में मकान नं. 1140 कब निर्मित किए गए थे और कब आवंटित किये गये;

(ख) क्या इन मकानों के आवंटन में विलंब से डी. डी. ए. को इन पर निवेशित राशि के ऊपर ब्याज राशि को तथा किराये की हानि नहीं होती है;

(ग) यदि हां, तो उरोक्त मकानों के मामले में उसे कितनी हानि हुई, और

(घ) क्या यह सच है कि आवंटन मुद्रा तथा बाजार मूल्यों में यही अन्तर होने के कारण नाजायज लाभ कमाने के लिए इनके आवंटन में विलम्ब किया जाता है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली की कालोनियों में पानी के तालाब

5542, **श्री तारिक अनवर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सुलतानपुर, दिल्ली में पेय जल के लिए पिछले छः मास से भी अधिक अवधि से एक तालाब का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) दिल्ली में उन स्थानों के क्या नाम हैं, जहाँ चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे पानी के तालाब निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को तेज करने के लिए कोई कदम उठायेगी;

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 3 लाख गैलन क्षमता की एक ऊपरि टंकी सुलतानपुर जे. जे. आर. योजना में जनवरी, 19 1 से निर्माणाधीन है।

(ख) विवरण 'क' के अनुसार।

(ग) ऐसे कार्य के निष्पादन को शीघ्रता से करने के लिए सम्बन्धित संगठनों द्वारा जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) के दौरान दिल्ली में जिन स्थानों में पानी की टंकीयों (भूमिगत टंकियां/ऊपरि टकियां) का निर्माण पूरा हो गया है या जहां कार्य प्रगति पर है, उन स्थानों के नामों का विवरण

क्रमांक	जगह का नाम	टकी का प्रकार
1.	2	3
	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र	
1.	नौरोजी नगर	
2.	मोती नगर	
3.	लक्ष्मीबाई नगर	
4.	काका नगर	भूमिगत टंकियां
5.	सरोजिनी नगर	
6.	नेताजी नगर	
7.	गाल्फलिंक	
8.	ईस्ट किदवई नगर	
9.	पण्डारा रोड	
10.	बंगाली मार्केट	
	दिल्ली नगर निगम क्षेत्र	
11.	नेहरू नगर	भूमिगत टंकियां
12.	श्याला	-वही-
13.	मादीपुर	ऊपरि टंकियां
	दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र	
14.	जे. जे. कालोनी, मदनगीर	2 भूमिगत टकियां
15.	कालकाजी	1 जल टकी
16.	यमुनापुरी	1 ऊपरि टकी
17.	त्रिलोकपुरी	1 ऊपरि टंकी तथा भूमिगत टंकी
18.	सुलतानपुरी	1 ऊपरि टंकी
19.	प्रीतमपुरा जोन एच.-4-एच.5	3 ऊपरि टंकियां
20.	पाकेट टी. (उत्तरी) प्रीतमपुरा	2 ऊपरि टकियां
21.	पंखा रोड, जे.जे.आर. स्कीम	1 भूमिगत टंकी
22.	नई सब्जी मण्डी, आजादपुर,	1 ऊपरि टकी
23.	सराय खलील	1 भूमिगत टंकी
24.	टोडापुर	-वही-
25.	राजोरी गार्डन जी.-8 क्षेत्र	1 ऊपरि टंकी।
26.	राजोरी गार्डन जी.-8 क्षेत्र पाकेट जे.	1 भूमिगत टंकी
2 .	राजोरी गार्डन जी.-8 क्षेत्र पाकेट ई.	1 भूमिगत टकी

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय और रोजगार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना

5543. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों के लिए आय और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु हाल ही में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है।

(ग) इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए है अथवा किये जाने का विचार है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) महानगरों के विपणन शेड क्षेत्रों में अतिरिक्त आय तथा रोजगार पैदा करने के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना तैयारी तथा प्रक्रिया की जाने की अवस्था में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में है।

(ग) जब वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रायोजना प्रस्ताव तैयार किये जा रहे थे तो यह पाया गया कि भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का भी वैसा ही प्रस्ताव उनके विचाराधीन है। इस प्रकार द्विरावृत्ति से बचने के लिए यह प्रस्ताव है कि इन प्रायोजना के प्रस्तावों को ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्तावों के साथ समाकलित करने की सम्भावनाएं खोजी जानी चाहिए। तथापि ऐसा लगता है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए एक परिषद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है जिससे योजना आयोग ने पहले ही मान लिया है। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए प्रौद्योगिकी हेतु अखिल भारतीय समन्वित प्रयोजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग ने एक कृत्यक बल स्थापित किया है। कृत्यक बल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसलमेर तथा बाड़मेर में जनसंख्या के अनुसार डाकघर का खोला जाना

5544. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर डाकघर खोला जाता है; और

(ख) क्या राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी और पिछड़े जिलों में, जहाँ क्रमशः 10 से 50 प्रति किलोमीटर जनसंख्या है और जहां गांव 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है और कुछ गांवों में एक हजार की जनसंख्या है सरकार इन पिछड़े जिलों में विकास की गति तेज करने की दृष्टि से एक हजार की जनसंख्या के स्थान पर 500 की जनसंख्या पर डाकघर खोलने का मापदंड अपनाने के लिए तैयार है, और यदि हाँ, तो उपयुक्त निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

संसदीय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) पहाड़ी, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघर विभागीय मानदंडों के अनुसार खोले जाते हैं, जिनका सारांश विवरण में दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिले पिछड़े क्षेत्रों की सूची में आते हैं। मौजूदा मानदंड के तीन आधार है तथा केवल जनसंख्या की छूट के आधार पर इन जिलों के किसी ग्राम को डाकघर खोले जाने के योग्य नहीं समझा जा सकता। फिलहाल इन मानदन्डों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोले जाने के मानदन्डों का सारांश।

ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोले जाने के मानदंड निम्न हैं :—

संक्षेप में, ग्रामीण इलाकों में किसी ग्राम में डाकघर निम्न शर्तों के आधार पर खोला जा सकता है :—

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय हो अथवा उस ग्राम की आबादी कम से कम 2000 अथवा इससे अधिक हो।

(2) ग्राम वर्तमान डाकघर से 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित हो।

(3) प्रस्ताविक डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत होने का अनुमान हो।

पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों में डाकघर निम्न शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय हो अथवा वहाँ की कम से कम आबादी (इस उद्देश्य से 1.5 किलोमीटर अरीय दूरी के भीतर के सभी ग्रामों को लिया जा सकता है) 1000 हो।

(2) ग्राम वर्तमान डाकघर से 3 कि. मी. की दूरी पर स्थित हो।

(3) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत होने का अनुमान हो।

पोस्टमास्टर जनरलों को उक्त मानदंडो में से किसी में भी हर वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार प्राप्त है।

सामान्यतया ग्रामीण इलाकों में खोले गए नए डाकघर विभागेतर शाखा डाकघर स्तर के होते हैं। विभागेतर शाखा डाकघरों को विभागेतर एजेंटों के अधीन रखा जाता है।

फलीदार फसलों को अनाजों एवं तिलहनों के साथ मिलाकर बोया जाना

5554. श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1981 में भारतीय प्रोटीन खाद्य तथा पोषण विकास संघ (प्रोटीन फुड्स एण्ड न्यूट्रीसन डेवलपमेंट एसोसिएशन आफ इण्डिया) द्वारा आयोजित एक कार्यशिविर में भाग लेने वाले भारत के विभिन्न भागों के कृषि वैज्ञानिकों ने फलीदार फसलों को विभिन्न अनाजों तथा तिलहनों आदि के साथ बदलकर बोने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने यह भी बताया है कि इससे फसल पैदवार का 50 प्रतिशत ज्यादा लाभ होने की संभावना है; और

(ग) उन्होंने अन्य सिफारिश क्या की, और किस हद तक उन्हें क्रियान्वित किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान् · दिनांक 9 जनवरी, 1981 को नई दिल्ली में भारतीय प्रोटीन खाद्य तथा पोषण विकास संघ द्वारा आयोजित फलीदार फसलों पर कार्यशाल ने फलीदार फसलों को विभिन्न अनाजों तथा तिलहनों आदि के साथ बोने की सिफारिश की थी।

(ख) जी हाँ, श्रीमान। विज्ञनियों द्वारा यह बताया गया था कि उपरोक्त प्रणाली से फसल पैदावार में 50 प्रतिशत ज्यादा लाभ होने की संभावना है।

(ग) की गयी अन्य सिफारिशों का संबन्ध फलीदार फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से हैं जैसे कि फसल सुधार, सस्य विज्ञान, संसाधन तथा भण्डारन, पोषण तथा विपणन। इन पहलुओं पर अनुसंधान तथा विस्तार कार्य प्रगति पर है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के इसे गहन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मूंग के साथ बाजार, मक्का तथा कपास, उड़द के साथ मक्का तथा ज्वार, अरहर के साथ मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा तथा मूंगफली तथा लोबिया के साथ मक्का, कसावा तथा कुसुम की फसल करने के सम्बन्ध में परीक्षण किये गये तथा सस्य विज्ञान परीक्षण में आशाप्रद परिणाम रहे। ये प्रणली किसानों में लोकप्रिय हो रही हैं। इसी प्रकार, फलीदार फसलों को दो से तीन बार रक्षात्मक सिचाई का लाभ अब पूर्ण रूप से जाने जाना लग. है तथा सिंचित क्षेत्रो में गहन फसल प्रणाली में दालों की खेती प्रारंभ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। दालों तथा अन्य फलीदार फसलों की पौषणिक मात्रा तथा खाद्य आहारों में इनकी पूरक भूमिका पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के पर्यवेक्षण में अनुसंधान कार्य किया गया है।

उड़ीसा में बारहमासी सड़के

5546. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 750 से 1500 की जनसंख्या वाले ऐसे गांवों की सख्या क्या है, जिन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का छठी योजनावधि के दौरान इन गांवो को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता है और सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु कोई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है।

शहरी लोगों के लिए रिहाइश की व्यवस्था

5547. श्री जेवियर अराकल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी लोगों के लिए रिहायशी व्यवस्था करने के लिए शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के रुख का अध्ययन किया है और कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) शहरी क्षेत्रों के साधनहीन लोगों की सफाई तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि जनसंख्या को देखते हुए, सुविधाओं की कमी व कोई योजना न होने के कारण दिल्ली विश्व का एक अन्य बड़ा गन्दा शहर "स्लम सिटी" बनता जा रहा है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। छोटे तथा मध्यम शहरों की एकीकृत विकास की एक केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना 1979-80 से चालू है, जिसके अन्तर्गत 1 लाख से कम जनसंख्या के चुने हुए नगरों के एकीकृत विकास के लिए राज्य सरकार को ऋण सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घटकों में से एक घटत रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास है, जिसमें कच्चे मकान सहित या मकान रहित स्थल तथा सेवाएं शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं से नगर की जनसंख्या के लिए मकान बनाने के लिए विकासित प्लाटों की संख्या को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। केन्द्रीय सरकार ने 20 राज्यों में 123 कस्बों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की हैं और इसके लिए 11.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इन नगरों में से अधिकांश में रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन तथा विकास की योजना शामिल है। राज्य क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों तथा मध्यम आय वर्गों के लिए आवास योजनाओं जैसी अन्य योजनाएं हैं जिसके लिए हुडको, जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम से ऋण दिए जा रहे हैं।

(ग) नगर गन्दी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र में हैं और इसको छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जल सप्लाई, नालियां सामुदायिक स्नानगृहों तथा शौचालयों का प्रावधान, गलियों को चौड़ा करना तथा खड़िंजें बिछाना तथा स्ट्रीट लाईट के सुधार कार्य उन गन्दी बस्तियों में किए जाते हैं। यह योजना सभी नगर क्षेत्रों में, चाहे जनसंख्या कुछ भी हो लागू है। छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) में इस योजना के लिए 151.45 करोड़ रुपये का परिव्य शामिल है, जिससे लगभग 1 करोड़ गन्दी बस्ती जनसंख्या को लाभ होने की सम्भावना है।

(च) दिल्ली में भी अन्य महानगरों की भांति गन्दी बस्तियाँ हैं, परन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि यह ससार में गन्दी बस्ती का एक बड़ा शहर बनता जा रहा है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए परिषद

5548. श्री जगदीश टाईटलर :

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए एक स्वतंत्र परिषद का गठन करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं, और

(ग) कब तक इसके गठित हो जाने की सम्भावना है,

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) व (ग) योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद के बारे में एक संक्षिप्त विवरण

इस मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके सहयोगी निकायों के अन्तर्गत लाये गए क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों के लिए विकास के प्रयासों के समन्वय तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु राष्ट्रीय नाडल केन्द्र के रूप में कार्य करना,

(2) ग्रामीण लोगों द्वारा महसूस की गई विशिष्ट समस्याओं का पता लगा कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए निधियाँ जुटाना,

(3) अनुसंधान तथा विकास की वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना अथवा नई संस्थाएं स्थापित करना,

(4) सूचना गृह तथा आँकड़ा बैंक के रूप में कार्य करना,

(5) औजारों तथा उपकरणों के विनिर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना,

(6) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए पैनल के रूप में कार्य करना,

(7) प्रशिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अथवा प्रायोजित करना,

(8) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना ।

परिषद की स्थापना करने की योजना को योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया है । अब अन्य औपचारिकताओं की जांच की जा रही है और आशा है कि परिषद का गठन आगामी दो-तीन महीनों में हो जाएगा ।

जनकपुरी, नई दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र

5549. **श्री चरणजीत सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में जनकपुरी कालोनी में विभिन्न ब्लाकों में इस समय कितने सामुदायिक केन्द्र है,

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कालोनी के प्रत्येक ब्लाक में सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाव पर निर्णय ले लिया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आसास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय जनकपुरी के ए. बी, सी, और डी के किसी ब्लाक में कोई सम ज सदन नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :—

ब्लाक ए. इस ब्लाक में स्थिति जिला केन्द्र जनकपुरी के लिए डिजाईन का कार्य पहले ही प्रगति पर है। नागरिक केन्द्र तथा समागृह का एक प्रस्ताव है जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जनता की सेवा करने के अलावा समाज सदन के रूप में भी कार्य करेगा।

ब्लाक बी. इस ब्लाक में स्थित सामुदायिक केन्द्र में समाज सदन के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है।

ब्लाक सी : इस ब्लाक के सामुदायिक केन्द्र में समाज सदन बनाने के लिए पहले ही निर्णय ले लिया गया है।

ब्लाक डी : फुटकर व्यापार केन्द्र के लिए विस्तृत विन्यास नक्शा तैयार किया जा रहा है और इस विन्यास नक्शे में समाज सदन की व्यवस्था की जाएगी।

बम्बई केन्द्रीय भाण्डागार निगम की क्षमता को बढ़ाया जाना

5550. श्री धर्मवीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भांडागार निगम में भंडारण, विशेष रूप से बम्बई महानगर में में आवद्ध-भंडारण की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने उपरोक्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय भांडागार निगम, बम्बई शहर में दस आबद्ध भांडागार, जिनका कुल क्षेत्रफल 3,84,366 वर्ग फुट है, चला रहा है और कुल 1,71,443 मीटरी टन क्षमता की सामान्य भांडागार सम्बन्धी सुविधाएं भी मुहैया कर रहा है। निगम का नये बम्बई (तुरभे) में 25,000 मीटरी टन क्षमता के भांडागार कम्पलैक्स का निर्माण करवाने का विचार है। प्रस्तावित कम्पलैक्स में आबद्ध सुविधाएं भी सुलभ की जाएंगी। इसके अलावा, निगम विभिन्न आबद्धकों जब कभी मांग प्राप्त होती है तब उन्हें भडारण सुविधाएं सुलभ करने के लिए बम्बई शहर प्राइवेट गोदाम प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों में नलकूप और सफाई कूप

5551. श्री के. प्रधानी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में नलकूपों तथा सफाई कूपों की व्यवस्था करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा के ऐसे किसी आदिवासी क्षेत्र का पता किया है जहां नलकूपों एवं सफाई कूपों की व्यवस्था किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के नलकूपों और सफाई कूपों की संख्या कितनी है जिनकी उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के विभिन्न आदिवासी जिलों में व्यवस्था किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छठी योजनावधि के दौरान जनजाति क्षेत्रों में चुने हुए ग्रामों में नलकूप लगाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

(ख) 31-3-1980 तक 7394 जनजाति ग्रामों को चुना गया है ।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है :

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	जनजाति की ब्लाकों की संख्या	जनजाति ब्लाकों में चुने गए ग्रामों की संख्या	जनजाति ब्लाकों के चुने हुए ग्रामों में लगाये गये नलकूपों की संख्या	जनजाति ब्लाकों के चुने हुए ग्रामों में छठी योजना अवधि के दौरान लगाये जाने वाले शेष नलकूप
1.	कटक	—	—	—	—
2.	पुरी	—	—	—	—
3.	बालासोर	1	130	64	329
4.	गजम	5	299	66	382
5.	फूलबनी	12	1061	404	937
6.	साम्बलपुर	3	433	46	774
7.	बोलनगीर	—	—	—	—
8.	कालाहांडी	2	260	116	229
9.	सुन्दरगढ़	17	1456	696	3131
10.	केयोन्झर	10	1253	260	2868
11.	धेनकानल	—	—	—	—
12.	कोरापट	42	1053	519	2173
13.	मयूरभंज	26	1449	454	2976
	जोड़	118	7394	2635	13799

मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने के लिए केन्द्रीय निर्देश

5552. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने बिजली टैरिफ प्रयोजन हेतु मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखे हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो किन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने इस परामर्श का पालन किया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनिर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) ऐसा पत्र फरवरी, 1981 में जारी किया गया था।

(ख) अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल

5553. **श्री मोहम्मद अफ़रार अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में (अलग-अलग) पेय जल सुविधा हेतु प्रतिवर्ष कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) प्रत्येक राज्य की अब तक क्या उपलब्धियां हैं; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान कितने एव कितने प्रतिशत गाँवों को पेय जल सुविधा उपलब्ध की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्या-ग्रस्त ग्रामों को केवल पेय जल मुहैया करने के लिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वर्षों मे प्रत्येक राज्य को दी गई वित्त सहायता संलग्न विवरण I में दी जाती है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्या-ग्रस्त ग्रामों को लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण-2 में दी जाती है।

(ग) राज्य सरकारों से हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-4-1980 को लाभ पहुंचाने के लिए शेष रहे समस्या-ग्रस्त ग्रामों की सख्या देश के 5.76 लाख कुल ग्रामों में से (1971-जनगणना) 2 लाख से अधिक थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी समस्या-ग्रस्त, ग्रामों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

विवरण I

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (1) 1977-78 (2) 1978-79 तथा (3) 1979-80 में राज्यों/संघ राज्यों को दी गई निधियां।

(लाख रुपयों में)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य	1977-78	1978-79	1979-80
	आन्ध्र प्रदेश	152.30	351.00	215.60
	असम	57.60	149.57	323.15

1	2	3	4	5
3.	बिहार	242.80	504.20	680.45
4.	गुजरात	332 80	260.85	127.80
5.	हरियाणा	142.10	200.79	260.19
6.	हिमाचल प्रदेश	222.60	425.12	392.86
7.	जम्मू और कश्मीर	152.80	200.00	182.05
8.	कर्नाटक	142.30	107.70	69.00
9.	केरल	102.00	278.00	282.35
10.	मध्य प्रदेश	252.80	290.00	357.15
11.	महाराष्ट्र	312.80	403.97	378.30
12.	मणीपुर	52.50	53.57	53.55
13.	मेघालय	25.00	103.77	111.60
14.	नागालैंड	77.50	97.00	139.57
15.	उड़ीसा	182.80	218.00	209.00
16.	पंजाब	102.10	174.90	68.40
17.	राजस्थान	252.30	353.27	205.00
18.	सिक्किम	36.50	43.13	26.00
19.	तमिलनाडु	217.30	408.00	219.37
20.	त्रिपुरा	80.50	113 50	97.15
21.	उत्तर प्रदेश	352.80	617.50	709.55
22.	पश्चिम बंगाल	242.80	535.01	672.72
23-	अरुणाचल प्रदेश	20.00	32.00	46.20
24.	गोआ, दमन दीव	10.00	9.50	11.95
25.	मिजोरम	15.00	18.59	19.05
26.	पॉडिचेरी	10.00	17.00	12.00
27.	अण्डमान और निकोबार	20.00	18.50	15.50
28.	दिल्ली	10.00	14.00	13.10
	कुल	3820.00	5998.46	5898.61

नोट : विभिन्न राज्यों के प्रबोधन तथा अन्वेषण कक्षों को दी गई निधियों आकड़ों में शामिल हैं (1977-78 में 55 लाख रुपये, 1978-79 में 97.02 लाख रुपये और 1979-80 में 78.31 लाख रुपये)

विवरण-2

संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों की व्याप्ति		
		1977-78	1978-79	1979-80
1.	आन्ध्र प्रदेश	218	332	962

1	2	3	4	5
2.	असम	51	34	11
3.	बिहार	1399	1486	876
4.	गुजरात	192	73	129
5.	हरियाणा	55	55	65
6.	हिमाचल प्रदेश	308	792	575
7.	जम्मू तथा कश्मीर	23	90	33
8.	कर्नाटक	343	132	449
9.	केरल	6	12	13
10.	मध्य प्रदेश	50	170	1324
11.	महाराष्ट्र	261	162	465
12.	मणिपुर	3	11	15
13.	मेघालय	शून्य	11	56
14.	नागालैंड	3	39	37
15.	उड़ीसा	898†	1867	1639
16.	पंजाब	143	115	58
17.	राजस्थान	150	155	122
18.	सिक्किम	शून्य	15	4
19.	तमिलनाडु	224×	878	82
20.	त्रिपुरा	184	शून्य	63
21.	उत्तर प्रदेश	52	146	389
22.	पश्चिम बंगाल	95	418	216
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2	2	9
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	42	24
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	शून्य	10	10
27.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
28.	गोआ, दमन द्वीव	1	शून्य	शून्य
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पांडिचेरी	शून्य	7	5
	योग	5534	7024	7640

† आंशिक व्याप्ति शामिल है।
× हैमलेट भी शामिल है।

उड़ीसा में पृथक पुरातत्व परिमण्डल

5554. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री के. पी. सिंह देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक पृथक पुरातत्व परिमंडल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा बांध का निर्माण

5555. श्री मोहन लाल पटेल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा बांध के निर्माण के सम्बन्ध में क्या अड़चने हैं;

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना हैं;

(ग) सौराष्ट्र में उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें नर्मदा परियोजना से पानी मिलेगा और प्रत्येक जिले में जिस भूमि की सिंचाई होगी उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उस भूमि की सिंचाई के लिए एक सिंचाई परियोजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है जिसे नर्मदा नहर के ऊंचे स्तर के कारण पानी उपलब्ध नहीं हो सका; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिउयारहमान अन्सारी) : (क) गुजराज सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा बाँध के निर्माण में कोई बाधा नहीं है।

(ख) नर्मदा परियोजना का, जिसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है, निर्माण-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि बांध की नींव की खुदाई का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, पूर्वशीतलित (प्रीकुल्ड) कंक्रीट से नींव को भरने के बारे में टेंडर प्राप्त हो गए हैं और राज्य सरकार द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) सौराष्ट्र क्षेत्र के तीन जिलों, नामश: सुरेन्द्रनगर, राजकोट और भावनगर को इस परियोजना से सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे। सिंचाई-लाभों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	जिले का नाम	प्रतिवर्ष सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र
		(एकड़ में)
1.	सुरेन्द्र नगर	7,02,177
2.	राजकोट	85,680
3.	भावनगर	1,17,860

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वह उपलब्ध जल का पूरा-पूरा

उपयोग करने की राज्य की नीति के भाग के रूप में इन ऊंचे क्षेत्रों में, जहां व्यवहार्य हो, भूतल जल के प्रवाह को काबू में लाने के लिए मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमें हाथ में ले रही है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सौराष्ट्र राज्य में 3.70 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा देने वाली 44 स्कीमें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 63 सिंचाई स्कीमें हाथ में है, जिनसे 3.5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा, 20 मध्यम सिंचाई स्कीमें अन्वेषण की विभिन्न अवस्थाओं में है।

स्वीकृति के लिए पड़ी हुई महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

5556. श्री एस. बी. पाटिल : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कौन-सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी है और कब से; और

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें योजना आयोग की स्वीकृति लेने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के नाम, इन परियोजनाओं के प्राप्त होने की तारीख तथा इनकी जांच की वर्तमान स्थिति बताई गई है।

परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के सिद्ध हो जाने के बाद ही योजना आयोग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए विचार किया जाता है। अतः परियोजनाओं की स्वीकृति इन बातों पर निर्भर करती है—परियोजना-रिपोर्टों में दिए गए ब्यौरे, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों/सुझावों के उत्तर भेजने में राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला समय, अनिर्णीत मुद्दों पर विचार करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जाना और जहाँ आवश्यक हो, स्पष्टीकरण देना। स्कीमों को तेजी से प्रोसेस करने के लिए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से टिप्पणियों के उत्तर भेजने और विचार-विमर्श करने तथा अनिर्णीत मुद्दों को हल करने के वास्ते अधिकारियों को भेजने का लगातार अनुरोध करती रहती है।

विवरण

महाराष्ट्र की लम्बित पड़ी परियोजनाएं

क्रम स.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	नानदुर मधमेश्वर (नासिक)	11-8-75	परियोजना की तकनीकी जाँच इस
2.	नाऊपुर (औरंगाबाद)	11-4-78	बीच पूरी हो गई है। इन परि-
3.	करवप्पा नाला (चन्द्रपुर)	11-7-78	योजनाओं के नोट योजना आयोग
4.	पानसी (औरंगाबाद)	18-12-78	की सलाहकार समिति की अगली

5. रंगवली (धुलिया)	18-5-79	बैठक में विचार करने के लिए मार्च, 1981 में भेज दिए गए हैं।
6. डंगरगांव (चन्द्रपुर)	12-5-80	
7. खैरी सिंचाई स्कीम (अहमद नगर)	12-8-80	
8. कुम्भी सिंचाई स्कीम (कोल्हापुर)	29-10-80	
9. कसरसाई सिंचाई स्कीम (पुणे)	29-10-80	
10. कोराडीनाला (बुलधाना)	18-5-79	परियोजना की तकनीकी जाँच पूरी हो गई है। इन परियोजनाओं के नोट योजना आयोग को सलाहकार समिति द्वारा विचार करने के लिए भेजे जा रहे हैं।
11. शाहनूर (अमरावती)	2-8-79	
12. सोनवाड़ (धुले)	28-2-80	
13. अमरावती (धुले)	7-4-80	
14. मदन ताल परियोजना (वर्धा)	12-8-80	
15. बीरगाँव (यातमाल)	13-8-79	इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जाँच और संवीक्षा की जा रही है।
16. बुटीनाला परियोजना (चन्द्रपुर)	6-11-80	
17. पोहार नाला परिययोजना (चन्द्रपुर)	6-11-80	
18. पंजन नदी परियोजना (नासिक)	3-3-81	
19. वर्ना (साँगली)	9-11-76	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
20. लोअर तिरना (ओसमानाबाद)	13-12-77	
21. लोअर वर्धा (वर्धा)	6-5-78	
22. लोअर वर्ना (नागपुर)	17-1-79	
23. अरुणावती (यवतमाल)	17-1-79	
24. कारवा (नासिक)	19-2-79	
25. गिरना बाँध में वाम तट नगर (नासिक)	18-5-79	
26. दूधगंगा (कोल्हापुर)	30-7-79	
27. वान नदी परियोजना (अकोला)	22-3-80	
28. बावनथाडी (भंडर)	1-4-80	
29. तिल्लारी (रत्नगिरी)	19-6-80	
30. तुलतुली परियोजना (चन्द्रपुर)	4-10.80	
31. लोअर गोदावरी (विष्णुपुरी लिफ्ट स्कीम)	11-2-81	
32. हिवरा (जलगांव)	27-8-77	
33. अंजनी (जलगांव)	10-2-78	
34. मून नदी परियोजना (बुलधाना)	3.10-80	
35. तोरना नदी परियोजना (बुलधाना)	6-11-80	

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का आवास सम्बन्धी सर्वेक्षण

5557. **अरविन्द नेताम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों की मकानों की आवश्यकता की पूर्ति के सम्बन्ध में हुई प्रगति का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण बेघर लोगों के लिए कितने मकानों की आवश्यकता है;

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए छठी योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और इसमें से मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दी जायेगी;

(घ) वर्ष 1981-82 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) : 1971-72 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण किया था तथा साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों का ब्योरा एकत्रित किया था।

(ख) इस सर्वेक्षण के अनुसार 30-6-1971 को मध्य प्रदेश में आवासहीन परिवारों की संख्या 3,29,000 थी।

(ग) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास-स्थल एवं आवास निर्माण योजना के लिए छठी पंचवर्षी योजना में प्रावधान कुल 353.50 करोड़ रुपये का है. मध्य प्रदेश के लिए अनुमत्य नियतन 29 करोड़ रुपए है।

(घ) 1981-82 के लिए इस योजना में अखिल भारतीय नियतन 65.85 करोड़ रुपये है जिनमें 350 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के लिए है।

मध्य प्रदेश में चीनी मिलों का सरकारी नियंत्रण लिया जाना

5558. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी चीनी मिलों की संख्या कितनी है जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने स्वयं अथवा केन्द्रीय सरकार के निवेश पर राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है;

(ख) इन मिलों की और सरकारी नियंत्रण में लिए जाने से पहले की बकाया राशि कितनी है;

(ग) मिलों द्वारा देय राशि की कितने प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है और क्या ये भुगतान ब्याज सहित किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मिलों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) मध्य प्रदेश में जावरा और महीदपुर रोड में स्थित दो चीनी मिलों के प्रबन्ध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिकार में लिया गया है और उन मिलों का प्रबन्ध करने के लिए राज्य सरकार के नामितकों प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ख) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

आलू का मूल्य

5559. श्री रामलाल राही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान आलू के उत्पादन को दृष्टि में रखते हुये आलू—उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह) भारत सरकार इस बात के लिए काफी इच्छुक है कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस वर्ष उत्पादन केन्द्रों में आलू के बाजार मूल्य उचित स्तर पर है।

गाजीपुर में मौर्य युग की वस्तुओं का रख रखाव

5560. राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले गाजीपुर जिले में चन्द्रगुप्त मौर्य युग की कुछ बहुमूल्य वस्तुए पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) उनके रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) मौर्य कालीन उत्तरी काले पालिशदार मृद्भांडो तथा इससे सम्बन्धित मृद्भांडों के टूकड़े गाजीपुर जिले में लटिया नामक स्थान पर स्थित टीले से प्राप्त हुए थे। इस टीले के पश्चिम छोर पर एक प्रस्तर स्तम्भ है।

(ख) ये उपलब्धियाँ पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा में हैं। यह स्तम्भ केन्द्रीय सरक्षण में है।

(ग) इसके रख-रखाव पर 1978-79 तथा 1979-80 साल में क्रमश: 2000 रुपये तथा 2557 रुपये व्यय हुये।

विश्वव्यापी आधार पर चीनी की उपलब्धता

5561. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या खाद्य और कृषि संगठन ने चालू वर्ष एवं अगले तीन वर्षों के दौरान विश्वव्यापी आधार पर चीनी की उपलब्धता के बारे कोई अनुमान लगाये हैं;

(ख) उनके द्वारा लगाये गये अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चीनी की उपलब्धता को बढ़ाने अथवा प्राप्त विश्वव्यापी अनुमानों के आधार पर अपनी आयोजना का पुनरीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) खाद्य और कृषि सगठन ने 28 जनवरी, 1981 को प्रकाशित "फूड आउटलुक" नामक अपनी बुलेटिन में यह उल्लेख किया था कि 1980-81 में विश्व में चीनी का उत्पादन 866 लाख टन रावैल्यू के आस-पास होगा जोकि 1979-80 की फसल से 20 लाख टन अधिक है और पिछले वर्ष के स्तर से 42 लाख टन कम है।

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मई, 1978 में बनाई गई परियोजनाओं के अनुसार, 1985 में विश्व में चीना का उत्पादन और उसकी खपत क्रमश. 1102 लाख मी. टन और 1074 लाख मी. टन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) सरकार ने चीनी क उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले ही बहुत उपाय किए हैं। इनमें ये निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना।

(2) फैक्ट्रियों द्वारा पहले पेराई शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना।

(3) नई स्थापित फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन बहाल करना, और

(4) (क) खण्डसारी उत्पादन पर लेवी लगाना, (ख) खण्डसारी यूनिटों के कार्यचालन पर प्रतिबन्ध लगाना, और (ग) खंडसारी पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाना ताकि चीनी फैक्ट्रियों की बजाय अन्य वस्तुओं में प्रयोग करने के लिए गन्ने भेजे जाने को कम किया जा सके।

गोआ में ग्रामीण निर्धनों के लिए मकान

5562. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 में गोआ में ग्रामीण निर्धनों को प्रदान किए जाने वाले मकानों की तालुकाबार संख्या कितनी है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) गोआ प्रशासन से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सम्बलपुर (उड़ीसा) में आटो एक्सचेंज भवन

5563. श्री कृपा सिंधु भोई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्बलपुर में आटो एक्सचेन्ज भवन का निर्माण करने के लिए कुछ धनराशि मजूर की गई है;

(ख) क्या भवन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। 22.56 लाख रुपये।

(ख) अभी तक नहीं

(ग) विस्तृत नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। तत्पश्चात निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना जारी की जायेगी। आशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

पत्रकारों से लिया जाने वाला किराया

5564. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन पत्रकारों/अधिकृत संवाददाताओं के पास डी/I, डी/II और बंगला टाइप मकान हैं उनसे कितना मासिक किराया लिया जाता है;

(ख) क्या जिन पत्रकारों/अधिकृत संवाददाताओं के पास डी/I, डी/II टाईप फ्लैट हैं उनसे समान किराया लिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार पत्रकारों/अधिकृत संवाददाताओं के इस अनुरोध पर विचार करेगी कि फ्लैट बाजार किराए पर दिए जाएं;

(घ) क्या सरकार को अभी तक किसी अधिकृत संवाददाता से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बाजार किराये पर फ्लैट आवंटित किए जाएं, और

(ङ) यदि हाँ, तो इन संवाददाताओं की संख्या क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जो पत्रकार/मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता टाइप v और इससे ऊपर के मकानों के दखल में हैं, उनसे वसूल किये जाने वाले मासिक किराये का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा संवाददाताओं से मूल नियम 45-क के अन्तर्गत मानक लाइसेंस फीस या मूल नियम 45-क के अन्तर्गत पुलित लाइसेंस फीस या उनके वेतन का 10 प्रतिशत जो भी उच्चतम हो, वसूल किया जाता है । सरकारी आवास में रहने वाले अपने मकान वाले संवाददाताओं से उनके द्वारा अपने मकानों की किराये की आय के आधार पर लाइसेंस फीस वसूल की जाती है । सरकारी फ्लैटों/बंगलों की लाइसेंस फीस मकान प्रति मकान भिन्न-भिन्न होती है । लाइसेंस फीस की दरें सरकार के विवेक के समय समय पर संशोधित की जा सकती हैं । अनधिकृत दखल वाले संवाददाता/पत्रकारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हर्जाना अदा करना होता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे चार संवाददाताओं ने बाजार किराये के भुगतान पर सरकारी आवास के आवंटन के लिए आवेदन किया ।

विवरण

क्रमांक	नाम	आवास	दर प्रतिमाह
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती		
1.	एस. के. चड्डा	डी 11/39/1 एण्ड्रयूजगंज	136.00
2.	केवल वर्मा	डी 11/42/1—वही—	136·00
3.	वी. एम. सलुजा	डी 1./6/4—वही—	129.00
4.	आर. एम शर्मा	डी 11/41/1—वही—	129.00
5.	श्री रामास्वामी	डी 1/17, भारती नगर	152,00
6.	सीतान्सू दास	डी 1/53, भारती नगर	291.75
7.	सुकुमार दत्त	डी 1/62, चाण्क्यपुरी	232.20
8.	ओ. वी. विजयन	डी. 1/90, चाण्क्यपुरी	176.00
9.	ए. एन. दास.	35, के. केनिंग लेन	255.00
10.	डी. सरकार	14,कार्नवालिस रोड	115.95
11.	बी. के. मरवाह	3,—वही—	279.95
12.	बी. के. माथुर	डी 1/117, चाण्क्पुरी	157.00

1 2	3	4
13. डी. डी. गुप्ता	8-डी, फायर ब्रिगेड लेन	139.33
14. एस. आर. वेंकटाचलम	डी 11/50,किदवाई नगर	178.45
15. एस. मोगाराव	45-सी, हैवलोक स्कवेयर	98.25
16. लता भाटिया	डी 11/13, काकानगर	723.67
17. एम. एल. कोटरू	डी 11/83,—वही—	191.80
18. अबू अब्राहम	डी 11/153 काकानगर	263.45
19. एस. वेंकटेश	डी 11/66,—वही—	148.95
20. एन. चक्रवर्ती	डी 11/35, काका नगर	118.45
21. एम. पाठक	डी 11/134—वही—	143.25
22. जे. पी. चतुर्वेदी	डी 11/65,—वही—	153.60
23. आर रंगाराजन	डी 11/98,—वही—	143.45
24. ई. पी. राधाकृष्ण	डी 19/17,—वही—	132.45
25. वीरेन्द्र कुमार	डी 11/56,—वही—	166.95
26. रघुराज	डी 11/161, – वही—	233.45
27. बी. के. जोशी	डी 11/203,—वही—	135.50
28. डी. के. जोशी	डी 11/221,—वही —	130.30
29. के. राघवन	145,—वही—	143.45
30. ग्रीस माथुर	137,—वही—	143.45
31. एस. जी. राय	157 डी 11, काका नगर	254.45
32. एन. वी. लाल	62,— वही—	119.35
33. के. एन. मेनन	183,—वही—	122.95
34. वी प्रभाकर	194,—वही—	127.45
35. के- नटराजन	52,—वही—	127.45
36. पी. एन. वाजपेयी	28,—वही—	129.45
37. टी. वी. आर. सैनाय	100 ईस्ट किदवाई नगर	204.50
38. के. श्री निवासन	127/डी 11 किदवाई नगर प.	143.00
39. आर. पी. चढा	69,—वही—	133.00
40. एस. किलाकान्तम	221,—वही—	132,00
41. आर. सी. पांडे	119,—वही—	151.10
42. वी. एस. पदमनाभन	158···वही···	323.80
43. टी. आर. चोपड़ा	76,—वही···	114.25
44. एन. श्री. निवासन	125, डी 11, काका नगर	198.75
आर. सुन्दरम	152, डी 11, वी मोतीबाग	118.45
के. राय	1/3 माल रोड	154.45
आर. के. शर्मा	डी 11,2500, नेताजी नगर	115.45

1 2	3	4
48. ओ. पी. समरवाल	एम-60—वही—	124.25
49. पी. नीलाकान्तम	6, डी 11 पंडारारोड	173.95
50. सतीन्द्रसिंह	25,—वही—	666.50
51. अनवर अहमद	1/डी 11,—वही	146.45
52. एम. सुभान	51,—वही—	126.45
53. एम. सी. रामास्वामी	58,—वही—	170.05
54. एन. के. त्रिखा	79,—वही—	171.00
55. एस. कुमार देव	89,—वही—	117.60
56. यू. वाजपेयी	315,—वही—	365.50
57. के. डी. सरकार	323,—वही—	120.55
58. वी. एन. नय्यर	352—वही—	123.45
59. ए. के. किदवाई	317, डी 11, पंडारा रोड	172.30
60. वी. पी. अग्रवाल	346,—वही—	124.45
61. एच. के. दुवा	325,—वही—	206.25
62. एम. जी. तपस्वी	71, डी 11, पंडारा रोड	129.00
63. जी. के. रेडी	2/सी,—वही—	226.25
64. पी. समरवाल	27.—वही—	298.50
65. दीप्त सेन	52, डी 11, काका नगर	204.35
66. शकर पिलई	ए/वी—9, पुराना किला रोड	1786.00
67. सुभाष चन्द्र	99/डी 1, रवीन्द्र नगर	195.45
68. ए. ए. गोस्वामी	10,—वही—	148.90
69. डा. नन्दी	21,—वही—	144.00
70. वी. के. एम. कुटी	25,—वही—	145.50
71. राजगिल	89,—वही—	165.65
72. एन. सी. शाह	98,—वही—	100.00
73. सुमेर कौल	115,—वही—	101.40
74. चेतन चढा	6,—वही—	178.00
75. वी. एस संघवी	10ए-सी पार्क	191.50
76. डी. बी आर. चौधरी	जी-82, एस. एस. पार्क	193.50
77. एम. सी. राव	13/डी 11, शाहजहाँ रोड	160 35
78. एस. चटर्जी	15,—वही—	167.45
79. एस. शेतुरमन	19,—वही—	145.45
80. जी. एम. चावला	67,—वही—	168.65
81. वी. पी. इवावन	75, सी 11,—वही	198.20
82 पी. के. एस. कुटी	15,/सी 11. तिलक मार्ग	169.50

1	2	3	4
83.	आर. वी. वेदी	14,—वही—	845.70
84.	एल. पी. एस. श्रीवास्तव	296, डी 11, विनय मार्ग	129.65
85.	वी ठाकुर	298-—वही—	110.25
86.	डी. जी. कुलकर्णी	डी. 11-53 काका नगर	127·47
87.	वाई. के. भटनागर	डी. 11-359, विनय मार्ग	175.40
88.	डी आर. गोयल	डी 1—31, भारती नगर	912.50 × 30, 79 से अनधिकृत कब्जा
89.	पूरन एस. आजाद	22-सी, हैवलोक एक्वेयर	513.50, 10-2-80 से अनधिकृत कब्जा

नगरीय क्षेत्रों में मुर्गी पालन तथा डेरी में उपयोग करने के लिए बायोगैस संयंत्र

5565. **प्रो. अजीत कुमार मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के उपाय के रूप में बड़े पैमाने पर बायोगैस संयत्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में, जहाँ प्राइवेट उद्यमकर्त्ताओं द्वारा डेरी, मुर्गी पालन तथा इसी प्रकार के उद्योग धंधे चलाये जाते हैं, बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए कोई कानून बनाने का है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा किया गया निर्णय क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां। छठी योजनावधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक वृहत बायोगैस विकास कार्यक्रम को शुरू करने का विचार है। इस प्रयोजन के लिए 50 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1981-82 के दौरान बायोगैस के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विकलांग व्यक्तियों को समेकित शिक्षा

5566. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री वी. डी. सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों की समेकित शिक्षा के लिए 1974 किसी समय कोई योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना की सफलता के संबंध में कोई या किसी और दृष्टि से कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो किए गए मूल्यांकन का परिणाम क्या है और सरकार का इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) विकलांग व्यक्तियों की समेकित शिक्षा की योजना 1974 में आरम्भ की गई इस योजना की व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यापकों को तनखाह और 25 रुपए मासिक विशेष तनखाह दी जानी थी तथा 10 महीनों के लिए 25 रुपया मासिक यातायात भत्ता, 150 रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष के दर से पुस्तक और लेखन सामग्री भत्ता, 500/- रुपए प्रति बालक के दर से प्रत्येक विकलांग बालक को उपकरण भत्ता तथा अति विकलांग बच्चों और उनके सहायकों के लिए जाँच की व्यवस्था। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से संचालित की जाती है इन मदों पर होने वाले खर्च की 50 प्रतिशत लागतें केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की गई। इस योजना के अन्तर्गत होनेवाली प्रगति कुछ धीमी रही है और इस योजना के अन्तर्गत आजकल 2177 विकलांग विद्यार्थी सामान्य स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं।

2. हाल में ही इस योजन में संशोधन किया गया है अब इस योजना का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। संशोधित योजना में व्यवस्था की गई है कि सामान्य स्कूल प्रणालीमय समेकित करने के लिए बच्चों की जाँच हेतु जांच केन्द्र हों। तथा ऐसे स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा में रत अध्यापकों को बढ़े हुए दर पर विशेष वेतन की अदायगी, संशाधन कक्ष की स्थापना तथा निर्माणात्मक बाधा को हटाना और बढ़े हुए दर पर उपकरण भत्ता यातायात भत्ता तथा विकलांग बच्चों हेतु लाने ले जाने वालों हेतु भत्ता। ऐसे बच्चों के रहने और भोजन का खर्च जिनके माता पिता की आय 7500 रुपए मासिक से कम है तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था/स्कूल पूर्व एव माता-पिता परामर्श दात्री एकक की स्थापना स्कूलों में इस योजना के अन्तर्गत की जानी है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से आयोग द्वारा निर्मित गैर सरकारी स्रोत से प्राप्त माल का मूल्य और बिक्री

5567. श्री राम सिंह शाक्य : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वयं कौन-कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं और ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएं हैं, जिनके उत्पादन के लिए आयोग द्वारा ऋण आदि के रूप में सहायता दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से किन-किन वस्तुओं की नई दिल्ली के खादी भवन के माध्यम से बिक्री की गई और इस बिक्री की कुल राशि क्या है; और

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का जो वर्ष 1979-80 के इतिशेष माल में सम्मिलित थीं, पृथक-पृथक मूल्य क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा सहायित संस्थाएं सहकारी

सोसायटियों तथा कारीगरों द्वारा खादी (सूती, सिल्की तथा ऊनी) और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जिसमें ग्रामीण उद्योगों की नामावली में संशोधन करने और नए ग्रामीण उद्योगों को शामिल करने हेतु समय-समय पर संशोधन किया गया है, की अनुसूची में दी गई 25 ग्रामीण उद्योग की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। उत्पादित की जाने वाली मुख्य वस्तुएं संलग्न विवरण में दर्शायी गयी हैं।

(ख) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में बिक्री के लिए ये वस्तुएं रखी गई हैं— खादी (सूती ऊनी तथा सिल्की) खादी के सिले सिलाए कपड़े पहने जाने वाले तथा बिना पहने जाने वाले कपड़े जैसे पर्दे, तौलिए, चादरें, सूती दरियां, दस्कारी की वस्तुएं, जूतों और चमड़े की वस्तुओं जैसे ग्रामीण उद्योग उत्पाद, खाद्य तेल, हाथ से बना कागज, कपड़े धोने तथा नहाने का साबुन, शहद, पापड़, मसाले, अगरबत्तियां, रेशा, बेंत तथा बांस की वस्तुएं। वर्गीकृत हस्तशिल्प की वस्तुएं जिनका विनिर्माण खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में नहीं होता है, भी बेची जाती हैं। पिछले तीन वर्षों की बिक्री के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	(लाख रुपये में)
1977-78	310.64
1978-79	320.10
1979-80	329.45

(ग) उत्पादों के इतिशेष स्टाक अधिप्राप्ति के स्रोत-वार नहीं रखे जाते हैं। 31-3-80 को खादी का 72.87 करोड़ रुपये का इतिशेष स्टाक था। ग्रामीण उद्योग यूनिटें देशभर में फैली हुई हैं और इतिशेष स्टाकों के मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1. खादी : सूती, सिल्की तथा ऊनी वस्त्र और सिलेसिलाए कपड़े, शालें, कम्बल, पोशाक सामग्री इत्यादि।

2. अनाज का विधायन, डिब्बाबन्दी उद्योग : विभिन्न प्रकार का अनाज तथा दालें बेकरी की वस्तुएं, कूटे हुए चावल, मुरमुरे, मसाले, पापड़ आदि।

3. ग्रामीण चमड़ा : चमड़े से बनी वस्तुएं, जूते।

4. गुड़ तथा खाण्डसारी उद्योग : गुड़ तथा खाण्डसारी।

5. मधुमक्खी पालन उद्योग : शहद तथा मोम।

6- रेशा उद्योग : रस्सियां, थैले, चटाइयां, मेजपोश, पर्दे जैसी रेशे से बनी वस्तुएं।

7- बढ़ईगिरी तथा लोहारी : फर्नीचर, औजार तथा उपकरण।

8. लाख : लाख।

9. वन पर आधारित पौधों का एकत्रीकरण : औषधियों के पौधे तथा फल।

10. बेंत तथा बांस उद्योग : बेंत तथा बांस की वस्तुएं।

11. गोंद तथा राल उद्योग : विभिन्न प्रकार का गोंद तथा राल।

12. घानी तेल उद्योग : विभिन्न प्रकार का तेल।

13. माचिस तथा अगरबत्ती उद्योग : माचिस, पटाखे तथा अगरबत्तियाँ ।

14. ताड़ गुड़ उद्योग : ताड़ गुड़, ताड़ मिश्री तथा ताड़ की पत्तियों की सजावटी वस्तुएं ब्रुश, टोकरियाँ आदि ।

.5. ग्रामीण कुम्हारी उद्योग : कुम्हारी वस्तुएं, ईंटें, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की नलियाँ आदि ।

16. हस्त निर्मित कागज उद्योग : विभिन्न प्रकार का हाथ से बना कागज ।

17- चूना उद्योग : चूना, लिम्पो सीमेंट ।

18. फल विघायन तथा परिष्करण : डिब्बाबन्द फल तथा अचार ।

19. एल्यूमिनियम के घरेलू बर्तन : एल्यूमिनियम के बर्तन ।

20. कुटीर साबुन उद्योग : अखाद्य तेल, नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन ।

21. कत्था बनाना कत्था ।

22. लोक वस्त्र तथा खाली वस्त्र : वस्त्र, पोशाक सामगी ।

खजुराहो नृत्य समारोह

5568. **श्री आर. पी. गायकवाड :**

श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित खजुराहो नृत्य समारोह मूर्ति चोरी को बुन्देलखण्ड के सारे क्षेत्र में मूर्तियां तथा अन्य बहुमूल्य वस्तएं चुराने में सहायक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खजुराहो मन्दिर समूह के भीतर ही उक्त समारोह को आयोजित करने की अनुमति वापस लेने के लिए तुरन्त ही आदेश जारी करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) राष्ट्र स्तर के एक दैनिक समाचार पत्र में हाल ही इस प्रकार का एक समाचार था ।

(ख) तथा (ग) इस वर्ष का समारोह पहले ही मनाया जा चुका है । सुरक्षित क्षेत्र के अन्दर अनुबन्ध शर्तों के अधीन समारोह मनाने की अनुमति दी गई थी । तथापि, स्मारक तथा इससे संलग्न लान के हित को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार की यह सुझाव दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सुरक्षित सीमाओं से बाहर किया जाए ताकि स्मारकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे ।

"फ्लड" आपरेशन कार्यक्रम और उसका प्रभाव

5569. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) डेरी विकास के लिए "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम कब से चलना आरम्भ हुआ है,

(ख) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) उक्त योजना आरम्भ करने के पूर्व दूध का कितना उत्पादन होता था और कार्यक्रम आरम्भ होने के बाद से दूध के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले किसानों के जीवन स्तर पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड-I परियोजना जुलाई 1970 में शुरू की गयी थी।

(ख) योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

(1) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की महानगरीय डेरियों में दुग्ध परिसंस्करण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करना ताकि वर्तमान 10 लाख लिटर की दैनिक क्षमता को बढ़ाकर परियोजना अवधि के अन्त तक 27 50 लाख लिटर दैनिक कर दिया जाये।

(2) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के चुनीन्दा जिलों के आन्तरिक भागों में दुग्ध उत्पादकों के लिए तकनीकी आदानों की व्यवस्था करके दुग्ध उत्पादन और दुग्ध अधिप्राप्ति में वृद्धि करना।

(ग) 1979-80 में देश में दूध का अनुमानित उत्पादन 300 लाख मीटरी टन था जबकि 1968-69 के दौरान वह केवल 212 लाख मीटरी टन था।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10,000 ग्रामीण डेरी सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 13.6 लाख कृषक सदस्यों को पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए तकनीकी आदान और अन्य सेवाए उपलब्ध की हैं। इससे कृषक सदस्यों की नकद आय में भी निश्चित वृद्धि हुई है।

जनकपुरी, नई दिल्ली के "ए' तथा "सी" ब्लाकों में सीवर लाइनें डालना

5570. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी रिहायशी योजना के "ए" तथा "सी" ब्लाकों की सीवर लाइनों के सुधार का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को फरवरी, 1980 में भेजा गया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त प्रस्ताव को अभी स्वीकृति नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद के निपटान एव कालोनी को राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जनकपुरी की मल निर्यास पद्धति में त्रुटि को सुधारने लिए दिल्ली नगर निगम को 20.00 लाख रु. का तदर्थ भुगतान किया गया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि दो निर्माण कार्यों के टेण्डर आमन्त्रित किए गए हैं और कि इन कार्यों के पूर्ण होने के साथ जनकपुरी के इन दो ब्लाकों को पर्याप्त राहत मिल जाएगी।

नींदाकर और विझिजन मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह के विकास में विलम्ब

5571. श्री बी. के. नायर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नींदाकर और विझिजन मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह के अगले चरण के विकास का प्रस्ताव केन्द्र की मंजूरी के लिए विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसकी मजूरी देने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अपने हाथ में ले लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) क्या सरकार आगे विलम्ब न करने और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक से सम्भावित सहायता प्राप्त होने के सन्दर्भ में विझिजम और नींदाकारा में मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण हेतु प्रस्ताव पहले 1975 में तैयार किये गये थे। उसके बाद, प्रस्तावों के विषय वस्तु तथा लागत में अनेक परिवर्तन हुए। विझिजम मत्स्य बन्दरगाह के बारे में संशोधित प्रस्ताव मई, 1979 में प्राप्त हुआ था। राज्य को विझिजम में परीक्षण संचालनों के माध्यम से आर्थिक क्षमता निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। इस सुझाव के प्रति कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न होने पर, भारत सरकार के कुछ जलयानों का प्रयोग करन की सम्भावना की जांच की जा रही है। नींदकारा मत्स्यन बन्दरगाह के बारे में संशोधित प्रस्ताव फरवरी, 1981 में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की, सरकार की विभिन्न मूल्यांकन एजेन्सियों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने पहले ही विझिजम तथा नींदाकारा मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण पर कमश: 63.76 लाख रु. तथा 26.69 लाख रुपये खर्च किए हैं। 63.76 लाख रुपये की राशि विझिजम मत्स्यन बन्दरगाह के प्रथम चरण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 173 लाख रुपये के अतिरिक्त है।

(ङ) भारत सरकार के निर्णय को शीघ्र लागू करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे, किन्तु ऐसी ऊंची लागत वाली परियोजना को मंजूरी देने के सम्बन्ध में किये जाने वाले मूल्यांकन में कुछ अपरिहार्य समय लग सकता है। तथापि, विगत में अधिकतर विलम्ब प्रस्तावों में बार-बर संशोधन करने के कारण हुआ था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दल की पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की यात्रा

5572. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की यात्रा पर गए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दलों में कृषि-वैज्ञानिक कितने थे और किन-किन विषयों के बारे में किस किस क्षेत्र में जांच पड़ताल की गई; और

(ग) इन दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) एक वक्तव्य सभा के पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2252/81]

पश्चिम बंगाल द्वारा फालतू मछलियां भेजने का अनुरोध

5573. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां की फालतू मछलियां पश्चिम बंगाल को सप्लाई करें,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों से मछली का निर्यात करते समय देशीय खपत को ध्यान में रखने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामी नाथन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने मछलियों की सप्लाई के लिए दूसरे राज्यों से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी मत्स्यकी सघ लि. दूसरे राज्यों से थोड़ी मात्रा में मछलियां खरीदता रहा है।

(ग) पश्चिम बंगाल में फ्रेस पानी की मछलियों की काफी मांग है। अतः उनका कोई निर्यात नहीं होता। पश्चिम बंगाल से सिर्फ अधिक मूल्य वाली समुद्री मछलियों का निर्यात हो रहा है।

लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

5574. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा और राज्य सभा कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का आवंटन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) इन दो सचिवालयों के कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को मकान आवंटित किये गये हैं;

(घ) सभी कर्मचारियों को मकान आवंटित न करने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या किसी अवसर पर इन कर्मचारियों के लिए मकान के कोटे का इन्कार किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लोक सभा सचिवालय का अपने कर्मचारियों को आवंटन के लिए स्वयम् अपना वास पूल है और

उसका आवटन उनके द्वारा नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है। राज्य सभा सचिवालय का स्टाफ सामान्य पुल से आवटन का पात्र है। ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं।

(ख) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च) लोक सभा सचिवालय का अपने कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का अपना कार्यक्रम है। उनके अपने पूल के क्वार्टरों के निर्माण होने तक डी. आई. जैड़ क्षेत्र में नवनिर्मित क्वार्टरों का 10 प्रतिशत उनको दिया जा रहा है। जो कि चरण-III तक सीमित उनके पूल में बनाये जाने वाले उतने ही क्वार्टरों के समायोजन की शर्त पर है। इस सीमा तक उनका कोटा पूरा हो गया है सिवाय टाइप डी के 8 क्वार्टरों को छोड़ कर जिनको कि तत्काल आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाया गया है।

उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन

5575. **श्री अनादि चरण दास :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रोत्साहन देने के बारे में 2 मार्च 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि।

(क) उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा राज्य में चलाये जा रहे हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत एवं दिये गये केन्द्रीय अनुदानों की धनराशि वर्ष-वार कितनी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम निम्नलिखित है :

(1) पठन तथा लेखन सामग्री की मुफ्त व्यवस्था

(2) प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें मुहैया करना

(3) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था

(4) सेवाश्रम स्कूलों के छात्रों को वस्त्र प्रदान करना

(5) आवासीय स्कूलों की स्थापना

(6) छात्रावास सुविधाओं की व्यवस्था

(7) अटेन्डैन्स छात्रवृत्ति संस्वीकृत करना

(8) मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन हेतु मिडिल तथा लोअर माध्यमिक स्तरों के लिए तथा उन व्यक्तियों के बच्चों के लिए जो शौचालयों को साफ करने, खाल उतारने तथा चर्मकार आदि जैसे अस्वच्छ व्यवसाय करते हैं। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति संस्वीकृत करना

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कुल विशेष केन्द्रीय अनुदानों में से शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि की मात्रा निम्नलिखित थी :—

(1) 1977-78	28.00 लाख रुपये
(2) 1978-79	102.00 लाख रुपये
(3) 1979-80	155.72 लाख रुपये

धनकीमारी, जलपाईगुड़ी में डाकघर का दर्जा बढ़ाना

5576 श्री सुबोध सेन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के धपगुड़ी पुलिस थाने के अन्तर्गत धनकीमारी डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हां। जलपाईगुड़ी मंडल के डाकघर अधीक्षक का धनकीमारी स्थित विभागीय साखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर बनाने की बाबत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच की गई किन्तु विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उसका औचित्य नहीं पाया गया।

शिवकाशी में स्वचालित बैटरी व्यवस्था की स्थापना

5577. श्री एन. सुन्दरराजन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवकाशी में केन्द्रीय बैटरी व्यवस्था के स्थापना के स्थान पर स्वचालित बैटरी व्यवस्था की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या शिवकाशी को एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यहां से पूरे देश के लिए संचार संपर्क विद्यमान हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) 2500 लाइनों वाले स्वचल एक्सचेंज की योजना बनाई गई है : कोई अप्रत्याशित रुकावट न होने की स्थिति में स्वचल एक्सचेंज 1984-85 तक चालू कर दिया जाएगा।

साथ ही नाथ एस. टी. डी. की योजना भी बनाई जा रही है।

खेड़ा बघेरा डाकघर, शाहजहांपुर के खिलाफ शिकायतें

5578. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेड़ा बघेरा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश स्थित डाकघर के पदाधिकारियों द्वारा धन दुर्विनियोजन किये जाने, अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने और उस क्षेत्र में निवासियों को तंग करने के बारे में गंभीर शिकायतें मिली हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हां, हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

सेक्टर-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में भूमि का विकास

5579. श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि विकास कार्यालय ने कुछ वर्ष पहले सेक्टर-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में निगम को जो काफी बड़ी भूमि इसलिए दी थी कि उस भूमि को उद्यान एवं

बगीचे के रूप में विकसित किया जाए, वह अभी तक बंजर पड़ी है और उसके चारों ओर तार लगे हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम ने सौंदर्यकला के लिए लाखों रुपये खर्च करके, रामकृष्ण पुरम में मुख्य सड़कों से लगी सड़क की ओर की भूमि की घेराबन्दी कर दी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है और कुछ स्थानों पर तारों का घेरा भी गायब हो गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो इन्हें कब विकसित किया जाएगा और उपयोग करने योग्य बनाया जाएगा;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सेक्टर-1 रामकृष्ण पुरम में एक पार्क के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम को 1.5 8 एकड़ भूमि के एक टुकडे के आवंटन के लिए 19.2.80 को पेशकश की गई थी। पट्टे के लिए इकरारनामे के निष्पादन पंजीकरण होने तक दिल्ली नगर निगम को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने अपने पेड़ लगाने के अभियान के एक भाग के रूप में सड़क की ओर की इस भूमि पर पेड तथा झाड़ियां लगा कर बाढ़ कर दी है और वे नियमित रूप से उसका अनुरक्षण कर रहे हैं।

सेवा निवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति के बारे में नीति

5580. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग में सेवा निवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति के संबन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) कितने सेवा निवृत लोगों को नौकरी में बने रहने की अनुमति दी जाती है; और

(ग) उन्हें नौकरी में बने रहने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वार्धक्य निवर्त्तन की आयु प्राप्त करने के पश्चात कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि करने तथा उनको पुनः नियुक्त करने हेतु प्रस्तावों पर सरकार की नीति के अनुसार सामान्यतया विचार नहीं किया जाता। जनहित में असाधारण तथा अपवाद रूप परिस्थितियों में ही सेवा काल में वृद्धि/पुनः नियुक्त करने के मामलों में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त पूर्ण होती हो :

(1) अन्य अधिकारी उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम न हो;

(2) सेवा निवृत्त होने वाला अधिकारी विशिष्ट योग्यतायें रखता हो।

जहाँ सेवा काल में वृद्धि/पुनः नियुक्ति के मामलों पर विचार किया जाता हैं, वहाँ गैर-वैज्ञानिक/गैर-तकनीकी पदों हेतु 60 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित हैं तथा वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों के मामलों में 62 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है।

डाक तार विभाग अपने कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने और उन्हें पुनः नियुक्त करने के संबन्ध में उपरिनिर्दिष्ट सरकारी नीति का पालन करता है।

(ख) इस तारीख तक दो सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) दो कर्मचारियों को जन हित में इस आधार पर पुनः नियुक्त किया गया है क्योंकि उस समय उनके स्थान पर कोई उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। दोनों कर्मचारी विशिष्ट किस्म का सेवा कार्य कर रहे हैं।

अमलापुर में डाकघर के लिए पक्का भवन

5581. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि अमलापुरम को डाकघरों के लिए एक डिवीजनल मुख्यालय बना दिया गया है, तथापि आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अमलापुरम में डाकघर के लिए पक्के भवन का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) अमलापुरम में कब तक पक्के भवन का निर्माण पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) मौजूदा भवन दुमंजिला है तथा इसमें अनेक छोटे कमरे हैं। भवन का निर्माण लगभग 60 वर्ष पूर्व किया गया था। इसमें उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है। इस भवन का विस्तार करना संभव नहीं है तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि मौजूदा भवन को गिरा दिया जाए तथा एक नए भवन का निर्माण किया जाय। इस कार्य को वर्ष 1981.82 के दौरान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

महिला ब्यूरो

5582. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं जिनके लिए समाज कल्याण मन्त्रालय में महिला ब्यूरो स्थापित किया था;

(ख) इस ब्यूरो के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) जब से यह ब्यूरो स्थापित किया गया तब से इसकी ठोस उपलब्धियां क्या हैं और उसने क्या भूमिका निभायी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) महिलाओं सम्बन्धी कार्यक्रमों का समन्वय और अनुश्रवण, महिला कल्याण और विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क करना और महिलाओं सम्बन्धी जानकारी के प्रदाता सदन का विकास करना।

(ख) एक संयुक्त सचिव, एक उप सचिव और एक अवर सचिव, सहायक कर्मचारियों सहित।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति तथा राष्ट्रीय समिति की स्टीयेरिंग तथा समिति को सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ, ब्यूरो के मुख्य अंशदानों में ये शामिल हैं :—

(1) महिलाओं हेतु कार्य की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना; शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार आयोजन तथा पोषण, समाज कल्याण के क्षेत्रों की पहचान करना, तथा अन्य मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों द्वारा योजनाएं तैयार करने हेतु मार्ग दर्शिकाएं प्रदान करने के कार्य हेतु विधायन।

(2) महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति के नमूने पर महिलाओं हेतु अधिकांश राज्यों में राज्य स्तर समितियों का गठन, तथा महिला एककों की स्थापना और राज्यों में वित्त/विकास निगमों की स्थापना।

(3) 'स्टेट्स आफ वीमिन इन इंडिया' पर स्थापित की गई समिति की सिफारिशों का परीक्षण तथा अनुगामी कार्यवाही, जिसके परिणाम इस प्रकार हैं :—

(क) सम्पाशि श्रमिक अधिनियम, 1976 जिसके द्वारा बराबर कार्य के लिए बराबर पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई।

(ख) विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1976 जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम तथा विशेष विवाह अधिनियम में परिवर्तन शामिल किए गए।

(ग) फैक्ट्री संशोधन अधिनियम, 1976 जिसमें महिला कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 50 से 30 की गई, नियोक्ताओं द्वारा क्रेशों की स्थापना हेतु।

(घ) बाल विवाह प्रतिबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 1978 जिसके लड़के और लड़कियों की शादी की कानूनी आयु बढ़ाई गई और सीमिति प्रयोजनों हेतु अपराध को कागजीनेबल्ल बनाया गया।

(4) महिलाओं की समस्याओं के विषय में जागरुकता बढ़ाना तथा ध्यान आकर्षित करना तथा शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी रखना तथा विशिष्ट दलों और फोरमों को योगदान प्रदान करना, तथा छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं सम्बन्धी केन्द्र बिन्दुओं के बारे में पहलकार्य करना।

(5) देश में नौकरी करने वाली महिलाओं के होस्टलों सम्बन्धी कार्य का प्रसार।

(6) विपदाग्रस्त महिलाओं के प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता का नया कार्यक्रम आरम्भ करना।

(7) नौकरी करने तथा बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेशों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा संक्षिप्त कोर्सों के कार्यक्रमों का प्रसार तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम।

(8) वयस्क महिलाओं की कृत्यात्मक साक्षरता के नए कार्यक्रम का आरम्भ।

(9) महिलाओं के कुशलताओं, क्षमताओं और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के नए एरढंग के और प्रयोगात्मक कार्यक्रमों का विकास और क्रियान्वयन।

(10) लघु उद्योग विकास संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयुक्त लघु उद्योगों की पहचान करना।

(11) महिलाओं सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करना और कागजात तैयार करना।

रजिस्टर्ड पत्रों की दूसरी रसीद

5583. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या डाक विभाग ने रजिस्टर्ड पत्रों की दूसरी रसीद रखने की प्रथा समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ ।

(ख) कागज तथा मुद्रण में मितव्ययिता करने तथा जहाँ तक सम्भव है फार्मों के सरलीकरण एवं इसके समाप्त करने के उद्देश्य से रजिस्ट्री पत्रों की दोहरी रसीद रखने की पद्धति 14 फरवरी, 1975 से समाप्त कर दी गई है ।

विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के लिए पब्लिक काल कार्यालय

5584. **श्री प्रतापभानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में कितने पब्लिक काल कार्यालय स्थापित किए जाने का विचार है; और उनके प्रस्तावित स्थल कौन से हैं;

(ख) उनमें से उन पब्लिक काल कार्यालयों की संख्या कितनी है जिन्होंने 31 जनवरी, 1981 को अपना कार्य संचालन शुरू कर दिया है; और

(ग) उपर्युक्त जिलों में वर्ष 1981-82 की अवधि में कितने पब्लिक काल कार्यालय स्थापित किए जाने का विचार है और उनमें कितनी धनराशि खर्च होगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) :

1. विदिशा जिला

1. सतपाड़ा	31-3-81 को चालू था
2. तेओन्डा	वही
3. देपानखेडा	वही
4. मुगलसराय	31-1-81 को चालू नहीं था (5-3-81 को खोला गया)

2. रायसेन जिला

1. सुल्तान गंज	अभी तक नहीं खोला गया
2. बामहोरी	वही

3. सीहोर जिला

1. मोरा	31-1-81 को चालू था
2. लड़कुई	वही

(ग) 1981-82 के लिए लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

डाक कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

5585. **श्री जी देवराय नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कर्मचारियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष हैं और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक क्या सुविधाएं दी गई हैं; यदि नहीं, तो डाक कर्मचारियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का क्या प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) डाक कर्मचारियों के लिए 9,870 विभागीय स्टाक क्वार्टर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 1980-85 अवधि के दौरान डाक कर्मचारियों के लिए 13,285 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इनके शतिरिक्त लगभग 11,000 किराये के क्वार्टर भी उपलब्ध हैं, जोकि अधिकांशत: सेवा शर्तों के भाग के वतौर प्रदान किए जाते हैं।

भूमि का अर्जन

5586. **श्री एच. एन. गौडा :**

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :

श्री के. लकप्पा :

श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी भूमि का अर्जन किया गया था;

(ख) इस भूमि विकास का ब्यौरा क्या है और उसका आवंटन किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है;

(ग) क्या अर्जित भूमि का काफी बड़े भाग का विकास नहीं किया गया है यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उसके विकास में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) यह सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए चयन एवं मूल्यांकन

5587. **श्री एल. एस. तुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए चयनों एवं मूल्यांकनों की संख्या कितनी है और उसने उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कितने लिए और आवेदन पत्रों, बोर्ड द्वारा उनके निपटान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय और इसके अध्यक्ष द्वारा इनकी स्वीकृति के बीच लगे समय को दर्शाते हुए कितने अभ्यार्थियों को सूचित किया ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के पास 1-4-79 से 15-3-81 की अवधि में चयन के 266 मामले और मूल्यांकन के 1161 मामले हैं;

इन चयनों पर लिया गया अन्तिम निर्णय उम्मीदवारों को भेजी गई सूचना जिसमें, आवेदन-पत्रों मंडल के द्वारा निपटान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय और अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा इनकी स्वीकृति के बीच लगे समय को दर्शाने

वाली सम्पूर्ण सूचना संकलित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

तिरुवल्ला, मावेलीकरा, कायमकुलम सब डिवीजन केरल में टेलीफोन कनेक्थनों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

5588. **प्रो. पी. जे कुरियन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में तिरुवल्ला, मावेलीरा और कायमकुलम सब-डिवीजनों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बहुत से आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) उपरोक्त सब डिवीजन में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(ग) शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) सूचना संलग्न विवरण में है ।

(ग) मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है ।

विवरण

केरल के तिरुवल्ला, मावेलिकारा तथा कार्थीकापल्ली (कयाम कुलाम) तालुकों स्थित एक्सचेंजों में 1-3-81 तक टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लंबित आवेदन पत्रों का विवरण ।

क्रमांक	एक्सचेज	उप मंडल (तालुका)	1-3-81 तक प्रतीक्षा सूची में आवेदन	
1.	तिरुवल्ला	तिरुवल्ला	220	
2.	ईरेविपारुर	,,	18	
3.	थ्योडिकल	,,	24	
4.	वारायानूर	,,	22	
5.	पुरामत्तम	,,	37	
6.	कुम्वानाड	,,	89	
7.	आईरुर	,,	46	
8.	कुन्नामथनम	,,	25	
9.	ऐंभूमाट्टूर	,,	5	
10.	छुंगापारा	,,	5	
11.	मल्लापल्लली	,,	32	
12.	पन्नावेली	,,	1	
13.	वायपुर	,,	2	526
14.	मावेलिक्कारा	मावेलिक्कारा	113	
15.	कोल्लाकाडावू	,,	10	

16.	कट्टानम	मावेलिक्कारा	15	
17.	नूरनाड	,,	19	
18.	पडालम	,,	30	187
19.	कयामकुलम	कार्थीकापल्ली (कयामकुलम)	72	
20.	ओछिरा	,,	43	
21.	मुथूकुलम	,,	17	
22.	हरीपाड	,,	28	
23.	घिसक्कुनापुझा	,,	20	180
		कुल योग		893

टिप्पणी : कयाम कुलाम नाम का कोई उपमंडल (ताल्लुका) नहीं है। क्योंकि कयाम कुलाम कार्थीकापल्ली ताल्लुका में स्थित है जिसके बारे में सूचना दी गई है।

अंदमान के वन विभाग में नेमित्तिक मजदूरों को नियमित वेतनमान

5589. **श्री मनोरंजन भक्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 760 के लगभग नेमित्तिक मजदूरों की, जिन्होंने अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग में 6 से 12 वर्ष तक के लगभग अपनी सेवायें दी हैं, नियमित वेतनमान के अन्तर्गत नहीं लाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उन मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यह मामला कब तक तय हो जायेगा;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : 3 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा करने वाले मजदूरों को नियमित करने के लिये भारत सरकार 760 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आशा है कि इसका निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा।

भारत सरकार मुद्रणालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस

5590. **श्री सूरजभान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल, डाक-तार तथा रक्षा कर्मचारियों की तरह भारत सरकार मुद्रणालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या पिछली सरकार ने उक्त कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की थी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उनके प्रति सभा पटल पर रखने का है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में रिक्त पद

5591. **श्री रशीद मसूद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद में इस समय कितने पद रिक्त हैं और यह पद कितनी अवधि से नहीं भरे गये हैं; और

(ख) उक्त विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में रिक्त पद भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय की कार्यकारी परिषद में दस स्थान रिक्त हैं और निम्नलिखित अवधि से ये पद रिक्त पड़े हैं :

रिक्त स्थानों की संख्या	जिस तिथि से रिक्त हैं
दो	24-4-1980
एक	11-5-1980
चार	5-2-1981
तीन	21-2-1981

(ख) सरकार मामले पर ध्यान दे रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए बोनस

5592. **श्रीमती गीता मुखर्जी** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1981 की उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि प्रबन्धक वर्ग और श्रमिकों के सुदृढ़ सम्बन्धों के हित में दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को बोनस देने पर विचार कर सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का ब्यौरा और पृष्ठभूमि क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त की जानी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण तथा शहरी टेलीफोन प्रयोक्ताओं के बीच भेदभाव

5593. **श्री ए. के. स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण फोन प्रयोक्ताओं तथा सहरी फोन उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव के बारे में मालूम है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण टेलीफोनों के वार्षिक किराये में कमी करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का प्रस्ताव ग्रामीण टेलीफोन प्रयोक्ताओं के साथ भेदभाव में किस प्रकार कमी करेगी ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। ग्रामीण फोन उपभोक्ताओं के अहित में कोई असमानता नहीं है। तथापि विभिन्न आकार के एक्सचेन्जों हेतु विभिन्न किराए निर्धारित किए गए हैं। निम्न आकार के एक्चेन्जों, जिन्हें आवश्यक रूप से ग्रामीण इलाकों में संस्थापित किया जाता है उनके वार्षिक किराये बहुत कम रखे गए हैं।

(ख) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु प्रतिभूति जमा तथा अग्रिम जमा दोनों को पहले से ही घटाकर सौ रुपये कर दिया गया है।

अंडा बोर्ड

5594. **श्री टी. दामोदर रेड्डी** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अण्डों और मुर्गीपालन उद्योग के अन्य उत्पादों की बिक्री को नियमित करने के लिए एक अण्डा बोर्ड का या अण्डा निगम की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हाँ, तो कब और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिय के विद्यार्थियों का चयन

5595. **श्री मनमाहन टुडु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी शिक्षा ब्यौरों ने केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रवृत्ति पाने के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होनहार लड़के और लड़कियों का पता लगाने हेतु एक योजना तैयार करने का कार्यक्रम बनाया था;

(ख) य दे हाँ, तो उनका चयन करने का मानदंड क्या है;

(ग) क्या इन लड़के और लड़कियों का चयन दसवीं कक्षा में प्रदर्शित उनके योग्यता के आधार पर किया जायेगा और उन्हें सरकारी खर्च पर "प्लस टू स्टेज" के लिए शिक्षा दी जायेगी और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री. एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक योजना तैयार कर रही है ताकि वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आरक्षित स्थानों का लाभ उठा सकें।

विकास के लिये लोगों की कार्यवाही (भारत)

5526. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के अधीन विकास के लिए लोगों की कार्यवाही (भारत) पिपुल्स एक्शन फोर डेवेलपमेंट (इंडिया) का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा इस समय आरम्भ किये गये कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों को अब तक दी गई राशि तथा वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम जो पहले भूख मुक्ति अभियान के नाम से जाना जाता था, का गठन 1960 में किया गया था भारतीय विकास लोक कार्यक्रम का उत्तरादायित्व मई, 1980 में कृषि मत्रालय से ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया था।

(ख) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिये स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण विकास में सरकार के प्रयासों को बढ़ाता है। इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं से सहायता प्राप्त होती है और यह उस सहायता को ग्रामीण विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुलभ करता है। छोटे तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, मछुओं आदि का उत्थान करने के उद्देश्य वाली परियोजनाओं को निधियां दी जाती है। शुरू की गई गतिविधियों में मुख्य रूप से लघु सिंचाई. समंवित ग्राम विकास, फार्म विकास कृषक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पशु विकास, वानिक आदि शामिल हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि नीचे दर्शाई गई है :—

	बटित धनराशि (लाख रुपए में)
1. आन्ध्र प्रदेश	85·07
2. अरुणाचल प्रदेश	1.61
3. असम	1.90
4. बिहार	466.16
5. गुजरात	93.24
6. हरियाणा	1 76
7. केरल	4.62
8. कर्नाटक	304 38
9. मध्य प्रदेश	52.44
10. महाराष्ट्र	500 16
11. उड़ीसा	9.42

1	2
12. पंजाब	7.60
13. राजस्थान	37.46
14. तमिलनाडु	21.91
15. पश्चिम बंगाल	41.37
16. उत्तर प्रदेश	125.30
17. पांडिचेरी	4.01
18. दिल्ली	6.71
19. मेघालय	0.57
20. अन्य*	152 46
	1916.54

*अन्य-एक से अधिक राज्यों में फैली योजनाओं को दर्शाता है।

विकलांगों को रोजगार

5597. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री एन. के. शेजवलकर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का वर्ष 1981 को विकलांगों का वर्ष मनाने का विचार है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान विकलांगों को रोजगार देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान में ऐसे कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित रखे हैं। इसके अलावा डाक तार विभाग ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा बड़े सार्वजनिक उद्यानों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की योजना बनाई है जिनकी देखरेख गारंटी के आधार पर विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को किराये पर दी जाएगी। वर्ष 1981 के दौरान देश में ऐसे 200 और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) राजस्थान डाक तार परिमण्डल में विकलांग व्यक्तियों को भर्ती इस बात पर निर्भर करेगी कि वर्ष के दौरान कितने स्थान खाली होते हैं तथा इन वर्गों के कितने उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं।

टेलीफोन कालों को स्थानीय काल मानने के लिए मानदण्ड

5598. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस अधिकतम दूरी तक की टेलीफोन कालों को स्थानीय काल समझा जाता है।

(ख) क्या यह सच है कि अलग अलग स्थानों पर इसमें अन्तर है, अर्थात कहीं तो 4 कि. मी. के अन्दर टेलीफोन काल को स्थानीय काल माना जाता है और कुछ अन्य स्थानों पर 8 कि. मी. दूरी तक की कालों को स्थानीय काल माना जाता है।

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस बारे में कोई एक समान नीति अपनायेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) स्थानीय काल से अभिप्राय एक ही एक्सचेंज प्रणाली के अन्तर्गत एक उपभोक्ता की लाइन से दूसरे टेलीफोन पर की गई काल से है। स्थानीय क्षेत्र का अभिप्राय टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि. मी. की अरीय दूरी के अन्दर आने वाले क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र से है जिसे तार अधिकारी ने टेलीफोन कनेक्शन के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र घोषित किया है। किसी एक्सचेंज प्रणाली के 'स्थानीय क्षेत्र' को परिभाषित करने के लिए निम्न नीति अपनायी जा रही है :

(1) एकल एक्सचेंज क्षेत्र किसी एकल एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक्सचेंज से 5 कि. मी. की अरीय दूरी के अन्दर पड़ने वाले सभी क्षेत्र शासित होंगे इस मामले में जहां नगर में एक स्थापित नगरपालिका अथवा निगम है जिसकी सीमाएं निर्धारित हैं और यदि उक्त नगर पालिका/निगम द्वारा सेवित कोई क्षेत्र एक्सचेंज से 5 कि. मी. से अधिक की दूरी पर है तो ऐसे क्षेत्रों को भी स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा परन्तु अगर स्थानीय क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ टेलीफोन सेवा प्रदान करने में असामान्य कठिनाई आती है जैसे ऊंची पहाड़ियां, झीलें आदि तो ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय क्षेत्र से निकाल दिया जायेगा।

(2) एक से अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों से सेवित नगरों की एक सम्यक परिभाषित नगरपालिका अथवा निगम होने की सम्भावना है। ऐसी नगर पालिका/निगम की सीमाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थानीय क्षेत्र एक्सचेंज माना जायेगा। उन सभी उपभोक्ताओं को जो नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आते हैं अथवा जो स्थानीय क्षेत्र एक्सचेंजों से 5 कि. मी. की अरीय दुरी के अन्दर हैं उन्हें स्थानीय क्षेत्र उपभोक्ता माना जाएगा अगर उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए कोई अन्य एक्सचेंज नहीं है तो इस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं को भी लम्बी दूरी के उपभोक्ता के बतौर बहुएक्सचेंज प्रणाली से सम्बद्ध किया जा सकता है। इस क्षेत्र की सेवा के लिये जब भीक भी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कोई नया एक्सचेंज खोला जायेगा। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर हैं परन्तु किसी स्थानीय क्षेत्र एक्सचेंज द्वारा सेवित हैं उस स्थानीय क्षेत्र से हटाए जाने तथा नए एक्सचेंज से जोड़े जाने की संभावना बनी रहेगी। स्थानीय क्षेत्र के अन्दर आने वाले उन सभी स्थानों को विशेषकर निकाल दिया जायेगा जहाँ टेलीफोन सेवा प्रदान करने में असामान्य कठिनाइयाँ आती हैं जैसे ऊंची पहाड़ियाँ, झीलें आदि।

(3) "प्राधिकारी" अपने प्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत विशेष विचार कर किसी एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र को निर्धारित कर सकता है उदाहरण के तौर पर जैसा कि

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों के लिए उनके द्वारा स्थानीय क्षेत्र विशेष रूप से परिभाषित किए गए हैं।

(घ) चूंकि निम्न तीन प्रकार की एक्सचेंज प्रणालियां हैं अतः एक समान नीति अपनाना कठिन होगा :

(1) एकल एक्सजेंज प्रणाली।

(2) बहुएक्सचेंज प्रणाली।

(3) महानगरीय एक्सचेंज प्रणाली।

आन्ध्र प्रदेश में खारे पानी में मछली विकास हेतु इन्डोनेशिया से तकनीकी जानकारी

5599. **श्री. एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डोनेशिया सरकार आन्ध्र प्रदेश में खारे पानी में मछली विकास हेतु तकनीकी विशेषज्ञता देने पर सहमत हो गई है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन/सीडा से सहायता प्राप्त वे आफ बंगाल प्रोग्राम मद्रास ने आन्ध्र प्रदेश में तटीय कृषि जल विज्ञान के सामान्य विकास के संबंध में सलाह देने के लिए इन्डोनेशिया से विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग से संबद्ध एक तीन सदस्यीय मिशन को उस राज्य में भेजा। मिशन ने मुख्यतः फरवरी 1981 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में खारे पानी के उपयुक्त क्षेत्रों का दौरा किया। मिशन ने राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों को अपनी तकनीकी सलाह दी है।

मोहने जलाशय योजना

5600. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहने जलाशय योजना सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रगति की क्या स्थिति है; और

(ग) यह कार्य कितना शीघ्र पूरा होने वाला है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी मोहाने जलाशय एवं बराज स्कीम की तकनीकी जांच केन्द्रीय जल आयोग में कर ली गई है और अगस्त, 1976, जून, 1977 और नवम्बर, 1977 में राज्य सरकार को टिप्पणियाँ भेजी गयी थीं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आशोधित रिपोर्ट जून, 1981 में प्रस्तुत की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति संस्थान

5601. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथकली मोहनीयतम आदि जैसी कलाओं के प्रचार के लिए केरल कला मण्डलम को एक अन्तर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति संस्थान के रूप में विकसित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक व तार कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को छात्रवृत्तियां

5602. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार कर्मचारियों से विकलांग बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और उक्त छात्रवृत्तियां कब से दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : जी हां।

(ख) शैक्षिक वर्ष 1980-81 से 20/-रु प्रति माह की दर से 100 छात्रवृत्तियां।

राज्यों को समाज कल्याण गतिविधियों के लिए सहायता

5603. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्न लिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों को गत दो वर्षों के दौरान समाज कल्याण गतिविधियों के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार कितने सामाजिक संगठनों को सरकार अनुदान दे रही है तथा प्रत्येक मामले में उनकी राशि कितनी है; और

(ग) दिए गए अनुदानों के उपयोग संबंधी स्थिति क्या ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

"इन्डिया यू. एस. एस आर. साइन इरिगेशन प्रोटोकोल" शीर्षक समाचार

5604. **श्री एन. के. शेजवलकर :**

डा बसन्त कुमार पंडित :

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1981 के इन्डियन एक्सप्रेस में 'इण्डिया यू. एस एस. आर. साइन इरिगेशन प्रोटोकोल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत का दौरा करने वाले सोवियत प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के नाम तथा पदनाम क्या हैं, उनके यहाँ निवास के दौरान भारत में अपने समकक्ष अधिकारियों से हुई उनकी वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले और उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया; और

(ग) क्या अमरीका अथवा अन्य देशों से भी इसी प्रकार की सलाह माँगी गई थी; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के विद्युत और विद्युतीकरण उप मंत्री, श्री एन.

ए. लोपाटिन और वी./ओ. 'सेल्खोजप्रोमएक्सपोर्ट' के अध्यक्ष, श्री वी. ए. मेडवेडेव भारत आए थे और उन्होंने 16 और 20 जनवरी, 1981 को नई दिल्ली में सिंचाई मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था। उन्होंने भारत में किसी सिंचाई अथवा विद्युत परियोजना का दौरा नहीं किया। विचार विमर्श के दौरान यह सहमति हुई थी कि सोवियत संगठन नहरों के ढाँचों के निर्माण के लिए और नहरों की लाइनिंग के लिए पूर्व-निर्मित ढाँचों का उत्पादन करने के लिए भारत में स्थापित किए जाने वाले उद्यम का व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने और निदेशात्मक विस्फोटन तकनीक का इस्तेमाल करके एक प्रयोगात्मक बांध का निर्माण करने में भारतीय संगठनों को सहयोग देंगे। सोवियत पक्ष ने जलमग्न जलीय खर-पतवार के जैव नियंत्रण को अनुसंधान स्कीम के लिये तकनीकी सहायता देना भी स्वीकार किया। भारतीय पक्ष ने यह बात फिर से दोहराई कि वे द्रवचालिकों सरचनाओं के भौतिक माडल परीक्षण के क्षेत्र में तकनीनकी सहायता देने के लिये तैयार है।

(ग) भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिये संयुक्त राज्य अमरीका अथवा अन्य यूरोपीय देश से कोई सलाह नहीं मांगी हैं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

1924 के समझौते के आधार पर कावेरी जल विवाद का निपटान

5605. **श्री एन· सेलवाराजू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का लम्बे समय से चल रहे कावेरी जल विवाद को 1924 के उस समझौते के आधार पर निपटाने और मध्यस्थता करने का विचार है जो तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक वैध है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : केन्द्रीय सरकार काफी समय से चले आ रहे कावेरी जल-विवाद को आपसी बातचीत द्वारा हल करने के लिए पहले से ही प्रयत्न कर रही है। इस उद्देश्य से इस मामले के बारे में बेसिन-राज्यों के बीच काफी दिनों से विचार-विमर्श चल रहा है। दिसम्बर, 1980 में मुख्य मंत्रियों के साथ हुई पिछली अन्तर्राज्यिक बैठक में यह तय हुआ था कि राज्य 1976 के समझौते और उसके अन्तर्गत अपनाई गई कार्य-प्रणाली में संशोधनों और आशोधनों का सुझाव दें, जिसके बाद मुख्य मंत्री स्तर की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी।

इस निर्णय के अनुसरण में, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी सरकारों से प्रस्ताव हो चुके हैं। तमिलनाडु सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तमिलनाडू से प्रस्तावें प्राप्त हो जाने के बाद मुख्य मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

कनाट सर्कस, नई दिल्ली में अत्याधिक अनधिकृत निर्माण

5606. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्यूनिसिपल मार्किट, कनाट सर्कस में अनधिकृत रूप से किए गए वत्याधिक निर्माण की जानकारी है;

(ख) इनका निर्माण किस तरह किया जा रहा है;

(ग) उन्हें हटाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है; और

(घ) इस निष्क्रियता के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि म्यूनिसिपल मार्किट कनाट सर्कस में दो स्टाल होल्डरों ने अनधिकृत रूप से निर्माण किए हैं और उन्होंने अपने स्टालों पर अधिसरचनाएं बनाई हैं।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्टालों के उर्ध्वाकार विस्तार की अनुमति देने संबन्धी कनाट म्यूनिसिपल मार्किट एसोसिएशन का एक अभ्यावेदन नई दिल्ली नगर पालिका के विचाराधीन है, पालिका ने इन दो स्टाल होल्डरों के विरुद्ध आगे की कार्यवाई अस्थगित कर दी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों के पद

5607. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनके उप-कुलपतियों के पद खाली पड़े हैं और ये पद कब से खाली हैं तथा पद खाली रहने तथा उनके भरे न जाने के कारण क्या हैं,

(ख) प्रत्येक मामले में ये पद कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के सेवाकाल में पिछले 5 वर्षों के दौरान वृद्धि की गई, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में कुलपतियों के पद क्रमश: 14 अक्तूबर, 1980 तथा 11 नवम्बर, 1980 से रिक्त पड़े हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से संबधित कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय लिए जाने की सभावना है। उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से संबन्धित चयन समिति का गठन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास कार्यों के लिए ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की एसोसिएशन को दी गई धनराशि

5608 **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की एसोसिएशन (ए. वी.ए. आर.डी.) और इससे सम्बन्ध मंद्र उन्नयन संसद् संगठनों को केन्द्र सरकार स विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार और इ. जैड. इ. पश्चिम जर्मनी के एक ईमाई संगठन से इस प्रकार प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग एक कोल्ड स्टोरेज खरीद कर और उसको चलाकर किया जा रहा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इन्जीनियरी, मेडिकल, पशु चिकित्सा तथा विधि सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शी निर्देश

5609. **श्री एन. डेनिस** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) इन्जीनियरी (दो) मेडिकल (तीन) पशु चिकित्सा और (चार) विधि सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की मार्ग निर्देश देने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला उन राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं जिनसे कालेज/संस्थाएं संबद्ध हैं।

महिला-जाति की सहायता के लिए योजना

5610. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्त्री-जाति, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्ध रखने वाली स्त्रियों की सहायता करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) सभी महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलाएं भी शामिल हैं, विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं इनमें ये शामिल हैं :—

1. महिलाओं को कार्य और परिश्रमिक प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के समाजिक आर्थिक कार्यक्रम।

2. मैट्रिक परीक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारी हेतु एक और दो वर्षीय कोर्स प्रदान करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वयस्क महिलाओं हेतु संक्षिप्त कोर्स।

3. बीमार तथा कार्यरत माताओं के बच्चों हेतु क्रेश योजना।

4. कार्यरत महिलाओं के होस्टल तथा दिवस देखरेख केन्द्रों के निर्माण के लिए स्वयं-सेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की कार्यरत महिला होस्टल योजना।

5. विपदाग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना हेतु स्वयसेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की योजना।

6. समेकित बाल विकास सेवा खण्डों में वयस्क महिलाओं हेतु कृत्यात्मक साक्षरता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे अधिकारियों को विदेश भेजा जाना

5611. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया था और उन पर कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(ख) उन्हें विदेशों में किस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके प्रशिक्षण से लाभ हुआ है, और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें विदेशों में भेजने के क्या कारण हैं,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे दो अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें 9805.00 रुपये की राशि वेतन तथा भत्तों के रूप में दी गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर कोई अन्य खर्च नहीं किया गया। "सामुदायिक जलपूर्ति एवं स्वच्छता" शिक्षण में विश्व स्वास्थ्य संगठन शिक्षावृत्ति 1979 के अन्तर्गत इन अधिकारियों में से एक अधिकारी अमेरिका और तुर्की गया था और दूसरा अधिकारी कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत "नगर विकास प्रशासन पाठक्रम" के लिए सिडनी गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके प्रशिक्षण से लाभ उठाया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि, बागवानी और भू-संरक्षण योजना

5612. **श्री चिंग वांग कोनयाक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कृषि, बागवानी और भू-सरक्षण संबन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किन उपायों का प्रस्ताव किया है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : सरकार ने कृषि उत्पादन, बागवानी और भू-संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यविधियां तैयार की हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गहराई से प्रबोधन किया जाता है। यह प्रबोधन राज्य सरकारों व क्रियान्वयन सम्बन्धी एजेंसियों की रिपोर्टों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के राज्यों के दौरों की रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इन दौरों के दौरान अधिकारी खेतों में चलने वाले कार्यक्रमों के वास्तविक प्रचालन को देखते हैं और कार्यक्रमो के मार्ग में आने वाली समस्याओं और

कठिनाइयों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मुख्यालयों में वापिसी पर अधिकारी अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत करते हैं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के बारे में उनके सुझावों पर उचित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त योजना बनाने तथा क्रियान्वयन के समय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने, कठिनाईयों का पता लगाने और उपचारात्मक उपयुक्त उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बैठकों की व्यवस्था की जाती है ताकि क्रियान्वयन की प्रगति में तेजी लाई जा सके।

इसके अलावा, चावल दलहन, कदन्न, तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन इत्यादि के विकास संबन्धी कार्यक्रमों के लिए देश के विभिन्न भागों में जिम निदेशालय हैं। इन जिम निदेशालयों का कार्य सम्बन्धित जिमों के विकास के लिए प्रभावशाली योजना बनाने में केन्द्र की सहायता करना व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पूर्ण रूप से प्रबोधन करना है ताकि उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हल ढूढने के लिए सबंधित क्षेत्र की समस्याओं की सूचना जिस निदेशालय द्वारा केन्द्र के कृषि और सहकारिता विभाग और अन्य सबन्धित एजेंसियों तथा संगठनों को भेजी जाती है। जहां तक बागबानी का संबन्ध है, देश में बागबानी के बिकास के कार्यक्रमों की ओर समुचित ध्यान देने, राज्य सरकारों के साथ आवश्यक समन्वय रखने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु उपाय करने के लिए सरकार ने हाल ही में कृषि और सहकारिता विभाग में एक नये बागबानी प्रभाग का सृजन किया है।

नागालैंड को हुडको की सहायता

5613. **चिंग वांग कोनयाक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा नागालैंड को सहायता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने विकास प्राधिकरण, नागालैंड, कोहिमा से कलकत्ता में नागालैंड हाउस के पुनर्निर्माणार्थ एक वाणिज्यिक परियोजना प्राप्त की थी। उसके विवरण निम्नलिखित हैं :—

अवस्थिति	कलकत्ता
परियोजना लागत	257.69 लाख रुपये
ऋण राशि	157.13 लाख रुपये
कुल कुर्सी क्षेत्र	12,230 वर्ग मी.
तलों की संख्या	10

हुडको ने परियोजना का मूल्यांकन कर लिया है तथा इसके द्वारा निर्दिष्ट जरूरतों को विकास प्राधिकरण, नागालैंड ने अभी पूरा करना है।

छात्रों में अनुशासनहीनता

5614. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

श्री चित्त बसु :

श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता तथा अराजकता फैल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) यद्यपि देश के विभिन्न भागों में समय समय पर छात्रों में असंतोष तथा आन्दोलन की इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं तथापि यह समझना सही नहीं है कि सभी छात्रों में अनुशासनहीनता तथा अराजकता बढ़ रही है।

(ख) और (ग) छात्रों में असंतोष के कारणों के बारे में सरकार ने ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि आन्दोलन के लिये तात्कालिक कारण प्रत्येक राज्य तथा संस्था में अलग-अलग हैं। कई मामलों में मुख्य कारण पूर्णतः स्थानीय घटनाएं हैं। यह संबन्धित प्राधिकारियों का काम है कि स्थिति से निपटने के लिये वे प्रत्येक मामले में उचित कदम उठाएं।

हरियाणा में पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्रों की कमी

5615. **श्री चिरंजी लाल शर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो माह से हरियाणा में पोस्टकार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों की भारी कमी है:

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) हरियाणा के कुछ डाक घरों में पोस्टकार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों की कुछ कमी रही है। डाक लेखन सामग्री के उत्पादन में बढ़ रही मांग के अनुरूप वृद्धि न होना इस कमी का मुख्य कारण है। इन मदों की सप्लाई में सुधार लाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डाक-टिकट एवं डाक लेखन सामग्री की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. डाक टिकट एव डाक सामग्री के उत्पादन का पर्यवेक्षण करने एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जाने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय तथा डाक-तार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अन्तर-मंत्रालय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

2. डाक टिकट एवं डाक लेखन सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक की मशीन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं।

3. डाक लेखन सामग्री की मदों की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु हैदराबाद में एक और प्रतिभूत्ति मुद्रणालय स्थापित किया जा रहा है।

4. डाक टिकटों के शीघ्र वितरण हेतु भारतीय प्रतिभूत मुद्रणालय, रेलवे तथा अन्य :

प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए नासिक में एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है

5. उपलब्ध भंडार के बेहतर वितरण हेतु विभाग भंडारण एवं वितरण कार्यों को राजकीय खजानों से उत्तरोत्तर अपने हाथ में ले रहा है।

6. उच्च मूल्यवर्ग के नियत डाक टिकटों की संख्या प्रति शीट 50 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है ताकि उतने ही प्रयासों से अधिक संख्या में डाक-टिकट छापे जा सकें।

7. फ्रेंकिंग मशीन के प्रयोगकर्ताओं द्वार फ्रेंकिंग मशीन के प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिये अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं जिनमें कुल फ्रेंक मूल्य 1.5 प्रतिशत की छूट भी शामिल है।

8. आवश्यकता पड़ने पर जनता की माँग को पूरा करने के लिए पोस्टमास्टर जनरल द्व रा खाली अंतर्देशीय पत्रों एवं लिफाफों का स्थानीय उत्पादन किया जा सकता है।

9. अनैतिक पेशे को रोकने के लिए दूरवर्ती, पहाड़ी एव पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर लाइसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से टिकटों की बिक्री अस्थाई तौर पर बन्द कर दी गई है।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में एन. सी. सी. और खेलों की व्यवस्था

5616. प्रो. नारायण चन्द पराशर :क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में 8वीं, नवीं, और 10वीं कक्षाओं में एन. सी, सी. और खेलों की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक स्कूलों में किन-किन खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) दिल्ली में प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में खेलों और एन. सी. सी. के लिए अलग-अलग कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस बी. चव्हाण) : (क) सभी तेरह केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) दिल्ली में स्थिति है जो 8वीं, 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के छात्रों को खेलों की सुविधाए उपलब्ध कराते हैं। सात केन्द्रीय विद्यालयों में एन. सी. सी. का भी प्रावधान है -

(ख) क्रम सं०	स्कूल का नाम	खेल जिनके लिए सुविधाएं उपलब्ध है।
1.	केन्द्रीय विद्यालय, ऐन्ड्रयूजगंज*	क्रिकेट, फुटबाल, हाकी,
2.	केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली छावनी*	बास्केटबाल, बैडमिंटन,
3.	केन्द्रीय विद्यालय, भा. प्रो. सं., दिल्ली*	टेबल-टैनिस तथा खो-खो
4.	केन्द्रीय विद्यालय, झड़ौदा कलाँ	
5.	केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी*	
6.	विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी*	
7.	केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर-दो रामाकृष्णपुरम*	

1	2	3
8.	केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर आठ रामाकृष्ण पुरम*	क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, बास्केटबाल बैडमिंटन
9.	केन्द्रीय विद्यालय, टैगोर गार्डन	टैबल-टैनिसतथा खो-खो
10.	केन्द्रीय विद्यालय आई. एन ए. कालोनी	बास्केट बाल, वालीबाल
11.	केन्द्रीय विद्यालय, मजिस्द मोठ	बैडमिंटन, तथा टैबल
12.	केन्द्रीय विद्यालय गोल मार्किट	टैनिस
13.	केन्द्रीय विद्यालय, लारेस रोड	बालीबाल तथा बैडमिंटन

*इन विद्यालयों में एन. सी. सी. के लिए भी प्रावधान है।

(ग)

क्रम सं०	स्कूल का नाम	1980-81 के खेलों के लिए निर्धारित राशि (आंकड़े रुपयों में)
1.	केन्द्रीय विद्यालय, ऐन्ड्रयूगंज	3500.00
2.	केन्द्रीय विद्यालय दिल्ली छावनी	5000.00
3.	केन्द्रीय विद्यालय, भा. प्रो. स. दिल्ली	6500.00
4.	केन्द्रीय विद्यालय, भड़ोदा कलां	2000.00
5	केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी	5000.00
6.	विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी	3000.00
7.	केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर दो रामाकृष्ण पुरम	5000.00
8.	केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर आठ राम'कृष्ण पुरम	6000.00
9.	केन्द्रीय विद्यालय, टैगोर गार्डन	6000.00
10.	केन्द्रीय विद्यालय आई एन. ए. कालोनी	3500.00
11.	केन्द्रीय विद्यालय, मस्जिद मोठ	3000.00
12.	केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्किट	4000.00
13.	केन्द्रीय विद्यालय, लारेंस रोड	2000.00
		कुल 54,500.00

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालय, छात्र निधि समिति का अनुमोदन लेने के उपरान्त, छात्र निधि में से खेलों पर भी राशि खर्च कर सकते हैं।

एन. सी. सी. खर्च का नियंत्रण एन. सी. सी महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन इसके लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं करता।

छठी योजना के दौरान बागवानी

5617. **प्रो. नारायण चन्द** पराशर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी की उन्नति के लिए कोई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : जी हाँ। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित होने वाली बागवानी सम्बन्धी विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :–

योजना का नाम	प्रोत्साहन
1. काजू सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम	(1) प्रत्येक उत्पादक को काजू के नये बाग लगाने के लिए 3 वर्ष तक 900 रुपये प्रति हैक्टार के हिसाब से राज्य सहायता दी जाती है। (2) सामूहिक क्षेत्र को काजू के नए बागानों के लिए 3 वर्ष तक 500 रुपये की राज सहायता दी जाती है। (3) ऊत्पादकों को पैकेज की उन्नत पद्धतियों को प्रदर्शनों के लिए 0.8 हैक्टर तक के प्रति भूखण्ड के लिए 500 रुपये की राज सहायता दी जाती है।
2. नारियल विकास योजना	(1) नारियल के उत्पादकों को संकर पौद रोपण सामग्री की लागत पर 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है। (2) सिंचाई प्रयोजनों हेतु प्रत्येक पम्प-सेट के लिए 500 रुपये की राज सहायता दी जाती है।
3. संघ राज्य क्षेत्रों में बागवानी का विकास	(1) केले के सम्बन्ध में प्रदर्शन प्लाँटों के लिए 100 प्रतिशत की राज सहायता दी जाती है। (2) अनन्नास के सम्बन्ध में प्रदर्शन प्लाँटों के लिए 50 प्रतिशत की सहायता।
4. संघ राज्य क्षेत्रों में मसालों के लिए केन्द्रीय पौद शालाए	किसानों के खेतों में काली मिर्च के लिए 150, लौंग के लिए 100 जायफल के लिए 100 प्रदर्शन प्लाँटों की व्यवस्था।

1	3
	(2) काली मिर्च, लौंग जायफल तथा दालचीनी की रोपण सामग्री को तैयार करके उसका रियायती दरों पर वितरण किया जायेगा।
5. इलाइट प्रोजनी फलीद्यानों की स्थापना	(1) उत्पादकों को रोगों तथा कृमियों से मुक्त उत्तम पौध सामग्री वितरित की जायेगी।
6. सब्जी उत्पादन को गतिमान करना।	(1) सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण तथा दौरो के माध्यम से उन्नत तकनालोजी सम्बन्धी जानकारी दी जायेगी।
	(2) सामुदायिक पौद शालों की स्थापना करके उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की सब्जी के उन्नत बीज व पौधे उपलब्ध किये जायेगे।

फलों का उत्पादन, परिरक्षण और विपणन

5618. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों के उत्पादन, परिरक्षण और विपणन के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाये गए हैं और इस कार्य के लिए 1980-81 और 9.81-82 तथा शेष योजना वर्षों के लिए कितनी धनराशि रखी गई है;

(ख) क्या बिचौलियों को समाप्त करने के लिए, जो इस लेन-देन में लाभ का अधिकांश हिस्सा ले जाते हैं, फल उत्पादकों को कोई सुविधा राज सहायता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी ककला कुमारी) : (क) जी हां, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) **उत्पादन** : पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकांश राज्यों में फलों के विकास के सम्बन्ध में अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चालू थी, जिन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों पर 1979-80 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

छठी योजना के दौरान उत्कृष्ट किस्म के फलोद्यान और पौधशालाओं की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का प्रस्ताव है, जिसे 1981-82 से क्रियान्वित किया जायेगा।

(2) **परिरक्षण** :

(क) फलों के जूस के उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली में फ्रूट जूस बाटलिंग

प्लांट की स्थापना की जा रही है। फलों के जूस का वितरण करने के लिए चार 'वैन्डिंग मशीनों की स्थापना की गई है।

(ख) उत्पादन का परिसंस्करण और विपनण के साथ तालमेल रखने के लिए कर्नाटक और बिहार में बलगेरिया की सहायता से कृषि औद्योगिक परिसर की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को मन्जूर कर लिया गया है। आशा है कि ये परियोजनायें राज्य निगमों द्वारा चलाई जायेंगी जिनमें केन्द्रीय सरकार की साझेदारी 49 प्रतिशत होगी।

(ग) खाद्य विभाग गृहणियों में फल परिरक्षण प्रचालित करने और इस सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए 33 सामुदायिक डिब्बावन्दी तथा फल परिरक्षण केन्द्र चला रहा है। 1981-82 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में चार और नये केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र में 10 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित तीन नये प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं :—

(1) एक फल तथा सब्जी उत्पाद विकास निगम की स्थासना करने का प्रस्ताव है, ताकि बागबानी उत्पादन को परिसंस्करण और विपरण से जोड़ करके फल और सब्जी परिसंस्करण का संवर्द्धन व विकास वैज्ञानिक आधार पर किया जा सके तथा देश में निर्यात के लिए फल और सब्जी उत्पादों का वितरण किया जा सके।

(2) सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फलों के उत्पादन, अधिप्राप्ति परिसंस्करण और वि॰णन के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से उत्तर-पूर्वी परिषद के तहत् एक केन्द्रीय शीर्ष संगठन की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसका मुख्यालय गोहाटी में होगा :

(3) मार्डन बेकरी, जो खाद्य विभाग के अन्तर्गत एव सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, एक फल परिसंकरण संयंत्र की स्थापना करने पर विचार क र रहा है, ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(3) विपणन :

फलों का विपणन करना राज्य का विषय है। फिर भी विपणन और निरीक्षण निदेशालय चुन्नीदा नियंत्रित मन्डियों के विकास में सहायता करने के लिए एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत फल तथा सब्जियों के लिए प्रति मंडी 15.00 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 1980-81 और 1981-82 में तथा योजना के शेष वर्षों में उपर्युक्त योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा बिचौलियों को समाप्त करने के लिए फल उत्पादकों को कोई सीधी राज सहायता/सुविधा नहीं दी जाती है। तथापि, राज्य सरकार की मन्डियों के नियंत्रण के मामलों में तकनीकी सलाह दी जा रही है, ताकि फल उत्पादकों को बिचौलिगों के शोषण से बचाया जा सके।

विवरण

लाख रुपये

योजना का नाम	1980-81 के लिए परिव्यय	1981-82 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	योजना की शेष अवधि के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4
I. उत्पादन :			
उत्कृष्ट किस्म के फलोद्यान और पौधशालाओं की स्थापना		83,997	116.15

1	2	3	4
II. परिरक्षण :			
1. फल और सब्जी उत्पाद विकास निगम	10 0	20.0	200.0
फ्रूट जूस सैटलिंग प्लांट	40.0	40 0	250.0
3. कृषि औद्योगिक परिसर	25.0	76.0	200.0
4. सामुदायिक डिब्बा बंदी और फल परिरक्षण केन्द्र	39.0	14.0	100.0
5. जूस कंसंट्रेशन प्लांट	—	—	100.0
6. भारतीय मार्डन बेकरी के जरिए फल परिसस्करण एकक	—	100.0	200.0
विपणन :			
नियन्त्रित मण्डियों का विकास	30.0	30.0	90.0

ओ. डी. सी. और छाऊ नृत्यों को प्रोत्साहन

5619. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका, सोवियत संघ तथा अन्य देशों में ओ. डी. सी है तथा छाऊ नृत्यों की मांग तथा उनके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार उड़ीसा, बिहार तथा अन्य राज्यों के ओ. डी. सी. तथा छाऊ नर्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार करेगी;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए केन्द्र द्वारा उन राज्यों की वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) देश में संगीत नाटक अकादमी के जरिए प्रदर्शन कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। एकादमी ओ. डी. सी. और छाऊ सहित विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रोत्साहन देती है। वित्तीय सहायता को अपनी योजना के अन्तर्गत, समारोहों प्रलेखन तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है।

1980-81 के दौरान, ओ. डी. सी. और छाऊ नृत्यों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न वैच्छिक सांस्कृति संगठनों को कुल 43,500 रुपये का अनुदान दिया गया।

देश से बाहर प्रदर्शन कलाओं के विकास से सम्बन्धित कार्य, भारतीय संस्कृतिक सम्पर्क परिषद द्वारा किया जाता है। परिषद ने 1980-81 में उड़ीसा का 21 सदस्यीय ओ. डी. सी और

मयूर भज छाऊ नृत्य दल पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैन्ड और इटली भेजा था। जापान प्रतिष्ठान के निमंत्रण पर परिषद ने सरायकेला (बिहार) और पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) के छाऊ नृत्य दलों को एशियाई परम्परागत प्रदर्शन कला समारोह में भेजने का निर्णय किया है।

केवल ओ. डी. सी. और छाऊ नृत्यों के विकास के लिए ही वित्तीय सहायता की योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1981-82 के दौरान नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5620 : **श्री रामचन्द्र रथ : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के दौरान देश में कुछ सार्वजनिक टेलफोन केन्द्रों को खोलने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा के गंजम जिले में ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है और तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सर्किलवार एव जिलावार लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

उड़ीसा में चिल्का झील की मत्स्य क्षमता के लिए विश्व बैंक सहायता

5621. **श्री रामचन्द्र रथ : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में चिल्का झील की मत्स्य क्षमता के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई योजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक छटी योजना अवधि में उक्त योजना के लिये कुल कितनी धनराशि देने को सहमत हुआ है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

लोक सभा आम चुनावों में तैनात किए गए अध्यापकों को पारिश्रमिक

5622. **श्री संतोष मोहन देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1980 में लोक सभा आम चुनावों में तैनात किए गए दिल्ली के अध्यापकों को अभी तक कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस संबध में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है :

दिल्ली प्रशासन

दिल्ली के कुछ सरकारी अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किए गए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिलों की जांच की जा रही है और उनका निपटान शीघ्र कर दिया जायेगा।

नई दिल्ली नगर पालिका

पारिश्रमिक का पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

दिल्ली नगर निगम

चुनाव कार्य के एवज में प्रतिपूर्ति छुट्टी की अनुमति दे दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा दिल्ली छावनी बोर्ड

जनवरी, 1980 में लोक सभा के आम चुनाव में किसी भी अध्यापक को चुनाव कार्य में तैनात नहीं किया गया था।

अध्यापकों को सामान्य भविष्य निधि लेखों की विवरणियां

5623. श्रीमती सयोगिता राणे :

श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के बहुत से अध्यापकों को 10 वर्षों से अधिक समय से उनके सामान्य भविष्य निधि लेखों की वार्षिक विवरणियां नहीं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सामान्य भविष्य निधि लेख समय पर जारी कराने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि अध्यापकों को अग्रिम राशि आदि लेने के मामले में कठिनाई न उठानी पड़े; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 1976-77 तक के वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरण जारी किए जा चुके हैं।

तीन वर्षों अर्थात 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लेखा विवरण शिक्षकों सहित दिल्ली प्रशासन के सभी कर्मचारियों को अभी जारी किए जाने हैं। वर्ष 1977-78 के वार्षिक सामान्य भविष्य निधि लेखों का संकलन संगणक पर किया जा रहा है। आरम्भ में इस काम को केवल एक केन्द्र अर्थात् ई. आई. एल. में शुरू किया गया था। परन्तु बाद में इसे शीघ्र करने के लिए अक्टूबर से मार्च, 1978 तक के आधे वर्ष के लिखे दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थित दूसरे संगणक केन्द्र को सौंपे गये थे। दिल्ली प्रशासन को वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे अप्रैल, 1981 की समाप्ति से पूर्व जारी करने की आशा है। तत्पश्चात वर्ष 1977-78 के अन्तशेष वर्ष 1978-79 के लिए आदिशेष के रूप में समझा जायेगा और उस वर्ष के अंशदानों का समावेश करके जिन्हें अंशदाताओं के लैजर खातों में पहले ही दर्ज किया जा चुका है, वार्षिक विवरण तैयार किए जाएंगे। वर्ष 1979-80 के लेखों को दर्ज करने का काम आरम्भ कर दिया गया है और दिल्ली प्रशासन द्वारा इस वर्ष के भी वार्षिक विवरण तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

जनगणना कार्य के लिए शिक्षकों को भुगतान

5624. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जनगणना कार्य के लिये नियुक्त किये गये शिक्षकों को इस कार्य के लिये, जो उन्होंने अपने सामान्य नियत कार्य के अतिरिक्त किया था, पारिश्रमिक नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सितम्बर, 1980 के दौरान गृह सूचीकरण के कार्य पर लगाए गए शिक्षकों सहित क्षेत्र स्टाफ को 35/-रुपये प्रति व्यक्ति की दर से मान देय का भुगतान किया गया है तथा 9-2-198. से 5-3-1981 तक वास्तविक गणना पर लगाए गये क्षेत्र स्टाफ को मानदेय का भुगतान करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वास्तविक गणना के बाद जनगणना का रिकार्ड केवल मार्च, 1981 के मध्य में ही प्राप्त हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि विभिन्न जनगणना/प्रभार अधिकारियों को दोनों चरणों के मानदेय का इक्कठा भुगतान किया जायेगा ;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आल इंडिया हाउसिंग बोर्ड का त्रिवेन्द्रम में सम्मेलन

5625. **श्री के. ए. राजन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया हाउसिंग बोडो का 1979 में त्रिवेन्द्रम में कोई सम्मेलन हुआ था जिसमें केन्द्रीय सरकार से कुछ सिफारिशें की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन ने आवास, आवास समिति, आवास बोर्ड, आवास तथा नगर विकास निगम आदि से संबंधित मामलों पर काफी अधिक सिफारिशें की, जो संख्या में 39 हैं। कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों/आवास बोर्डो से सम्बन्धित हैं, कुछ आवास तथा नगर विकास निगम से और कुछ सीधे भारत सरकार से। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था

5626. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु पूर्ण व्यय की अदायगी करने को केन्द्र सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर यह कार्य किया जाना है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तम नगर कालोनी दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

5627. **श्री डी. पी. जडेजा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के बारे में 2 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तम नगर कालोनी 1960-62 में नियमित की गई थी;

(ख) इसके प्लान को अब तक पुनरीक्षित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अब ऐसा करने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो इस कालोनी में पीने के पानी की लाइन कब डाली जायेगी, तथा मल निकासी लाइन कब डाली जाएगी; और

(ङ) दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित विकास शुल्क का ब्यौरा क्या है,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसकी स्थायी समिति ने 30 8-81 के एक संकल्प द्वारा उत्तम नगर कालोनी के एक भाग को नियमित किया था।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि उत्तम नगर कालोनी समूह की एक एक मिश्रित योजना उत्तम नगर कालोनी के पहले ही से नियमित भाग को शामिल करके बना ली गई है तथा दिल्ली उप राज्यपाल द्वारा गठित तकनीकी समिति को भेजी गई है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने 5.85 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कालोनी के नियमित भाग के लिए विकास प्रभार नियत किये हैं। इसमें दिल्ली जल पूर्ति तथा मल निर्यास संस्थान तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लगाए गए प्रभार शामिल नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश के लिए नया टेलीफोन एक्सचेंज

5628. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कहां-कहां पर स्थापित किये जाने हैं, और

(ग) इन एक्सचेंजों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं कम से कम 10 भावी उपभोक्ता निर्धारित अग्रिम जमा सहित अपनी मांगे दर्ज करते हैं 25 लाइनों के नए एक्सचेंज चालू करने की योजना बनाई गई है, बशर्ते कि प्रत्याशित राजस्व प्राक्कलित वार्षिक आवर्ती व्यय के कम से कम 40 प्रतिशत के बराबर हो।

एक्सचेंज प्राय: योजना को स्वीकृति के लगभग 18 से 24 महीनों तक चालू हो सकते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय खोला जाना

5629. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्यय निगम के कर्मचारियों (असम क्षेत्र) ने अक्तूबर, 1977 में जोरहाट में हुए अपने सम्मेलन में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए अन्य जोनल कार्यालय स्थापित करने की मांग की थी। बाद में जुलाई, 1979 में असम सरकार से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम का जोनल कार्यालय खोलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि उनके अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र को बच्चों के कल्याणार्थ केन्द्रीय अनुदान

5630. **श्री बापूसाहिब पुरुलेकर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे बच्चों की कल्याण संबंधी योजना के अधीन जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, राज्य की संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं भेजा है। फिर भी भारत सरकार ने महाराष्ट्र की संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार मंजूर किए हैं जैसा कि विवरण में दिया गया है जो संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र में सुरक्षा और देखरेख आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान जिन संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान दिए गए उनका विवरण।

क्रम संख्या	संस्थानों के नाम	मंजूर की गई राशि	उनमोचित अनुदान-भारत सरकार का 50% हिस्सा
1.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, महाराष्ट्र, शाखा समवाड़ पुरघर पुणे	17.481	8.740
2.	रयात शिक्षण संस्था, सतारा	34.965	17.482

1	2	3	4
3.	एक्जिक्यूटीव, सोसियों एकोनामिक डेपलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गगाखेड़, जिला परभणी	36.045	18.022
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, चंद्रपुर	31 725	15.862
5.	गुरुदेव गोरोबा स्मारक समिति, उमरखेंड, जिला यवतमाल	36.045	18.023
6.	मानव समाज उन्नत्ति मंडल धुले	36 045	18 023
7.	विदर्भ महारोगी सेवा मंडल, तपोवन, जिला-अमरावती	31.725	15.863
8.	श्री गाडगे महराज मिशन, बम्बई	15.321	7.691
9	संत प्रसाद शिक्षण संस्था, पंढरपुर, जिला शोलापुर	36 045	18.023
10.	दि वेस्ट खान्देश भगिनी सेवा मंडल, धुले	50,563	25.482
11.	आनद आश्रम ट्रस्ट, वार्ली, बम्बई	19 237	9.619
12.	कमाल एजूकेशन सोसायटी, कमल	33.030	16.515

राज्यों में ग्रामीण आवास कक्ष

5631. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में ग्रामीण आवास कक्षों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य ने केन्द्र सरकार से उस राज्य में उक्त कक्ष की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि नागपुर में विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग में उक्त कक्ष की स्थापना हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) सरकार का उस पर क्या कार्यवाई करने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) क्षेत्रीय आधार पर नौ ग्रामीण आवास स्कन्धों की स्थापना की गई है जो दिल्ली, चण्डीगढ़, बंगलौर, हावड़ा, वल्लभ विद्यानगर, त्रिवेन्द्रम, श्रीनगर, जोधपुर और वाराणसी में स्थित हैं।

(ख) तथा (ग) जी हां।

(घ) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई तथा रत्नगिरि (महाराष्ट्र) के बीच टेलीफोन संचार में विलंब

5632. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई तथा महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के विभिन्न भागों के मध्य टेलीफोन संचार में बाधाओं तथा विलंब की बार बार शिकायतें मिल रही हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो रत्नगिरि जिले में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) रत्नागिरि जिले में दूरसंचार सेवाओं में और अधिक सुधार हेतु निम्नलिखित कैरियर तथा सूक्ष्मतरंग प्रणालियों की मंजूरी दी जा चुकी है :—

(1) चिपलुन-रत्नागिरि-8 चैनल कैरियर प्रणाली

(2) रत्नागिरि-बम्बई-बंबई पणली के बीच 49 चैनल की सूक्ष्मतरंग प्रणाली

(3) रत्नगिरि-पुणे-सूक्ष्मतरंग प्रणाली

(4) कुदाल-सावंथावाडि-8 चैनल कैरियर प्रणाली

(5) रत्नगिरि तथा कोल्हापुर के बीच 8 चैनल कैरियर प्रणाली के स्थान पर 12 चैनल प्रणाली की पुनः स्थापना करना।

(6) चिपलुन-करद-8 चैनल कैरियर प्रणाली

उपरोक्त से बबई से रत्नागिरि के बीच तथा जिले के अन्य स्थानों पर और अधिक टेलीफोन सर्किट दिए जा सकेंगे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्तियां

5633. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या शिक्षा और समाज कल्या मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सभी नियुक्तियाँ समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रचलित चयन की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करके की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) अध्यापकों के कितने पदो को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियम 28 के अधीन विज्ञापन दिये बिना भरा गया तथा उन व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं तथा उनके प्रकाशनों की संख्या तथा स्तर क्या हैं;

(घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्यापकों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को अब तक नियुक्त किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को इन कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों का चयन न किये जाने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 28 के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों जिसमें यह प्रावधान

है कि "कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, अथवा रीडर अथवा वरिष्ठ फैलो का पद स्वीकार करने के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त शर्तों पर आमंत्रित कर सकती है और उस व्यक्ति द्वारा इसके लिए सहमत होने पर उसे पद पर नियुक्त कर सकती है" को छोड़ कर विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों पर अन्य सभी नियुक्तियाँ खुले विज्ञापनों के माध्यम से और विश्वविद्यालय की संविधियों के अन्तर्गत निर्धारित-प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना से विश्वविद्यालय की संविधि 2 के अन्तर्गत 38 शिक्षक नियुक्त किए हैं जिनमें से 9 शिक्षकों ने अब विश्वविद्यालय छोड़ दिया है। इन शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताएं आदि दर्शाने वाला विवरण अभी प्रतीक्षित है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के तीन शिक्षक हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को चीनी की आयुक्ति संगत ढँग से सप्लाई

5634. **श्री चिन्तामणि जेना:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सरकार को लेवी चीनी का कितना मासिक कोटा दिया जाता है,

(ख) क्या राज्य सरकार से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि राज्य को सप्लाई की गई लेवी की चीनी राज्य में समय पर नहीं पहुँचती और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र ने चीनी का मासिक कोटा नियमित रूप से भेजने के लिये क्या कार्यवाई की है,

(ग) क्या यह सच है कि राज्य ने भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि राज्य को चीनी के सारे मासिक कोटे की मात्रा माल डिब्बों में एक ही बार भेजी जाये, और अलग-अलग समय पर न भेजी जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) 10 723 मी. टन

(ख) उड़ीसा को आवंटित की गई लेवी चीनी फैक्ट्रीयों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठायी जाती हैं और राज्य सरकार को सप्लाई की जाती है। क्योंकि उड़ीसा चीनी के मामले में कमी वाला राज्य है, इसके कोटे के अधिकांश माग को महाराष्ट्र के अधिशेष राज्य की फैक्ट्रियों से सप्लाई करना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार से चीनी तुरन्त सप्लाई करने के बारे में कभी-कबार अनुरोध प्राप्त हुए हैं और भारतीय खाद्य निगम को सप्लाई दी गई है कि वे राज्य को लेवी चीनी तुरन्त भेजे।

(ग) जी हाँ।

(घ) परिचालन सम्बन्धी बाधाएं होने के कारण उड़ीसा को रैकों द्वारा सभी आवंटित चीनी भेजना सम्भव नहीं है। तथापि, राज्य भर में संचलन करने और गन्तव्य स्थानों को

वितरित करने वाली मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ईंधन-दूबके वैगनों द्वारा प्रेषण करने के अलावा यथा-सम्भव रैकों द्वारा संचलन की व्यवस्था की जाती है।

जालिसवार, खड़गपुर में रेलवे डाक सेवा कार्यालय खोलना

5635. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में जालिसवार रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे डाक सेवा कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त कार्यालय खोलने के लिए फरवरी में कोई तारीख निश्चित की गई थी पर उसे अभी तक नहीं खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्धारित तारीख पर उक्त कार्यालय, न खोले जाने के कारण जनता में भारी रोष तथा असन्तोष व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो जालिसवार में उक्त रेलवे डाक सेवा कार्यालय किस तारीख तक खोल दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोको के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

5636. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोको के विकास के लिए 1981-82 में कुल कितनी धनराशि नियत की गई है,

(ख) इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है,

(ग) क्या सरकार कर्नाटक के कोको उत्पादकों को कोई राज सहायता देने के लिए विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) :(क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत कोको के विकास के लिए 1981-82 के बजट में 1.36 लाख रुपए की रकम निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत कर्नाटक राज्य को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

एस. टी. डी. पद्धति के जरिए जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ना

5637. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री के. पी. सिंह देव : क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एस. टी. डी. पद्धति द्वारा सभी जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान अब तक कितने जिलों को इस प्रकार से जोड़ा गया ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ ।

(ख) 103 जिला मुख्यालयों को अपने-अपने राज्य की राजधानियों के साथ एस. टी. डी. द्वारा जोड़ा जा चुका है । शेष जिला मुख्यालों का इसी प्रकार वर्तमान तथा आगामी योजना के दौरान उत्तरोत्तर एस. टी. डी. द्वारा जोड़े जाने की योजना है ।

(ग) 1981-82 के दौरान पांच जिला मुख्यालयों को अपने-अपने राज्य की राजधानियों के साथ जोड़े जाने की योजना है ।

दिल्ली नगर-निगम के स्कूलों के अध्यापकों को चयन वेतनमान

5638. **श्रीमती चेन्नुपत्ति विद्या** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर-निगम द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में मुख्याध्यापिकाओं और सहायक अध्यापिकाओं की वरिष्ठता-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) चयन वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता के लिए मुख्याध्यापिका/सहायक अध्यापिका को कितनी-कितनी सेवा करनी अपेक्षित होती है; और

(ग) कितनी मुख्याध्यापिकाओं/सहायक अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान मिल रहा है और किस नियुक्ति वर्ष तक की अध्यापिकाओं को यह वेतनमान प्राप्त हो चुका है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है :

मुख्याध्यापिकाओं की संख्या	सहायक अध्यापिकाओं की संख्या
151	6,426

(ख) प्रवरण ग्रेड पूर्णत. वरिष्ठता एवं-योग्यता के आधार पर दिया जाता है, की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर नहीं ।

(ग) प्रवरण ग्रेड मुख्याध्यापिकाओं की संख्या	प्रवरण ग्रेड महिला सहायक अध्यापिकाओं की संख्या
94 (11-9-59 तक वरिष्ठता पूरी कर ली गई है)	640 (11-9-59 तक वरिष्ठता पूरी कर ली गई है)

कंट्रोल दर की कापियों की किस्म

563. **श्री के. मालन्ना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 24 जनवरी, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केवल पाठ्य पुस्तक ब्यूरो द्वारा संचालित, दिल्ली प्रशासन द्वारा सप्लाई की गई कट्रोल दर की कापियां दिवाली के बाद बाजार में पहुँचती हैं और कागज तथा जिल्द दोनों की दृष्टि से इसकी किस्म इतनी घटिया होती है कि बच्चे निजी तौर पर निर्मित की गई कापियों के लिए दुगुनी राशि खर्च करना पसन्द करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी विद्यालयों के स्कूली बच्चों के लिए, जहां मूल्य घटक महत्वपूर्ण है, कन्ट्रोल की कापियों में विभिन्नता नहीं होती है और वे सभी एकहरी लाइन की होती हैं जबकि बच्चों को चार लाइनों की कापियाँ तथा गणित के लिए खानों वाली और एक तरफ से खाली कापियों की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का विचार बच्चों को क्या सुविधायें देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान प्रसंगाधीन समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि संदर्भाधीन कापियाँ मार्किट में केवल दिवाली के बाद ही पहुँची। जब कभी दिल्ली प्रशासन को किसी खराब कापी के बारे में पता लगा तो इसके लिए निर्माताओं को दण्डित किया गया और खराब कापियां मार्किट से वापस ले ली गई इन कापियों की बिक्री के रिकार्ड से यह पता लगा है कि ये काफी लोकप्रिय रही हैं और इनकी मांग है। छात्रों को चारों प्रकार की कापियां, उनके स्कूलों तथा मार्किट के फुटकर विक्रताओं के माध्यम से मुहैया की गई । अतः यह सही नहीं है कि नियन्त्रित दरों पर बिक्री के लिए केवल इकहरी लाइन की कापियां ही उपलब्ध थी।

दक्षिण दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के निर्माण के लिए भू-खंड

5640. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के निर्माण के लिए 10 एकड़ का एक भूखण्ड दक्षिण दिल्ली में आरक्षित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच कि इसका कब्जा लेने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिल्ली प्रशासन के पास धनराशि भी जमा करवा दी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि मोदी उद्योग समूह को अत्याधुनिक अस्पताल के लिए यह भूखंड तथा 5 एकड़ और जमीन केवल 67 लाख रुपये में आवंटित कर दी गई है;

(घ) क्या इस अचानक परिवर्तन के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई आपति की थी; और

(ङ) यदि हां, तो नियत किए गए इस भूखण्ड से कर्मचारी राज्य बीमा निमग को बंचित करने के और इसे एक उद्योगपति को देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दक्षिण दिल्ली में एक अस्पताल और रिहायशी घटक बनाने के लिए आठ एकड़ का एक भू-खण्ड आवंटित किया गया था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास राशि जमा करा दी गई थी ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि गूजरमल मोदी अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र को 15 एकड़ भूमि के आवंटन में वास्तविक रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को आवंटित भूमि का कोई भाग शामिल नहीं है । उनसे भूमि के लिए प्रीमियम के रूप में 6.37 लाख रुपये की राशि प्राप्त करली गई है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन कर दिया गया है ।

(ङ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक में भूमि सुधारों के लिए केन्द्रीय सहायता

4641. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान कर्नाटक राज्य को राज्य में भूमि सुधार योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अब तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनिर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : कर्नाटक सरकार ने 1980-81 के दौरान भूमि सुधार कार्यक्रमों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं माँगी है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है तथापि, वित्तीय वर्ष 1979-80 के अन्त तक राज्य सरकार को भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 19.2 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी ।

भूतपूर्व महानगर परिषद् की अर्जुनदास के परिवार के सदस्यों को डी. डी. ए. फ्लैटों का आवंटन

5642, **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या निर्माण और आवास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली महानगर परिषद् के भूतपूर्व सदस्य श्री अर्जुनदास के परिवार के सदस्यों को पाँच फ्लैट आवंटित किये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त फ्लैट रद्द कर दिए गए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त फ्लैटों को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उन्हें कब तक खाली करा लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अर्जुन नगर से बेदखल किये गये लोगों को 1976 में फ्लैट आवंटित किए गए थे । श्री अर्जुनदास उन अलाटियों में से एक थे । दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह मालूम नहीं कि आवंटियों में से कितने श्री अर्जुनदास से सम्बन्धित थे ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

मथुरा तेल-शोधक कारखाने और मूल घाटी जल विद्युत परियोजना से प्रदूषण

5643. **डा० बनसत कुमार पंडित :** क्या निर्माण और आसास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने (एक) मथुरा तेल शोधक कारखाने (दो) मूल घाटी जल विद्युत परियोजना से फैलाने वाले प्रदूषण की रोक-थाम करने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रदूषण-विरोधी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए किस तन्त्र का गठन किया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जहां तक मथुरा तेल शोधक कारखाने से फैलने वाले प्रदूषण का संबंध है, यह बताया जाता है कि भारत सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है। समिति को आगरा-मथुरा क्षेत्र में प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना है। समिति का कार्य प्रगति पर है।

मूक घाटी जल विद्युत जल परियोजना से होने वाले प्रदूषण के बारे में, यह बताया जाता है कि मूक घाटी की परिस्थितिकी से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो० एम० जी० के० मैनन की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। समिति के विशेष विचारार्थ विषयों में यह जांच करना है कि क्या मूक घाटी जल विद्युत परियोजना को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति के बिना जारी रखा जा सकता है। इस समिति का कार्य भी प्रगति पर है।

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1981 जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए निलम्बित पड़ा हुआ है, के अन्तर्गत भी, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के वर्तमान केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों को वायु प्रदूषण नियत्रण का कार्य सौंप दिया जाएगा। किन्तु जहां केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का कोई राज्य बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है वहाँ वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का पृथक राज्य बोर्ड स्थापित किया जाएगा। जल प्रदूषण निवारण का केन्द्रीय बोर्ड राज्य बोर्डों की गतिविधियों को समन्वित करेगा।

भारतीय खाद्य निगम दक्षिण जोन का कार्यकरण

5644. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने दक्षिण जोन में काम करने वाले लगभग 20 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के अनिश्चित भविष्य के सम्बन्ध में असंतुष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की प्रतिकूल खाद्य नीति के कारण उन्होंने निगम के कार्यकलापों में कमी आने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने नीति पर पुनर्विचार करने की माँग की है ?

(घ) यदि हाँ, तो वे मुख्य कारण क्या हैं जिनसे दक्षिण राज्य के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को इन बातों पर विचार करना पड़ा है;

(ङ) संदेहों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं;

(च) दक्षिणी जोने में भारतीय खाद्य निगम की सही स्थिति क्या है;

(छ) क्या इस कारण दक्षिणी राज्य में भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण भी बिगड़ गया है; और

(ज) दक्षिण में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री राव विरेन्द्र सिंह : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि दक्षिण जोन, विशेषकर तमिलनाडु, में उनके कर्मचारियों के एक वर्ग ने अपनी ऐसी आशंकाओं के कारण चिंता व्यक्त की है कि निगम के कार्यों में कमी की जाएगी। वास्तव में दक्षिण जोन में निगम के कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है। निगम राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका वर्तमान कार्य अप्रभावित बना रहे। इसके अलावा पोर्ट-हैंडलिंग के कार्यों में बृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग और मद्रास पत्तनों पर उर्वरक के अतिरिक्त जहाजों को भी हैंडल किया जाता है और मद्रास और विभाग दोनों पत्तनों पर खाद्यान्नों के निर्यात को भी हैंडल करने का प्रस्ताव है। कर्मचारियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए कर्मचारी-निकायों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(च) भारतीय खाद्य निगम दक्षिण जोन में सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

(छ) और (ज) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि-अदान, कृषि उत्पाद और निर्मित उत्पाद के थोक मूल्य

5645. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 67 से 1980-81 तक वर्ष-वार (एक) प्रत्येक कृषि अदान (दो) प्रत्येक कृषि उत्पाद और (तीन) प्रत्येक निर्मित उत्पाद के थोक मूल्यों में कितने कितने प्रतिशत वृद्धि हुई अथवा गिरावट आई ?

(ख) वर्ष 1966-67 और 1980-81 के बीच (एक) कृषि अदान, (दो) कृषि उत्पाद, और (तीन) निर्मित उत्पाद मूल्यों में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई अथवा गिरावट आई ; और

(ग) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु यदि कोई उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) और (ख) : महत्वपूर्ण कृषि अदानों, कृषि उत्पादों तथा 1960 से 1981 तक वर्षवार विनिर्मित उत्पादों के थोक मूल्यों के वार्षिक औसत सूचकांकों में प्रतिशत बृद्धि/गिरावट तथा वर्ष 1966 और 1980 के बीच इन जिन्सों के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि/गिरावट को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया गया देखिए संख्या एल टी-2253/81]

(ग) किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की मान्य नीति है - इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मुख्य खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जा रही है। कृषि मूल्य आयोग महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति के सम्बन्ध में सिफारिश करता है, जो उत्पादन की लागत के उपलब्ध

आंकड़ों, आदानों के मूल्यों में हुए परिवर्तन, अन्तः फसल मूल्य परिवर्तन, बाजार मूल्यों तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के रूप में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखता है। खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करते समय, सरकार कृषक संगठनों, राज्य सरकारों, योजना आयोग तथा विभिन्न सम्बंधित मन्त्रालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी उचित ध्यान देती है। विभिन्न एजेन्सियों, जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी सघों या राज्य सरकारों की अन्य एजेन्सियों, भारतीय कपास निगम, पटसन निगम तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई अन्य एजेन्सियों के माध्यम से सरकार द्वारा घोषित मूल्यों के सम्बन्ध में विपणन समर्थन प्रदान किया जाता है। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए संचलन पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाना, निर्यात नीति में संशोधन करना, आदि अन्य उचित उपाय भी किये जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायकों की वरीयता

5646. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री एम रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 33 सहायकों की वरीयता से सम्बन्धित फाइल पिछले सात वर्षों से कृषि भवन (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय से शास्त्री भवन (विधि मंत्रालय) और नार्थ ब्लाक (गृहमंत्रालय) के बीच भटक रही है ? और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) पदोन्नति और सीधे भर्ती से आये सहायकों की वरिष्ठता को 1:1 के अनुपात में निर्धारित करने के लिए एक निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा इस निर्णय को कार्यन्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों की स्थापना

5647. **श्री बो० वी देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सामुदायिक गोबर गैस संयत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र को कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या छठी योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने-गोबर गैस संयंत्रो की स्थापना की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) और (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रायोगिक आधार पर 21 सामुदायिक जैव गैस

(सोवर गैस) संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है ताकि ऐसे सामुदायिक संयंत्रों से संबंधित विभिन्न सामाजिक आर्थिक, संचालनात्मक तथा प्रबन्धकीय समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान किया जा सके। ये संयंत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बिहार, तामिल नाडु, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पश्चिम बंगाल और केरल में स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता विभाग में भी समुदायिक जैव गैस संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये गुजरात व तामिलनाडु सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) : विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा किये गये अध्ययनों तथा राज्य सरकारों के अनुभवों के आधार पर साम्प्रदायिक जैव गैस कार्यक्रम के और विस्तार पर विचार किया जायेगा।

असम की राजधानी के लिए स्थल का चयन करने सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

5648. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने असम सरकार की राजधानी बनाने के लिए एक स्थायी स्थल का चयन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

(ख) क्या उक्त समिति ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति कब तक काम पूरा कर दिये जाने और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा रखते हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) : जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे द्वारा चीनी की उठान न करना

5649. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा चीनी की लदान पूरी गाड़ी में करने का आग्रह उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों, दोनों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को इस कारण से दिक्कत होती है कि सप्लाई कम हो जाती है और चीनी मिल मालकों की दिक्कत यह है कि चीनी के कम मात्रा में परिवहन न हो पाने के कारण उनकी कार्य पूंजी अवरूद्ध हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे से कहा है कि अपनी वर्तमान नीति पर शीघ्रता से पुनः विचार करें;

(घ) यदि हाँ, तो वे किस सीमा तक सहमत हो गये हैं;

(ङ) क्या उचित दर दुकानों को चीनी की कमी की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो कितना ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) और (ख) केवल रैंकों द्वारा चीनी का संचलन करने की इजाजत देने के फलस्वरूप पैदा हुई कठिनाइयों के बारे में चीनी के मामले में कमी वाले उन कुछेक सीधे अलाटी राज्यों, जिन्हें दूर दराज स्थानों को चीनी भेजनी होती है और उन चीनी फैक्ट्रियों, जिन्हें दूरवर्ती उपभोक्ता गन्तव्य स्थानों को मुक्त बिक्री की चीनी भेजनी होती है और ऐसे स्थानों को जहां प्रत्येक मास निर्मुक्त की गई मामूली मात्रा को रैंकों द्वारा भेजना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता है, से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ) ये अभ्यावेदन विचाराधीन हैं ।

(ङ) और (च) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस समय आवंटित किए जा रहे लेवी चीनी मासिक कोटों को 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर अतीत में निर्धारित किया गया था । गत तीन वर्षों के दौरान जन संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में तदनुरूपी कमी हुई है लेकिन लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण राज्यों के कोटों में जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है । इससे 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की मात्रा के अनुसार चीनी का वितरण करने में बाधाएं पैदा हुई हैं । तथापि, अधिकांश राज्य सरकारों ने पहले ही उपयुक्त समायोजन कर लिए हैं ताकि वर्तमान कोटों के अन्दर-अन्दर ही प्रबन्ध किए जा सकें ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा चीनी के कोटे में कटौती

5650. श्री बी. वी. देसाई :

श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चीनी के आवंटन को न बढ़ाने का निर्णय लिये जाने के परिणाम स्वरूप दिल्ली प्रशासन ने राशन कार्डधारियों को लेवी चीनी के कोटे में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य और पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्डधारियों को दी जा रही चीनी की मात्रा को घटाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली प्रशासन के पास लेवी चीनी की कमी के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मासिक कोटे को 900 ग्राम प्रति एकक से घटाकर 700 ग्राम करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने राशन कर्डों पर प्रति यूनिट 900 ग्राम चीनी की मौजूदा मासिक लेवी कोटे में अभी तक कोई कटौती नहीं की है ।

(ग) और (घ) 17 दिसम्बर, 1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण फिर लागू करने से लेवी चीनी के वही राज्यवार मासिक कोटों को बहाल किया गया है जोकि 16 अगस्त, 1978 को चीनी से नियंत्रण उठाने के तुरन्त पहले की आंशिक नियन्त्रण की अवधि के दौरान चल रहे

थे। ये कोटे तब 1-4-1978 को प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता के आधार पर दिसम्बर, 1977 में निर्धारित किए गए थे। दिल्ली सहित कुछेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मामले में जहाँ उनके पहले के कोटों में से उक्त जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम से अधिक होना पाई गई थी (दिल्ली के मामले में यह 475 ग्राम थी) वहाँ उनके कोटों में कटौती करने के बजाय पूर्व के स्तर पर रखे गये थे। दिल्ली प्रशासन को तदानुसार उचित मूल्य की दुकानों से वितरण करने के लिए 5304 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा मिलता रहा है।

दिल्ली प्रशासन के अनुसार, 1980 के दौरान 189,872 नये खाद्य कार्डजारी किए गए हैं चीनी की कठिन स्थिति होने के कारण दिल्ली तथा अन्य राज्यों के लिए चीनी कोटे में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। उपलब्धता में इन बाधाओं के कारण कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई है। सरकार द्वारा बराबर स्थिति की समीक्षा की गयी है और सप्लाई स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय किये गये हैं ताकि राशन कार्डधारियों को मौजूदा स्तर पर चालू मास के दौरान लेवी चीनी का कोटा मिल सके।

किसी भी राज्य के लेवी चीनी के मौजूदा मासिक कोटे में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन चीनी की सीमित उपलब्धता की दृष्टि में नियमित वृद्धि करना भी सम्भव नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण विभिन्न राज्यों में लेवी चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में तदनुरूप कटौती हुई है और इसलिए अधिकांश राज्य सरकारों ने वितरण के स्तर में उपयुक्त समायोजन किए हैं ताकि मौजूदा कोटे के अन्दर व्यवस्था की जा सके।

वर्ष 1978 में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए ऐसोसिएशन आफ वालंटरी ऐजेंसीस फार रूरल डवलेपमेंट द्वारा प्राप्त धनराशि

5651. श्री वी. एन. गाडगिल : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सितम्बर, 1978 से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए पश्चिमी जर्मनी के एक ईसाई संगठन ई. जेड. इ. से ऐसोसिएशन आफ वालंटरी ऐजेंसीज फार रूरल डेवलेपमेंट को 84 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयुक्त प्रयोग किया गया था और अन्य कार्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किया गया था;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री बालेश्वर राम) : (क) ऐसोसिएशन आफ वालंटरी एजेंसीज फार रूरल डेवेलपमेंट (एवार्ड) ने नवम्बर, 1978 से सितम्बर, 1980 तक ई. जेड, ई. पश्चिम जर्मनी से चार किस्तों से 76,88,901.00 रुपये प्राप्त किए।

(ख) तथ्यों का पता लगाना जा रहा है।

अवार्ड द्वारा मैसर्स गुड अर्थ एग्रीकलचरल फार्म एक्विपमेंट लिमिटेड को अग्रिम

5652. **श्री बी. एन. गाडगिल :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसियेशन आफ वालेंटरी एजन्सीज फार रूरल डेवलेपमेंट ने मैसर्स गुड अर्थ एग्रीकलचरल्स फार्म इक्विपमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड आफ इण्डिया को 6 लाख रुपये का अग्रिम दिया था;

(ख) क्या यह अवार्ड के उद्देश्यों के अनुरूप है;

(ग) क्या मैसर्स गुड अर्थ एण्ड कम्पनी का पश्चिम जर्मनी को बहुराष्ट्रीय फर्म एम. ए. एन. के साथ सहयोग है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अवार्ड के कार्यालय की तलाशी ली थी और धनराशियों में कुछ हेराफेरी और दुरुपयोग की बातें पायी थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अवार्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) एसोसियेशन आफ वालन्टरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के अनुसार 30-6-80 को मैसर्ज गुड अर्थ एग्रीकल्चरल फार्म इक्विपमेंट (प्रा.) लिकिटेड आफ इण्डिया के नाम अग्रिम रूप में 5,07 773.90 रुपये की धनराशि दर्शायी गयी है। एसोसिएशन आफ वालन्टरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेंट (एवार्ड) केन्द्रीय एजेंसी जर्मनी (इ. जेड इ) की सहायता से बिहार के मुशाहरी तथा जमुई खण्डों में एक ग्रामीण निर्माण कार्य तथा लघु सिंचाई परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसके लिए भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) के माध्यम से 113·50 लाख रुपये दिये गये हैं। एवार्ड ने कहा है कि यह अग्रिम इस परियोजना के लिए प्राप्त सहायता में से दिया गया है और इसे इस समझौते के अधीन दिया गया था कि मैसर्स गुड अर्थ एग्रीकल्चरल फार्म इक्विपमेंट (प्रा.) लि. द्वारा एवार्ड तथा इसकी सदस्य एजेंसियों को आवश्यकतानुसार डीजल तथा बिजली के इन्जन और पम्पसेटों की रियायती दरों पर आपूर्ति की जाएगी। सूचना मिली है कि इस अग्रिम के मुकाबले में मैसर्स गुड अर्थ एग्रीकल्चरल फार्म इक्विपमेंट (प्रा.) लिमिटेड ने 1,32,300,00 रुपये की आपूर्तियां की हैं और अब 3,75,473.90 रुपये बकाया हैं।

(ख) एसोसिएशन आफ वालन्टरी एजेंसीच फार रूरल डेवेलपमेंट (एवार्ड) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास है और उनके अनुसार, अग्रिम बिहार के मुशाहरी तथा जमुई खण्डों में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए डीजल तथा बिजली के इंजन और पम्पसैट खरीदने के लिये दिये गये थे जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास होगा।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

"अवार्ड" को प्राप्त धन को सावधिक जमा में लगाना

5653. **श्री बी. एन. गाडगिल :**

श्री आर. एल. भाटिया : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास की स्वैच्छिक एजेंसियों के संघ (एसोसियेशन आफ वालेंटरी

एजेंसी फार रुरल डेवलपमेंट) को अब तक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से 100 मिलियन रुपये मिले हैं;

(ख) क्या यह जानने के लिये कोई जाँच की गयी है कि धनराशि का समुचित रूप से उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया है जिसके लिये वह प्राप्त की गई थी;

"अवार्ड" ने कितनी धनराशि सावधिक जमा में तथा सम्बद्ध एजेंसियों की सहायता करने में लगा दी;

(घ) क्या "अवार्ड" से सम्बद्ध सभी संगठनों को आयकर से छूट प्राप्त है; और

(ङ) क्या धनराशि को निर्धारित प्रयोजन के अलावा किसी दूसरे कार्य में लगाने का कोई औचित्य है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न का कुल आबंटन और पूर्ति

5654. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरन अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न का राज्यवार कितना आवंटन किया गया है;

(ख) 1980-81 में अब तक राज्यवार वास्तव में कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या कुछ राज्यों को पूरी आबंटित मात्रा दे दी गई है और कुछ अन्य राज्यों के मामले में ऐसा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो किन आधारों पर;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा, जिसमें पिछले वर्ष का उपयोग में न लाया गया खाद्यान्न भी शामिल है, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र को बंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण 2 भी संलग्न हैं।

(ग) व (घ) राज्यों को कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के बंटन उपयोगिता की प्रगति के अनुसार किये जाते हैं। अतः कुछ राज्यों, जिन्होंने अच्छी प्रगति दिखाई है, को पूरी मात्रा बंटित कर दी गई है जबकि अन्य राज्यों को सम्पूर्ण मात्रा का बंटन नहीं किया गया है।

विवरण-1

काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण ।

(मीटरी टनों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पिछले वर्ष का उपयोग में न लाया गया खाद्यान्न	चालू वर्ष के दौरान आबंटित खाद्यान्न	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	60,880.00	1,05,000.00	1,65,880.00
2.	असम	6,965.00	19,000.00	25,965.00
3.	बिहार	84,769.32	1,64,000.00	2,48,769.32
4.	गुजरात	4,195.80	22,500.00	26,695.80
5.	हरियाणा	2,554.52	23,500.00	26,054.52
6.	हिमाचल प्रदेश	847.09	20,500.00	21,347.09
7.	जम्मू तथा काश्मीर	11,611.16	13,500.00	25,111.16
8.	कर्नाटक	26,325.00	32 000.00	58,325.00
9.	केरल	12,801.50	31,500.00	44,301.50
10.	मध्य प्रदेश	59,458.00	2,28,500.00	2,87,958.00
11.	महाराष्ट्र	* 9,840.00	72,000 00	72,000.00
12.	मणिपुर	3,500.00	2,000.00	5,500.00
13.	मेघालय	—	2,000.00	2,000.00
14.	नागालैंड	6,656.70	2,400.00	9,056.70
15.	उड़ीसा	47,260.12	1,00,500.00	1,47,760.12
16.	पंजाब	6,139.39	11,500·00	17,639.39
17.	राजस्थान	93,226.00	1,30,000.00	2,23,226.00
18.	सिक्किम	—	750.00	750.00
19.	तमिलनाडु	17,413.72	60,000.00	77,413.72
20.	त्रिपुरा	* 1,056.00	4,750.00	4,750.00
21.	उत्तर प्रदेश	1,28,967.11	2 69,500.00	3,98,467.11
22.	पश्चिम बंगाल	95,288.00	1,00,000.00	1,95,288.00
23.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	* 41.57	1,050.00	1,050.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	320 00	950.00	1,270.00
25.	चंडीगढ़	50.00	—	50.00
26.	मिजोरम	850.43	1,550.00	2,400.43
27.	पांडिचेरी	149.98	650.00	799.98
	योग	6,70,228.84	14,19,600.00	20,89,828.84

*—पिछले वर्ष के अधिक उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों को नहीं दर्शाया गया है ।

विवरण-2

काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	पिछले वर्ष का उपयोग में न लाया गया खाद्यान्न (मीटरी टन)	बंटित खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन)	पिछले वर्ष के बचे हुए खाद्यान्न सहित बंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	60,880.00	1,05,000.00	1,65,880.00
2.	असम	6,965.00	5 500.00	12,465.00
3.	बिहार	84.769.32	1,64,000.00	2,48,769.32
4.	गुजरात	4,195.80	22,500.00	26,695.80
5.	हरियाणा	2,554.52	23,500.00	26,054.52
6.	हिमाचल प्रदेश	847.09	20,500.00	21,347.09
7.	जम्मू तथा काश्मीर	11,611.16	13,500.00	25,111.16
8.	कर्नाटक	26,325.00	32 000.00	58,325.00
9.	केरल	12,801.50	31,500.00	44,301.50
10.	मध्य प्रदेश	59,458.00	2,28,500.00	2,87,958.00
11.	महाराष्ट्र	* 9,840.00	72,000 00	72,000.00
12.	मणिपुर	3,500.00	—	3,500.00
13.	मेघालय	—	750.00	750.00
14.	नागालैंड	6,656.70	2,400.00	9,056.70
15.	उड़ीसा	47,260.12	1,00,500.00	1,47,760.12
16.	पंजाब	6,139.39	11,500 00	17,639.39
17.	राजस्थान	93,226.00	1,30,000.00	2,23 226.00
18.	सिक्किम	—	500.00	500.00
19.	तमिलनाडु	17,413.72	60,000.00	77,413.72
20.	त्रिपुरा	* 1,056.00	4,750.00	4,750.00
21.	उत्तर प्रदेश	1,28,967.11	2 69,500.00	3,98,467.11
22.	पश्चिम बंगाल	95,288.00	80,000.00	1,75,288.00
23.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	* 41.57	1,050.00	1,050.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	320.00	500.00	820.00
25.	चंडीगढ़	50.00	—	50.00
26.	मिजोरम	850.43	—	850.43
27.	पांडिचेरी	149.98	650.00	799.98
	योग	6,70,228.84	13,80,600.00	20,50,828.84

*—पिछले वर्ष के अधिक उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों को नहीं दर्शाया गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कलकत्ता, दिल्ली बम्बई और मद्रास में निर्माण

5655. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में आरम्भ किए गए और पूरे किए गए निर्माण कार्य का अर्थ-वार मूल्य क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपर्युक्त नगरों में प्रत्येक में आरम्भ किए गए अथवा पूरे किए गए निर्माण कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसी अवधि में उपर्युक्त प्रत्येक नगर में आरम्भ की गई नई अथवा पूरी की गई परियोजनाओं की वर्ष-वार कुल लागत कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछले वर्ष का बकाया गेहूं का भंडार

5656. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पिछले वर्ष का कितना गेहूं उपलब्ध था; और

(ख) कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद के लिए क्या सरकार ने राज्य सरकारों को (राज्यवार) निर्देश जारी किये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) सभी सरकारी एजेन्सियों के पास 1-1-1 81 को लगभग 49.9 लाख मी. टन गेहूँ का स्टाक उपलब्ध था।

(ख) आगामी रबी विपणन मौसम 1981-82 (अप्रैल-मार्च) के लिए 95 लाख मी. टन का अखिल भारत वसूली लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारों को सलाह दी गइ है कि वे वसूली सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करें। राज्यवार लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

राज्य	(लाख मी. टन में)
पंजाब	47.0
हरियाणा	17.0
उत्तर प्रदेश	25.0
राजस्थान	1.0
मध्य प्रदेश	2.0
बिहार	1.5
गुजरात	1.0
महाराष्ट्र	0.5
जोड़	95.0

समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत हरियाणा को दी गई धनराशि

5657. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत, योजनावार, हरियाणा राज्य को कितनी राशि दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : विवरण संलग्न है।

विवरण

उन राशियों का विवरण जो समाज कल्याण परियोजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में हरियाणा राज्य को दी है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	1978-79	1979-80	1980-81
			(राशि रुपयों में)	
1.	देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों कल्याण हेतु योजना	4,30,555	19,261	2,77,911
2.	समेकित बाल विकास सेवा योजना	12,32,300	19,33,400	27,54,000
3.	कृत्यात्मक साक्षरता योजना	5,52,200	5,75,100	7,20 000
4.	विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति की भारत सरकार की योगजा	1,36,000	1,77,000	1,00,000
5.	(हरियाणा राज्य में) विकलांग व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता की योजना	कुछ नहीं	90,000	5.92 985
6.	(हरियाणा राज्य में) स्वयंसेवी संस्थाओं को संगठनात्मक सहायता	30,000	कुछ नहीं	56.860
7.	(हरियाणा राज्य में) नौकरी करने वाली महिलाओं की होस्टलों की केन्द्रीय योजना	6,43,404	11,59,629	5,05,160
8.	(हरियाणा राज्य में) विपदाग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र	1,37,052	कुछ नहीं	86,666
9.	मद्यनिषेध का लागू किया जाना	2,22,39,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं

* हरियाणा राज्य में मद्यनिषेध लागू किए जाने के कारण आबकारी राजस्व में जो हानि हुई, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु 50 प्रतिशत मुआवजा।

वर्ष 198:-82 के दौरान उड़ीसा में डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

5658. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या सचार मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा डाकघरों, उप डाकघरों, शाखा डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या न्यूनतम है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस राज्य में वर्ष 1981-82 के दौरान और अधिक डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो जिलावार उनकी संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि उड़ीसा राज्य में डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या सबसे कम है। तथापि, 1981-82 के दौरान राज्य में और अधिक डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना है। इनके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

जल प्रबन्ध के बारे में आई. सी. ए. आर. अनुसंधान समन्वित परियोजना

5659- **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में जल प्रबन्ध के बारे में आई. सी. ए. आर. अनुसंधान समन्वित परियोजना लागू की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब लागू किया गया था ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जल-प्रबन्ध के पहलू पर कार्य दूसरी पंच वर्षीय योजना से ही प्रगति पर है। तथापि, इस अनुसंधान कार्य की तीसरी पंच वर्षीय योजना से अलग किया गया जब कि नदी घाटी प्रायोजना क्षेत्र में सिंचित अनुसंधान हेतु एक समन्वित योजना स्वीकृत की गई थी।

2. चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जल-प्रबन्ध पर दो समन्वित प्रायोजनाओं की स्वीकृति दी थी जिनके नाम हैं :—

(I) जल-प्रबन्ध और मृदा लवणता और (II) चुने हुए कमांड क्षेत्र में नई कृषि पद्धतियां और जल-उपयोग। ये योजनाए क्रमश: 16 और 10 केन्द्रों पर चालू थी। तथापि, पांचवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान इन दोनों योजनाओं को एक सामान्य शीर्षक "जल-प्रबन्ध और मृदा लवणता पर अनुसंधान हेतु समाकलित प्रायोजना" के अन्तर्गत मिला दिया गया। यह प्रायोजना 23 केन्द्रों पर चलाई गई जिसका समन्वय एकक केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में स्थित था।

3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और समशीतोष्ण पहाड़ी पट्टियों में जल-प्रबन्ध पर अनुसंधान के लिए एक अन्य समन्वित योजना की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना 7 केन्द्रों पर चलाई गई।

4. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों समन्वित प्रायोजनाओं, अर्थात् (I) जल-प्रबन्ध और मृदा लवणता पर अनुसंधान हेतु समाकलित प्रायोजना और (II) अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और समशीतोष्ण पहाड़ी पट्टियों में जल-प्रबन्ध, की एक बार फिर एक नई शीर्षक

'जल-प्रबन्ध पर अनुसधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समन्वित प्रायोजना' से, आपस में मिलाया गया है। वर्तमान में, इस प्रायोजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए 258.00 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। फिलहाल यह प्रायोजना 34 केन्द्रों पर चलाई जा रही है (विवरण संलग्न) है।

विवरण

जल प्रबन्ध पर अनुसंधान के लिए समन्वित परियोजना के केन्द्रों की सूची।

राज्य का नाम	सस्था	केन्द्र	कृषि-परिस्थिति की क्षेत्र/सिचाई कमान
1. हरियाणा	समन्वय एकक केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल।	करनाल	—
2. कर्नाटक	क्षेत्रीय समन्वय एकक धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय।	धारवाड़	
3. उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय समन्वय एकक (II) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय	फैजाबाद	—
अनुसंधान केन्द्र			
1. आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्याल, हैदराबाद	1. हैदराबाद	नागार्जुनसागर
2. असम	असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट।	2. जोरहाट	पूर्वानम हिमालय क्षेत्र
3. बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्व-विद्यालय पूसा	3. पूसा 4. विक्रमगंज 5. माधोपुरा	गंडक सोन कोसी
4. गुजरात	गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय दान्तीवाड़ा	6. नवसारी	उकाई काकड़पर
5. हरियाणा	हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय हिसार	7. हिसार	भाकड़ा
6. हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	8. पालमपुर	पश्चिमी नम हिमालय क्षेत्र
7. जम्मू और कश्मीर	कृषि विभाग	9. जम्मू	रावी, तवी नहर
8. कर्नाटक	कृषि विभाग विश्व-विद्यालय, बंगलौर	10. धारवाड़	मालप्रभा और घाटप्रभा

1	2	3	4
9. केरल	केरल कृषि विश्व-विद्यालय, मन्नूथी	11. चलकुडी	चलकुडी और पीची
10. मध्य प्रदेश	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	12. पावरखेडे	तोवा एण्ड बरना
		13. बिलासपुर	हयदेव
		14. मोरेना	चम्बल
11. महाराष्ट्र	कोंकण कृषि विद्या पी. दपोली	15. दपोली	पश्चिमी नम घाट क्षेत्र
	मराठवाड़ा कृषि विश्व-विद्यालय, परमनी	16. परमनी	पुराना और जयक्वादी
	महात्माफुले कृषि विद्या पी. राहुड़ी	17. राहुडी	मुला और घोड
12. मेघालय	नार्थ-ईस्टर्न हिल काम्पलैक्स, शिलांग	18. शिलांग	पूर्वा नम हिमालय क्षेत्र
13. उड़ीसा	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, भुवनेश्वर।	19. चिपलिमा	हीराकुंड
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक।	20. कटक	महानदी डेल्टा
14. पंजाब	पजाब कृषि विश्व-विद्यालय, लुधियाना	21. लुधियाना	भाकड़ा
15. राजस्थान	कृषि विभाग, कोटा।	22. कोटा	चम्बल
	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर।	23. श्री गंगानगर	राजस्थान नहर
16. तमिलनाडु	तमीलनाडु कृषि विश्व-विद्यालय, कोयम्बटूर	24. भवानीसागर	लोअर भवानी
	तमिलनाडु कृषि विश्व-विद्यालय, कोयम्बटूर	25. मदुराई	पेरीयार
17. उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय मिट्टी और जल संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	26. उटकमंड	नीलगिरी हिल्स
उत्तर प्रदेश	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा	27. अल्मोड़ा	पश्चिमी नम हिमालय क्षेत्र

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय मिट्टी और जल संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान देहरादून	28. देहरादून	पश्चिमी नम हिमालय क्षेत्र
	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।	29. फैजाबाद	शारदा सहायक
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, पन्त नगर	30. पन्त नगर	तराई क्षेत्र
पश्चिम बंगाल	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय हरीनघाट	31. हरीनघाट	कमसावती
	कृषि विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कलकत्ता	32. कलिंगपोंग	बंगाल नम असम बेसिन
	भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान, खड़गपुर	33. खड़गपुर	मिदनापुर नहर
दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	34. दिल्ली	यमुना

बड़े नगरों में गन्दी बस्तियां

56*0. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों में गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने संबन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक महानगरों तथा मुख्य शहरों में अब तक कितना कार्य किया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गन्दी बस्ती समस्या से जूझने के लिए राज्य क्षेत्र में दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना जो मई, 1956 में केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की गई थी, को 1-4-1969 से राज्य क्षेत्र योजना के रूप में चलाई जा रही है। इसके निम्नलिखित तीन मूलभूत अंग हैं :—

(1) विकसित प्लाटों, सादे मकानों, शयनागारों होस्टिल प्रकार के आवासों तथा पक्के टेनामेंटों के माध्यम से गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को पुनः बसाना।

(2) पटरी पर रहने वालों की भारी समस्या वाले नगरों एवं कस्बों में रैन बसेरों का निर्माण।

(3) गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों में तथा पक्के बने मकानों में सुधार। नगरीय गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार की योजना जो राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम के अंग के रूप में चलाई गई है, वह गन्दी बस्ती क्षेत्रों में मौलिक सुविधाओं को व्यवस्था करती है योजना में व्यवस्थित सुधार की मदें निम्नलिखित हैं :—

(1) पेय जल वनों सहित जलपूर्ति का प्रावधान ।

(2) मल निर्यास

(3) वर्षा के पानी की नालियां ।

(4) सामाजिक स्नानागार तथा शौचालय ।

(5) वर्तमान गलियों को चौड़ा करना तथा उनमें खड़िंजे बिछाना ।

(6) गलियों में प्रकाश की व्यवस्था ।

(ख) क्योंकि ये दोनों योजनाएं राज्य क्षेत्र में है अतः इनके लिए निधियों तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न महानगरों की उपलब्धियों के सही सही विवरण उपलब्ध नहीं है ।

गंगा द्वारा कटाव

5661. श्रीमती कृष्णा साही : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार. उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अनेक गाँव गंगा द्वारा कटाव के कारण, प्रभावित हो चुके हैं और भविष्य में भी उनके प्रभावित होने की संभावना है,

(ख) क्या मुंगेर और बेगुसराय जिलों के 500 गांवों की गंगा द्वारा निरन्तर कटाव के कारण, जान और माल की भारी हानि का सामना करना पड़ा हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बगाल के कटाव से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनाई जानी हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गगा के मैदानों में बहने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियों से जो अपना मार्ग बदलती रहती हैं, भू-कटाव की समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे उनके तटों के निकट बसे गाँव प्रभावित होते हैं । चूंकि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलते रहना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए भविष्य में भी नदी द्वारा होने वाले भू-कटाव से नदी के किनारों पर बसे गांवों के प्रभावित होने की संभावना है ।

(ख) बिहार में मुंगेर और बेगुसराय जिलों में कई गाँव गंगा के कटाव के कारण प्रभावित हुए हैं ।

(ग) गंगा नदी के कटाव को रोकने के उद्देश्य से, स्थानीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें अनेक कटावरोधी स्कीमें तैयार कर रही हैं और कार्यान्वित कर रही हैं ।

अपर भद्रा बांध का निर्माण

5662. श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में लक्का घाटी में भद्रा बाँध से भद्रा नदी का जल बाहर बह रहा है और यदि हां, तो पिछले 15 वर्षों के लिये वर्ष-वार ब्यौरे क्या हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि अपर भद्रा बांध का यदि निर्माण किया गया तो कुद्रेमुख में खनन के कारण उसमें गाद जमा हो जायेगी ;

(ग) क्या यह भी सभी सच है कि लक्का घाटी में स्थित वर्तमान भद्रा बाँध में कुद्रेमुख परियोजना के कारण काफी मात्रा में गाद जमा हो चुकी है; और

(घ) क्या भद्रा बाँध में विभिन्न स्थानों पर गाद जमा हो जाने को देखते हुए अपर भद्रा बाँध का निर्माण किया जाना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भद्रा बांध

5663. श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान भद्रा बाँध के चेनल नियोजित आयकर की आवश्यकता को पूरी करने में असमर्थ हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त योजना को क्रियान्वित क ने पर 100 करोड़ रुपए मूल्य की इमारती लकड़ी तथा बागान डूब जायेंगे, और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि भद्रा परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान नहरों का डिजाइन इसके अपने अयाकट के लिए अपेक्षित जल-निस्सार को ले जाने के अनुसार बनाया गया है ।

(ख) इसका सम्बन्ध सम्भवतः अपर भद्रा परियोजना से है । कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि अपर भद्रा परियोजना के अन्तर्गत जलमग्न होने वाले क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण अभी किया जाना है ।

(ग) राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वह अपर भद्रा परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व उपयुक्त तथ्य पर विचार करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन

5664. श्री निहाल सिंह : क्या ग्रामिण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन किन प्रयोजन से किया था,

(ख) आयोग के सरकार द्वारा मनोनीत वर्तमान सदस्य कौन-कौन है तथा उन्हें क्या-क्या अधिकार और सुख-सुविधा प्राप्त है, और

(ग) क्या सरकार ने आयोग के सदस्यों के नाम मनोनीत करने का कार्य पूरा कर लिया है अथवा इसके किस तिथि तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने उन्हें आयोजित करने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए किया गया था ।

(ख) मौजूदा आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :—

(1) श्री ए. एम. थामस—अध्यक्ष

(2) श्रीमती तारारामचन्द्र साठे—सदस्य सचिव

(3) श्री गोविन्द दास रिचारिया—सदस्य

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव की शक्तियां खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियमावली 1957 के नियम 10, 10-क तथा 11 में निर्धारित की गई है। सुख सुविधाओं उदाहरणार्थ अध्यक्ष के लिए निःशुल्क सुसज्जित आवास के सम्बन्ध में प्रावधान उपयुक्त नियमावली के नियम 7 में दिया गया है। इन नियमों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2254/81]

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) में यह प्रावधान है कि आयोग में न तो तीन से कम और ना ही पांच से अधिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित तीन सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में स्टाक की स्थिति

5665. श्री निहाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मीटर अथवा कितने मूल्य के वस्त्र कम अथवा अधिक पाये गये;

(ख) उक्त कमी अथवा अधिकता के लिये नियमों के अनुसार कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं, और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के स्टाक में अधिकता तथा कमी को दर्शाने वाले आँकड़े नीचे दिये गए हैं :

वर्ष	अधिकता	कमी
1977-78	5.33 लाख रुपए	464.10 रुपए
1978-79	3.28 लाख रुपए	946.06 रुपए
1979-80	4.28 लाख रुपए	25363.62 रुपए

(ख) और (ग) स्टाक में कमी मुख्य रूप से उठईगिरी तथा चोरी के कारण हुई है। कमी के मामलों की आवश्यक जाँच-पड़ताल की जा रही है। खादी तथा ग्रामोद्योग भवन जैसे व्यापार केन्द्र, जहाँ काफी बड़े पैमाने पर लेन देन होता है, में स्टाक में वृद्धि होना आम बात है।

दिल्ली के शापिंग केन्द्रों में अनधिकृत निर्माण

5666. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भागीरथ प्लेस, चावड़ी बाजार, सदर बाजार क्षेत्र, दिल्ली जैसे शापिंग केन्द्रों में कुछ लोगों ने अनधिकृत निर्माण कर लिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जीहां। जैसाकि दिल्ली नगर निगम ने बताया है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि भवन उप-विधियों के अनुसार ऐसे सभी मामलों में कार्यवाही की गई है और कि अनधिकृत निर्माणों को दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 और 344 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण को रोकने/गिराने के लिए अनधिकृत भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए हैं ।

दक्षिण दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

5657. **श्री नीरेन घोष** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1959, 1961 और 1966 में जिन गांवों के लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई थी उसको दक्षिण दिल्ली में दिए जाने वाले कुछ या सभी 200 प्लाट ऐसे लोगों को आवंटित कर दिए गए हैं जिन्होंने जाली कागजात के आधार पर इनके लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली थी;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के भूमि एवं भवन विभाग ने दिल्ली प्रशासन की भ्रष्टाचार निरोध शाखा को ये मामले सौंप दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितनी राशि का घोटाला है; और

(घ) भ्रष्टाचार-निरोध शाखा ने यदि कोई जांच की है, तो उसका निष्कर्ष क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके द्वारा जारी किए बतलाये गए जाल साजी के 128 पत्र उनके ध्यान में आए हैं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जालसाजी की सिफारिशों/पत्रों को भेजने के लिए प्राप्त राशि की प्रकृति तथा मात्रा का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है औ मामले की जाँच की जा रही है ।

आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट नूर सराय, नालंदा बिहार के कार्यक्षेत्र का विस्तार

5668 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, नूर सराय जिला नालन्दा, बिहार का कार्य केवल दो ग्राम पंचायतों मामना, चरनोपर और दोएआ तक ही सीमित है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमित कार्यक्षेत्र की वजह से समूचे नालन्दा जिले के किसानों को उस परियोजना से लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सम्पूर्ण नालन्दा जिले तक परियोजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि, नहीं तो उसके कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां श्रीमान । केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा आलू के बीज को बढ़ाने के लिए पटना में अपने अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से दो ग्राम पंचायतों यानी चोनी पर और दोएआ, जिला नालन्दा में 8 गांवों को सम्मिलित करते हुए परिचालन अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) जबकि परियोजना चालक परियोजना है, जहां बीज के आलू को बढ़ाने के लिए के लिए तकनीकी को प्रदर्शित किया जा रहा है और इसको किसानों के बीच में लोकप्रिय बनाया जा रहा है यह व्यवहारिक रूप से गांवों की समिति संख्या के लिए कार्य कर सकती है। तथापि पूरे नालन्दा जिला में परियोजना के लाभ उपलब्ध हैं, क्योंकि जिला के किसानों को बीज के आलू की फसल को उगाने के लिए प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जा रहा है। किसानों के खेतों में प्रदर्शनियों, किसान मेलों और समय समय पर प्रकाशित लोकप्रिय साहित्य से नई सूचना के प्रसार में सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप जिला नालन्दा में कृषि समुदाय को लाभ प्राप्त होता है।

(ग) परिषद जिला के प्रत्येक किसान के खेत में बीज के आलू को बढ़ाने के तकनीकों पर प्रदर्शन नहीं कर सकती।

(घ) अपने संस्थानों से पैदा की गई नई प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और सम्भाव्यता को प्रदर्शित करने के लिए परिषद केवल चालक परियोजना को अपनाती है। इसके पश्चात्, यह राज्य के कृषि विभाग का काम है कि वह उस प्रदर्शित प्रौद्यगिकों को जिला/राज्य के अन्य भागों में प्रसारित करे।

पिछड़े वर्गों के लिए मकान हेतु पृथक भूमि

5669. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषिकों और पिछड़ी जातियों के लोगों को रिहायशी प्रयोजनार्थ भूमि दी गई है और क्या उन्हें ऋण भी दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि श्रमिकों और पिछड़ी जातियों के लोगों को पृथक भूमि दी जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्य सरकारें एक योजना का कार्यान्वियन पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में कर रहीं हैं जिसके अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को विकासित आवास स्थलों का आवंटन किया जाता है और मकान बनाने के लिए सहायता भी दी जाती है।

(क) तथा (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे इन परिवारों को आवास स्थल इस प्रकार से दें जहाँ कोई अलगाव न हो और वेपरिवार समीपस्थ गांवों के अन्य परिवारों से घुल मिल जाएं आगे यह भी सुझाव दिया गया है कि आवंटन लाटरी की पद्धति से किया जाए ताकि अलगाव को दूर किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारन्टी योजना

5670. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार इस समय काम के बदले अनाज कार्यक्रमों तथा खाद्य राज सहायता पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त योजना त्रुटियों से भरी पड़ी है और इसका लाभ अधिकांशत: नगरीय क्षेत्रों को पहुँचता है;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार की योजना पद्धति पर हो देश भर में एक रोजगार गारन्टी योजना लागू करने का है; यदि नहीं तो क्यों नहीं और

(घ) क्या सरकार का विचार रोजगार गारन्टी योजना को कम से कम उन क्षेत्रों में तो लागू करने का है जहां ग्रामीण बेरोजगारी बहुत अधिक है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष का प्रावधान 340 करोड़ रुपये है। खाद्य विभाग ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम पर पड़ने वाली खाद्यान्न की आर्थिक लागत और सार्वजनिक वितरण के लिए उसके प्रेषण मूल्य तथा केन्द्रीय स्टाक पर वहन लागत के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को खाद्य उत्पादन के रूप में की जाती है। इसके लिए, वर्ष 1980-81 के संशोधित प्राक्कलनों में 650 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था और सम्पूर्ण धनराशि का भारतीय खाद्य निगम को अन्तिम आधार पर भुगतान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करने के लिए है और न कि शहरी क्षेत्रों में। कार्यक्रम के उद्देश्य कुल मिलाकर पूरे देश में लगाये गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की पद्धति पर देश भर में रोजगार गारंटी योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में निर्माण -कार्य शुरू किए जाएं जहां ग्रामीण बेरोजगारी बहुत अधिक है।

विशेषाधिकार के प्रश्न स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

कुछ सदस्य खड़े हो गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट - कृपया बैठ जाइये (व्यवधान)। कृपया बैठ जाइये।

श्री के० पी उन्नीकृष्णन तथा कई अन्य सदस्यों-प्रो० मधु दंडवते, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा सर्व श्री हरिकेश बहादुर, राम विलास पासवान, जार्ज फर्नान्डीस, बापू साहिब परुलेकर, रवीन्द्र वर्मा तथा ज्योतिर्मय बसु से पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री श्री पी०सी० सेठी तथा गृहमंत्री जैलसिंह तथा अन्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के नोटिस प्राप्त हुये हैं उनमें मांग की गई है कि इस बात की जांच की जाए कि श्री उन्नीकृष्णन को बम्बई हाई कम्पलैक्स के आधार पर विदेशी सहयोग से निर्माण किये जाने वाले यूरिया और अमोनिया उर्वरक कारखानों के बारे में विदेशी और प्रौद्योगिकी के चयन के बारे में फाइलों, नोटिंग और रिपोर्टों की फोटो कापियां कैसे प्राप्त हुई जिनमें से उन्होंने नियम 193 के अधीन सभा में 23.12.1980 को उदधृत किया था और उन्हें सभा पटल पर रखा था।

यह मामला मेरे विचाराधीन है। (व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला है। आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हो। (व्यवधान)* अब आप इसे नहीं कर सकते हो। (व्यवधान) किस नियम के अन्तर्गत मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ ?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं (व्यवधान) सज्जनों, मेरी बात सुनिये माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों के कुछ नोटिस दिये हैं। रोजाना ऐसे प्रस्ताव मुझे दिये जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमन्ड हार्बर) आप केवल पुरुषों को संबोधित कर रहे हैं न कि महिलाओं को।

अध्यक्ष महोदय : यहाँ पर सब माननीय सदस्य हैं। श्री बसु जी वे आपके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव को पेश कर देंगे। वे वैसे ही माननीय सदस्य हैं जैसे आप और हम हैं। (व्यवधान) इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपने नियम पुस्तिका का ठीक अध्ययन किया होता तो इस प्रस्ताव को देने का कोई अधार नहीं था और यह नहीं मान लेना चाहिए कि जिस मामले का भी नोटिस स्थगन प्रस्ताव के रुप में दिया जाता है उसका उल्लेख इस सभा में पुनः कि जाना है। यह अनावश्यक रुप से सभा का समय लेता है और मैं बार-बार इस सभा को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं महत्व के किसी विशेष मामले पर तुरन्त ध्यान दूंगा और उसमें कुछ भी हो, हम सभा में इसकी चर्चा किये जाने की अनुमति देंगे। कृपया ऐसा मत करिये और सभा का समय नष्ट मत करिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान क्या मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नीरेन घोष : आपकी टिप्पणी पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। व्यवधान

अध्यक्ष महोनय : प्रमिला जी, आपने अगर पढ़ा होता आपको मालूम है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। श्री ज्योतिर्मय भी मुझे पकड़ लेते (व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होने वाला है। यदि आप नियम पढ़ेंगे तो पाएगे कि यह नहीं किया जा सकता है गृह मंत्रालय की माँगे आ रही हैं तब आप इसको उठा सकते हैं। (व्यवधान) आपके दफ्तर में हुआ था कहीं हुआ। इसको स्थगन प्रस्तव के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता है। (व्यवधान) जी नहीं, श्रीमान यह कानून का मामला है। यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। आप इसे नहीं उठा सकते हैं। (व्यवधान)। पासवान जी यह असंभव है। मैंने स्थगन प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है। मैंने सभी रिकार्ड देख लिये हैं (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : यह परम्परा तथा दृष्टान्त है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मिल सकते हैं। मैंने क्यों किया है ? मैंने नियमनुसार किया है यही मेरा कहना है।

श्री जार्ज फर्नांडीस : (व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं इसको नहीं कर सकता हूं अब पत्र सभा-पटल पर रखे जाने हैं।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० बी० चव्हाण ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति ले रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अनुसार आप क्या कहना चाहते हो ?

श्री ज्योतिर्मयबसु : यह विशेष उल्लेख का मामला है । उड़ीसा में एक आदिवासी छात्र की बलि चढ़ाई गई है । यह एक बहुत गम्भीर घटना है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं । आप इसको नियम 377 के अन्तर्गत उठा सकते हो ।

श्री नीरेन घोष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय आप कोई दूसरा प्रस्ताव दे सकते हैं स्थगन प्रस्ताव नहीं । इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : क्या मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप दीजिए मैं इस पर विचार करूंगा । मैं इस पर विचार करूंगा और इस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सादर मैं निवेदन करता हूं कि पहले प्रैस की आजादी

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं कर सकते हैं । आप मेरे पास आ सकते हो मैं ध्यानकर्षण तथा स्थगन प्रस्तावों के मामलों पर सभा में चर्चा नहीं कर सकता हूँ । आप मेरे पास आ सकते हैं । यह आपका कमरा है । परन्तु यहाँ पर चर्चा नहीं की जा सकती है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह बड़ी गंभीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी गंभीर बात हो सकती है । इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है । मैं इसके बारे में अधिक चर्चा किये जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं । (व्यवधान)* कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । अनुमति नहीं दी गई । कोई परम्परा नहीं है— मैं नियमनानुसार कार्य कर रहा हूं । अब सभा पटल पर पत्र रखे जाने है ।

श्री चव्हाण —

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता की वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसे निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारणों का विवरण और नई दिल्ली तथा कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : निम्नलिखित पत्र सभा *ा पर रखता हूँ :—*

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।*

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1979 80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 2225/81]

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1978 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* सस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2226/81]

(3) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2227/81]

(4) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2228/81]

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय की 1981-82 के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

पेट्रोखियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं वर्ष 1981-82 के लिये पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी. 2229/81]

लोक सभा के पिछले सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वार की गई कार्यवाही के विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) विवरण संख्या 15	छठा सत्र, 1978	छठी लोक सभा
(2) विवरण संख्या 18	सातवां सत्र 1979	
(3) विवरण संख्या 9	आठवां सत्र, 1979	
(4) विवरण संख्या 6	पसला सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(5) विवरण संख्या 6	दूसरा सत्र, 1980	
(6) विवरण संख्या 10	तीसरा सत्र, 1980	
(7) विवरण संख्या 2	चौथा सत्र, 1980	
(8) विवरण संख्या 3	चौथा सत्र, 1980	

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2230/81)

*अंग्रेजी संस्करण 7 जुलाई 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई का 30-6-80 के समाप्त हुए वर्ष का राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली तथा इण्डियन फार्म से फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं तथा धान कुटाई उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1981

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के 30 जुन, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल. टी. 2231/81]

(2) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखे की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2232/81]

(3) (एक) इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के बर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2233/81]

(4) धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान-कुटाई उद्योग (विनियम तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 16 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 180(ङ) में प्रकाशित हुए थे। ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या 2234/81]

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. वी. स्वामीनाथन (व्यवधान) कुछ तरीके हैं। इस तरह से नहीं।

असम कृषि उद्योग निगम लिमिटेड गोहाटी की वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब का एक विवरण

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : मैं श्री आर. वी. स्वामीनाथन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (*हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) असम कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, गोहाटी के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, गोहाटी का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (*हिन्दी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 2235/81]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव (व्यवधान) आप आकर मुझसे बात कीजिए। (व्यवधान) आप आकर मुझसे बात कीजिए।

यहाँ पर नहीं—सभा में नहीं।

श्री सतीश अग्रवाल।

लोक लेखा समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) न्यासियों या भविष्य निधि आयुक्तों की भविष्य निधि की अदायगी न करने से संबंधित 110वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 21वां प्रतिवेदन।

(2) लोकतक पन-बिजली परियोजना से सम्बन्धित 127वे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 22वां प्रतिवेदन।

स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना आदि के बारे में-जारी

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। हम देखेंगे। इस तरह नहीं। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*अंग्रेजी संस्करण 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : आप हमें सदा ही कहत हैं कि निर्णय लेने से पूर्व हम आपसे आपके कक्ष में मिलें। परन्तु स्थगन प्रस्तावों के मामले में हमें कोई अवसर नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों पर कोई परामर्श नहीं हो सकता है। मेरा यही निर्णय है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : आप अपने कक्ष में भी हमारी बात नहीं सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कक्ष में आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार हूँ। स्थगन प्रस्ताव को यहीं पर रद्द किया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप मेरे पास आ सकते हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : कोई समझौता तो नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कोई समझौता नहीं। आप मेरे पास आ सकते हैं। आप आइए, आकर के बात कीजिए। (व्यवधान) आप मेरे पास आइए। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हरिकेश बहादुर। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। मैं इसकी सभा में अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) आप आकर मुझसे बात कीजिए। आप मुझे समझाइए। यहाँ पर मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप यहां इतना टाइम जाया कर रहे हैं, आप आकर मुझसे बात करें। (व्यवधान) मैं इसकी सभा मे अनुमति नहीं दूंगा। अब, श्री हरिकेश बहादुर। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में मैं किसी भी दल का आदमी नहीं हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर समझाइए (व्यवधान) नियमों के अनुसार होगा बगैर नियमों के नहीं होगा। (व्यवधान) आप आकर तो बात करिए, मुझे समझाइए। मैं करूंगा, यहां पर नहीं करूंगा। (व्यवधान)

कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) प्रत्येक बात पर चर्चा होगी। (व्यवधान) यहां तो कोई बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) आप लोग सारे ऐसा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बातें नियमों के अनुसार हो जानी चाहिए। किसी बात के लिए आप उत्तेजित हैं, मैं महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे हाथ भी नियमों से बन्धे हुए हैं। आप मेरे पास आइए, मैं कालिंग एटेंशन कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन आपको अभी कैसे कह सकता हूँ कि कर लिया,

कतिपय बातों के लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है। मेरा दिमाग बहुत खुला हुआ है। आप जो कुछ लाएंगे मैं उसे निपटने पर अपना पूरा ध्यान दूंगा। मैं विचार कर सकता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे कर सकता हूं। मैं यह नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप 100% सही हैं। हम चीखते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं गुस्सा नहीं होता।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जहां कांग्रेस (आई) विपक्ष में हैं वहां वे खिलौना पिस्तौल के साथ विधान सभा में आते हैं—पश्चिम बंगाल विधान सभा में यही अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ करते हैं उसके लिए दण्ड भी पाते हैं। (व्यवधान)* आप बैठ जाइए। आप मुझ से आकर बात कीजिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा। इस पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकेगी। नहीं। (व्यवधान) मैं मन्त्री को मजबूर नहीं कर सकता। यह मेरा काम नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हम सदन का त्याग करेंगे। हमारे मकान से हमको निकाला जा रहा है। आज जो हमारे ऊपर हो रहा है, कल सबके ऊपर ऐसा ही होगा। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* मुझे निर्णय क्यों करना चाहिए (व्यवधान)* यह मेरी अनुमति से नहीं बोल रहे हैं। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* मैं नहीं चाहता (व्यवधान)*

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कृपया मंत्री से पूछिए कि वह कोई वक्तव्य देना चाहेंगे या नहीं। बस!

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं स्वयं विचार कर सकता हूँ कि नियमों के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हू या नहीं। (व्यवधान)* मैं उनसे नहीं पूछ सकता। यह मंत्री पर हैं। मैं कैसे बीच में आऊं? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस प्रश्न पर सम्पूर्ण विपक्ष एक है और हम माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि वे एक वक्तव्य दें बस। हम उनसे बिलकुल इसी प्रकार का वक्तव्य नहीं चाहते। हत उनसे यह बताने की अपील कर रहे हैं कि क्या वे वक्तव्य देंगे और हम उसके बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई वक्तव्य दिए जाने की मंशा है। (व्यवधान) आपने क्या करने का निर्णय लिया है? (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस पर हमें सदन त्याग करना चाहिए···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : वे आपका विश्वास करते हैं, हम लोगों का नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। श्री हरिकेश बहादुर (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : महोदय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन किया जा चुका है और यहां इस सभा में आप उच्चतम व्यक्ति माने जाते हैं वे अध्यक्ष महोदय के निर्णय को स्वीकार क्यों नहीं करते? वे अध्यक्ष महोदय को क्यों नहीं सुनते? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं रिकार्ड किया जाएगा। (व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीस : भीष्म नारायण सिंह जी आपका क्या निर्णय है क्या मामला आपके विचाराधीन है? मंत्री हमें कम-से-कम यह बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों-वश सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : माननीय मन्त्री जी को स्टेटमैंट देने में आपत्ति क्या है ? वे स्टेटमेंट दें, चाहे वह हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : वे यहीं बैठे हैं। क्या आपको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए··· (व्यवधान) संसद ऐसा मंच है जहां हम कहते हैं और सुनते हैं। जब हम कुछ कहते हैं तो उन्हें उसे सुनना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान हम लोग वाक-आऊट भी नहीं करेंगे और न ही हाउस को चलने देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपके प्रति सम्पूर्ण आदर भावना के साथ मैं कहता हूँ भीष्म नारायण जी यह कोई मजाक है, यह हंसने का मामला नहीं है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : मान्यवर, मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि इस सदन के सम्मानीय सदस्यों को ठेस पहुँचे। परन्तु आप नियम से सदन को चलाते हैं। कभी भी सरकार से कोई मांग हो कि उस पर व्यक्तव्य दिया जाए, आप सब लोग भी जो आज विपक्ष में बैठे हैं, सरकार चलाये हैं, क्या कभी यह संभव हुआ है ? (व्यवधान) लेकिन फिर भी चूंकि आपकी मैं इज्जत करता हूँ. आपकी भावना की मैं कद्र करता हूँ, अभी जो सूचना मुझे मिली है, उसके मुताबिक ··(व्यवधान) जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक श्री रामविलास पासवासन जी मुझ से मिले थे, किसान ट्रस्ट के सम्बन्ध में, मैंने उनकी बात सुनी। सवाल दूसरे पर कॉफिडेंस की बात का भी होता है। आपने लिख कर भी दिया। आपने हमारा रेस्पोंस देखा होगा। आखिर यहां कानून का राज है। कोर्ट में आप हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलते ही, जो सूचना अभी मिली है, (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलते ही सुप्रीम कोर्ट का निरादर करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता सरकार द्वारा अवहेलना करने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। मुझे जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक कार्यवाही को रोक दिया गया है। (व्यवधान) अभी हमें सूचना मिली है कि स्टे आर्डर मिलने के बाद कार्यवाही बन्द हो गयी है। अब इसके बारे मे मैं क्या वक्तव्य दूं ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से वक्तव्य के बारे में सारे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ और उन्हें बचाना चाहता हूँ कि मैं मन्त्री महोदय से मिला था। जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिलने के बाद (व्यवधान) लेकिन उसके पहले कार्यवाही चलती रही (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) हमारे वकील उनसे मिले थे, फिर भी वहाँ से समान निकलवाया···(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : (केन्द्र पाड़ा) क्या आपने कार्यवाही शुरू कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कायवाही शुरू करूंगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री बीजू पटनायक : क्या मंत्री जी के वक्तव्य को रिकार्ड नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री बीजू पटनायक : केवल हमारे वक्तव्य को कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : जिसको मैंने अनुमति नहीं दी उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आपने जो मुझे बोलने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ।

श्री बीजू पटनायक : आपने किस समय तक अनुमति नहीं दी थी (व्यवधान) श्री जार्ज फर्नान्डीस तथा हमने जो चाहा उसकी तो आपने अनुमति नहीं दी और जो मन्त्री बोले उसकी अनुमति दे दी।

श्री रामविलास पासवान : हम जो बोले हैं, वह एक्सपंज हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई एक्सपंज नहीं होता। मेरी बात सुनिए···एक्सपंज कुछ नही होता। रिकार्ड वह नहीं होता जो मेरी परमीशन के बिना कहा जाता है क्या आधार है। मैं बहुत कम कार्यवाही वृत्तांत से निकालता हूँ। जो अनपार्लिमेंट्री होता है, जो डिफामेटरी होता है, उसको एक्सपंज करते है। इन्होंने जो कहा है, इसके बाद इन्होंने बोल दिया, वे दोनों रिकार्ड में रख गए।

श्री बीजू पटनायक : क्या उसे रिकार्ड किया गया है (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान लेकिन जब आप कह देते हैं "डोंट रिकार्ड" तब कैसे रिकार्ड होता है।

अध्यक्ष महोदय : जब मेरी परमीशन होती है, तभी रिकार्ड होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप सिगनल कोर से सम्बद्ध हैं। आप इशारा कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे रिकार्ड न करने के लिए लिए कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप केवल तभी अनुमति देते हो जब हम आपत्ति उठाते हैं।

श्री रामविलास पासवान : जब आप हाथ से इशारा करते हैं, तब तो हमको पता ही नहीं चलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

मैं उस समय अनुमति देता हूँ जब मैं समझता हूं कि अमुक-अमुक सदस्यों ने मेरी अनुमति माँगी है। तभी मैं अनुमति देता हूँ और उसके बाद कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

श्री नीरेन घोष : असल में हम महसूस करते हैं कि कार्यवाही वृत्तांत में अधिक बातें सम्मिलित नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत महसूस कीजिए। अब श्री हरिकिशन बहादुर।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वाद-विवादों से में आपको बता चुका हूँ कि आपने कार्यवाही वृत्तांत से अपनी बात निकाल दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप फिर गलत बात करते हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे आपको दिखाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है । मेरे पास आइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (व्यवधान) । आप कह चुके हैं कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया था कार्यवही वृत्तांत से निकाल दिया गया, हमारे लिए समान अर्थ है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आइये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पाटिल कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। डा. डिल्लो कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आइए । मैं साबित करूंगा ।।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे आज दोपहर बाद 3 बजे तथा 8 बजे की बीच निश्चित रूप से मिलूंगा । मेरी अग्रिम बुकिंग कर लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई में कार्यालय के लिए स्थान को खरीदने के लिए मैसर्स जनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा काले धन के भुगतान का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें ।

'नरीमन फाइट, बम्बई स्थित डालामल हाउस में कार्यालय के लिए स्थान की खरीद के लिए मैसर्स जेनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा काले धन के रूप में 31,90,500 रुपये की कथित अदायगी और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, मेसर्स डी० एण्ड एच० सेकरोन इलेक्ट्रोड्स प्राइवेट लि. तथा मेसर्स डी. एण्ड एच. इलेक्ट्रोड्स कं तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के कार्यालय तथा रिहायशी परिसरों की तालाशी के दौरान, आयकर विभाग ने, एक सहयोगी संस्था, मेसर्स डालामल एण्ड सन्स इन्वेस्टमेंट कं. से सम्बन्धित कुछ दस्तावेजों को पाया और उन्हें पकड़ा । पकड़े गये दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेजो को फर्म के एक भूतपूव-लेखाकार द्वारा रखा गया समझा गया है जिनमें डालामल हाउस के पारिसरों की बिक्री पर लगभग 90,00,000 रु० की पगड़ी (आन-मनी) तथा डालमल टावर्स के मामले में लगभग 80,00,000 रु० की पगड़ी (आन-मनी) की वसूलियां दिखाई गई हैं । इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टियों से पता चलता है कि मैसर्स जेनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. बम्बई ने करार के अनुसार डालामाल हाउस में कार्यालय परिसरों की खरीद के लिए 35,45, 000 रु० की राशि अदा की और यह कि कम्पनी ने, इसके अलावा, उन्हीं कार्यालय परिसरो की खरीद के लिए 3 ,90,5000 रु० की राशि पगड़ी (आन-मनी) के रूप में अदा की । ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर, जिनमें मेसर्स डालामल एण्ड सन्स इन्वेस्टमेंट कं० द्वारा ऊपर बताये अनुसार पगड़ी (आन-मनी) की प्राप्ति के बारे में बताया गया है, कर निर्धारितियों द्वारा विवाद उठाया गया है तथा उक्त परिसरों के खरीदारों

तथा विक्रेताओं द्वारा किसी तरह की पगड़ी (आन-मनी) की अदायगी से इनकार किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है।

इन मामलों में जाँच-पड़ताल चल रही है और इन लेन-देनों में अन्तर्ग्रस्त कुछ पार्टियों की आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने इस धन को काले बान्डों में लगाने का आश्वासन दिया था।

श्री हरिकेश बहादुर : यह मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स तथा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरला की एक फर्म है और बिरला इसके चेयरमैन भी हैं। उन्होंने नारी मनव्वाइट स्थित डालामाल हाउस में यह कार्यालय परिसरों खरीदा है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि कुछ और दस्तावेज हैं उपलब्ध हैं जिनके अनुसार कुछ संकेत मिलते हैं। परन्तु और क्रेता विक्रेता दोनों ही इससे इन्कार कर रहे हैं, और मामले की पड़ताल हो रही है पहली बात जो मैं पूछना चाहूँगा वह यह है कि वह कौन सी ऐजेंसी है जो इस घोटले की पड़ताल कर रही है ? मैं चाहूँगा कि न्यायिक जाँच की जाए। जिस व्यक्ति ने शपथ-पत्र दिया है वह कहता है कि मामले की जांच होनी चाहिए यदि वह झूठा पाया जाता है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए जो भी कार्यवाही की जाए वह उसके विरूद्ध लेनी चाहिए। चूंकि शपथ-पत्र पहले ही वहाँ पर है इसलिए यदि यह झूठा साबित हो जाता है यो कार्यवाही की जायेगी। परन्तु वह पुरजोर कहते हैं कि जो भी उन्होंने कहा है वह पूर्ण रुप से ठीक है।

परन्तु इस विशेष मामले के संबंध में श्री आर. सी. शर्मा द्वारा हस्ताक्षर की गई इस नोटोराईजड शपथ-पत्र को एक फोटोस्टेट प्रति कुछ महीनों पर कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास भेजी जा चुकी थी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जब तक मैं इस मामले को आप के सामने और स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस सभा के समक्ष नहीं लाया तब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब आपने मुझे निर्देश दिया तब मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया। मैंने इस शपथ-पत्र की एक प्रति भी दी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं सभा पटल पर इसे रखना चाहूंगा ताकि यह इस सभा की सम्पत्ति बन जाए। अब मैं इसे सभापटल पर रखना चाहूगा।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : इसके अनुसार मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स तथा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 35,45,000 रु० का एक चैक दिया तथा 31,90,500 रुपये नकद दिए। इसलिये इस मामले की पड़ताल की जा रही है। जिन लोगों ने इस धन का काले धन के रूप में भुगतान किया है, वे निश्चित रूप से पकड़े जायेंगे, उन्हें दंड मिलना चाहिए। यदि यह सरकार वास्तव में भ्रष्ट व्यक्तियों तथा भ्रष्टाचार में जिनका हाथ है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में रूचि रखती है— जैसा कि प्रधान मंत्री महोदया इसके बारे में लगातार कहती रही हैं और उनके वक्तव्य दो बार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुके हैं तो उनके विरूद्ध अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए। अब यदि इनकी बात सही है तो क्या कारण है कि यह पड़ताल पहले क्यों शुरू नहीं की गई थी, जबकि इस नोटोराईजड शपथ-पत्र की फोटो स्टैट प्रति प्रधान मंत्री महोदया को भेज दी गई थी ? परन्तु मैं कह सकता हूँ कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

विशेष वाहक बन्धपत्र विधेयक जो अभी हाल में पारित किया गया है के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बिरला आदि जैसे लोग जिनके पास काला धन है वे जानते हैं कि यदि वे इन बियरर बाँडों को खरीदते है तो उन्हें उन पर बहुत कम ब्याज मिलेगा। इसलिये वे उन बांडों को कभी खरीदना नहीं चाहेंगे, वे अपना धन अधिक लाभ के लिये निवेश करना चाहेंगे जो वे कर रहे हैं। इसके अनुसार यह बहुत स्पष्ट है।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इस जांच में कितना समय लगेगा, क्या जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ? इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय वित्त मन्त्री जी से उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँगा जिनका इस भ्रष्टाचार तथा गोलमाल में हाथ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या श्री शुक्ल आज वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछिये।

श्री हरिकेश बहादुर : यदि इन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य है तो इन को गिरफ्तार किया जाए।

श्री आर. वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को सब बातों का स्पष्ट रूप से पता नहीं है जो इस मामले में हो चुकी है। जिस लेन देन का उन्होंने उल्लेख किया था वह 250 लेन देन में से एक है जो पहले हो चुके थे। हमने पड़ताल की है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कितने करोड़ रुपये का लेन देन था।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आप को सारे आँकड़े दूंगा क्योंकि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वह सदस्यों की जानकारी से अधिक है। इसलिए, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ।

डालामल इन्वेस्टमेंट कम्पनी के पास दो भवन हैं। इन दो भवनों में उनके पास 250 फ्लैट है और उन्होंने 250 फ्लैटों को डालामल हाउस के विभिन्न व्यक्ति को बेच दिया है। इनसे प्राप्त हुई सफेद धन 1,93,10,300 रुपये था और सन्देहास्पद काले धन की रकम की 90 लाख रुपये है।

डालामल टावर में 1,97,66,120, रु० की वैध राशि प्राप्त हुई तथा 80 लाख रुपया काले धन के रूप में होने का सन्देह है। हमने 40 घरों की तालाशी ली और हम अभी तक 1,80,000 रु० की विदेशी मुद्रा बरामद कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इसमें··· नहीं आता (व्यवधान)

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आपको सभी आँकड़े दूंगा। तब आप खुश होंगे।

28,000 रु. की विदेशी मुद्रा, 61,42,000 रु. के जेवरात···(व्यवधान) 1.98 लाख रु. का शराफा, 2.3 लाख रु० की चाँदी, 1.97 लाख के फिक्स्ड डिपोजिट, 4.57,000 रु. मूल्य की विदेशी शराब और विदेशी वस्तुएं। (व्यवधान) उल्लेखनीय फिल्मों के अतिरिक्त कुल 69,48,000 रु. की रकम। मैं यह जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि मेरे प्रिय मित्र ने कहा है कि यह जानकारी नहीं दी गई है। वस्तुतः डालामल गृह के साथ किए गए 250 सौदों में से यह एक सौदा है। हम उस व्यक्ति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जो धन प्राप्त करता है न कि जो धन देता है। अगर मैं जो रुपया देते हैं उनके पास जाउं तो मुझे 250 लोगों के पास जाना होगा और यदि मैं केवल उस एक व्यक्ति पर निगरानी रखता हूँ जो धन प्राप्त करता है तो मुझे सारी

जानकारी मिल जाती है क्योंकि मैं इन सब लोगों के सम्बन्धों का पता लगा सकता हूँ। इसीलिए हम इस सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र को गलत बताया गया है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जाँच समाप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। हमारी किसी को बचाने या संरक्षण देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी दोषी हो हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं।

श्री आर. के. महालगी (थाणे) : मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : तीखे प्रश्न।

श्री आर. के. महालगी : यह मामला सर्व प्रथम कब सरकार के ध्यान में आया ? दूसरे इसकी छानबीन कब आरम्भ हुई तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? यह जांच कौन कर रहा है ? आपने कुछ अधिकारियों का जिक्र किया। उन आयकर अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

(व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री आर. के. महालगी : सभा को यह बातें बताई जानी चाहिए। जाँच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री आर. वेंकटरामन : 29 सितम्बर के आसपास जानकारी मिली और 30 सितम्बर* को तलाशी शुरू हुई। तुरन्त कार्यवाही करने का यह परिणाम रहा। अन्यथा जो जानकारी मैंने उनको दी है वह नहीं मिल सकती थी।

जांच उन आयकर अधिकारियों की एक टीम कर रही है जो बम्बई से सम्बद्ध हैं। सारा विभाग जाँच कर रहा है। हम इस या उस अधिकारी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि अनेक अधिकारी अनेक लोगों के पास जा रहे हैं और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। (व्यवधान) 29 तारीख को जब हमें सूचना मिली तो कुछ तलाशियां तो उसी दिन शुरू की गई। पर अधिकांश तलाशियाँ 30 तारीख को की गई।

कार्यवाही के सम्बन्ध में हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और हम बिना साक्ष्य के मामले हटाना नहीं चाहते। हम इस मामले में सारा प्रमाण हासिल करने का प्रयास करेंगे और सम्बद्ध लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे।

श्री आर. के. महालगी : जाँच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री आर. वेंकटरामन : आप वकील हैं। मैं कैसे बता सकता हूं।

मैं शीघ्र पूरी करवाने की कोशिश करूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें यदि आप पढ़ें तो इसमें इस बात को इन्होंने कबूल किया है कि पगड़ी दी गई है। अभी तक डालामल हाउसिंग के परिसर में लगभग इतनी पगड़ी दी, डालामल टावर के मामले में इतनी पगड़ी की वसूली दिखाई गई है। इसका मतलब है कि सरकार बतायेगी कि पगड़ी लीगल है या इल-ली गल है ? इसके बाद इन्होंने एक्शन क्या लिया है, कुछ भी नहीं। मंत्री महोदय का ध्यान में बम्बई के अखबार इन्डियन एक्सप्रेस के 11 फरवरी के पहले पेज पर खींचना चाहता हूँ, जिसमें दिया है कि :—

*कृपया शुद्धि पृष्ठ 436 पर देखें।

"सिटीज हाई राइज वूम फ्लैट्स टु बि सोल्ड फार 1.2 करोड़"

मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय ने इसे जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वह सरकार में हैं तो उनको बहुत ज्यादा गोलमाल के मामले बचाने पड़ते हैं छिपाने पड़ते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पढ़ा भी होगा तो बतायेंगे नहीं।

मंत्री महोदय ने जैसा बताया जो बम्बई की हालत है, बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में भी और सब जगह बड़े-बड़े शहरों में ब्लैक मनी को ह्वाइट मनी करने का काम चल रहा है। 10 लाख की चीज है तो 5 लाख में शो कर दो, उधर उसका भी काम चलता है और लेने वाले का भी काम चल जाता है। यह दोनों तरीके से हो रहा है। एक-एक स्कवेयर फिट जमीन के लिये 2,2 हजार रुपये देना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि डालामल और बिड़ला की कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ कागजात जप्त हुए हैं, तो डालामल का मेन कार्यालय हांगकांग में है, उसका सारा बिजनेस वहां पर है, वहां से जो कागजात जप्त किये हैं और बिड़ला की जो विदेश में फर्म है, वहां से भी जो कागजात जप्त किए हैं, उनमें कितनी रकम का गड़बड़ घोटाला है और मंत्री जी इसमें क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

मेरा कहना यह भी है कि सारे बैंकों में एक सीकरेट फंड रहता है, जिसका काम रहता है कि ब्लैक मनी में वह रुपया दे देता है और पगड़ी वगैरा का सारा काम करता है। यह प्रत्येक बैंक में सीक्रेट फंड होता है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

सरकार को यह अधिकार है कि इन्कम टैक्स एक्ट के मुताबिक जैसे यह मामला आपके सामने आया है, सरकार उस मकान या जमीन को खरीद सकती है। जब मालूम हो गया है कि उसने पगड़ी दी है, अंडर-वैल्यू करके दिया है तो सरकार इसे खरीद सकती है और खरीद कर पुनः बेच सकती है। सरकार को उसमें मुनाफा हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो यह मामला पकड़ा गया है, क्या इसमें सरकार उस मकान को खरीदेगी और अपने पास सरकारी उपयोग के लिये रखेगी या फिर उसे ओक्शन कर के बेचेगी?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं अपने बयान में कुछ शुद्धी करना चाहता हूँ। मैं गलती से 'मई' कह गया था। यह सितम्बर है, न कि मई

श्री आर. के. महालगी : तीन मास बाद

श्री आर. वेंकटरामन : नहीं, मैं स्पष्ट करता हूं। सौदा मई में हुआ। यह हमारे ध्यान में सितम्बर, 1980 के आसपास लाया गया और मैंने उसी दिन कहा। मैं सौदे की तारीख और सूचना मिलने की तारीख मैं गलती कर गया। मैं उसे ठीक करना चाहता हूं।

श्री पासवान ने काले धन की कुल राशि के बारे में पूछा।

श्री राम विलास पासवान : मेरा पहला प्रश्न यह था कि डालामल का जो बिजनेस चलता है, उनका मेन कार्यालय हांगकांग में है। उनके जो कागजात आपने जप्त किये हैं और बिडला के भी जो कागजात जप्त किये हैं, विदेशों में जो उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें क्या निकला है? इस सारे मामले मे आपने क्या पकड़ा है और क्या कार्यवाही कर रहे हैं? दूसरे बैंकों में जो सीक्रेट फंड रहता है, उसके बारे में है।

श्री आर. वेंकटरामन : हमारा सारा प्रयास उन फ्लैटों की संख्या मालूम करना है जो

बेचे गए हैं तथा यह मालूम करना है कि इसमें कितने रुपयों का सौदा हुआ। यदि हम प्रत्येक खरीददार और डालामल के बीच हुए सौदे की जाँच करने लगे तो हम इस तथ्य की अनदेखी करेंगे कि दो भवनों के 250 फ्लैटों से कितना काला धन बनाया गया। अतः हम इस बात पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। यदि जाँच के दौरान डालामल इन्वेस्टमेंट कम्पनी और जीनिथ के बीच सौदों में गड़बड़ पाई गई तो हम कार्यवाही करेंगे। इस समय हम एक भवन के सम्बन्ध में 90 लाख और दूसरे के सम्बन्ध 80 लाख रुपये के सन्दिग्ध काले धन के सौदों की जाँच पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इसमें कुल 1.70 करोड़ रुपये की रकम अन्तर्गस्त है।

फिर बैंकों द्वारा की जा रही मदद के बारे में सवाल उठाया गया है। हमारे पास बैंकों द्वारा इस सौदे में की जा रही कथित मदद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्री पासवान आरोप नहीं लगा सकते··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। फिर आप बोल सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : * *

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री पासवान ही यह कह सकते हैं। आप क्यों उठा रहे हैं। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक निवेदन है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि यह एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। श्री पासवान ही इसे उठा सकते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस कैसे उठा सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह ठीक नहीं है। इस तरह हम कार्यवाही नहीं चला सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।···

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी खड़े हैं। उन्हें बोलने दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका संरक्षण माँग रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री जी खड़े हैं और उन्हें उत्तर देने दें।

श्री आर. वेंकटरामन : श्री पासवान ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है वह यह है कि सरकार इन फ्लैटों की खरीद के मामले में आयकर अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रही जबकि उसके पास सूचना है कि इन फ्लैटों को बाजार भाव से कम दामों में बेचा जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बहुत ही कम मूल्यों पर।

श्री आर. वेंकटरामन : जी हाँ, बहुत कम मूल्यों पर शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि विधि के वर्तमान निर्वाचन के अन्तर्गत सहकारी फ्लैटों की बिक्री पर ये कानून लागू नहीं होते क्योंकि मुझे बताया गया है कि यह सहकारी समिति के एक सदस्य के हित का दूसरे सदस्य को अन्तरण है। अतः मैंने अपने वर्तमान वित्त विधेयक में† इसमें संशोधन के लिए उपलब्ध किया है। (व्यवधान) आप मेरे वित्त विधेयक को पढ़ें। इस कमी को दूर करने के

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

†कृपया पृष्ट 637 पर शुद्धियाँ देखें।

लिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके आधार पर कम कीमत लगाए जाने की स्थिति में सहकारी फ्लैट को भी विभाग खरीद सकेगा। कानून की इस कमी को इस वित्त विधेयक में पूर्ति की गई है। निश्चय ही हम इस शक्ति का और व्यापक ढंग से प्रयोग करेंगे। पर मैं सभा को विश्वास में लेकर कहता हूँ कि सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को हमेशा निष्फल करने की कोशिश की गई क्योंकि बहुत सारे रोकादेश जारी किए गए। हम एक भी फ्लैट लेने में सफल नहीं हुए। मैं सभा से आग्रह करता हूँ कि जब मैं इस सम्बन्ध में अलग से विधान लाऊंगा तो वह मेरा समर्थन करे। इसमें मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये सौदे··· (व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के मामलों को जिनमें आधी कीमत कानूनी ढंग से और आधी गैर कानूनी ढंग से ली जाती है आरम्भ में ही समाप्त कर दिया जाए। यदि सम्पत्ति खरीदने में सरकार के सामने बाधाएं पैदा न की जाएं तो इस बुराई को जन्मते ही खत्म किया जा सकता है।। मैं इस विषयक कानून को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कि वित्त विधेयक में यह संशोधन लाया गया है।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, मंत्री महोदय ने कहा कि ठीक है, मैं इससे सहमत हूं कि सरकार उसे खरीद सकती है लेकिन अभी उनके पास कोई अधिकार नहीं है तो क्या सरकार जब अधिकार मिल जाएगा तो इस का उपयोग इस पर करेगी? अभी भी अधिकार है मंत्री महोदय को और जब यह मामला सामने आ गया है तो क्या वह इस पर विचार करेंगे कि इस मामले में इस अधिकार को प्रयोग करें ?

सदस्य द्वारा वक्तव्य

बम्बई सेन्ट्रल टर्मिनस के यार्डमैनों की हड़ताल

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय,

आपकी आज्ञा से मैं निदेश 115 के अन्तर्गत निम्नलिखित बयान देता हूँ।

"मेरे अतारांकित प्रश्न सं. 4341 (जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 1980 को दिया गया था) में पूछी गई इस बात का कि क्या बम्बई सेन्ट्रल टर्मिनस के यार्डमैनों ने हाल ही में कोई हड़ताल की थी माननीय रेल उपमन्त्री ने नकारात्मक उत्तर दिया था मेरा निवेदन है कि उत्तर गलत और गुमराह करने वाला था।

14 नवम्बर, 1980 को कुछ यार्डमैन अपनी शिकायतों और मांगों के सिलसिले में डी. आर. एम. से मिले थे, पर उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। इस क्षोभ के फलस्वरूप यार्डमैनों ने हड़ताल कर दी और वहां 11.30 से 2.15 बजे तक काम रुक गया। जब कुछ अधिकारियों ने हस्ताक्षेप किया और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया तभी यार्डमैन काम पर वापस आए। थोड़ी देर की हड़ताल के बाद काम पर वापस लौटने के मजदूरों के विवेकपूर्ण काम की सराहना करने की बजाय इस बात से ही इनकार किया गया है कि काम रुका ही नहीं था।

काम रुकने के कारण रेल सेवा में विलम्ब हुआ। अहमदाबाद यात्री गाड़ी लेट हुई।

फिर मेरे उसी प्रश्न के भाग (ग) में पूछे गए इस सवाल के उत्तर में कि यार्डमैनों की मांगें क्या थी और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है रेल उप मन्त्री ने कहा है कि प्रश्न पैदा नहीं होता। अतः उत्तर से प्रतीत हुआ कि यार्डमैनों की कोई शिकायतें नहीं हैं और उनकी ये मांगें भी नहीं हैं कि यार्डों या स्टेशनों पर एवजी या तदर्थ आधार पर काम कर रहे लोगों को स्थायी बनाया जाए और उन्हें वर्दियां दी जायें आदि।

मैं माननीय मंत्री से सभा में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं जिन्होने मंत्री जी को गलत जानकारी दी जिनसे सभा गुमराह हुई।"

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मुझे यह कहना है कि 18-12-20 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न 4341 के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर न तो गलत था और न ही भ्रामक जैसाकि माननीय सदस्य का कहना है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बम्बई सेन्ट्रल टर्मिनस के यार्ड कर्मचारियों द्वारा 14-11-80 को काम नहीं रोका गया था। जो कुछ हुआ वह यह है कि 14-11-80 को एक गैर-मान्यता प्राप्त निकाय जो अपने आपको पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद कहता है, के कुछ सदस्य जो ड्यूटी पर नहीं थे, मण्डल रेल प्रबन्धक, बम्बई सेन्ट्रल से मिलना चाहते थे। लेकिन वे उनसे नहीं मिल सके क्योंकि वे यूनियन की बैठक में थे इसके बाद वे कर्मचारियों को उकसाने के लिए बम्बई सेन्ट्रल यार्ड गए कि यार्ड कर्मचारी काम बन्द कर दें। जब वरिष्ठ मण्डल परिचालन अधीक्षक बम्बई सेन्ट्रल को पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के कामगारों की इस योजना की जानकारी मिली, वे तुरन्त यार्ड को रवाना हो गए और ड्यूटीरत कर्मचारियों को यह स्पष्ट किया कि उन्हें गैर मान्यता प्राप्त यूनियन के कारगारों के बहकावे में नहीं आना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार काम रोक देने का परिणाम सेवा भग सहित काम नहीं, वेतन नहीं, हो सकता है। अतः यार्डों के कर्मचारी ड्यूटी पर रहे और इस प्रकार काम रोका नहीं गया। अतः, भाग (क) के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर वस्तुतः सही है।

गाड़ी सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। फिर भी, अहमदाबाद सवारी गाड़ी देर तक रुकी रही, यार्ड कर्मचारियों की किसी कार्यवाही के कारण नहीं बल्कि उस समय कोचिंग स्टाफ की कमी के कारण कुछ सवारी डिब्बों या रेकों के बदलाव के कारण।

प्रश्न के भाग (ख) में माननीय सदस्य हड़ताल का कारण जानना चाहते थे। चूंकी ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई थी, अतः, उत्तर नकारात्मक था जो वस्तुतः सही है।

प्रश्न के भाग (ग) में माननीय सदस्य यार्ड कर्मचारियों की मांगों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में जानना चाहते थे। स्पष्टतया इस पर प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सन्दर्भ में विचार करना चाहिए और इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। फिर भी यार्ड, कर्मचारियों ने समय-समय पर कुछ शिकायतों की आवाज उठाई है जिन पर मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ स्थाई वार्ता तंत्र की बैठकों में और उनके व्यक्तिगत ज्ञापनों/प्रतिवेदनों पर भी कार्यवाही की गयी है। यार्ड कर्मचारी अप्रैल 1980 में किसी समय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास गये और उन्होंने वहाँ अनेक मामले उठाये. इन मामलों पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के न्यायालय में विचार विमर्श किया गया और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा यह

संतुष्टि कर लेने के बाद कि रेल प्रशासन द्वारा इन मामलों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, यह मामला 22-7-80 को समाप्त कर दिया गया। फिर भी ये मांगें उपर्युक्त पैरा एक में उल्लिखित 14-11-80 को हुई घटना से सम्बन्धित नहीं है और स्पष्टतः, भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक दिया गया था।

अतः, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने जो सूचना दी थी वह गलत नहीं थी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानि के लिए किसानों को मुआवजा

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को फसल उगाने के लिए बिजली और सिंचाई की सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं। बिजली और सिंचाई की सुविधाओं की कमी के अलावा किसानों को समय समय पर बहुत सी अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

हाल में किसानों ने अपने कठिन परिश्रम, अपनी पास की पूंजी और उधार सब लगाकर गेहूं चना आदि की फसलों को तैयार किया जबकि न किसानों को बिजली मिली और न नहर का पानी।

ऐसे वक्त पर प्रकृति के प्रकोप ने किसानों का ओल वृष्टि से सर्व-नाश कर दिया। मैं स्वयं मौके पर गया हूं, हरियाणा राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के बहुत से गाँव के गांव की फसल तबाह हो गई है। हरियाणा के जिला सिरसा के गाँव शेरपुरा इत्यादि में तहसील फतेहाबाद के और हरियाणा के दूसरे हिस्सों को देखने मात्र से रोना ही आता है। राज्य सरकार ने इस नुकसान के लिए 400/- रुपये प्रति एकड़ देना कबूल किया है जोकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

अतः मेरा यह पुरजोर आग्रह है कि अनेक राज्यों में व्यापक ओलावृष्टि के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उन्हें राहत और मुआवजा देने के लिए केन्द्र सरकार संबंधित राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार करें ताकि किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपये तक की सहायता मिल सके।

(दो) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली, के कार्यकरण में सुधार के उपाय

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : नियम 377 के अधीन मैं वक्तव्य दे रहा हूँ।

हाल ही में सफदरगंज अस्पताल के कर्मचारियों की शिकायतों से चाहे वे डाक्टरों की हों नर्सों की हों अथवा मजदूरों की हों, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसा लगता है कि यह अस्पताल बड़ी कठिनाई में पड़ा गया है। यहां स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और कर्मचारियों के किसी समय हड़ताल कर देने की सम्भावना है।

इस अस्पताल में प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में काफी अनियमितताएं दिखाई देती हैं।

उपकरणों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में गोलमाल के उदाहरण हैं। इस कुप्रशासन के कारण यह आवश्यक हो गया है कि अस्पताल और इसके कर्मचारियों की आवश्यकताओं की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए।

इस अस्पताल का कैंटीन बिना छत के है। एक गन्दी नाली जो खुली हुई है और भरी रहती है इसमें होकर जाती है। इसकी दीवारें धूल और धुएं से काली पड़ी हुई हैं। फर्नीचर टूटा-फूटा है और क्राकरी भी टूटी हुई है। लगभग 40,000 मरीजों, अगन्तुकों और कर्मचारियों को यहां जो खाना दिया जाता है वह गंदा, अस्वादिष्ट और मंहगा है। अल्सर, क्षयरोग, कैन्सर और अन्य छुआछूत के रोगों से पीड़ित रोगी सभी इस कैंटीन की गंदी प्लेटों और थालियों में खाते हैं।

इसके अलावा कर्मचारियों के लिए रोगी-कक्ष की सुविधाएं नहीं हैं और कर्मचारियों की संक्रामण' रेडिएशन, क्षयरोग और और रोगों से मृत्यु हुई हैं।

अस्पताल के परिसर में चोरी, बलात्कार, स्त्रियों पर शराबियों के घूमने आदि के मामले प्रकाश में आये हैं। गरीब रोगियों को आपरेशन उपकरण तथा किमती दवाइयाँ खरीदने के लिए कहा जाता है जोकि उन्हें अस्पताल से मिलने चाहिए। यहाँ दो प्रकार की सेवायें हैं, एक विशिष्ट व्यक्तियों के लिए और दूसरी साधारण लोगों के लिए भोजन की ट्रालियों में दो प्रकार का खाना होता है एक वह जो सामान्य वार्ड के लिए और दूसरा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए।

इस अस्पताल में अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण इस बात की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ अतिरिक्त बिस्तरों के लिए तथा अधिक बड़े आपात विभाग तथा अस्पताल के लिए साज-सामान और उपकरणों की अधिक व्यवस्था की जाये।

इस वक्तव्य के माध्यम से मैं अस्पताल की गम्भीर हालत की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। कि इस अस्पताल में जो दुरुपयोग उपेक्षा तथा गंदगी है उसकी जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की जाये।

(तीन) शाहजहाँपुर में एक सहकारी चीनी कारखाने को स्थापना करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहाँपुर) : नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य दे रहा हूँ।

बहुत समय से शाहजहाँपुर जिले के निवासियों, विशेषरूप से पोवामान तहसील के गन्ना उत्पादकों द्वारा सहकारी क्षेत्र में एक चीनी का कारखाना स्थापित करने की मांग की जा रही है किसानों की उनकी मात्र नकदी फसल अर्थात गन्ने की बिक्री की कठिनाई के कारण इस क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ रही है। मुझे मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पोवायन में सहकारी क्षेत्र में चीनी का कारखाना लगाने के बारे में जोरदार सिफारिश की है. मेरा कृषि मन्त्री से निवेदन है कि वह स्वयं इस मामले की जाँच करें और इस मामले में यथा सम्भव शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही इस कारखाने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे इस तहसील के उत्पादकों को लाभ हो। कारखाना स्थल की एक सिफारिश में कहा गया है कि कारखाना रवुता-बांदा मार्ग पर जो इस तहसील का केन्द्र है, स्थापित किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस परियोजना के बारे में यथा संभव शीघ्र अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

(चार) नागपुर फ्लाइंग क्लब को बढ़ाये गए अनुदान का भुगतान करने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : नागपुर फ्लाइंग क्लब देश के सबसे पुराने क्लबों में से

है दुर्भाग्यवश धन की कमी के कारण इसके बन्द होने की आशंका है और इसके प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों को क्लब की गतिविधियां स्थगित होने की सम्भावना के कारण नोटिस दे दिए हैं।

नागपुर फ्लाइंग क्लब का कार्य बहुत ही उज्वल रिकार्ड रहा है। चीन के साथ युद्ध के दौरान इस क्लब ने कुछ ही महीनों में भारतीय वायु सेना में प्रवेश के लिए 600 चालकों को प्रशिक्षण दिया था साथ ही वर्षों से क्लब राष्ट्रीय कैडेट कोर के वायु सेना विंग के लिए कैडेटों को प्रशिक्षण दे रहा है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों को भी जिनकी इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया में रोजगार की बड़ी मांग है नागपुर फ्लाइंग क्लब में प्रशिक्षण दिया जा रहा।

इस क्लब में चालकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक वायुयान और साज-सामान मौजूद है और यदि क्लब को बन्द किया गया तो यह सब बरबाद हो जाएगा। इसके बन्द होने की स्थिति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चालक का प्रशिक्षण नहीं मिल पायेगा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें इन्डियन एअरलाइन्स और एअर इन्डिया में रोजगार के अवसर नहीं मिल पायेंगे।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को नागपुर फ्लाइंग क्लब को तत्तकाल अधिक अनुदान देना चाहिए जिससे इस क्लब को बन्द होने से बचाया जा सके।

(पांच) आसनसोल रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं की आवश्यकता

श्री बासुदेव आचर्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आसन सोल स्टेशन की दशा इतनी खराब हो गई है कि जो गाड़ियां पहले आसन सोल आती थीं वे अन्दल तथा बारिया स्टेशनों तक ही आ रही हैं। 305 अप/ 306 डाउन आसनसोल हावड़ा एक्सप्रेस में आसनसोल स्टेशन में पर्याप्त स्थान की कमी के कारण 17 डिब्बों की सामान्य संख्या की बजाय केवल 12 ही डिब्बे हैं। बार-बार प्रतिवेदन देने के बाद रेलवे मन्त्रालय ने वर्ष 1979-80 के लिए आसनसोल स्टेशन में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण की स्वीकृति दी है किन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति लगभग शून्य के बराबर है।

इन परिस्थितियों में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल कदम उठाये जिससे आसनसोल-दुर्गापुर कोयला और औद्योगिक पट्टी के मुसाफिरों के हित में 1982-83 के निर्माण कार्यक्रम में सर्वेक्षण दल की सिफारशों को शामिल किया जा सके।

मेरी यह भी मांग है कि मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए।

(छ) मद्रास के ईंटों के भट्ठों के लिए कोयले की सप्लाई

श्री पी. राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में 300 ईंटों के भट्ठे हैं। इन भट्ठों में 60,000 मजदूर काम कर रहे हैं। इन भट्ठों को अपने उत्पादन के लिए कोयले के चूरे पर निर्भर करना पड़ता है। गत वर्ष तक 225 टन कोयले का चूरा प्रतिमाह भेजा जा रहा था। किन्तु इस वर्ष फरवरी से इस लघु उद्योग के लिए मद्रास को कोई कोयला नहीं भेजा गया है। अतः हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

यदि किसी स्थापित उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वह अस्त-व्यस्त हो जाता है तो उस उद्योग को वर्षों के बाद भी पुरानी स्थिति में लाना कठिन हो जाता है देश के इस भाग का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है । यदि इसकी सहायता न की गई तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और यह सरकार की नीति के विरूद्ध होगा ।

जब तमिलनाडु की ईंटों के उत्पादकों की समिति ने रेलवे विभाग से निवेदन किया तो इस विभाग ने कहा कि उसके पास वेगनों की कमी है । अब वेगन तो हैं किन्तु ऊर्जा विभाग बाधा डाल रहा है । संभवत: यह विभाग कोयला बिजली घरों को देना चाहता है । वास्तव में यह भी आवश्यक है । किन्तु मद्रास में ईंट उद्योग को भी फलना फूलना चाहिए जिससे मजदूरों की रक्षा हो सके तथा तमिलनाडु में निर्माण समिति को हानि न उठानी पड़े ।

अत: मेरा सरकार से, विशेष रूप से ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें और मद्रास को कोयला भेजने की अनुमति दें ताकि कोयला ईंट के भट्ठों को वितरित किया जा सके ।

(सात) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ जयपुर नगर को 'बी' श्रेणी का दर्जा देने की मांग

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ताजा जनगणना प्रतिवेदन के के अनुसार जयपुर शहर की आबादी 1,004,669 हो गई है और इसका हमारे देश में सबसे बड़े शहरों में बारहवाँ स्थान है . जयपुर स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने संघों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से काफी लम्बे समय से इस शहर का दर्जा बढ़ा कर 'ख' श्रेणी में करने का अनुरोध करते आ रहे हैं और ऐसे शहरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो भत्ता मिलता है उसकी माँग करते आ रहे हैं । सम्भवत: केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की इस माँग को मंजूर करने का कारण यह था कि जयपुर शहर की आबादी 10 लाख नहीं हुई थी । अब जनगणना से यह स्पष्ट हो गया है कि जयपुर की आबादी दस लाख से अधिक है, अत: केन्द्रीय सरकार को जयपुर को 'ख' श्रेणी का शहर घोषित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस शहर को 'ख' श्रेणी का शहर घोषित करने से सरकारी कर्मचारी नगर भत्ते के रूप में कुछ अधिक धनराशि पाने के हकदार होंगे और इससे उन्हें मुद्रास्फीति का यद्यपि एक समिति केरूप में सामना करने में सहायता मिलेगी ।

मुझे आशा है और विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करेगी और और जयपुर शहर को 'ख' श्रेणी का दर्जा प्रदान करेगी ।

(आठ) रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में एक अल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : 50,000 टन की क्षमता तथा 80 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय वाली रत्नगिरि अलुमीनियम परियोजना जिसे हंगरी के सहयोग के साथ स्थापित किया जा रहा है, 11 वर्षों के पश्चात भी बीच में ही लटकी हुई है । यह करोड़ों रुपये की परियोजना, जिसे पिछड़े कोकण क्षेत्र के लिये भाग्य-परिवर्तन करने वाली योजना कहा गया है, अभी तक भ्रूण स्तर से आगे नहीं बढ़ पाई है । सरकार की मूल घोषणा के अनुसार, मध्य प्रदेश में कोरबा परियोजना और महाराष्ट्र में रत्नगिरि में संयन्त्र साथ ही साथ

चालू किये जाने थे। कोरवा परियोजना चालू हो चुकी है किन्तु रत्नगिरि परियोजना के निर्माण को किसी अस्पष्ट कारण से टाले रखा गया है यह कहा गया है कि यह परियोजना वित्तीय कठिनाईयों के कारण नहीं बन पा रही है। किन्तु देश में एक नया अलुमीनियम संयन्त्र फ्रांस के सहयोग से अभी हाल में स्थापित किया गया है। फ्रांस के सहयोग से नये अल्यूमिनियम सयन्त्र को आरम्भ करने में सरकार को वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य कारण हैं, जो रत्नगिरि परियोजना को पूरा करने में बाधा बन रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी अधिकारी निश्चित रूप से यह बात नहीं जानता कि इस परियोजना को पूरा भी किया जायेगा अथवा इसे हमेशा के लिये छोड़ दिया जायेगा। अत: मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए कि क्या यह परियोजना कठिनाईयों को पार कर लेगी अथवा उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है।

(नौ) अलवर रेल स्टेशन के पास एक उपरी रेल पुल की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान में अलवर स्टेशन के समीप शीघ्र एक रेलवे उपरि-पुल बनाने की आवश्यकता है। अलवर का 'मत्स्य" औद्योगिक क्षेत्र रेलवे लाइन के पूर्वी ओर स्थित है जब कि अलवर शहर पश्चिमी ओर स्थित है। इसके अतिरिक्त, अलवर की कृषि उपज मंडी समिति ने रेलवे लाइन की पूर्वी ओर खाद्यान्न के लिये वाणिज्यि एजंटों के लिये दुकानों का निर्माण किया है। शहर, औद्योगिक क्षेत्र तथा खाद्यान्न मडी में एक सम्पर्क आवश्य होना चाहिए।

अलवर एक औद्योगिक शहर है तथा सरसों के तेल तथा खाद्यान्न की मडी भी है। उद्योगों के लिए कच्चा माल औद्योगिक क्षेत्र में लाया जाता है और उसमे बनाने वाली वस्तुए बाहर भेजी जाती हैं। आने और जाने वाला यातायात सारे वर्ष भर में काफी रहता है।

दिल्ली से जयपुर जाने वाला सड़क यातायात अलवर से होकर जाता और इसे रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। रेलवे लाइन के पूर्वी ओर सैनिक छावनी है और सैनिक वाहनों को रेलवे लाइन पार करके अलवर शहर, जयपुर और दिल्ली जाना पड़ता है।

अलवर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पिंक सिटी एक्सप्रेस गाड़ी भी यहाँ पर ठहरती है। अलवर में रेलों के आवागमन से निर्मामित यातायात में बाधा पड़ती है और यात्री वाहनों को रेलवे क्रासिंग के पास लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

इन बातो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेलवे उपरि पुल के शीघ्र ही निर्माण की नीति निर्माता शक्ति के वह इस मामले मे आवश्यक कदम उठाये।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए 2 बज कर 20 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात 2 बज कर 26 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदानों की मांगे—1981-82

विदेश मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो,

श्री एडुआर्डो फैलोरो : (मारमागाओ)

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले लगभग एक वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में गिरावट आई है। ऐसी स्थिति अभी हाल की दशाओं में अभी उत्पन्न नहीं हुई। तनाव-शैथिल्य समाप्त हो चुका है और इस समय एक महाशक्ति की निति निर्माता शक्ति के माध्यम से शांति' के पुराने नारे को पुनुर्जीवित कर रहे हैं जिसका अर्थ यह है कि शास्त्रास्त्रों की होड़ को नये सिरे से बढ़ावा दिया जा रहा है और सर्वत्र तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है'

हम एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो अभी तक लगभग तनावों से मुक्त था, संघर्षों से मुक्त था किन्तु अब यह महाशक्तियों में संघर्ष का प्रमुख मंच बनता जा रहा है और जब तक स्थिति में अविलम्ब सुधार नहीं लाया जाता, यह महाशक्तियों के संघर्ष का प्रमुख अखाड़ा बन जायेगा।

निक्सन-किसिंगर युग में रूस के प्रभाव के प्रसार को जापान, चीन और अमेरिका के त्रिकोणात्मक गठबंधन से रोकने की सामरिक नीति थी और वास्तव में इसके लिए ही चीन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी गई थी; उस देश को यह सहायता इस लिये सहायता दी गई थी कि वह सोवियत रूस के प्रभाव के प्रसार को रोकने में रक्षा सम्बन्धी एक प्रमुख भूमिका निभा सके।

अभी हाल में यह प्रतीत होता है कि इस नीति में विस्तार और संशोधन किया गया है, क्योंकि शायद चीन को अब विश्वासनीय साथी नहीं माना जाता क्योंकि उसको विश्व के बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं और जापान ने यह दिखा दिया है कि उसकी बड़ी सैनिक भूमिका निभाने में बिल्कुल रुचि नहीं है। जैसा कि वाशिंगटन के नीतिकार कहते हैं अब नीति शक्ति सन्तुलन बनाये रखने की है, यह सन्तुलन एक देश की तुलना में दूसरे देश के स्तर पर होगा और एशिया भर में सन्तुलन रखा जायेगा। और पाकिस्तान को हथियारों से लैस करना इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

जनरल जियाउलहक ने अभी साल में भारतीय पत्रकार से भेंट में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को जो हथियार दिये जा रहे हैं वह रूस के विरुद्ध प्रयोग के लिए नहीं दिये गये हैं। अतः शेष यही विकल्प बचता है कि यह हथियार इस देश के विरुद्ध करने जायेंगे और मैं चाहता हूँ कि सदन को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाये और इस देश को सचेत किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई का उद्देश्य यह है कि वह भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किये जा सकते हैं और वह भारत के लिए सीधी धमकी है।

इस नीति के कारण अफगानिस्तान में रूस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने उस देश को घेर लिया है और किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि रूस अफगानिस्तान से तब तक नहीं जायेगा जब तक वह यह अनुभव न करे कि रूस को घेरने की नीति अब नहीं है और रूस सुरक्षित है।

महोदय, पिछले वर्ष की बहस के दौरान मुझे इस सदन में डिआगो गार्सिया के सैनिक

अड्डे से सम्बद्ध प्रमुख सैनिक नीति निर्माताओं द्वारा अमरीका की सीमेंट की विदेशों से सम्बन्धों सम्बन्धी समिति के समाने दिये गये साक्ष्य से उद्धाहरण देने का अवसर मिला था और उन्होंने कहा था इसके लिये अभिलेख देखे जा सकते हैं। उन्होंने जो साक्ष्य दिया और उनके वक्तव्य उपलब्ध है कि डिआगो गर्सिया मित्र देशों को प्रोत्साहन देने के लिए है, उन सरकारों को जो इस क्षेत्र में अमरीकी हित साधन करती हैं प्रोत्साहन देने के लिये है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि यह उन शासनों में हस्तक्षेप करेगा जो इससे ऐसा मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। भारत भी उनमें से एक देश है कांग्रेस शासन उन शासनों में है जिसे अमरीका प्रशासन इस रुप में देखता रहा है कि वह अमरीकी हितो के साधन के लिए उनका मित्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में केवल हम ही नहीं बल्कि विकासशील देश भी सुरिक्षत नहीं हैं और उन्हें धमकी दी जा रही है। इनमें से उन देशों ने भी, जो किसी न किसी गुट से सम्बद्ध हैं इस स्थित पर चिता व्यक्त की है। फ्रांसीसी नेताओं ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं। पश्चिम जर्मन के नेताओं ने भी वक्तव्य दिये हैं और मेरा विचार है कि पूर्वी यूरोप में होने वाली घटनाओं का महाशक्तियों की राजनीति से सम्बन्ध अवश्य है। अतः मेरा यह नम्र किन्तु दृढ़ निवेदन है कि पूर्व के किसी भी समय से पहले आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कहीं अधिक संगत है, गुट-निरपेक्ष नीति की आज बहुत अधिक आवश्यकता है। वस्तव में जब तक गुट-निरपेक्ष देशों के माध्यम से सद्बुद्धि का प्रसार नही होता, यह प्रतीत होता है कि आणविक आपदा आने वाली है और मानव जाति को विनाश के कगार से लौटाया नहीं जा सकता।

महोदय, यह कहना एक बात है कि आज गुट-निरपेक्ष सिद्धान्त बहुत संगत है अथवा पहले से अधिक संगत है और यह कहना दूसरी बात है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन काफी सशक्त है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन अपनी काफी दिशा अथवा विश्वास खो चुका है और अब यह अपेक्षाकृत कमजोर आंदोलन बन गया है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ अनेक प्रकार के आंदोलन हैं और इसमें अनेक प्रकार के देश हैं। इस आंदोलन में जैसे, मिश्र अथवा सिंगापुर जैसे भी देश है जो किसी न किसी महाशक्ति से सम्बद्ध हैं ऐसे भी देश हैं जिन्हें तनिक भी गुट-निरपेक्ष देश नहीं कहा जा सकता।

महोदय, इस देश और अन्य देशों के लोग अब भी यही चाहते हैं कि इसमें भारत अधिक से अधिक सक्रिय भूमका इस अर्थ में निभाये कि वह इन सभी देशों में एकता लाने, उनके हितों को हित, जो कि समूची मानव जाति के ही हित हैं, पता लगाकर उनकी पूर्ति करने तथा इन देशों की सुरक्षा की दिशा म पहल करें और नेतृत्व प्रदान करे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में इतनी कमजोरियाँ होने के बावजूद दिल्ली सम्मेलन में एक संयुक्त वक्तव्य, एक सर्वसम्मत घोषणा पारित की गई कि जिससे पता चलता है कि राजनितिक स्तर पर एक बहुत बड़ी पहल की गई और उसका श्रेय भारत के विदेश मन्त्री, उसके मन्त्रालय तथा सरकार को जाता है क्योंकि उन्होंने आन्दोलन को संकट की उस घड़ी में बचाया जब उसमें अनेक कठिनाईयाँ और आंतरिक विरोधभास पैदा हो गये थे। निस्सन्देह निर्गुट सम्मेलन की देन इससे भी अधिक रही। संयुक्त राष्ट्र संघ या इस्लामिक सम्मेलन ईराक और ईरान को परस्पर वार्ता के लिए तैयार नहीं कर सके। पहली बार ये दोनों देश दिल्ली सम्मेलन में साथ बैठ कर अनिर्णीत प्रश्नो पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए। मैं यह भी कहूंगा कि भारत को पाचसूत्रें

दशक की भाँति इन विकासशील देशों को निकट लाने के लिए पहल करने की एक बार फिर अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने आम तौर पर विश्व के हित में तथा विशेष तौर पर विकासशील देशों के हित में उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावी भूमिका निभाई थी। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सीमाओं के बावजूद एक ऐसा विश्व मंच है जिसकी तुलना विश्व सरकार की प्राचीन धारणा से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ही केवल ऐसा मंच है जिसके माध्यम से विकासशील देशों की संयुक्त शक्ति और निर्गुट शब्दों की संयुक्त शक्ति का उपयोग बहुत ही निश्चित और रचनात्मक ढंग से किया जा सकता है। मेरे विचार में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत तथा अन्य विकासशील देशों को उन दो प्रमुख मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो आज विश्व के लिए चिन्ता का विषय बने हुए हैं। उनमें से एक निःशस्त्रीकरण है तो दूसरा विकास। भारत ने आज से कई वर्ष पूर्व 1954 में भी पहल की थी और इसके कूटनीतिक प्रयासों के परिव्यय स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में 1963 में 'आंशिक आणविक परीक्षण निषेध सन्धि' पर हस्ताक्षर हुए थे। हमने 1971 में अणु प्रसार निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका कारण यह था कि यह सन्धि पक्षपातपूर्ण थी। हमने अनुभव किया कि खतरा क्षैतिज अणुप्रसार की अपेक्षा उर्ध्व अणुप्रसार से अधिक है। क्योंकि यदि क्षैतिज अणुप्रसार खराब है तो उर्ध्व अणुप्रसार उससे भी अधिक खराब है क्योंकि सन्धि के अनुसार विश्व की बड़ी ताकतों के आणविक केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। केवल अन्य देशों के केन्द्रों का निरीक्षण किया जा सकता है। इसीलिए हमने सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए। महोदय, यह पूर्णतया असफल हो गई है। अन्य देशों में इसका विस्तार नहीं है। यह बड़ी शक्तियां ही हैं जो अपने आणविक स्टाक का विस्तार करती जा रही है।

दूसरी बात यह है यद्यपि निःशस्त्रीकरण विश्व के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है तथापि विकासशील देशों के लिए इसका और भी विशेष महत्व है। हमारे बजट का एक बहुत बड़ा भाग शस्त्रों पर व्यय किया जाता है जबकि इसी धन को बचाकर विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। यदि निःशस्त्रीकरण प्रभावी बन जाए और बडी शक्तियां पड़ोसियों तथा छोटे देशों को हथियार न दें और किसी प्रकार का कोई खतरा न हो तो इस सारे धन का उपयोग रचनात्मक और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है।

महोदय, विकास का मामला निःशस्त्रीकरण से अत्यधिक जुड़ा है और यह एक प्रमुख मामला है। विकासशील देशों और छोटे देशों की अर्थव्यवस्था विनाश के कगार पर खड़ी है और इसका प्रमुख कारण मौजदा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में असमानता है जो कि उपनिवेशवादी दिनों में विकसित राजनीतिक प्रणाली की देन है। यह आवश्यक है कि उत्तर दक्षिण के बीच वार्ता फिर से आरम्भ कराई जाए। यद्यपि विली ब्रांट आयोग का प्रतिवेदन एक प्रभावी उपाय नहीं हो सकता। तथापि मुझे विश्वास है कि यह वार्ता का आधार हो सकता है। यह उत्तर-दक्षिण समस्याओं पर वार्ता करने के लिए एक सर्वोत्तम प्रलेख है।

उत्तर-दक्षिण वार्ता के सम्बन्ध में बोलते हुए कोई भी इस बात का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता कि दक्षिण और दक्षिण के बीच इस वार्ता की अधिक आवश्यकता है। विकासशील देशों में अधिक परस्पर सहयोग होना चाहिए। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि 1977 तक कांग्रेस सरकार की जो नीतियां थी उन्हीं का अनुसरण किया जाए। विकासशील

देशों के पास कुशल व्यक्ति हैं। भारत के पास बहुत से इंजीनियर और डाक्टर हैं परन्तु भारत में अवसरों के अभाव में उन्हें विदेश जाना पड़ता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्यों के पास पूंजी है तो अफ्रीकी देशों के पास प्राकृतिक स्रोत हैं। ओपेक देशों की पूंजी और भारत जैसे देशों के कुशल व्यक्तियों की सहायता विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है। अतः आज सामूहिक आत्मनिर्भरता की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः मैं सरकार की मौजूदा नीतियों को जारी रखने की जोरदार वकालत करता हूँ, अर्थात सरकार अग्रणी भूमिका निभाए और पहल करने की नीति अपनाएं ताकि निर्गुट आंदोलन एक बार फिर सशक्त हो सके। महोदय, शान्ति तभी स्थापित की जा सकती है जब निर्गुट ताकतें अपना प्रभाव जमाएं। जब ये ताकतें अपना सिक्का जमा पाएंगी तभी एक अच्छे, सुरक्षित और अधिक समतावादी विश्व का निर्माण हो सकेगा।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री ने पिछले बारह महीनों के कठिन समय में जिस प्रकार से कार्य किया है उसके लिए मैं उनकी सर्वप्रथम सराहना करता हूं। फिर भी, महोदय, मैं यह अनुभव करता हूँ कि यह आवश्यक है कि हम देश के वर्तमान इतिहास को आधार बना कर अपनी विदेश नीति के कार्यकरण के ढंग पर पुनर्विचार करें···। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विदेश मंत्रालय के हमारे योग्य अधिकारियों ने इसका अध्ययन किया है। परन्तु मैं विदेश मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ। आन्तरिक दृष्टि से हमारे राष्ट्र ने जो कुछ किया है उसके सूक्ष्य मूल्यांकन के पुनरीक्षा की आवश्यकता है (जो समय-समय पर हमारी विदेश नीति के निर्माण से परिलक्षित है।) उदाहरणार्थ, यदि मैं यह कहूँ कि अंग्रेजी षडयन्त्र के कारण हमारे देश का विभाजन हुआ और इसके कारण पिछले 3, वर्षों से न केवल हमें बल्कि हमारे पड़ोसियों को भी नरसंहार, खून-खराबा, अपव्यय और खुदा जाने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो यह इतिहास के पन्नों को उद्धृत करना मात्र होगा। मुझे यह कहना है कि जब भारत पूंछ में विजयी होने वाला था, हमारी सेना आगे बढ़ कर काश्मीर के हमारे अपने भाग पर पुनः कब्जा करने वाली थी तो अंग्रेजी षडयन्त्र ने कुछ या काफी हद तक हमें वहीं रोक दिया जिसके परिणाम स्वरूप सदा के लिए काश्मीर समस्या खड़ी हो गई जिस पर हमारी विदेश नीति आधारित है। अतः हमारी भावी विदेश नीति के बारे में प्रश्न यह हैं कि क्या ऐसे निर्णय लेना ठीक था या हमने भारी भूल की। हमारे इतिहासकार इस बारे में लिखेंगे। सरकारें आती जाती रहेंगी परन्तु इतिहासकार एक समय-अवधि के बाद मूल्यांकन करेंगे। क्या पंडित नेहरू ने भारत के विभाजन को स्वीकार करके ठीक किया ? गांधी जी ने नहीं किया। क्या पंडित नेहरू का पूंछ में सेना को उस समय रुकने का आदेश ठीक था जब सेना कुछ ही दिनों में रावलपिंडी में प्रवेश करने वाली थी। हम नहीं जानते। जब राणाओं को उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल के सम्राट ने भारत के साथ अधिमिलन की सन्धि का प्रस्ताव किया तो उस समय पंडित नेहरू ने उसे अस्वीकार कर दिया, न केवल अस्वीकार ही किया बल्कि उन्होंने नेपाल के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उठाया। क्या वह उचित था या नहीं ? क्या सिक्किम को लेने की हमारी कार्यवाही उचित थी या नहीं ? केवल इतिहास ही यह बताएगा कि भारत की नीतियां क्या थी और उनके क्या परिणाम निकले। फिर भी हमें अपने उन घरेलू मामलों को देखना है जो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते

हैं जो कि एक तरफ तो हमारी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और दूसरी ओर विश्व की स्थिति का जायजा लेती हैं। हमने इस सभा में और वास्तव में सभा के सभी वर्गों ने यह स्वीकार किया है कि रुसी लोग हमारे मित्र रहे हैं, नाजुक समय में और विशेष रूप से काश्मीर के मामले में तथा अन्य अवसरों पर भी उन्होंने हमारा साथ दिया है। यदि हम उस स्थिति का अध्ययन न करें जिनमें रुस एक भाई और एक मित्र के बीच बंटा हुआ था तो यह हमारा भोलापन होगा। विदेश मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चीन 1962 में भारत के विरुद्ध अपना अभियान आरम्भ करने से पूर्व लगभग एक दशक तक भारतीय क्षेत्र के अन्य भागों अकसाई चिन आदि में सक्रिय था। हम चीनियों का "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" के नारे से स्वागत कर रहे थे जब चीन ने अकसाई चिन पर कब्जा किया उस समय सम्पूर्ण भारत 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई" का उद्घोष कर रहा था। जब हमारी सीमा पुलिस के जवान मारे गए तो हमने उन्हें 'हीरो' बना दिया। परन्तु उन्होंने कुछ विशेष नहीं किया था। परन्तु अब विदेश नीति के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह सरकारी मसला है, यह राष्ट्र की समस्या है। पंडित नेहरू ने जब वह नीति अपनाई थी तो उन्होंने अवश्य ही कुछ सोचा होगा। यह विदेश मंत्री के लिए उचित होगा कि इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने के लिए वह संसद् या राष्ट्र की जानकारी हेतु अन्तरिक अध्ययन करें क्योंकि राष्ट्र के लिए ये महत्वपूर्ण मामले हैं। 1962 में उत्तर-पश्चिम सीमा पर सेना का कमजोर नेतृत्व मिला, मैं प्रभारी जनरल या सेना के कमांडर का नाम नहीं लूंगा उन्हें सब जानते हैं। यह लघु इतिहास का अंग हैं, यह हमारे इतिहास का शर्मनाक अध्याय है। उन्होंने केवल झड़पों का सामना किया था, न कि युद्ध का, और उस समय हमारी वायु सेना उन्हें सीमा से परे खदड़ेने के लिए तैयार खड़ी थी। तब तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू इससे मुकर क्यों गए ? इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारी तेजपुर स्थित वायु सेना लेह के पीछे से वहां आक्रमण कर सकती थी जहाँ से उनके सैन्य दल आ रहे थे। इस प्रकार हम कुछ हद तक अपने सम्मान की रक्षा कर सकते थे। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया और हम विश्व के सामने कुछ समय के लिए मजाक के पात्र बन गए। और इसने वास्तव में, यदि मुझे सही-सही स्मरण है तो पंडित नेहरू को तबाह कर दिया। चीनी पीछे क्यों हट गए ? चीन के नक्शे में भारत, बर्मा, कम्बूचिया तक थाईलैण्ड के बड़े भाग को उनके अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। विदेश मंत्री महोदय, यदि मैं यह कहूँ कि उस समय उनके भाईयों अर्थात रुस वालों के पास ऐसी भाषा में इसी प्रकार का यही नक्शा था तो अनुचित नहीं होगा। अभी हाल ही में इन्होंने इसे ठीक किया है वह भी तब जब जनता सरकार ने इस ओर संकेत किया। परन्तु वे वापस क्यों हटे ? यह उनकी विश्व युद्ध नीति का एक अंग था। महोदय, मैं आपको स्मरण करता हूँ जब श्री ख्रुश्चेव सोवियत रुस के प्रधान मंत्री थे तब क्यूबा पर आणविक मिसाइल लगाए गए थे और जब श्री कैनेडी ने आणविक युद्ध की धमकी दी तो उन्हें हटा लिया गया। चीनी भारत से पीछे हट गए। यह उसी समय हुआ था। चीनी अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इसे 'चीनी चेकर' का पुराना खेल कहा जाता है। वे चाहते थे कि दो बड़ी शक्तियाँ परस्पर युद्ध करें। जब युद्ध आरम्भ हुआ तो उन्हें पता चला कि उनकी सीमाएं फैली हुई हैं। वे भारत में लम्बे समय तक नहीं लड़ सकते इसीलिए उन्होंने अपने सेनाएं वापस हटा ली। इसी दौरान एक धमकी जारी की गई कि "यदि आप दुर्व्यवहार करेंगे तो हम बदला लेंगे।" मैं इस सारे शब्दाडम्बर में नहीं जाना चाहता।

अब इस पृष्ठभूमि में आपको इस देश की विदेश नीति के निर्माता के रूप में कार्य करना है। निस्सन्देह, इस देश की विदेश नीति में, किसी भी अन्य देश की विदेश नीति की भांति राष्ट्र के प्रधान मंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। परन्तु जहाँ तक विदेश नीति का सबन्ध है प्रधान मंत्री विदेश मन्त्री और भारत सरकार को सामूहिक रूप से कार्य करना होता है।

मुझे विभिन्न सदस्यों द्वारा निर्गुटता आदि के बारे में व्यक्त की गई अच्छी भावनाओं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्बल राष्ट्र का धार्मिक कृत्य है, क्योंकि उनके पास विश्व शान्ति को नैतिक समर्थन देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

विश्व के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में भारत की क्या भूमिका रही है ? गाँधीजी के सुयोग्य नेतृत्व मे भारत उपनिवेशो क स्वतन्त्रता अभियानों में अग्रणी था। भारत का तब बहुत सम्मान किया जाता था। उपनिवेशों के विश्व स्तर के नेता गाँधीजी और नेहरू जी का सम्माननीय गांधीजी और सम्माननीय नेहरू जी लिखते और सम्बोधित किया करते थे। क्या हम आज इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं कि इन देशों के नेता हमें सम्माननीय, या सम्भवत: प्रिय कामरेड या प्रिय मित्र लिखें। मेरे मित्र श्री फज़ारों ने सुझाव दिया है कि इस प्रकार के आन्दोलनों का नेतृत्व प्रदान करने के लिए हम नैतिक बल प्रदान करें परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूं कि अब समय बीत गया है इन राष्ट्रों, अर्थात् अब तक के उपनिवेशों, ने अपने बाहुबल को लचीला बना लिया है और वे स्वयं ही शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन गए हैं। मैं आपको इस बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमने अब तक के उपनिवेशों में से ऐसे कुछ देशों की मित्रता कैसे खो दी जो न केवल हमारे मित्र थे बल्कि जिनके दिलों में हमारे प्रति बहुत आदर था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1960 में मैं जकार्ता में था। मैं दक्षिण-पूर्व एशिया की सैर पर गया था मैं वहाँ अपने पुराने मित्र, वहाँ के वायुसेना अध्यक्ष, की बेटी के विवाह में गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डा. सुकार्णो वहां उपस्थित थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा "आप तीन या चार दिन रुकना, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं।' अत: मैं वहां रुका और अगले दिन उनके पास जाकर बहुत से विषयों पर बातें की। मैंने उनसे पूछा "डा. सुकार्णो हम मित्र रहे हैं और आपके स्वतन्त्रता आन्दोलनों में हमने आपका एक मित्र की भांति साथ दिया है। हमने आपसे कुछ नहीं माँगा था। आपका हमारे साथ अमैत्रीपूर्व व्यवहार क्यों है ? यह और जो मैं आपको बताता हूं वह, मैं चाहता हूँ कि रिकार्ड में आए, क्योंकि मैंने यह पंडित जी को बताया था और यह सब विदेश मन्त्रालय के कागजात में है। उन्होंने कहा, "बीजू क्या तुम जानते हो, बेलग्रेड में 14 राष्ट्रों के अध्यक्षों का जब सम्मेलन चल रहा था और उसमें मैं एक मामले पर बोल रहा था तो उस समय पंडित जी ने, जिनका मैं अपने बडे भाई की भाँति आदर करता हूं, मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार किया जैसे मैं कुछ नहीं जानता। मैं उन शब्दों को नहीं कहूँगा जो उन्होंने कहे थे।" जब पंडित जी अपने मित्रों के साथ बात करते थे तो अक्सर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे।*

कुछ इसी प्रकार के। महोदय, मैं नहीं चाहता कि उन शब्दों को यहां उद्धृत किया जाए या वे शब्द रिकार्ड में लाए जाए। मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों को सम्मिलित न किया जाए।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा ।

श्री बीजू पटनायक : उन्होंने कहा, "उस दिन से मैं भारत के विरुद्ध हो गया हूं क्योंकि बड़े भाई वाले रोब को आप न केवल हमारे परस्पर स्तर पर दिखाते हैं, बल्कि सरकारी स्तर पर भी दिखाते हैं।" मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब कभी हमारे वरिष्ट सिविल अधिकारी उन दिनों इन देशो में गए तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानों वे सब कुछ जानते हैं और दूसरे पक्ष वाले कुछ नहीं जानते । वास्तव में इससे सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रभावना पैदा हो गई मैं इस तथ्य को जानता हूं । अन्य भागों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । कहीं-कहीं तो हमारे अधिकारियों ने अनुकरणीय कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप हमें वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं । मैंने पडित जी से इसका उल्लेख किया उन्हें भी सह याद था तथा उन्होंने तत्काल डा. सुकार्णो को क्षमा याचका करते हुए पत्र लिखा जिससे स्थिति में सुधार हुआ । मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया है कि न केवल जान बूझकर बल्कि अनजाने में भी यदि भारत जैसा बड़ा देश इस प्रकार का व्यवहार करता है या इस प्रकार के उद्‌गार व्यक्त करता हैं, जिससे बड़े भाई वाले रोब का आभास होता है, तो हम न केवल पड़ौसी देशों अपितु अन्य देशों के साथ भी मैत्री नही रख सकते ।

इसका एक निकट का उदाहरण बंगला देश का है । अपने स्वतन्त्रता के इतिहास के पुनर्लेखन के समय उन्होने उन भारतीय जनरलों के नाम देना उचित नहीं समझा जिन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं के समर्पण के समय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे । उनके अपने दृष्टिकोण से यह उचित है क्योंकि वे अपने राष्ट्र का निर्माण स्वय करना चाहते हैं । हमें उनके इस दृष्टिकोण को विचारपूर्वक, परस्पर समझ और सहानुभूति से देखना चाहिए । गंगाजल के प्रश्न को लीजिए । हमें हुगली के लिए फरक्का पर पानी की कुछ मात्रा की आवश्यकता है । उन्हें पानी की उतनी ही आवश्यकता है जितनी वे सर्दियों में फरक्का बनने से पहले प्राप्त करते थे । उन्होंने सुझाव दिया है कि वार्ता में नेपाल को भी सम्मिलित किया जाए ताकि न केवल 44,000 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के लिए अपितु कम पानी वाले दिनों के दौरान 180,000 क्युसेक पानी प्राप्त करने के लिए जो कि भारत की आवश्यकता, उनकी आवश्यकता और कलकत्ता की आवश्यकता से अधिक है. दीर्घकालिक सयुक्त योजना बनाई जा सके । क्या अब तक हम इसका अनुसरण करने में ढीले नहीं रहे हैं, जिसके परिणामस्बरूप बंगला देश में मित्रता की भावना उतनी नहीं पनप रही जितनी हम चाहते हैं ? संभवत: आपके पास ठीक जवाब हो, मेरे पास तो ब्यौरा नहीं है ।

इसी प्रकार अमेरीका कहता है वह पाकिस्तान को हथियार देने जा रहा है । पाकिस्तान आजाद और स्वतन्त्र देश है, अपने कार्य को आगे बढ़ाने में बिल्कुल आजाद और स्वतन्त्र । यदि अमेरीका भारत को शस्त्र देता और पाकिस्तान इस पर आपत्ति करता तो हम कहते अपने काम से काम रखो । परन्तु यदि हमारी प्रधानमंत्री यह कहती हैं कि कुछ शस्त्र वायुयान टैंक या मिसाइल या और जो कुछ है उससे भारत के विरुद्ध युद्ध हो सकता है, या वे भारत के लिए खतरनाक हैं या युद्धि से भय की भावना पैदा करती हैं तो क्या इससे हम पाकिस्तानियों के हृदयों में अपने प्रति मित्रता की भावना पैदा कर सकते हैं ?

अत: हमारी नीति क्या होनी चाहिए ? 1965 के युद्ध के दौरान जब हमने हाजीपीर दर्रे

पर कब्जा कर लिया था। परन्तु बाद में पाकिस्तानियों के हृदयों को जीतने के लिए हम उस स्थान से पीछे हट गये। क्या वास्तव में इसका कोई परिणाम निकला ? हमें गहराई से इसका अध्ययन करना चाहिए। हमने भारतीय सेना द्वारा काफी खून बहाये जाने के पश्चात् हाजीपीर दर्रे पर कब्जा किया था और यह हमारे मित्र रूस के कहने पर किया गया था। हम उस पर सहमत हुए थे।

जनता सरकार के समय में पाकिस्तान और भारत के सम्बन्धों में कोई कड़वाहट नहीं थी और उसी स्थिति के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने 4000 लाख डालर की राष्ट्रपति कार्टर की सैनिक सहायता को मूंगफली के समान कहकर अस्वीकार कर दिया। क्या हमें पाकिस्तान को, उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की बेहतरीन समझ के लिए बधाई नहीं देनी चाहिए थी? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विदेश मंत्री ने ऐसा किया है। यदि किया है तो मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ। मैं प्रसन्न हूं। पाकिस्तान ने श्री रीगन के नये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। यह समाचार-पत्र की खबर है। मैं नहीं जानता। उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव लगभग वही है।

परन्तु विशेष बात तो यह है कि भारत जिसने विश्व के उपनिवेशों के स्वतन्त्रा आन्दोलन का समर्थन किया था, की स्थिति अब एक निर्गुट राष्ट्र अफगानिस्तान पर विदेशी सेना के कब्जे के कारण सन्देहास्पद हो गई है। मैंने विदेश मंत्रालय के नीति वक्तव्य का सावधानी से अध्ययन किया है जिसमें जोरदार और स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि भारत सहन नहीं करेगा, मैं एक बार फिर 'नहीं' शब्द पर जोर देता हूं, किसी देश पर विदेशी कब्जा। आगे इसी में लिखा है 'परन्तु' और यही 'परन्तु' इसकी स्थिति को सन्देह बना देता है।

ग्वालियर से आए हमारे युवा सिन्धिया करते हैं "हमें अवश्य ही व्यवहारिक होना चाहिए। हमें आवश्यक ही अफगानिस्तान को फिनलैंड की राह पर लाना होगा।" मैं आपके माध्यम से उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भारत के पास कुछ नहीं था, जब एक बन्दूक की ताकत भी नहीं थी तब इसने एक नगे फकीर के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े शस्त्रागार अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला किया। क्या हमें अब राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर समझौता कर लेना चाहिए जबकि हम आज स्वतन्त्र हैं, और हमारे समक्ष उस नंगे फकीर का जीवन, शिक्षाएं और कुर्बानियां हैं ? समझौतों ने हमें शक्तिशाली बनाने की बजाए निर्बल बना दिया है। यदि हम अफगानिस्तान के इस कब्जे पर दिए गए अपने प्रधान मंत्री के पिछले छः महीनों के वक्तव्यों को देखें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बार अपने लहजे और शब्दों में परिवर्तन किया है। क्या यह समय की आवश्यकता है। जो हाँ मुझे बताया गया है, एकरूपता गधों का एक गुण है। और यदि वह एक रूप नहीं हैं तो वे हमें अर्थात गधों को यह बता रही हैं कि वे शासक हैं और हम गधे हैं। शायद विश्व स्वतन्त्रता आन्दोलनों की नैतिकता, राजनीति की नैतिकता और विश्व कार्यों में नैतिकता समाप्त हो गई है। इस पर मेरे कुछ मित्रों ने दुख प्रकट किया और उन्हें व्यवहारिक राजनीति की बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। क्या यह बात नहीं है।

जब गांधीजी ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के विरुद्ध हमारा नेतृत्व किया था तो उस समय कोई व्यवहारिक राजनीति नहीं थी। हमने वह सारी नैतिक शक्ति खो दी है। हमारा अब उस नैतिकता पर कोई अधिकार नहीं है।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : हमारा अवश्य ही है ।

श्री बीजू पटनायक : प्रो. रंगा को यह अधिकार स्वयं अपने में होगा । परन्तु यदि हम जोकि कभी विश्व के स्वतन्त्रता आन्दोलनों के नेता रहे हैं, विश्व के अन्य भागों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, सन्देहास्पद बन जाते हैं तो हमें अन्य लोगों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ।

विदेशी मंत्री महोदय, जब हमने एक बार गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में एक पक्ष अपनाया और दूसरों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्यों के रूप में एक दूसरा पक्ष लिया था तो आपको उस समय गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के गत दिल्ली सम्मेलन में समझौते तथा प्रति-समझौते में बड़ी जटिल भूमिका अदा करनी पड़ी थी । ऐसा सदा ही होगा । इसलिए वास्तव में, हमारी विदेश नीति का उद्देश्य क्या है ? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि घरेलू आश्यकतायें ही हमारी विदेश नीति का निर्धारण करती है । यदि हम विश्व से प्रचुर मात्रा में खरीद करेंगे जबकि उस के लिए हम धन नहीं जुटा पायेंगे तो हमें अवश्य ही भीख मांगनी पड़ेगी । विदेशी मंत्री महोदय क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज भी कथित इण्डियन एयर लाइन्स का आधुनिकीकरण करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों की विमान बसों जैसे विमानों को खरीदने के लिए भारत के लिए कोई औचित्त है जिनमें अधिकांश भारतीय तथा कुछ विदेशी यात्रा कर सके ? मैं केवल एक बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ । जहां पर भारत इन महंगे विदेशी पुर्जों के बिना कार्य कर सकता है तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और विदेशों के ऊपर कम निर्भर रहना चाहिए ?

मैं पुन: गांधी जी के पुराने उपदेश पर आता हूं, जिसका आप उत्पादन नहीं करते हो, उसका प्रयोग मत कीजिये । यदि आप उसका उत्पादन नहीं कर सकते परन्तु दूसरों से उधार लेते हैं या खरीदते हैं तो आप उन पर निर्भर हैं । आप आगे आत्म निर्भर नहीं होंगे और राष्ट्र मजबूत नहीं बनेगा । हम दूसरे देशों को देखें रूस को देखें, जर्मनी को देखें, जापान तथा अन्य देशों को देखें । वे मजबूत हैं क्योंकि आत्म निर्भर हैं इसलिए यदि मैं यह सुझाव दूं कि इसकी बजाय राष्ट्र की आन्तरिक नीति का विदेश द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए । विदेश मन्त्रालय को, जिसके कार्य में प्रधान मंत्र तथा सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं, राष्ट्र की आन्तरिक आवश्यकताओं का अवश्य ही निर्धारण करना चाहिए ताकि हम विदेशों पर निर्भर न रहे ।

1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि कनाडा ने इन साधारण परिवहन विमानों के फालतू पुर्जों को हमें देने से इन्कार कर दिया था जो हमने उनसे खरीदे थे क्योंकि अमेरीका ने उन्हें इनकी सप्लाई बन्द करने के लिए कहा था । इसलिए यदि हम अपने हथियारों के लिए चाहे रूस, इंग्लैंड, चाहे जर्मनी या किसी अन्य देश पर निर्भर हैं तो हमारी विदेश नीत का निर्धारण उन देशों द्वारा ही किया जाएगा जो हमें हथियार मुहैया करेंगे क्या विदेश मंत्री जी आप इस कटु सत्य से इन्कार करेंगे ? यदि आपकी सारी पूर्ति बन्द कर दी जाती है तो आपकी सारी मशीनें बन्द हो जायेंगी यदि फालतू पुर्जों की सप्लाई बन्द कर दी जाती हैं तो आपके सारे विमान बन्द हो जायेंगे,, आपकी मिसाइल्स बन्द हो जायेंगी तथा भगवान ही जानता है कि जो कुछ दूसरा सामान भी हमे उनसे मिलता है । वह भी बन्द हो जाएगा ।

जब श्री कृष्ण मैनन रक्षा मंत्री थे तो वे लम्बे समय से कहते आ रहे थे कि हमें उनका अपने ही देश में उत्पादन करना चाहिए। हम राइफलों को भी नहीं बना रहे थे। विश्व के सभी हथियार बनाने वाले अधिकांश राष्ट्र श्री कृष्ण मैनन का विरोध कर रहे थे और उनकी निन्दा करने का प्रयास कर रहे थे। वह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे जिन्होंने भारत में कुछ हथियार तथा नाजुक हथियार तैयार कराये। धीरे-धीरे हम इससे विमुख हो गये। हम विमान बनाते हैं परन्तु हम धातुओं को नहीं बनाते हैं। हम विदेशों मे इन्जिन बनाते हैं, परन्तु हम अपने तैयार नहीं करते है। इसलिए जब आप हमें यह बताते हैं कि भारत विदेश से करार कर रहा है तो सिवाय अपने आपके हम किसी दूसरे को धोका नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम इन विदेशी निर्माताओं या विदेशी राष्ट्रों अथवा बहुराष्ट्रिकों पर निर्भर करते रहेंगे बहुराष्ट्रिक वे हैं जिनका विभिन्न राष्ट्रिकों से लेन देन है।

रूस का व्यापार मंत्रालय विश्व में सबसे बड़ा बहुराट्रिक तथा विश्व में एक मात्र सबसे बड़ा बहुराष्ट्रिक है। वे सारे विश्व के साथ व्यापार करते है। वे सौदेबाजी करते हैं। वे कोई भी वस्तु सस्ते दामों पर नही देते हैं। बहुत समय पहले जब मैं एक बार मास्को में कुछ वस्तुओं के बारे में उनके योजना मन्त्रालय में बातचीत करने के लिये गया था तो काफी चर्चा के बाद जब मैंने उनसे बताता कि वे अमेरीका वालों की अपेक्षा अच्छा नहीं है, तो क्या आपको मालूम है कि उनका उत्तर क्या था ? उनके योजना मंत्री ने कहा, 'धन के कोई रंग भेद नहीं हैं, रूबल या डालर समान है।" इसलिए हमें जीवन के तथ्यों का अवश्य जानना चाहिए। उन्हें मित्र समझिये परन्तु हम उनके पिछलग्गू न बने।

विदेश मंत्री महोदय, भारत एक गरीब देश है। हमें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि यह सब प्रशंसा या हमारे जैसे कुछ लोगों को प्राप्त सुविधाओं या सुखों की वास्तविकता से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। हमें मालूम हो रहा है कि हमारी विदेश नीति का दम घुट रहा है और यह अधिकाधिक जटिल बनती जा रही है क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष पर जिसका दिवाला निकल रहा है, या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि अमेरिका वहाँ से निवेश बन्द कर देता है तो यह दुकान तुरन्त ठप्प हो जायेगी : यूरोप टैरिफ में कमी करने के लिए सहमत नहीं हो रहा है हालांकि हमारे जैसे भिखारी देश का ग्रुप या जो भी आप हमें कहें भीख मांग रहे हैं, विकसित देशों के लोगों को, जहां पर उनकी बेरोजगारी से उनकी राष्ट्रीय आय कम हो रही है, और वे कह रहे हैं इसे गरीब देशों को देने के लिए सहमत नहीं हैं। यदि आज यह प्रस्ताव गांधी जी को भेजा जाता है तो वह कब्र में ही बोल उठेंगे, "60 करोड़ लोगों को क्या हुआ है कि वे अपना स्वयं का काम नहीं कर सकते।" इसलिए मैं विदेश मत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि विदेश नीति केवल वह नहीं है जो वर्षों से भारत कर रहा है या जो अब किया जा रहा है, परन्तु इसमें ये दो साधारण बातें अवश्य होनी चाहिए एक तो अपने निकट पड़ोसियों के साथ घनिष्ट तथा मैत्रीपूर्ण संबंध और दूसरे इस बात पर ध्यान देने का प्रयास किया जाए कि जैसाकि हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि किसी दिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान को होते हुये भारत में उपनिवेशवाद न फैल जाए।

हम इतिहास के सबकों को न भूलें। जो देश या राष्ट्र दूसरे देशों का विभाजन या उप विभाजन करते हैं क्योंकि लड़ाइयों की लूट-पाट में कोई नैतिकता नहीं होती है तथा कोई खेद

नहीं होता है हमारे नैतिक उपदेश का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आज विश्व शक्ति संतुलन से चल रहा है, नहीं यह आंतक के संतुलन से चल रहा है। यदि आज चीन भारत पर अपने प्रक्षेपण अस्त्रों से आक्रमण करता तो भारत अपनी कुछ भी रक्षा न कर सकता है। हम छोटे पाकिस्तान के बारे में बात करने में बड़ा आनन्द लेते हैं। हम इसकी अपने संदर्श में सही रूप में समीक्षा करें। हम नीतियों पर काम करें और लोकप्रियता में न पड़े। हम दियगो गर्सिया की बात कर चुके हैं। और भगवान ही जानता है कि हमने कितना शोर मचाया था क्या इससे अमेरिका के लोग रूक गये ? हमने कहा कि हिन्द महासागर आंतक मुक्त होना चाहिए। क्या इससे अमेरीकी या रूस वाले ब्रिटेन या फ्रांस के लोग भारत आने से रूक गये हैं जो यहाँ तोप नौकाएं या कुछ विध्वंस बेंडें भेज चुके हैं। वहां पर हमारी आवाज की कोई गिनती नहीं है जबकि इसमें आंतक का पूरा संतुलन वार सा पैक्ट के आज इन राष्ट्रों की वारसा समझौते के अन्तर्गत सोवियत शक्ति का मुकाबला करने की चाहे एक न्यूट्रोन बम यूरोप में रखा जाए एक भारी समस्या बन गई है यह समस्या हमारे 77 देशों के लिये नहीं है। इसलिये इन बातों के बारे में हमें वास्तविक दृष्टि से विचार करना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम मदद नहीं कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ हम कुछ नहीं कह सकते हैं वहाँ भारत जैसे गरीब देश को अपने रास्ते का अनुसरण करना चाहिए और बिना मुसीबत मोल लिये और अपने ऊपर अधिक जिम्मेवारी न लेकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। —धन्यवाद

श्री जयदीप सिंह (गोधरा) : श्रीमान्, मैं श्री बीजू पटनायक द्वारा दिये गये वाकपटुता-पूर्ण भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता रहा हूँ। उन्होंने एक आदर्श देश का चित्र प्रस्तुत किया है। इससे सहमत हूँ। परन्तु समस्या वह नहीं है। यह उनकी ही अपनी विचारधारा है क्योंकि यदि उनका यह कहने का उद्देश्य था कि भारत जिन देशों से सहायता लेता है उनके सामने उसे झुकना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। यदि वह यह कहना चाहते थे कि भारत को इतना स्वतन्त्र होना चाहिए कि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े तो मैं इसे भी गलत समझता हूँ क्योंकि शायद इस विश्व में केवल दो देश हैं जो सही रूप से स्वतन्त्र कहे जा सकते तथा जो स्वतन्त्र हो सकते हैं। किन्तु आज की दुनिया में प्रत्येक देश को दूसरे देश पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहना होता है और ऐसी स्थिति में भारत ने जो कदम उठाये हैं वे बहुत व्यवहारिक सम्मानपूर्ण और उचित है। पिछले दिन हमने डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी का भाषण सुना था। उन्होंने हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे सबंधों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने न केवल हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध की बात की बल्कि यहाँ तक कहा कि जनता पार्टी जब सत्ता में थी, तीन वर्ष के दौरान उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया था। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ जो हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी पड़ेगी, वह है देश के हित को सर्वोपरि स्थान देना। यदि इसको ध्यान में रखा जाता है तो हम इस दृष्टि से अपने संबंध सभी देशों से अपने देश के हित का बलिदान किये बिना बना सकते हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि यह वांछनीय है और हम सब इसे चाहते हैं। परन्तु जिस प्रकार जनता सरकार ने हमारे पड़ोसी देशों की हर मांग के सामने घुटने टेक दिये और इस प्रकार अच्छे संबंध स्थापित किये तो वह सही तरीका नहीं था। (व्यवधान) फरक्का के सम्बन्ध में की बातचीत में आपने कहा कि जल का बटवारा बंगलादेश, नेपाल तथा भारत के बीच किया जा सकता है।

श्री बीजू पटनायक : मैंने वह नहीं कहा है। आप मुझे गलत उद्धृत कर रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह : जहां तक मैं समझता हूँ विदेश मंत्री इसका निश्चित रूप से उत्तर देंगे। परन्तु मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मामलों में भारत के हित को कायम रखने में ही भारत का हित है जो पूरी तरह से द्विपक्षीय है। उदाहरणार्थ एक मांग की गई है कि फरक्का के इस मामले में नेपाल को तीसरे देश के रूप में शामिल किया जाए। मैं मानता हूँ कि यह उचित बात नहीं है क्योंकि भविष्य में हमारी बहुत सी द्विपक्षीय समस्याओं का इस तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। यह हमारे हित में नहीं है। डा. स्वामी ने सलाल बाँध का उदाहरण दिया है। वास्तव में इससे आश्चर्य हुआ है। वास्तव में, मैंने इसके बारे में सुना नहीं था। इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा अध्ययन किया है। इस बारे में बातचीत 1976 में पूरी होगई थी और मामले पर सामान्य ढंग से उपस्थित हुआ। जब हस्ताक्षरों को सत्यापित किया गया था उस समय जनता शासन था। क्या इसका सारा श्रेय लिया जा सकता है ? आखिर हमारी इस प्रणाली में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं परन्तु बातचीत वर्षों तक चलती है और एक दल अथवा एक सरकार ऐसे मामलों का श्रेय नहीं ले सकती है। परन्तु मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया।

अन्य पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में हमने यथा सम्भव सब कुछ किया है और कर रहे हैं जिससे इनके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हो। परन्तु मुख्य बात जो हमें याद रखनी होगी वह यह है कि देश के हित को सर्वोपरि स्थान देना है। यह ऐसी बात है कि जिसका हम किसी को खुश या नाराज करने के लिये बलिदान नहीं कर सकते हैं।

डा. स्वामी ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में कहा कि प्रारूप दुबारा तैयार करना पड़ा था और भारत को इस बारे में नीचा देखना पड़ा था। यह सही नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें प्रक्रिया की भी जानकारी नहीं है। सामान्य रूप से ऐसी वार्ताओं तथा सम्मेलनों में बातचीत तथा चर्चा के लिए एक प्रारूप तैयार किया जाता है और ऐसी आशा नहीं की जाती है कि प्रारूप वैसा का वैसा ही स्वीकृत हो जायेगा। स्पष्ट रूप से वह चर्चा विषय बन जाता है और चर्चा के बाद इस पर सर्व सम्मति हो जाती है और इस पर अन्त में सबकी स्वीकृति मिल जाती है। वास्तव में सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भी हाल में एक साक्षात्कार में कहा कि भारत ने बहुतअच्छा काम किया है और उसका प्रारूप सर्व सम्मति स्वीकार किया गया था। इसलिए उस स्थिति की निन्दा करने का प्रयास निन्दनीय है। और यह सही भी नहीं है।

अमेरिका से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के संबंध में मैं यह प्रश्न करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को मदद देने का क्या कारण है ? हर आदमी कहता है कि भारत को चिन्ता नहीं करनी चाहिए, भारत के विरुद्ध कुछ नहीं होने वाला है। परन्तु पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियारों को देने का क्या कारण है? यदि इसको रूस से लड़ना है तो यह पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान इन हथियारों से रूस के साथ लड़ाई नहीं कर सकता है। क्या इन हथियारों को विद्रोहियों को सप्लाई करने से अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ना है ? खुले रूप से पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद मैं नहीं समझा हूँ कि समस्या क्या है जब कि भारत ने यह स्पष्ट जाहिर किया है कि वह पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहता। मुझे याद है कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त बाद विदेश सचिव को इस्लामाबाद भेजा गया था। उन्होंने इस्लामाबाद में घोषणा की थी कि भारत पाकिस्तान के साथ में भी पूर्ण

सम्बन्ध कायम करना चाहता है। तो हमारी असलियत पर सन्देह करने की गुंजाइश कहां पर रह गई थी ? पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के सवाल से हमारे दिमाग में एक डर जरूर पैदा हो गया है क्योंकि हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि उन हथियारों का हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। पिछले दिनों यह भी कहा गया है कि भारत के साथ लड़ने के लिये पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं की जा रही है बल्कि 'सेन्टों' समझौते जिसमें पाकिस्तान भी एक सदस्य था, के जरिये रूस के साथ लड़ने के लिये दिये जा रहे हैं। परन्तु हम हर बार देख चुके है कि दुर्भाग्यवश जब भी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की तो उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमारा इस प्रकार का अनुभव है। इसलिए हमारा चिन्तित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है तथा इसीलिए हम उनसे बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं उन्हें याद दिला रहे हैं, हम कि हर बार जब आप उन्हें हथियार सप्लाई करते हैं तो इसप्रकार की घटना घटती हैं और उस समय अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्हें मालूम नहीं कि वे क्या करें। युद्ध के दौरान पिछले समय न केवल वे पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों का बल्कि इरान तथा तुर्की जैसे देशों को जो संधि के समय पाकिस्तान के साथ थे सप्लाई किये गये हथियारों को भी पाकिस्तान भेजा गया था ताकि भारत के साथ लड़ाई करने में इनका प्रयोग कर सकें। उस समय संयुक्त राज्य अमेरीका ने यह नहीं कहा कि उन्हें उन हाथयारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि दर्शक के रूप में इस तमाशे को देखता रहा। इसलिये यह स्वाभाविक है कि हम इस बात से चिन्तत हैं कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं।

डा. स्वामी ने कहा कि भारत में जनता राज का काल भारत के साथ इसके सम्बन्ध के लिए स्वर्णकाल था। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इस बात से चिन्तत नहीं होना चाहिए कि भारत की तुलना में पाकितान के लिए कौन सा स्वर्णकाल है। हमें इस बारे में चिन्तित होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए साथ साथ कौन सा स्वर्णकाल है या अन्य देशों के साथ इसके सम्बन्ध में भारत के लिए कौन सा स्वर्णकाल है। हमें इस बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिए कि कुछ अन्य देशों के लिए कौन-सा स्वर्णकाल है ?

इसलिए मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर थोड़ा सोचने की आवश्वयकता है। क्योंकि श्री रीगन निर्वाचित हो चुके हैं और उन्होंने ऐसा रूख अपनाया है जो कुछ धोखे से युक्त है। एक बार उन्होंने भी 'रान्ड' निगम के प्रतिवेदन का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है। कि जहाँ वे समझते हैं कि उन्हें खतरा है कि कुछ देश अमेरीका के हितों को क्षति पहुँचाने वाले हैं तो अमेरीका को उन्हें हथियार देने चाहिए। इस बहाने से भी यह संभावना है कि उन्हें हथियार दिये जायेंगे।

अब इन खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत निश्चित रुप से सचेत हो रहा है क्योंकि हमें देखना है कि हमें किन स्थितियों का सामना करना है और वे कौन सी स्थितियां हैं जो हमारे सामने हैं ? पाकिस्तान में तानाशाही है जो कुछ डांवाडोल स्थिति में है। वास्तव में किसी को यह मालूम नहीं है कि इसका भविष्य क्या है। साथ ही उनके लिए अफगानिस्तान की समस्या है और इसका भीषण परिणाम हो सकता है। अफगानिस्तान में तो खुद ही भयंकर आग लग रही है। अफगानिस्तान में स्थिरता है और संभव है कि वहां पर विश्व के बड़े राष्ट्रों

में आपस में लड़ाई हो जाए। इसके साथ ही दुर्भाग्यवश इरान इराक का विवाद है जिसे मैं बहुत ही गंभीर सकझता हूँ। क्योंकि यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हम इतिहास में अनेक युद्धों के बारे में पढ़ते हैं जो किसी न किसी करण होते हैं मैं समझता हूँ कि यह शायद तेल के युद्धों की शुरूआत है। ये पुरानी भावनायें हैं जो वर्षों से धधकती रही हैं और वे अब फूट कर निकल रही हैं और संभव है कि ये झगड़े होंगे और यदि राजनयिक स्तर पर कुछ नहीं किया जाता है तो शीघ्र ही भारत के आस-पास के क्षेत्रों में बड़े गम्भीर झगड़े हो जायेगे। साथ ही खाड़ी के क्षेत्र के राष्ट्रों की अजीब स्थिति है। यह भी एक समस्या है जिसका हम सामना करने जा रहे हैं।

हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों की उपस्थिति है। भारत के लिये पहली बार समुद्र तटीय क्षेत्र भी संवेदन शील बने हैं। पहले हमने यह सोचा कि ये क्षेत्र झगड़ों से दूर हैं तथा सीमाओं से दूर हैं जहाँ गड़बड़ी हो सकती है। अभी हाल में हिन्द महासागर में एक तनाव की स्थिति बन गई है इसलिये हमें अपने समुद्र तटों को रक्षा करनी होगी। इस प्रकार अगले दो-तीन वर्षों में हमें बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा और हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा यही बात है जो मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें बताएं कि हम उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुये)

कम्पूचिया के बारे में निरन्तर यह कहा गया है कि कम्पूचिया को हमारी ओर से मान्यता देने के बाद किसी दूसरे राष्ट्र ने उसे मान्यता नहीं दी है। पहले तो यह सही कथन नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा कम्पूचिया को मान्यता दिये जाने के बाद अल्जीरिया ने भी कम्पूचिया को मान्यता दी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सदस्यों के पास कुछ सही जानकारी होनी चाहिए परन्तु उसके अतिरिक्त भी हमारे द्वारा कम्पूचिया को मान्यता दिया जाने से पूर्व लगभग दो दर्जन देशों ने पहले ही मान्यता दे दी थी। परन्तु मुझे मान्यता के इस धन्धे से कोई चिन्ता नहीं है। जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा वह यह है कि कम्पूचिया के सम्बन्ध में भारत की क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं क्या हम इस सरकार को मान्यता नहीं देना चाहते थे और पोल-पोट का समर्थन करना चाहते थे जिसकी सम्भवत: हम इतिहास में चगेज खाँ से तुलना की जा सकती है ? क्या आप उस आदमी का समर्थन करना चाहोगे ? दुर्भाग्यवश स्वामी यहां पर नहीं बैठे हुए हैं परन्तु वह किसे समर्थन देना चाहते हैं ? बात यह है कि वे राष्ट्र भी जो हेंग समरीन को समर्थन नहीं दे रहे हैं, सिहानक को वापस लाना चाह रहे हैं या कम से कम वे ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि सिहानेक को वापस आना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से वे मानते हैं कि पोल-पोट का समर्थन नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि यदि हेंग समरिन नहीं आता है तो पोल पोट को छोड़कर कोई भी वहाँ पर आ जाना चाहिए। परन्तु तथ्य यह है कि हेंग समरिन वहाँ पर है और वहां पर उनकी सरकार है परन्तु उनके वियतनाम से मैत्री संबंध है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह कहना गलत है कि कम्पूचिया रूस का पिठ्ठू है। यह सही है कि इसकी रूस से मित्रता है और इसकी वियतनाम से भी मित्रता है। वियतनाम ने पोल-पोट से छुटकारा पाने के लिये उन्हें मदद दी थी। अब हमारे सामने यह स्थिति है। हम क्या चाहते हैं ? यदि वियतनाम ने वैसा न किया होता औरयदि पोल-पोट से छुटकारा न मिला होता तो वहाँ पर किसका कब्जा होता ?

वहां पर चीन का कब्जा होता । क्या हम वहां पर चीन के कब्जे तथा उन क्षेत्रों पर उसके प्रभाव को वरीयता देंगे यह हम या चाहेंगे कि ये देश स्वतंत्र बने रहें ? वहां सरकार रूस के साथ थोड़ी मित्रता रख सकती है परन्तु साथ ही हम भी तो रूस के मित्र हैं । रूस के साथ मित्रता रखना कोई अपराध नहीं है, कम से कम इससे प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप तो सम्भव नहीं है जबकि चीन के मामले में चूंकि वे उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप फंसे से हुये हैं इसलिए वे इन क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे और हमारे लिये कठिनाइयां पैदा करेंगे क्योंकि हम अभी तक चीन के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य नहीं बना पाये हैं । इसीलिए हमें एक बात करनी चाहिए । जो भूमिका भारत को अदा करनी चाहिए उसमें यह देखना है कि यदि हम दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में किसी तरह से अधिक निकट ला सकें तो इससे इस क्षेत्र का सारा तनाव दूर हो जायेगा ।

मैं महसूस करता हूँ कि ये दो या तीन बातें हैं जिनका मुझे यहां पर अवश्य जिक्र करना चाहिए । हर व्यक्ति ने विश्व के विभिन्न भागों के बारे में बात कही है । परन्तु मुख्य बात जो हम सभी करना चाहते हैं वह यह है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए । कि हमारी विदेश सेवा अच्छी और कार्य कुशलता बढ़े तथा हमारा विदेश मंत्रालय भी अच्छा तथा कार्यकुशल मन्त्रालय हो । किसी ने भी यहां पर यह सुझाव नहीं दिया कि विदेश मंत्रालय के लिए सही ढंग से प्रावधान किया जाना चाहिए । बजट में इस मंत्रालय के लिए किए गए प्रावधानों को देखकर मुझे मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय के वार्षिक खर्च में कटौती की गई है । और विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित सभी अन्य देशों में जो खर्चे किए जा रहे हैं उनमें वृद्धि की जा रही है । अब ऐसी स्थिति है मैंने विश्व के अनेक भागों की यात्रा की है और मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे राजनयिक अपने क्षेत्र में अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं । पाकिस्तान जैसा देश भी अपने प्रत्येक पदाधिकारी पर हमसे दुगना खर्च करता है और इसलिए हमें बड़ी कठिनाई हो रही है मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूँ कि ऐसे नाजुक समय में जब हम अधिक कार्य कुशलता चाहते हैं । विदेशों में स्थिति हमारे मिशनों को तो अधिक धन दिया जाये जब तक अधिक धन नहीं दिया जाता है तब तक हम चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से, सौभाग्यवश वित्त मन्त्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं, से इस बात को सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहूँगा कि विदेश मंत्रालय के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये अन्त में यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा कि वास्तव में मैं महसूस करता हूँ कि हमारे अन्दर अधिक राजनैतिक चेतना होनी चाहिए । हमारे अन्दर राजनैतिक चेतना नहीं है । विदेशों में हमारे अधिकांश दूतावास केवल इस कारण चल रहे हैं कि उन्हें वहां पर रहना है किसी किस्म का व्यापार तथा अन्य सम्बन्ध में होना चाहिए । मैं समझता हूँ कि भारत को ठोस आधार अपनाना चाहिए और राजनैतिक चेतना के साथ अधिक कार्यकुशला से कार्य करना चाहिए और भारत को अपना प्रभाव व्यक्तिगत बनाना चाहिए तथा विश्व के सभी भागों में विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरीका में जहां पर हम अधिक कमजोर है, अपनी विश्वासनीयता कायम करनी चाहिए ।

श्री एच. के. एल. भगत (पूर्वी दिल्ली) : मुझे आज अनेक माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को बड़े ध्यान से सुनने का सौभाग्य मिला है । मैंने माननीय श्री बीजू पटनायक के भाषण

को सुना है यह मैं अवश्य ही कहूंगा कि श्री पटनायक ने अपने भाषण के अन्तिम भाग में कहा है कि आप हर समय दियागो गार्शिया आदि की बात करते रहे हैं और निरन्तर कुछ न कुछ विरोध प्रकट करते रहे हैं तथा किसी ने भी आप की बात को सुना नहीं है इसलिए आप व्यवहारिक बनिए और इसके बारे में चिन्ता मत कीजिए। मैं हर प्रकार से उनका आदर करता हूँ। परन्तु मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि एक भूतपूर्व मंत्री, जिन्हें एक योग्य माना जाता है जो भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश काफी लम्बे समय तक हमारे साथ रहे हैं यह गांधी जी को भी उद्धृत करें। साथ-साथ वह गांधी जी को उद्धृत कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि गांधी जी होते तो उन्होंने यह कहा होता और उन्होंने यह किया होता क्या हम यह नहीं जानते कि हिन्द महासागर में क्या हो रहा है और उन्हें स्वयं भी कहा है कि यह हो रहा है? दो वर्ष पूर्व वाली स्थिति आज वहाँ नहीं है। आज वहाँ की स्थिति एक वर्ष पूर्व वाली नहीं है। वहां छः महीने पहले वाली स्थिति भी नहीं है। हर रोज अधिक तनाव पैदा होते जा रहे हैं और वे भी खुले आम यह बात नहीं है कि वहां कोई गुप्त बातें हो रही हैं अथवा कोई कुछ गुप्त रूप से काम कर रहा है। आणविक हथियारों को यहां लाया जा रहा है। मेरे मित्र कहते हैं कि चूंकि कोई आपकी बात को नहीं सुनता, इसलिए हमें इसे भूल जाना चाहिए इसके साथ-साथ जब वह अफगानिस्तान के बारे में जो बात कहते हैं यह और भी विचित्र है। उन्होंने कहा है कि ठीक है कि वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि हम अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं के होने को पसन्द नहीं करते हैं किन्तु वह कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है और हम अपने दृष्टिकोण को बदलते रहे हैं और कि हम परस्पर विरोधी बातें करते रहे हैं इत्यादि। उन्होंने कहा है कि श्रीमती गांधी अपना दृष्टिकोण बदलती रही हैं। अफगानिस्तान के मामले में वह कहते हैं कि जो कुछ हमने कहा है वह काफी नहीं है, वह कहते हैं कि साहसी बनिए, गांधी जी बनिए इसकी एक दम निन्दा कीजिए। दियागो गार्शिया के बारे में वह कहते हैं कि चुप रहिए। मैं नहीं जानता कि वह एक ही साथ परस्पर विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं। सारी बात को अलग रूप में देखा जा सकता। मैं यह बात नहीं कहता कि दोनों बातें समान हैं। मैं आदर पूर्वक यह बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है वह उलझे हुये हैं और विदेश नीति के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण समान नहीं है। अब हम अफगान के मामले को अलग से नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम अपनी सीमाओं, पाकिस्तान की सीमाओं और पाकिस्तान-अफगान सीमाओं के संबध में घटनाओं को अलग से नहीं देख सकते। उन्होंने इस मामले में का बहुत ही सरलीकरण किया है। एक बहुत ही रुचिकर बात उन्होंने कही है कि यदि कुछ टैंक या प्रक्षेपास्त्र दिये जाते हैं, तो क्या हो जायेगा? आप यह क्यों कहते हैं? यदि संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को हथियार देता है तो आपको क्या आपत्ति है? ठीक है यदि हमें अमरिका द्वारा हथियार दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या ऐसा करना उस पड़ौसी देश को हथियारों से लैस करना नहीं होगा जिसके साथ हमारा युद्ध हुआ था? यह मेरा मत नहीं है। यह इस राष्ट्र का मत है, यह एक दूसरे दल का मत नहीं है। यह श्री बीजू पटनायक का मत नहीं है। यह समूचे राष्ट्र का मत है कि दोनों युद्धों को पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपा गया था।

अब पाकिस्तान को हथियारो से लैस किया जा रहा है चाहे इसके कारण कुछ भी हो। उसे चाहे पर्याप्त अथवा अपर्याप्त रूप से हथियार दिए जा रहे हैं। चाहे हथियार 4000 लाख डालर अथवा 8000 लाख डालर मूल्य के हों। उन्होंने कहा "वह बात हमारे लिए चिन्ता

की बात नहीं है । हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए । आप इसे भूल जाइये और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखिए । यह वर्तमान सरकार एवं दल ही था, जिसके साथ सम्बन्धित होने का मुझे गर्व तथा श्रेय प्राप्त है, कि जिसने शिमला समझौता किया था । पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए हर सम्भव पग उठाया गया था । हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं । परन्तु, यदि अमरीका पाकिस्तान को हथियार देने की पेशकश कर रहा है, तो हमारे मन में इस आशंका का होना स्वाभाविक है कि इन हथियारों का प्रयोग हमारे विरूद्ध किया जायेगा । यदि हम इस भय तथा आशंकाओं को व्यक्त करते हैं तो श्री बीजू पटनाक कहते हैं, 'यह गलत है कृपया ऐसा मत कीजिए" ।

जैसे मैं स्थिति को देखता हूँ मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से मैं देखता हूँ तथा जानता हूँ कि कुछ परस्पर विरोधी बातें हैं तथा किसी प्रकार का एक सम्पर्क विद्यमान है और ये एक ही धुरी के देश हैं जिनमें अमरीका आता है, चीन आता है और पाकिस्तान आता है चाहे उनके किसी भी प्रकार के भिन्न उद्देश्य तथा भिन्न इरादे क्यों न हों । अत: भारत को इस स्थिति को सही तथा उचित परिप्रेक्ष्य में देखना होगा ।

इसके अतिरिक्त श्री बीजू पटनायक ने कहा है, "सिद्धान्तों पर दृढ़ रहिए ।" परन्तु वह कहते हैं कि यदि यह सिद्धान्तों की बात है तो उनका अभिप्राय यह है कि यह अक्षरस: व्यवहारिक रवैया नहीं हो सकता है । हर रोज हम सब जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं और सिद्धान्तों की बात करते हैं तथा कहते हैं कि हम इस सिद्धान्त रूप में समर्थन करते हैं परन्तु हम इसके सिवा और अधिक कुछ नहीं कर सकते । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अफगान के मामले तथा हिन्द महासागर दोनों के मामले में तथा पाकिस्तान और बंगला देश और अपने पड़ोसियों तथा विश्व के साथ अपने संबंधों के मामले में भारत का रवैया सिद्धान्तों पर आधारित तथा व्यावहारिक ही रहा है । यही होना चाहिए था ।

मैं विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्हें हाल ही में मेजमान देश के विदेश मंत्री के नाते गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करने का श्रेय प्राप्त हुआ था और इससे पूर्व भी जिनकी यू. ए. आई. डी. ओ. सम्मेलन में शान्ति प्रेणता तथा निर्णायक की भूमिका निभाने एवं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने और गुट-निरपेक्ष देशों में निकट सहयोग का प्रयास करने और संघर्ष से बचने तथा तनावों को कम करने के प्रयास करने की भूमिका निभाने वाले देश के रूप न केवल इनमें राष्ट्रों के द्वारा ही अपितु अधिकांशत: समूचे विश्व द्वारा सराहना की गई है इस सभा में हम सबके लिए यह बात बड़े सम्मान की है । सभा की इस ओर बैठने वाले कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बात का अभिनन्दन किया है मैंने उनके वक्तव्य पढ़े हैं अत: मुझे माननीय सदस्य श्री बीजू पटनायक द्वारा सरकार पर हमारे पड़ोसी के प्रति एक ताकतवर भाई जैसा व्यवहार करने के दोषारोपण की बात सुनकर आश्चर्य हुआ है ।

कौन कौन से उदाहरण दिये गए हैं ? उन्होंने बंगला देश के सम्बन्ध में फरक्का की बात कही है । क्या हमें अपने कलकत्ता पत्तन के लिए जल की आवश्यकता नहीं है ? यदि हम कहते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है तो क्या इस का अर्थ यह है कि हमारा रवैया एक ताकतवर भाई जैसा है पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी उन्होंने यही बात कही है । न हम और ना ही हमारी वर्तमान सरकार पाकिस्तान के मामलों में हस्क्षेप करना चाहती है । हम पाकिस्तान के

लोगों का भला चाहते हैं । हम सभी जानते हैं कि, मैं नहीं जानता कि मुझे यह बात कहनी चाहिए अथवा नहीं, पाकिस्तान के लोग आज अपने भाग्य के निर्णायक नहीं है । मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं । वे भारत के साथ पूरी तरह शान्ति चाहते हैं जैसाकि भारत के लोग पाकिस्तान के साथ पूरी तरह शान्ति चाहते हैं । किन्तु वहाँ एक सैनिक तानाशाही है । वहां तानाशाह अपनी मनमानी कर रहा है । वह कुछ बातों का सहारा ले रहा है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार भरसक प्रयास करती रही है और अप्रत्यक्ष रूप से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है । हमारे अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान गए । मुझे यह अवश्य ही कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है । विदेशी सेवा में हमारे कुछ बहुत ही योग्य अधिकारी हैं । जिन्होंने अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया और उनके कार्य की सराहना भी की गई । मेरे विचार में भारत एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जो एक इस महान राष्ट्र के लिए उपयुक्त है । किसी देश का विदेशों सम्बन्धी कार्य संचालन गणित जैसी प्रक्रिया नहीं है । इसका संचालन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में विशेषकर इस समय जबकि विश्व में अशान्ति है तथा विक्षुब्ध स्थिति है और नये तनाव बनते जा रहे हैं । जहां लोग हमारे अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं अपनी दिशा को ध्यान में रख कर ही हमें काम करना होगा और मुझे विश्वास है कि विदेशी मामलों के संचालन करनेमें भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है और भारत बेहतर तथा अच्छी तरह कर सकता है मैं विदेशी मामलों के सम्बण्ध में वर्तमान सरकार के काम की तुलना जनता सरकार के साथ नहीं करना चाहता हूँ । मैं इसकी तुलना नहीं करना चाहता, कोई तुलना नहीं हो सकती है और इसका कारण स्पष्ट है । श्री बीजू पटनायक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि विदेशी मामलों का संचालन करने में आन्तरिक रूप से आपको शक्तिशाली बनना होगा और हमें तो अपनी प्रतिष्ठा बनानी है। हमारी योग्य प्रधान मन्त्री ने कई बार कहा है कि भारत की रुचि विश्व का नेता अथवा एशिया का नेता बनने विश्व के इस या उस भाग का नेतृत्व करने तथा नेता बनने में नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है । निश्चय ही भारत गुट निरपेक्षता सह-अस्तित्व की नीति तथा इन सभी सिद्धान्तों के मूल तत्वों में विश्वास रखता है जिन्हें हमने संजोया है और उसके लिए भारत को आगे आना होगा और भारत उस शक्ति, साहस एवं विश्वास से आगे आ सकता है । हो सकता है कि मेरे मित्र यह पसंद करें । श्रीमती गांधी को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं (व्यवधान) मेरे विचार से श्रीमती गाँधी को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह डा. हेनरी किसेंजर थे जिन्होंने कुछ कहा था । मैं प्रमाण पत्र को महत्व नहीं देता । यह वही हैं जिन्होंने शक्ति, आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा तथा साहस तथा स्पष्टता के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे जिसे श्रीमती गाँधी ने किसेंजर की उपस्थिति में ही भारत के राष्ट्रपति के साथ एक भेंट में स्पष्ट किया था (व्यवधान) हो सकता है उन्होने जो कुछ लिखा है, वह आपके अनुकूल हो ।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा एक योग्य और गतिशील नेता हैं जो हमारी विदेश नीति का उद्देश्य और दिशा के बारे में स्पष्ट है ।

अब मेरे मित्र हमें आत्म निर्भरता के बारे में बता रहे थे । हमारे देश में 600 लाख लोग

हैं। मैंने पूछा था कि आप क्या कर रहेहैं ? आप ने इसका उत्तर नहीं दिया था। उनके बारे में क्या किया जाये ? और मैं उन्हें उस बारे में याद नहीं कराना चाहता कि उन्होंने उनके बारे में तीन वर्षों के दौरान क्या किया।

अन्त में मैं श्री जयदीप सिंह का समर्थन करता हूँ जिन्होंने विदेश-सेवा के बारे में कहा है। मैं यह महसूस करता हूँ कि हमारी विदेश सेवा, इसकी भर्ती, इसके पाठ्यक्रम और विभिन्न अन्य बातों के बारे में पुन: विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि इसमें हमारे बहुत ही श्रेष्ठ लोग हों। मैं उन्हें कम नहीं बताना चाहता। परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि इस बारे में फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि विदेश सेवा में विशेष प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्राप्त लोग आयें। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह ही वही परीक्षा दें एवं विभिन्न पर्चों की परीक्षा दें और एक व्यक्ति को भारतीय विदेश सेवा में भर्ती कर दें और उन्हें सीधे ही विदेशों में भेज दें।

मैं यह महसूस करता हूँ कि पाठ्यक्रम भिन्न होना चाहिए। परीक्षा भी भिन्न होनी चाहिए और उन्हें भारत में इस आधार पर कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो जाये। एक विदेश सेवा जिसमें मुख्यतय: विशिष्ट: वर्ग के लोग हो और जिन पर पश्चिमी परम्पराओं का प्रभाव हो और जो पुराने तरीके से सोचते हो मेरे विचार में वे पर्याप्त रूप से भला कर सकते हैं। हमारे दूतावासों में जाने वाले हमारे कर्मचारियों को अवश्य ही पर्याप्त रूप से प्राशिक्षित किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं और कई अन्य भाषाएं सीखते हैं। अन्य भाषाओं को पर्याप्त रूप से क्यों नहीं सीखते ? यथा जापानी भाषा ? हम में एक हीन भावना है और हम उससे बच भी नहीं सकते, और वह है रुस और अमरीका की परम शक्ति की भावना। अत: वे भी यहाँ हैं। परन्तु कुछ अन्य देश भी हैं जिन्होंने प्रगति की है, जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे फ्रांस, जापान, जर्मनी तथा कई अन्य देश। हमारी सरकार ने उनके साथ संबन्ध सुधारे हैं और संबंध सुदृढ़ किए हैं। हमें उन पर अधिक प्रभाव डालना चाहिए, उनकी भाषा सीखने पर अधिक जोर देना चाहिए और उनके साथ संबन्ध और मधुर बनाने चाहिए।

अफ्रीका के सम्बन्ध में भी हमने काफी ध्यान दिया है तथा अभी हमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है तथा इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की ओर भी ध्यान देना है।

मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूँ कि विदेश नीति पर कोई हमला नहीं हो रहा है, इस पर हमला नहीं किया जा सकता है और न हो इसे किसी प्रकार के बचाव की आवश्यकता है। यह ठीक नीति है। यह सही ढंग से चल रही है। यह देश को मजबूत बना रही है। यह अन्य देशो के लिए किसी सीमा तक सहायक सिद्ध हो रही है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। परन्तु हम केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में ही रूचि नहीं रखते हैं, हम समस्या के समाधान में रूचि रखते हैं। अफगान समस्या पर हमने जो रवैया अपनाया वह टकराव की स्थिति से बचने में सहायक हुआ। यदि हमने ऐसा रवैया अपनाया होता जो टकराव और तनाव की ओर बढ़ावा देता तो स्वभावतया स्थिति काफी गम्भीर हो जाती।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय द्वारा संचालित विदेश नीति का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

* **श्री नागरत्नम्** (श्रीपेरम्बदूर) : सभापति महोदय, वर्ष 1981-82 के लिए विदेश मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने पर मुझे बहुत प्रसन्नता है।

महोदय, जब मैं 1980-81 के लिए मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था तो मुझे यह आभास हुआ कि पारस्परिक संबन्ध सुदृढ़ बनाने के हमारे प्रयासों के क्रम में यह रिपोर्ट भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों और उच्चधिकारियों तथा अन्य विदेशी अधिकारियों और विदेशों का भ्रमण करने वाले हमारे उच्चधिकारियों के आदान-प्रदान क्रमिक इतिहास मात्र है। यह स्वयंसिद्ध है कि लोकतन्त्र के लिए वचनवद्ध देश के रूप में हमें अपने देश के हित में ऐसे भ्रमणों का आदान-प्रदान करना चाहिए। परन्तु यही सब नहीं है। किसी देश की विदेश नीति की सफलता केवल मूल सिद्धान्त निरूपित करने में ही निहित नहीं है। और न ही ऐसे भ्रमणों का आदान-प्रदान करने में निहीत होती है। विदेश नीति की सफलता का अन्दाजा उन ठोस परिणामों से लगाया जाता है जो उस विदेश नीति से प्राप्त होते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 21 पर अरब देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने का उल्लेख किया गया है। परन्तु अरब देश पाकिस्तान को 'इस्लामिक बम' बनाने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। इसी प्रकार रिपोर्ट के एक अन्य पृष्ठ पर श्री लंका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने का उल्लेख किया गया है। परन्तु समाचार पत्रों में एक समाचार था कि श्री लंका अमरीकन युद्ध-पोतों के लिए नौसैनिक अड्डा दे रहा है। इस समाचार का खंडन करने के लिए कहे जाने पर श्री लंका का कहना है कि वह अमरीकी नौ सैनिक बेड़े को विश्राम और मनोरंजन के लिए हिन्द महासागर में जगह दे रहा है। हम प्राय: निर्गुटता की नीति पर ईमानदारी से सुदृढ़ रहने की बात करते रहे हैं। परन्तु निर्गुट समूह के देशों में क्या हो रहा है ? सिंगापुर और मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों के साथ निर्दयता का व्यवहार किया जाता है। भारतीयों के पूजास्थल स्थानीय लोगों की बर्बरता का शिकार बन गए हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूं। सभा में कोरम पूरा नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जाए···। अब कोरम पूरा है। माननीय सदस्य, श्री नागरत्नम अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री टी. नगरत्नम : जैसा कि मैं कह रहा था, भारतीयों के पूजास्थलों को सुविचारित ढंग से बरबाद किया गया है। केवल तीन दिन पूर्व सिंगापुर सरकार ने उत्तर प्रदेश के निवासी एक 30 वर्षीय युवक को एक छोटे से अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया यद्यपि हमारी सरकार द्वारा इस छोटे से अपराध के लिए ऐसे दण्ड पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया गया था। सिंगापुर की सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस युवक को छोटे-से अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया गया। अन्य देशों में भारतीय मूल के लोगों को उनकी जान-माल की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। ईरान-ईराक संघर्ष के आरम्भ में अनेक भारतीयों को अकस्मात ही पकड़ लिया गया और समाचार पत्रों में यह बताया गया कि कुछ लोग इस संघर्ष में मारे गए। परन्तु इस घृणित संघर्ष का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुदान का हिन्दी रूपांतर।

यह है कि हमारे अपने राजदूत वहां रहने वाले भारतीयों की जान बचाने में बुरी तरह से असफल रहे। तमिलनाडु वासी चार परिवारों द्वारा भुगती गई मुसीबतों, जो अपने खर्च पर हमारे राजदूत की सहायता के बिना, ईराक से वापस आना चाहते थे, के बिषय में एक अग्रणी तमिल साप्ताहिक में एक लेख चित्र छपा था। हमारे राजदूतों का प्रारम्भिक कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे उन देशों में रहने वाले भारतीयों के जीवन की सुरक्षा करें और संरक्षण करें।

मैं अमरीका-चीन सहयोग का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे हमारे देश की प्रभुसत्ता को गम्भीर खतरा उत्पन हो गया है। एक ओर, पाकिस्तान को कई सौ अरब डालर मूल्य के आधुनिकतम शस्त्रों से लैस किया जा रहा है। दूसरी ओर, यह पता चला है कि बंगला देश को चीन से, जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, शस्त्र और युद्ध सामग्री प्राप्त हो रही है। अक्तूबर, 1980 में हमारे वाणिज्य मंत्री विदेशी व्यापार पर बातचीत करने के लिए ढाका में थे। हम बंगला देश में उत्पादित सारा जूट नहीं खरीद सकते। परन्तु चीन बंगला देश में उत्पादित सारा जूट खरीद रहा है। जब व्यापाक सम्बन्ध सुदृढ़ होते हैं तो यह अनिवार्य है कि राजनीतिक प्रभाव का पलड़ा भारी हो।

सम्भवत: यही कुछ परिस्थितियां थी जिनके कारण हमारी प्रधान मन्त्री को अप्रत्याशित क्षेत्रों से संभावित खतरों से देश को सावधान करने के लिए विवश होना पड़ा हो।

वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 34 पर हमारे यूगोस्लाविया से बढ़ते संबन्धों के विषय में उल्लेख किया गया है। परन्तु यह आश्चर्य जनक है कि यूगोस्लाविया अपने संविदात्मक अनुबंध-पत्र से मुकर गया और लागत में वृद्धि के कारण भारत को पोत सप्लाई करने से उसने इन्कार कर दिया। यह हमारे देश की सफल विदेशी नीति के गौरव में वृद्धि नहीं करती है। पुन: पृष्ठ 36 पर, अमरकी उच्चाधिकारियों के भारत भ्रमण तथा उसके बदले में भारतीय उच्चाधिकारियों के अमरीका भ्रमण का पारस्परिक आवश्यकताओं की समझबूझ के रूप में उल्लेख किया गया है। ये भ्रमण व्यर्थ की कार्यवाही सिद्ध हुए क्योंकि अमरीका हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को कई अरब डालर मूल्य के आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित कर रहा है जो किसी भी दिन हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

अभी हाल ही में, जम्मू में आकर बसे, पकिस्तानी विस्थापितों की दयनीय दशा के विषय में चर्चा हो रही थी। 33 वर्षों के बाद भी नागरिकताहीन 3,000 परिवारों की परेशानियों के विषय में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। यहां मैं श्री लंका में 5.5 लाख तमिल मूल के नागरिकताहीन लोगों के तिरस्कार और भुगती जा रही कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहूँगा: 1964 का श्रीमावो-शास्त्री समझौता 31.10·1979 को समाप्त हो गया। श्रीमती गांधी और श्रीमाती भण्डार नायके के बीच हुआ अनुपूरक समझौता भी 31-10-1981 को समाप्त हो हरा है। इस दिन के बाद, श्री लंका में दशकों से रह रहे तमिल मूल के नागरिकताहीन 5.5 लाख लोगों का क्या होगा ?

जब कि हमें मालूम है कि नई कम्पूचिया सरकार को मान्यता देना अत्यावश्यक है फिर भी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी मानवीय समस्या में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बर्मा तथा श्री लंका के विस्थापित हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, किसी वैकल्पिक

पुनर्वास योजना के अभाव में, भिक्षावृत्ति अपनाने के लिए विवश हो गए हैं। माननीय विदेश मन्त्री को इन लोगों को देश-प्रत्यावर्तन के लिए ही रूचि नहीं लेनी चाहिए बल्कि लाखों लोगों के पुनर्वास में भी वैयक्तिक रूचि लेनी चाहिए।

हमने संबन्धों को सुधारने के लिए अपने खुले दिल से कच्चाटीवू पर अपनी प्रभुसत्ता श्री लंका के लिए छोड़ दी। इससे उत्साहित हो कर श्री लंका की नौसेना मछली पकड़ने के लिए जाने वाले रामेश्वरम के मछेरों को तंग करने लगी। वे न केवल उनकी नौकाओं को श्रीलंका के समुद्र तट पर ले जा कर खाली कर देते हैं बल्कि उन सारी लोगों की पिटाई करते हैं और उनको वापस जाने के लिए कहते हैं। माननीय विदेश मन्त्री को श्रीलंका के साथ इस मामले को उठाना चाहिए और हमारे मछेरों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना चाहिए।

हमने मारीशस को लगभग 110 हिन्दी की पुस्तकें भेजी हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है और यह विश्व को विभिन्नता में एकता की विचार धारा देने के लिए प्रसिद्ध है। हमारी संघीय व्यवस्था है। हमें मारीसश और फिजी द्वीप समूह को तमिल पुस्तकें भेजनी चाहिए जहां पर तमिल जानने वाले तमिल मूल के निवासी रहते हैं। तमिल देश की प्राचीनतम भाषा है और इसे विरासत में समृद्ध साहित्य मिला है, जैसा कि हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने तमिल सम्मेलन में स्वीकार किया था। इन देशों में हमारे उन दूतावासों को तमिल पुस्तकें भेजी जानी चाहिए जहां पर तमिल जानने वालों की संख्या काफी है। इसी प्रकार बुद्ध और बौद्ध धर्म संबन्धी तमिल पुस्तकें श्रीलंका स्थित हमारे दूतावास को भेजी जानी चाहिए जहाँ की सरकार ने बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपना रखा है। श्रीलंका के लोग तमिल जानते हैं और उन्हें भारत में पैदा हुए भगवान बुद्ध और भारत स्थित बौद्ध-पवित्र स्थलों की जानकारी होनी चाहिए। विदेश स्थित हमारे दूतावासों में कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो उस देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की भाषा जानता हो। उन देशों में भारतीय मूल के लोगों के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा करना उनका प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० के. के. तिवारी (बक्सर) : सभापति महोदय, हमारी विदेश नीति, जो $2\frac{1}{2}$ वर्षों तक निश्चित मार्ग से हटी हुई थी और जिसमें बिगाड़ आ गया था तथा जिसमें कुछ विशिष्ट विदूषकीय तत्व लाए गए थे, उसे अब सही दिशा दी गई है। अब वह सशक्त है। जनता पार्टी के शासन से पूर्व इसको जो स्थान प्राप्त था वही मिल गया है। आश्चर्य की बात है कि जब भी विरोधी पक्ष के लोग बोलने हैं तो उनका एक मात्र उद्देश्य किये गये काम में दोष ढूढने का होता है शायद वे इस बात को नहीं जानते कि हमारी विदेश नीति तदर्थ उपायों या स्वार्थों पर आधारित नहीं है। इसका उद्भव हमारे लम्बे स्वतंत्रता संग्राम और उपनिवेशकारी शासन के विरुद्ध हमारे संघर्ष के अनुभवों से हुआ है। इसका विकास हमारी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं देश के गरीब संघर्षशील लोगों की जरूरतों के अनुरूप हुआ है, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बारबार कहा है, हमारी विदेशी नीति अनिवार्यतः क्षेत्रीय प्रश्नों के साथ-साथ विश्व-समस्याओं से भी सम्बद्ध है।

विश्व समस्या इस समय काफी भयावह प्रतीत होती है। हम इस समय आदिक अस्त्रों से ग्रस्त विश्व में रह रहे हैं। थर्मो-अणु अस्त्र विश्व के विनाश के लिए मुंह बाए हुए हैं। अभी

केवल एक दिन पहले विश्व के एक सबसे शक्तिशाली देश के नेता को विश्व सुरक्षा के सम्बन्ध में एक अन्य बड़े शक्ति शाली देश के बारे में कुछ कहते हुए सुना है। उन्होंने उसके लिए 'चोर' झूठे और अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग किया डर इस बात का है कि इस मौखिक धमकी को परमाणु हथियारों द्वारा पुष्ट किया जाएगा। इसके लिए एक सीमित परमाणु युद्ध जैसे सिद्धान्त विकसित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में हम कह रहे हैं। जब हम अपनी विदेशी नीति के तत्वों पर दृष्टिपात करते हैं तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि भाग के विश्व में हमारी विदेश नीति समीचीन है क्योंकि यह गुट निर्पेक्षता के सिद्धान्तों पर आधारित है। हमारी विदेश नीति अल्पकालिक लाभों पर टिकी हुई नहीं है।

श्री पटनायक और उनसे पूर्व वक्ताओं ने गांधी जी और नेहरू जी का नाम लिया है। यदि आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी गुट विशेष में शामिल न होना, शान्ति की स्थापना के लिए प्रयास करना और विश्व के लोगों के बीच अधिकाधिक सहयोग स्थापित करना ही हमारे नीतिपरक कार्यक्रम के मुख्य स्तम्भ रहें हैं। इस विषय में मैं आपकी अनुमति से कुछबातें कहना चाहूँगा।

सन 1972 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संकल्प पास किया था जिसमें तुर्की के मामले में संयुक्त आंग्ल-ग्रीक हस्तक्षेप के विरुद्ध तुर्की कि विजय का समर्थन किया गया था। 1924 में हमने मिश्र की जनता के संघर्ष का समर्थन किया था। सन 1927 में भारत की आधुनिक विदेश नीति के निर्माता श्री जवाहर लाल नेहरु साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए ब्रसल्स गए थे। यदि आप उनके भाषण को पढ़ेंगे तो समग्र विश्व और क्षेत्रीय संदर्भ में भारत की विदेश नीति को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। इस अवसर पर श्री नेहरु ने जो भाषण दिया था उसका एक अंश मैं यहां उदृत करता हूँ :

भारत एक विश्व समस्या है। भारत की परिस्थिति का अन्य देशों अन्य देशों के लोगों पर भविष्य में काफी प्रभाव पड़ेगा जैसा कि पीछे हुआ है। मिश्र और अफ्रीका के अन्य देशों ने गुलामी सही है क्योंकि बर्तानवी साम्राज्यवाद भारत पर अपना कब्जा और मजबूत करना चाहता है। और वहाँ जाने वाले समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता है। अत: आज हम जिस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं और हिन्द महासागर की जिस समस्या का हम समाधान चाहते हैं वह पंडित नेहरु के 1927 के इस भाषण से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। हिन्द महासागर को सुरक्षित क्षेत्र बनाने की मांग थी इस मुख्य-क्षेत्र कहा गया था, बर्तानवी साम्राज्यवाद का मुख्य मार्ग। पंडित नेहरु जी का एक और भाषण है। वह भी एक महत्वपूर्व ऐतिहासिक अवसर था। यह 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस सम्मेलन के अवसर पर दिया गया था। पंडित नेहरु ने भविष्यवाणी की थी और मैं उसे उदृत करता हूँ :

भारत विश्व आन्दोलन का एक हिस्सा है। हम उन बड़े-बड़े आन्दोलनों और ताकतों से अछूत नहीं रह सकते जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

एक गुट-निर्पेक्ष देश के रुप में भारत की भूमिका का हमारे महान नेताओं के सिद्धन्तों, से प्रादुर्भाव हुआ है। जैसा कि समासद जानते हैं, गुटनर्पेक्ष के चार सिद्धान्त हैं। तनाव शैथिल्य, विकास निरस्त्रीकरण और उपनिवेशवाद की समप्ति। इन सभी मोर्चों पर हम हमेशा डर कर लड़े हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बारे में मेरा यह कहना है। श्री पटनायक उपस्थित नहीं

हैं ।अब वह कह रहे हैं कि हम इस प्रश्न पर शिथिलता बरत रहे हैं । अपनी आजादी से लेकर ही नहीं बल्कि उससे भी पहले से हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ते रहे हैं । अपनी धारणा के समर्थन में मैं कुछ दृष्टान्त दूंगा । अच्छे क्षेत्रीय पड़ौसी सम्बन्धों के विषय में 1947 में पंडित नेहरु ने एक एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन बुलाया था । उस समय क्षेत्रीय सहयोग से जो लाभ भारत को मिल सकता था और जिसकी उसे आवश्यकता थी उसके प्रति श्री नेहरु जागरुक थे । 1947 में हमने इण्डोनेशिया के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था । उनके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम एक सिद्धान्त पर खड़े रहे । हमने इन्डोचीन के लोगों की उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध लड़ाई में उनका समर्थन किया था कोरिया के संकट में भी हमने उसका समर्थन किया । स्वेज संकट में हम अपने सिद्धान्त पर अडिग रहे । उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमेशा युक्तिसगत रुख अपनाते रहे हैं ।

पड़ौसियों के साथ हमारे सम्बन्धों की भी चर्चा की गई है । हमारे राजनीतिक इतिहास के 1977 से 1979 के दो वर्षों को छोड़ कर हम उन कामों पर विचार करते हैं जो कांग्रेस सरकार ने किये हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्वकाल में ही भारत नागरिकता और सीमा विवाद के सम्बन्ध में बर्मा से समझौता कर पाया है । 1972 में हमने श्री लंका से भी एक समझौता किया था ।

पाकिस्तान के साथ भी हम अपने सम्बन्ध सुधारते रहे हैं । 1954 में हमने चीन के साथ अच्छे पड़ौसी के सम्बन्ध स्थापित किए क्योंकि हम एशिया के लोगों की एकता में विश्वास रखते हैं । अत: 1954 में हमने 'पंचशील' का सिद्धान्त आगे रखा । उसी समय 'पंचशील' सिद्धान्त को जन्म दिया गया । हम सभी जानते हैं कि बाद में चीन ने क्या किया ? फिर भी श्रीमती गांधी की सरकार ने चीन के साथ मैत्री पूर्ण भी सम्बन्ध रखने की कोशिश की । एक ऐतिहासिक तथ्य है ।

मेरे पास अब जो थोड़ा समय है उसमें में पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों की चर्चा करूंगा । पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध क्यों अच्छे नहीं हो रहे हैं ? मुझे ऐसा लगता है कि पांचवीं सताब्दी से लेकर आज तक हमें 'उलस'युग का स्मरण हो आता है जब कि विश्वट कराव का युग था । आज भी ऐसा लगता है कि अमरीका के हर मकान की छत पर डलस की आला मण्डरा रही है ।'सैल और सिपेटों सन्धियों में पाकिस्तान को सम्मिलित करता इस उपमहाद्वीप के लोगों को विभाजित करने का प्रयास था । पाकिस्तान को 1950 से ही भारत असम्बद्ध किया गया । सुरक्षा की वास्तविकता विदेशी निति या एक इकाई के रुप में इस उपमहाद्वीप के आर्थिक विकास का सही सन्दर्भ में मूल्यांकन न करने देने के लिए उस पर दबाव डाला गया । आज पाकिस्तान को भारी सहायता देने की बात कही जा रही है । डा. सुब्रह्मण्यम् स्वामी जनता शासन के स्वर्ण युग की बात कर रहे थे । मैं उनसे,इस बात के लिए सहमत हूँ कि जनता शासन के दौरान भारत और पाकिस्तान मित्र,वन गए थे । क्या आप इसका राज जानते हैं । इससे उस स्वर्ण युग का पर्दाफाश होता है । तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की श्री जिया के साथ भी उतनी ही मित्रता थी जितनी उनकी श्री कार्टर के साथ थी । इससे स्पष्ट है कि जनता पार्टी ने अमरीका की इस उपमहाद्वीप के प्रति टकराव की नीति स्वीकार करली थी और हमारी चिर घोषित नीतियों और कार्यक्रमों को इस क्षेत्र में अमरीकी चालों का शिकार होने दिया गया था ।

डा. स्वामी कह रहे थे कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, कमजोर देश है उन्होंने जनता शासनकाल में भी यही बात कही थी। पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। शायद वह इस बात को बड़ी सहजता से भुला देते हैं कि जनता शासन काल में पाकिस्तान को 250 करोड़ डालर की सैनिक मदद दी गई थी। जनता शासनकाल में ही पाकिस्तान को अमरीका और पश्चिमी देशों से 200 करोड़ डालर के हथियार मिले थे। उसी दौरान पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता अर्जित की थी और पश्चिमी देशों से सामान मंगाया था। वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान को हथियार देना खतरनाक बात है और इसी से सम्बद्ध है फारस की खाड़ी, जिसे अमरीका ने एक प्राइवेट मत्स्य सरोवर में परिवर्तित कर दिया है। यदि हम फारस की खाड़ी के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो अमरिका का उद्देश्य सोवियत रूप को आगे बढ़ने से रोकना है। सौभाग्य से यह साम्यवाद के फैलाव को नियंत्रित न कर रूस को नियंत्रित करने का लक्ष्य है और साथ ही वे कहते हैं कि हम पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। शायद ये दो बातें सामानार्थक हैं। परन्तु स्थानीय शक्तियों के हितों का कोई जिक्र भी नहीं किया गया है। खाड़ी देशों से प्राकृतिक संसाधन साम्राज्यवादी देशों ने लूट लिए हैं।

इस समस्या का दूसरा पहलू है फिलिस्तीन की समस्या अब सऊदी अरब के नेतृत्व में इस क्षेत्र के देशों के बीच एक गठबंधन सा बनाया जा रहा है। अतः अमरीका का विचार है कि सऊदी अरब के पेट्रो डालर, अमरीका के हथियारों तथा पाकिस्तान की सुप्रशिक्षित सेना से ईरान की भांति वहां भी अपना अधिपत्य स्थापित किया जाए। परन्तु दुर्भाग्य से यह विश्व इतिहास के एक अति सरल दृष्टिकोण का दुःखद परिणाम है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ईरान में उन्होंने क्या किया हम सब जानते हैं। शाह को खत्म कर दिया गया। यह एक इस प्रकार का हस्तक्षेप था जिसने कई किस्म की जटिलताओं को जन्म दिया। वियतनाम में हस्तक्षेप हुआ जहां मानव इतिहास का सबसे क्रूरतम युद्ध लड़ा गया और अमरीकियों की पराजय हुई। उन्हें वियतनाम से निकाल बाहर किया गया। यही हाल उनका इस क्षेत्र में होगा। मैं इस सभा से एक प्रश्न पूछता हूँ। फारस की खाड़ी की क्या स्थिति है ? सोवियत रूस की क्या स्थिति है ? यदि सोवियत रूस फारस की खाड़ी पर अधिपत्य करना चाहता है, यदि हवाई हमला होता है तो भी उसे एक हजार मील की दूरी तय करनी पड़ेगी और जासूसी तथा निगरानी के लिए अमरीकी सुविधा उपलब्ध होने के कारण उस पर हवाई हमला होगा। यदि वे ईरान से होकर आते हैं तो भी दूरी एक हजार मील पड़ती है जहां दुर्गम पहाड़ी रास्ते हैं और अविजेय पर्वत हैं। इनको पार करके ही वे ईरान के तेल क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं। अफगानिस्तान के रास्ते से भी यही समस्या है। यदि आप इस इलाके के नक्शे पर दृष्टिपात करेंगे तो पायेंगे कि रूस का फारस की खाड़ी में सैनिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। अमरीका और पश्चिमी देशों का इरादा वस्तुतः खाड़ी के देशों पर अधिपत्य जमाने का है। जैसा कि किसिंगर के समय में किया गया था, उनकी योजना हमेशा तैयार रहती है। उनका अन्तिम लक्ष्य तेल क्षेत्रों पर कब्जा करना है। यदि अमरीका और अन्य पश्चिमी देश मध्य-पूर्व में शांति चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले फिलिस्तीनी समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये। जब तक फिलिस्तीनियों की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक खाड़ी क्षेत्रों में स्थिरता कायम नहीं की जा सकती और वे देश इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

अब मैं हिन्द महासागर के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूँगा। जैसा कि मैं कह रहा था,

हिन्द महासागर झगड़े की जड़ बन गया है। यह झगड़ा अभी पैदा नहीं हुआ, जैसा कि कोई कह रहा था कि तेल संकट के बाद ही यह झगड़ा पैदा हुआ है। आप इस क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन करें। हिन्द महासागर पर 'रिनाएंसा' के समय से, 16वीं शताब्दी से ही बड़ी शक्तियों की आँख रही है। हिन्द महासागर अंग्रेजों के लिए एक केन्द्रीय सरोवर रहा है और भारत में अपने साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई तटवर्ती देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। आज हिन्द महासागर शान्ति के लिए खतरा बना हुआ है। डियगो गार्सिया और हिन्द महासागर के सैन्यीकरण के कारण भारत स्वभावतः चिंतित है। शायद इस क्षेत्र में भारत ही ऐसा देश है जिसका तटीय क्षेत्र सबसे लम्बा है और हमें नौसैनिक शक्ति की चिन्ता है।

फिर उन समुद्री संसाधनों के विकास के लिए हमने काफी टकनालोजी विकसित करली है जो समुद्र के नीचे उपबन्ध हैं। माननीय विदेश मंत्री और सभा के अन्य सदस्यगण जानते हैं कि अमरीका और उसके मित्रों ने समुद्र विषयक कानून का किस प्रकार उल्लघन किया है। पहले वचन दिया गया था कि समुद्री ससाधनों को मानवमात्र की विरासत माना जाएगा। उन्होंने इस वचन को तोड़ा है और अब प्रत्येक देश इन संसाधनों का विदोहन करने के लिए अलग-अलग कानून बना रहा है। यह है विश्व का चित्र।

जहां तक तीसरे विश्व के देशों का सम्बन्ध है आज पश्चिमी देशों के लिए चिल्ली, बोलीविया, अर्जेनटीना, ब्राजील, पाकिस्तान दक्षिण कोरिया आदि प्रसिद्ध लोकतांत्रिक प्रयोग शालाएं हैं। उन देशों की ये आधुनिक लोकतांत्रिक प्रयोगशालाएं हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया के सिगमण्डरी. क्यूबा के कर्नल बतिस्ता और पाकिस्तान के श्री यहिया खाँ का समर्थन किया। उनके लिए आजादी की यही परिभाषा है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं श्री रीगन के वक्तव्य में से कुछ उद्धृत करूंगा। ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है स्वतन्त्र विश्व की रक्षा के लिए। यह दक्षिण अफ्रीका की जाति वादी और रंगभेदवादी उस शासन के बारे में प्रसिद्ध वक्तव्य है जिसने नमीबिया और मोजाम्बीक के लोगों को मरवाया और दक्षिण अफ्रीका के हजारों स्वतन्त्रता सेनानियों को मौत के घाट उतारा। श्री रीगन कहते हैं :

> "क्या हम उस देश (दक्षिण अफ्रीका) को छोड़ सकते हैं जिसने उन सभी युद्धों में हमारा साथ दिया है जो हम ने लड़े हैं और जो स्वतन्त्र विश्व के लिए रणनीति की दृष्टि से अनिवार्य है।"

यह बयान है तथा कथित स्वतन्त्र विश्व नेता का इन परिस्थितियों में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, तीसरे विश्व के देशों की रक्षा में ही हमारी शक्ति निहित है चाहे वे अफ्रीका के देश हों या एशिया के अथवा लातिन अमरीका के इनके बीच आर्थिक विकास, संसाधनों के आदान-प्रदान, तकनालोजी के विनिमय आदि के क्षेत्र में और अधिक सहयोग तथा अन्तःनिर्भरता होनी चाहिए।

श्री पटनायक ने अभी अभी कहा है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से सहायता घटती जा रही है। क्यों ? वही इसका जवाब देंगे। हाल ही में अमरीका इस बात को बढ़ावा देता रहा है कि ये संस्थाएं विकासशील देशों को सहायता न दें और वह अपना समर्थन वापस

ले रहा है और द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि विकासशील देशों पर राजनैतिक दबाव डाला जा सके ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, श्री स्वामी और श्री बीज पटनायक के भाषणों का सार यह था कि भारत की विदेश नीति अच्छी नहीं है जनता सरकार की नीति स्वर्ण नीति थी और अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया के मसलो की उन्होंने आलोचना की थी ।

अफगानिस्तान के मामले में हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि हम अन्य देशों में सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं । पर हम उन देशों पर डाले जा रहे दबाव के भी खिलाफ हैं । यदि हम अफगानिस्तान में रूसी सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा करते तो वे बहुत खुश होते पर वे यह भी नहीं चाहते कि हम अफगानिस्तान पर डाले जा रहे दबाव के बारे में कुछ कहें जिसके कारण वे परिस्थितियां पैदा हुई जिनके फलस्वरूप सोवियत रूस को अपनी फौजें वहां भेजनी पड़ीं ।

मूल प्रश्न यह है कि भारत के हित में क्या बात है । प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम न तो पूर्व के देशों के समर्थक हैं और न ही पश्चिमी देशों के । हम भारत-समर्थक हैं । जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, भारत के हित में क्या है ? धर्म निर्पेक्ष और अफगानिस्तान भारत का मित्र है न कि अतिवादी समाजवादी, उग्रवादी अफगानिस्तान । यह हमारे राष्ट्रहित की बात है ।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) प्रभुसत्ता सम्पन्न अफगानिस्तान ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जी हां, बिना किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के प्रभुतासम्पन्न । अफगानिस्तान के साथ परम्परागत सम्बन्ध हैं । हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपनी इच्छा से अपने भविष्य का फैसला करें । श्री दोस्त मुहम्मद ने भी कहा है कि अफगानिस्तान पर जो दबाव डाले जा रहे हैं उनके वापस होते ही अगले दिन रूसी सैनिक वापस लौट जाएंगे ।

कम्पूचिया के मामले में भी हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । हम कम्पूचिया में स्थिरता चाहते हैं । पोल पाट शासन लोगों को मौत के घाट उतार रहा था । वहां नरसंहार हो रहा था और बाहरी देश उस स्थिति को बढ़ावा दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे । कम्पूचिया को मान्यता देने से नरसंहार की लीला समाप्त हो गई है । वहां स्थिर सरकार है और अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो गई है । हेंग सेमरिन के वर्तमान शासन के अधीन कम्पूचिया भारत का मित्र है । यदि वहां दूसरा शासन होता तो वही नरसंहार जारी रहता और उपनिवेशवाद कायम रहता जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा है ।

इस क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में, प्रत्येक देश की अपनी समस्याएं हैं जो इतिहास या उत्तराधिकार या भूगोल से संबद्ध हैं ।

स्वर्गीय नेहरू का सपना उत्तराधिकार और उपनिवेशवाद की सीमाओ को लांघ कर भारत के लिए एशिया तथा विश्व में ऐसी स्थिति का निर्माण करना था जिसमें वह राष्ट्रसमूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके इसमें भारत को कितनी सफलता मिली है यह अपनी-अपनी राय का विषय है । पर भारत को वातावरण तैयार करने में सफलता नहीं मिली । भारत को

आक्रमक चीन के साथ निभानी पड़ रही है जिसके साथ हमारे 2500 मील लम्बी सीमा है। दूसरी ओर बैर करने वाला पाकिस्तान है' और अब डियगो गार्सिया ने इस स्मिति को एक नया आयम दे दिया है। अमेरिका दीएगो गार्सिया में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु नौसैनिक अड्डा बना रहा है जिसका हमारे देश के लिए प्रत्यक्षरूप से खतरा है। महोदय, हमारे चारों ओर ऐसी स्थिति है ।

अब जहां तक चीन का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूँगा कि चीन हमेशा हमारी शान्ति और गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त की हंसी उड़ाता रहा है। चीनी लोग अप्रत्क्ष अथवा प्रत्यक्षरूप से से हमारे मामले में हस्तक्षेप करते रहे हैं । उन्होंने कई प्रकार से पूर्वी क्षेत्र में हमारे मामलों में दखल दिया है । 1962 में उन्होंने सीधे हमारे ऊपर हमला किया था और वे हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बने रहे । जब तक चीन स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये चीनक क्रांति में विश्वास है और असहमति स्थिति में वह आक्रमण करने में विश्वास करता है तब तक उस देश के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की कोई सम्भावना नहीं है। चीन दबाव डालने में विश्वास करता है और वह हमेशा अपने पड़ोसियों को डराता रहा है। वियतनाम तथा भारत पर 1962 का आक्रमण और 1965 और 1971 में भारत को चीन द्वारा डराने धमकाने जाने का उदाहरण हमारे सामने है ।

हमें डराने का चीन का जो नाटकीय ढंग है वह उसकी विदेश नीति का साधन है। वे हमेशा ही दूसरों के लिए खतरा बने रहे हैं और दूसरों पर दबाव डालते रहे हैं। यह चीन की निदेश नीति का एक साधन रहा है। जब तक चीन का अपने पड़ोसियों के प्रति इस प्रकार का रुख रहता है तब तक उसके साथ सामान्य सम्बन्ध बनाने की कोई सम्भावना नहीं है।

उनकी पिंग-पोग कूटनीति अथवा कलाबाजी दल को भेजना इस बात के पर्याप्त संकेत नहीं है कि वे भारत के साथ मित्रता चाहते हैं। यदि वे निष्ठावान है और वे हमारे साथ निष्ठा से मित्रता चाहते हैं तो उन्हें अच्छी मित्रता के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना चाहिए। किन्तु मैं इस बात के ऐसे कोई संकेत नहीं देखता हूँ। यही कारण है कि श्री बाजपेयी उनके जाल में फंस गये। उन्होंने स्थिति को सरसरी तौर पर लिया और एकाएक एक निर्णय पर पहुँचे जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत बदनाम हुआ। मैं समझता हूं कि उन्हें भी इसका दुःख हुआ था।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिमला और दिल्ली के समझौतों के बाद जिनके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच मित्रता का वातावरण बना था और सम्बन्ध सामान्य हुए थे, पाकिस्तान ने फिर से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। अपनी आवश्यकता के लिए सामान्य रूप से हथियार प्राप्त करने की बात तो समझ में आती है किन्तु जिस मात्रा में पाकिस्तान हथियार प्राप्त कर रहा है वह हमारे लिए एक चिन्ता की बात है उन्हें चीन और अमेरिका से हथियार मिलते रहे हैं और इन हथियारों को खरीदने के लिए उन्हें मध्य एशियायी देशों से धन मिलता रहा है। हथियारों की इस प्राप्ति को उस स्थिति के सन्दर्भ में देखा जाना है जिसके बारे में श्री हेग कहते हैं वे पाकिस्ता से मिश्र तक के देशों को हथियार दे रहे हैं। अतः पाकिस्तान अमेरिका के हाथों कठपुतली बनेगा। यदि पाकिस्तान अपनी सामान्य आवश्यकता के अनुसार हथियार प्राप्त करता तो वह अलग बात होती, किन्तु

अपनी आवश्यकता से अधिक हथियार प्राप्त करना तथा अमेरिका के हाथों कठपुतली बनकर काम करते रहना और इसका अमेरिका की विश्व की सामरिक नीति के अंग में शामिल होने की जो बातें हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यह हमारे लिए चिन्ता की बात है।

पाकस्तिान का यह तर्क है कि वह तीन कारणों से हथियार प्राप्त कर रहा है। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान की मध्य एशिया के प्रति जिम्मेदारी है। उन्हें आपात स्थिति में साउदी अरब के पुलिस के सिपाही के रूप में काम करना है। दूसरा कारण यह है कि चूंकि भारत हथियार प्राप्त कर रहा हैं अतः वे भी हथियार प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा कारण वे अफगान सीमा पर विद्यमान स्थिति बताते हैं। इन कारणों से वे हथिय र चाहते हैं।

अफगानिस्तान के विषय पर तब चर्चा की गई थी जब आई. एन. एफ. ए. के श्री इन्द्रजीत पाकिस्तान गये और जनरल जिया से मिले। जनरल जिया ने जो उत्तर दिया वह बहुत स्पष्ट है। वे रूसी सेनाओं के साथ लड़ नहीं सकते। जनरल जिया ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। अतः इसी सन्दर्भ मे हम पाकिस्तान द्वारा हथियारों की प्राप्ति के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और यह हमारे लिए बड़ी चिन्ता की बात है। पहले भी जब भी पाकिस्तान को हथियार मिले उन्हाने हमारे ऊपर हमला किया। प्रत्येक बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। अतः पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त करना एक गम्भीर मामला है और प्रधान मन्त्री द्वारा इस बारे में चिन्ता प्रकट करना सही है।

चीन और पाकिस्तान की भूमिका तथा इस क्षेत्र में हिन्द महासागर में जो स्थिति पैदा हुई है और हमारे सामने जो विश्व की स्थिति है उसे देखते हुए भारत को इस समस्त स्थिति का एक समाधान ढूंढ निकालना है। मुझे विश्वास है कि भारत को आज जो अच्छा नेतृत्व मिला है उससे भारत अपनी विदेश नीति में निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएगा क्योंकि विदेश नीति का हमारी रक्षा पद्धति से सम्बन्ध है और यह हमारी रक्षा नीति का एक अंग है।

इस नेतृत्व को हाल ही में दिल्ली में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में चुनौती दी गई थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सामने जो स्थिति थी भारतीय नेतृत्व उसके अनुरुप सिद्ध हुआ है। इसमें 93 देश थे और उनके भिन्न-भिन्न विचार थे तथा भिन्न-भिन्न समस्याएं थी। ऐसी आशंका थी और कुछ बड़ी शक्तियों की यह भी इच्छा थी कि यह सम्मेलन सफल नहीं होना चाहिए। मैं विदेश मंत्री को जो इस सम्मेलन के सभापति थे, बाधई देता हूं क्योंकि वह अपनी चतुरता तथा नेतृत्व से यह सब सफल कर पाये हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। यह एक अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी एक राजधानी से दूसरी राजधानी गये और उन्होंने इसके लिए आधर बनाया और यह उनके परिश्रम का परिणाम है कि दिल्ली में सम्मेलन हो पाया है।

इस जटिल स्थिति में तथा विश्व की जैसी स्थिति हमारे सामने है, जिसके बारे में मेरे मित्रों ने पहले विस्तार से कहा है, भारत को क्या करना है? भारत के पास क्या विकल्प हैं और भारत को क्या उपाय करने चाहिए जिससे इस स्थिति से निपटा जा सके? हम एक गुट-निरपेक्ष देश हैं और हमें इस आन्दोलन को एक बहुत मजबूत आन्दोलन बनाना है। गुटनिरपेक्ष देशों में परस्पर अधिक सहयोग होना चाहिए। गुट निरपेक्ष आन्दोलन में हमारे साथ कई ऐसे देश हैं जिनके पास फालतू कच्चा माल- जानकारी, मशीनें और पूंजी है। अतः हमें एक दूसरे

के साथ इसका हिस्सा बटाना चाहिए और प्रत्येक को आत्म निर्भर बनाना चाहिए। यदि भारत इसी भावना से आगे बढ़ता है तो मुझे विश्वास है कि भारत की ऐसी भोगोलिक स्थिति है तथा भारत का नेतृत्व ऐसी स्थिति में है कि इस आन्दोलन को आगे ले जा सकता है।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए जो शान्ति में और तनाव शैथिल्य में विश्वास करते हैं। हमने पहले भी देखा है कि रुस अन्य देशों के साथ शान्ति और सामान्य स्थिति बनाने के लिए प्रयास करता रहा है। वे योरोप में एक शान्ति संधि करने में सफल हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ 'साल्ट' समझौता करने का प्रयत्न किया। उन्होंने 'साल्ट-2' करार किया जिसकी दुर्भाग्यवस अमेरिका द्वारा पुष्टि नहीं की गई।

साथ ही श्री ब्रजनेव ने जब वे यहाँ दिल्ली थे, खाड़ी क्षेत्र के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे अफगानिस्तान के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की नई सरकार को भी उन्होंने आमंत्रित किया है और वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तथा अब तक इस बारे में कोई शर्त नहीं रखी गई है। अतः यह स्थिति है जिस पर हमें निगरानी रखनी चाहिए और भारत को अपने प्रभाव से दोनों बड़ी शक्तियों के बीच इस सहयोग के लिए सहायता करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्थिति बनाने तथा सहायता करनेका प्रयास करना चाहिए कि शान्ति के क्षेत्र का विस्तार हो।

अमेरिका विश्व में तनाव पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनका अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि लड़ाई अमेरिका में न हो तथा यह भी उनका अभिप्राय है कि लड़ाई प्रशान्त महासागर में न हो। वे खाड़ी तथा हिन्द महासागर में संकेन्द्रण कर रहे हैं। हमें इसी स्थिति पर नजर रखनी चाहिए तथा इस पर विचार करना चाहिए और अन्य समाजवादी देशों तथा अन्य देशों के साथ जो शान्ति चाहते हैं, मिल कर इसका समाधान ढूंढ निकालना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री बीजू पटनायक जैसे हमारे कुछ मित्रों ने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है तथा दूसरों ने भी कहा है कि भारत के पड़ोसी देश भारत से भयभीत हैं। वह बड़े बन्धुत्व की बात कर रहे थे। किन्तु यदि भारत आकार में बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारी 68 करोड़ की बड़ी आबादी है तो हम क्या कर सकते हैं? यह तो हमारी प्राकृतिक स्थिति है।

अपने पड़ोसियों के साथ सहोयोग की बात है। हम यह पहले ही द्विपक्षीय आधार पर कर रहे हैं। यह एक द्विपक्षीय पद्धति है जिसे हम अपने पड़ोसियों के साथ अपना सकते हैं। हमें उन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए हमारा उनके साथ मित्रता पूर्ण रवैया है। किन्तु मुझे डर है कि वे भारत का समर्थन कर रहे हैं और भारत की निंदा कह रहे हैं। श्री स्वामी यही बात पिछले दिन कह रहे थे और हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री कर रहे थे कि पाकिस्तानी तनाव रहा है और हम गत 32 वर्षों से संतोषजनक ढंग से इससे निपटते रहे हैं। उनकी अपनी आन्तरिक मजबूरियाँ हैं जिनके कारण वे हमारा विरोध करते हैं। एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है, एक जनरल के बाद दूसरा जनरल आता है। वे आते हैं किन्तु निर्वाचित होकर नहीं आते हैं। उनका लोग निर्वाचन नहीं करते हैं। पाकिस्तान के लोग भी हमारे तरह हैं, पाकिस्तान के लोगों का भारत के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये तो

वहां के नेता हैं जो अपनी आन्तरिक मजबूरियों के कारण वे भारत की आलोचना करते हैं। उनकी भारत के प्रति दुश्मनी है।

अत: मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपको इस आन्दोलन को मजबूत बनाना चाहिए। यदि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मजबूत होता है तो भारत भी अपने आपको मजबूत महसूस करेगा और दूसरे बात यह है कि हमें अन्य देशों, समाजवादी देशों तथा उन देशों के साथ, सहयोग करना चाहिए, जिनका शान्ति और तनाव शैथिल्य में विश्वास है, इस सम्बन्ध में मैं यही कहूँगा कि हमें वियतनाम कम्पूचिया, रुस और समाजवादी देशों के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, विदेश नीति जैसे नाजुक नियम बोलते हुए मैं अपने आपको कूटनीति की संदिग्ध तथा भ्रामक भाषा का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैं तो जो तथ्य है उसे तथ्य ही मान कर चलूंगा।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप कानूनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।

प्रो. मधुदण्डवते (राजापुर) : उस स्थिति में आप समझ नहीं पायेंगे।

श्री राम जेठमलानी : विस्तार में जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसे संक्षेप में कहना चाहूँगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है और जिसमें मैं सभा को भी सम्मिलित करना चाहता हूँ तथा जिसके समर्थन में मैं साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता हूँ कि हमारी विदेश नीति नैतिक दृष्टि से दिवालिया हो चुकी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी के पूर्णत: विरुद्ध है। यह मान्य राष्ट्रीय हितों के विपरीत तथा गांधी जी के सपनों को निराकार करने वाली है और नेहरू के आत्मा की उस प्रारम्भिक आवाज के विपरीत है कि (व्यवधान) कम से कम जहां तक सत्ता-दल के मेरे मित्रों का सम्बन्ध है विदेश नीति के सन्दर्भ में नैतिकता की बात करना मूर्खता है। किन्तु बहुत पहले 1924 में महात्मा गाँधी ने अन्तराष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका के जो सपने देखे थे उनके काम के लिए मैं उनको याद दिला सकता हूँ। उन्होंने हमसे कहा था कि भारत एक ऐसा माध्यम होगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक नैतिक आधार रखा जायेगा और उन्होंने यह कामना की थी कि भारत उन शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रवक्ता होगा जो विश्व में हिंसात्मक ताकतों को नियंत्रित करना चाहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से उनके उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारी विदेश नीति के निर्माता थे (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह राजनीतिक उत्तराधिकारी भी थे।

श्री राम जेठमलानी : मैं उस समय के नेहरू के बारे में कह रहा हूँ जब वह आदर्शवादी के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में यथार्थवादी हो गये थे। यह एक फैशन हो गया था। अमरीकी कांग्रेस के समक्ष 1949 में उन्होंने कहा था :

> "हमारी विदेशनीति का उद्देश्य विश्व शान्ति की रक्षा करना तथा मानव की स्वतंत्रता का विस्तार करना है।"

मारसन की विदेश नीति के आधार तथा उद्देश्य के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा :

"हम चुप बैठे रहना नहीं चाहते" और उनके शब्द ये हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि विदेश मन्त्री यहां हों और बार-बार सुने :

"मानव की स्वतंत्रता को चुनौती की स्थिति में, यह चाहे कहीं से भी हो, हम चुप बैठे रहना नहीं चहते। जहाँ स्वतंत्रता को खतरा हो अथवा न्याय को खतरा हो हम वहाँ असम्बद्ध नहीं रह सकते और नहीं रहेंगे।"

अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने कहा ।

"अत: हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग स्वाभाविक है । मैं आपको न्याय स्वतन्त्रता और शान्ति की स्थापना के लिए मित्रता और सहयोग दोनों देना चाहता हूँ।"

जब ये शब्द कहे गये थे तब से हम काफी सफर तय कर चुके हैं और गाँधीजी ने 1924 में जो कहा था तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1949 में जो कहा था उसके सन्दर्भ में मैं वर्तमान सरकार के कार्य की जांच करना चाहता हूं। महोदय, आन्तरिक निति के उद्देश्यों तथा विदेशी नीति के बीच निकट सम्बन्ध है । हमारे प्रख्यापित आन्तरिक उद्देश्य क्या हैं । यदि हमारी घोषणा में कुछ विश्वसनीयता है तथा उसकी कोई कीमत अथवा उसमें कुछ सच्चाई है तो हमारे प्रख्यापित आन्तरिक उद्देश्य है : लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद है । विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के हाथ के अंक में श्रीलंका के एक विधिवेत्ता एवं महान प्रतिनिधि, श्री शाहुल हमीद ने एक लेख में जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, कहा :

"श्री लंका में, जहा बुद्ध की शिक्षाओं का उसके इतिहास तथा संस्कृति पर काफी प्रभाव पड़ा, हमने एक ऐसे राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है जिसके माध्यम से हम एक निष्पक्ष और न्योचित समाज अर्थात धर्मिष्ट समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हमारी विदेश नीति में यही सिद्धान्त प्रतिबिम्बित होता है।"

यदि हम लोकतंत्र को अपनी आन्तरिक नीति के उद्देश्य के रूप में प्रख्यापित करते हैं तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, यद्यपि मैं इसका उत्तर नहीं चाहता क्योंकि उत्तर से वे एक उलझन में पड़ जाएगे, कि अपनी विदेश नीति के प्रतिपादन में कहां तक हमने लोक तंत्र का विकास करने तथा इसका विस्तार करने का प्रयत्न किया है ? खेद है कि इसका उत्तर 'ना', में है। हमने विश्व के लोकतांत्रिक देशों के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। हमने लोकतंत्र के विकास एवंम मानव की स्वतन्त्रता के प्रति अपने अन्तर्राष्ट्रीय वायदों की कभी घोषणा नहीं की है । लोकत्रांत्रिक देशों के हितों को लगातार कुचल कर हमने आज सभी लोकतांत्रिक देशों को अपना अस्थायी मित्र बनाया है तथा पुराने मित्रों को रूष्ट किया है जो सम्भवत: हमारी पराजय पर खुश होंगे ।

क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे सबसे बड़े मित्र वे देश हैं जिनकी सरकारें धर्म पर आधारित हैं और जिनकी आन्तरिक नीतियाँ केवल धार्मिक असहिष्णुता और घृणा की द्योतक हैं ? हमने उन देशों को चुनने के लिए कुछ नहीं किया है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं तथा उनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं किया है। हमने ऐसी सरकारों के साथ मित्रता की है जो पिछड़े और सामंतवादी हैं। वास्तव में हमें उन देशों और सरकारों का साथ अच्छा नहीं लगता है जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग अपनाया है।

मेरे मित्र श्री बनातवाला ने कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। विदेश मंत्री जी, मेरा ऐसा अनुमान है कि वह आपको इस दिशा में कुछ और घृणित कदम उठाने की सलाह देंगे। मुझे आशा है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और समाजवाद, स्वतंत्र स्वेच्छिक समाजवाद, 'किबुट्ज और 'मोशाव्ज' के उत्कृष्ट केन्द्रों को नष्ट करने में अपना कोई योगदान नहीं करेंगे। वह आपको छोटे-छोटे सामन्तों, दुश्चरित्र शासको उनकी वैध तथा अवैध दोनों सन्तानों के साथ मित्रता की सलाह देंगे और यदि आप उनकी सलाह मानेंगे तो किसी दिन यह दोस्ती उस क्षेत्र के इन सामान्तों के रनिवासों का निर्माण करने तक ही रह जाएगी।

महोदय, जनता सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में हो सकता है कुछ नहीं किया है किन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कम से कम जनता सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उन राजनीतिक और नागरिक अधिकारों तथा आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की पुष्टि की है जो 1966 से पुष्टि के लिए पड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें 1966 में लागू किया था और 1966 का वर्ष वह दुखद वर्ष है जब श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश में सत्ता में आई थी। जनता पार्टी के सत्ता में आने तक किसी को भी इतना साहस नहीं हुआ कि समाज की अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था करें। एक स्वतंत्र समाज को कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है और श्रीमती गाँधी अथवा उनके विदेश मंत्री महोदय ने कभी भी इसकी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा है। जनता सरकार ने चाहे कुछ और किया या नहीं किया किन्तु उन्होंने कम से कम इन प्रतिज्ञापत्रों पर हस्ताक्षर किए और हमने लोकतंत्र और मानवीय अधिकारों को अधिक सुरक्षित अथवा जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले जितने असुरक्षित थे उन्हें उससे कम असुरक्षित किया है :

सोवियत रूस के साथ हमारी जो दोस्ती है मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। इस मित्रता के जो बड़े काम हैं मैं उन्हें मानता हूँ : मैं जानता हूँ कि पहले रूस ने जो कुछ बातें हमारे लिए की हैं उनके लिए हम उनके आभारी हैं। यदि हमारी मित्रता वास्तविक है और यदि हमारी मित्रता चाटुकारिता नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे विदेश मंत्री कभी-कभी सोवियत रूस को हेलसिंकी समझौते के दायित्वों का तथा इस समझौते के निरंतर उल्लंघनों की तथा उस क्षेत्र में इसका विरोध करने वालों के निरंतर अभियोजन की और दुनिया की नजरों से बचकर जो मानसिक यातनाएं वहाँ दी जा रही हैं उनका स्मरण कराने का साहस करें। कम से कम मेरा विश्वास है कि यदि पंडित नेहरू ने जनता सरकार के कार्यों के बारे में सुना होता कि उन्होंने सयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीत अधिकारों के प्रतिज्ञापत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं तो उन्हें इस पर गर्व हुआ होता। किन्तु ये लोग उन्मुक्त रूप से अपनी ही उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे हैं। कम से कम मैं उनकी प्रशंसा में उनके साथ नहीं हूं।

जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है 1947 से बहुत वर्षों तक पाकिस्तान एक गुट-सम्बद्ध देश था और वह गुट-निरपेक्ष देश नहीं था। पाकिस्तान पश्चिमी गुट के साथ था। फिर कोई अंधा तथा बेईमान ही इस बात को मानने से इन्कार कर सकता है कि जनता सरकार के प्रयास से ही इसके शासन काल में पाकिस्तान ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र दिया तथा प्रवेश प्राप्त किया। पहली बार पाकिस्तान ने 'सेन्टो' और 'सीटो' में रहने की भयानकता को समझा। यह जनता सरकार के दौरान ही था कि पाकिस्तान ने

गुट-निरपेक्ष देश होने के लाभ को समझा और वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य हुआ और आज भी बना हुआ है। हमने महसूस किया कि यदि पाकिस्तान को एक गुट निरपेक्ष देश होना है तो उसका डर, जो अवैध असंगत, अनुचित भले ही क्यों न हो एक वास्तविकता है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। आप पाकिस्तान पर यह दोष नहीं लगा सकते कि हम जितने मूर्ख हैं वह इतना मूर्ख नहीं है। यदि कोई बड़ी शक्ति आती है और अपनी सेनाओं को तथा हथियारों को हमारी सीमाओं पर जमा करती है तो मैं समझता हूं कि केवल मूर्ख ही ऐसा कहेगा कि सीमाओं पर इन सेनाओं के जमाव से कोई खतरा नहीं हैं। मैं जनरल जिया का प्रशंसक नहीं हूं किन्तु यह कहने में जनरल जिया के प्रशंसक होने की बात नहीं है कि उनका डर उचित है क्योंकि एक बड़ी शक्ति ने उनकी सीमा से कुछ ही मील दूर अपनी सेनाएं आराम से जमा की हैं और इसका उन्हें खतरा है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से सोवियत रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है और न भारत ही सैनिक दृष्टि से सोवियत खतरे का सामना कर सकता है। अतः इस धारणा का क्या कारण अथवा आधार हो सकता है कि किसी दिन रूस इस उप-महाद्वीप में प्रवेश नहीं करेगा। क्या यह सत्य नहीं है कि काबुल से कोलम्बो पहुंचना अफगानिस्तान की सीमाओं को पार करने की अपेक्षा अधिक आसान है? कहा गया है कि आपने कठिनाइयों को आसान बना दिया है और अब कोई परेशानी नहीं है किन्तु अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने से उत्पन खतरे की अनदेखी नहीं की जा सकती है तथा इसके बारे में चढ़ा-बढ़ाकर नहीं कहा जा सकता है फिर भी मेरी शिकायत यह है कि हमने अपने अनैतिक आचरण से पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त करने और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने के विरुद्ध शिकायत करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। यदि हमने पाकिस्तान को कहा होता कि हम मानते हैं कि आपका डर जायज है और आप और हम मिलकर इस उप-महाद्वीप में अपना नैतिक प्रभाव डालेंगे और आपने कम से कम रूस को वापस जाने के लिए कहा होता तो इसका कुछ अर्थ होता। किन्तु इससे बड़ी मूर्खता की बात मैंने कभी नहीं सुनी कि रूस को कोई भी अफगानिस्तान से हटा नहीं सकता अतः हमें उन्हें अफगानिस्तान से हटाने के लिए नहीं कहना चाहिए।

जो व्यक्ति गाँधीवाद की नैतिक शक्ति पर निर्भर करता है उसे कम से कम दृढ़ता से यह कहना चाहिए कि "यह गलत है।" चाहे इसके कुछ भी परिणाम हों। यही गाँधीजी ने हमें सिखाया है और यही बीजू ने कहा है। मैं उन्हें गाँधीजी का उत्तराधिकारी नहीं मानता किन्तु अपने ढंग से कम से कम वह बिल्कुल वहीं कह रहे हैं जो गांधीजी ने कहा। हमें सेना की कमजोरियों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमें हमलावर पर नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालना चाहिए और जो सही है वही कहना चाहिऐ और अपनी पूरी आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति से यह माँग करनी चाहिए कि हमलावार वापस जाये।

यह बात सभी लोग जानते है कि जब हम पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप कर रहे थे तो उस समय हमने पाकिस्तान के कानों में तीन बातें डाल दी थी कि इन तीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाये ये तीन शर्तें थीं कि जनरल जिया को समाचार पत्रों पर से सेंसरशिप हटा लेनी चाहिए, वह राजनीतिक गतिविधियों को विधिमान्य करें और संसदीय चुनाव करवाएं चाहे वह चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर ही क्यों न हो, किन्तु चुनाव अगले वर्ष तक अवश्य

कराये जायें। जिस नीति का अब हमने अनुसरण किया है वह यह है कि हमने पाकिस्तान को उसके पुराने रास्तों पर धकेल दिया है यह भयानक गलती हो सकती है किन्तु फिर भी पाकिस्तान के इस बर्ताव को समझा जा सकता है और यह हमारी गन्द भरी अनैतिकता और नैतिक कायरता है जिसके कारण पाकिस्तान यह कार्यवाही करने या करने की इच्छा करने के लिए बाध्य हुआ है और अब हमने उसे उचित ठहराया है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

तीसरी बात यह है कि रूस के प्रति हमारी नीति अत्यन्त अदूरदर्शी है बल्कि यह घातक भी है मैंने इसका उल्लेख पहले किया है और मैं उससे आगे यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें दूसरी महाशक्ति अपना एक नया मनरो सिद्धान्त बनाती है और कहती है एशियाई लोगों को जहनुम में जाने दो, हम उनकी लड़ाइयों में शामिल नहीं होंगे, उन्हें समाप्त हो जाने दो, समूचे एशिया को साम्यवादी हो जाने दो परन्तु हम अपने अमरीकी उपद्वीप का ही ध्यान रखेंगे" उस समय, उस मनोभावना में, जब अन्य महाशक्ति अपने ही घरौंदे में लौट जाये और यदि रूस यह यह निर्णय करे कि वह समूचे उपद्वीप पर छा जायें तो उसे रोकने वाला कौन होगा ? श्रीमती गाँधी को तब केवल यही सन्तोष प्राप्त होगा कि वह उस गासदी को देखने के लिए नहीं होगी जिसकी ओर भारत को धकेला जा रहा है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज रूस पोलैंड में अपने टैंकों और अन्य हथियारों को साथ ले जाकर मानव स्वातन्त्रता को कुचल देने के लिए तैयार बैठा है। अतीत काल में ऐसी बातें हुई हैं। हंगरी और चेकोस्लोवाकिया इस के स्पष्ट उदाहरण हैं कि अतीत में उनके साथ क्या हुआ है वे रूसी आक्रमण के शिकार ही नहीं थे बल्कि इस बात से हमारे देश की नैतिक कायरता का भी प्रमाण मिलता है ऐसी नैतिक कायरता भारत ने आज तक कभी प्रदर्शित नहीं की थी इस प्रकार की घटनाओं से हुई हमारी बदनामी इस देश को पहले कभी नहीं उठानी पड़ी थी। आज पोलैंड में हजारों श्रमजीवी लोग उठ खड़े हुए हैं और वे आक्रमणकारियों के चंगुल से अपनी स्वायतन्ता और स्वतन्त्रता छुड़ाने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं। किन्तु फिर भी क्या हम अपना वहीं अनैतिक रवैया अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, जो हमने 1958 और उसके पश्चात 1968 में अपनाया था ?

मुझे आशा है कि विदेश मन्त्री जो स्वयं को गांधीवादी कहते हैं, कुछ साहस करेंगे और स्वतन्त्रता की सीमाओं में हो रहे ह्रास को रोकेंगे क्योंकि गांधी जी ने हमें स्वातन्त्रता की सीमाओं के विस्तार की शिक्षा दी थी और नेहरु जो ने मानव गरिमा के प्रति वचनबद्धता सिखाई थी

गुना से आये हमारे युवा और प्रतिष्ठित मित्र ने हमें बताया है कि अब हमें तनाव को कम करने की भावना को अपनाना चाहिए। जब किसी शेर, चीते, अथवा अन्य मानव भक्षी पशु का पेट भर जाता है तो वह एक कोने में विश्राम करता है और निगले हुये को पचाने का प्रयास करता है तो वह हमेशा शान्ति की बात करता है क्योंकि तब शिकार को पचाने के लिए उसे वातावरण की ही आवश्यकता होती है।

महोदय हम शान्ति को भंग होने की घटनाएं देख रहे हैं और तनाव को कम करने की बात सुन रहे हैं क्योंकि ये दो आक्रमणों के बीच का अन्तराल है और विश्व उस आक्रमण से धीरे-धीरे

अभ्यस्त होता जा रहा है। (व्यवधान) हमें 1962 के सबक को भुलाना नहीं चाहिए। हमें यह बात भी नहीं भूलानी चाहिए कि विदेश नीति के आपके महान प्रवर्तक, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, ने अपनी असफलताओं के बावजूद सार्वजतिक रूप से यह स्वीकार किया था कि वह भ्रम जाल में फंसे हुए थे और उनकी विदेश नीति ठीक नहीं थी दुःख की बात तो यह है कि विदेश नीति अब पुनः लड़खड़ा रही है परन्तु अब नेहरु जैसे महान व्यक्ति नहीं रहे हैं जो इस बात को स्वीकार करें कि विदेश नीति असफल हो गई है। यह बात है कि नेहरु इतने अधिक चाटुकारों से घिरे हुए नहीं थे। यह चाटुकारिता का युग है। आज कोई भी सच्चाई कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि विदेश नीति लड़खड़ा गई है और यदि आप जानना चाहते हैं तो विदेश नीति के पूरी तरह लड़खड़ा जाने का साक्ष्य वह घटना है जिसके बारे में आप शेखी बघारते नहीं थकते और वह घटना अभी हाल में हुआ गुट गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन है। क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि इस गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में आप डीगो गार्शिया की एकतरफा भर्त्सना करना चाहते थे किन्तु आपसे कम शक्तिशाली देशों ने आपको ऐसा करने से रोक दिया और आपको उसे छोड़ना पड़ा ? क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि आप अफगानिस्थान से रूस की फौजें हटाये जाने के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलना चाहते थे किन्तु आपको अपेक्षाकृत छोटे देशों द्वारा बाध्य किये जाने पर अन्तिम घोषणा में ऐसा करना पड़ा ? महोदय, क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि आज भारत ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो जन्म दाता दो अन्य देशों से अपने आप को अलग कर लिया है ? युगोस्लाविया, जोकि एक छोटा देश है, के पास इतना नैतिक साहस है कि वह खड़ा होकर विशाल देश को कहता है कि "आपको अफगानिस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको वह देश छोड़ना होगा। और हमारे पास इतना कहने का भी नैतिक साहस नहीं है। मिस्र भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के पवर्तकों में से है। आज हमारे सम्बन्ध उस एक मात्र महान अरब देश जोकि संस्कृति और ज्ञान का केन्द्र है तथा विश्व में सबसे अधिक सभ्य अरब देश है, के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और हमने छोटे-छोटे क्षेत्रों के सरदारों से गठबन्धन कर रखा है क्योंकि हमें अच्छे लोगों के सम्पर्क में रहना पसन्द नहीं है और हम उन्हीं के सम्पर्क में रहना पसन्द करते हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है।

अतः मेरा कहना है यह है कि आज हमारी विदेश नीति पाकिस्तान की जनता के साथ एक धोका है, यह अफगानिस्तान की जनता के साथ धोखा है, और गुट-निरपेक्ष की हमारी नीति के प्रति हमारी वचनबद्धता के साथ धोखा है और महोदय, भारत के राष्ट्रीय हितों का बलिदान किया जा रहा है—हमारे दूरगामी राष्ट्रीय हितों को एक महाशक्ति की षडयन्त्रकारी और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों के लिए बलिदान किया जा रहा है और इस महाशक्ति का किसी न किसी प्रकार हमारी वर्तमान सरकार वर्तमान प्रधान मन्त्री पर अनुग्रह है।

महोदय, श्री ब्रेजनेव की यात्रा के अवसर पर, लोक सभा में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने एक वाक्य कहा था, मेरे विचार से सभी को उस पर बैठकर विचार करना चाहिए। उन्होंने इस गरिमामंडित सदन में कहा गया था कि हमें भारत-रूस मैत्री की महानता में आस्था है और इसके लिए अच्छे पड़ोसियों वाले सम्बन्ध बनाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सम्बन्ध कभी खतरे में न पड़े। महोदय, यह स्वीकारोक्ति संघर्षपूर्ण स्वीकारोक्ति है, कायरता पूर्ण स्वीकारोक्ति है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सोवियत रूस की वीरो के

अध्यावीन हैं हम गांधी जी और जवाहरलाल नेहरु के युग से इतना दूर हो गये हैं कि हमने आज गांधी और नेहरु के इस विशाल और महान देश की स्वातन्त्रता को एक महाशक्ति रूस के इशारों पर गिरवी रख दिया है। ऐसा किस लिए किया गया है इसके कारणों की जांच-पड़ताल करनी होगी। मेरे दल को जो थोड़ा सा समय मिला है वह इस जाँच के लिए पर्याप्त नहीं है। यह समय जांच और रहस्योंद्घाटन के लिए काफी नहीं हैं। किन्तु इन कारणों का पता लगाना और उन्हें बताना काफी रूचिकर होगा।—धन्यवाद।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : डिप्टी स्पीकर सर, अभी हमारे जेठमलानी जी का जो भाषण हुआ है वह बहुत अच्छी अंग्रेजी में हुआ है। वह ऐसी अंग्रेजी में हुआ है कि अंग्रेज और अमेरिकन दोनों के कान काट सकते हैं। ऐसी भाषा में हुआ है। लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह अपमनाजनक है और उससे इस देश का अपमान हुआ है, इन्ट्रेस्ट को नुकसान पहुंचा है। आज तक किसी ने भी इस हाउस में इस किस्म का ऐसा भाषण नहीं दिया। इसके बारे में ज्यादा कहना अच्छा नहीं है क्योंकि ये देश के अपमान की बातें हैं और इस तरह की बातें हवा में घूमती रहती हैं।

प्रो. मधु दंडत्रते : राष्ट्र प्रधान मन्त्री से ऊंचा है। (व्यवधान)

श्री रामजेठ मलानी : देश आपसे तथा आप सबसे बहुत ऊंचा है।

श्री रामगोपाल एम. रेड्डी : आप दो मिनट बैठिए। हमारे चव्हाण जी भी शुरू से आखिर तक यहां बैठे रहे हैं। वे हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल के मिनिस्टर रहे हैं। उनमें भी ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है। (व्यवधान) दण्डवते जी और मिसिज दंडवते जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, और कहे तो कोई बात नहीं है। मैं उसकी परवाह नहीं करता। (व्यवधान)

हमारे बीजू पटनायक जी ने जो भाषण दिया, उसमें एक बहुत अच्छा नुस्खा दिया कि बंगलादेश को फरक्का का पानी दे दो, पाकिस्तान जो मांगता है वह उसको दे दो। फिर आखिर में क्या रह जायेगा ; जिस तरह से जनता पार्टी के जितने टुकड़े हो गए हैं उसी तरह देश के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। इस वास्ते जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह का भाषण यहां देने के बजाय उड़ीसा में दिया होता, हुगली नदी के किनारे पर जाकर दिया होता तो वे किनारे पर होने के बजाय नदी के अन्दर होते। इसलिए इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए।

एक्सटर्नल की जितनी पालिसी इन्दिरा जी ने हमारे देश के सामने रखी है वे सब सही हैं। मैं समझता हूं कि 1971 की जंग में अमेरिका के खिलाफ और दूसरे मुल्कों के खिलाफ उन्होंने जो हिम्मत दिखाई वह आज तक किसी ने नहीं दिखाई। अमेरिका ने हमारे खिलाफ सेवन्थ फ्लीट भेजा तो भी इन्दिरा जी डरी नहीं। उन्होंने उस समय कहा है कि अगर सारे मुल्क भी एक हो जाए तो भी हम परवाह करने वाले नही हैं। उनकी पालिसी की वजह से उस समय हिन्दुस्तान की जंग में जीत हुई और बगला देश मुक्त हुआ।

अब तक पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप से क्या फायदा हुआ है ? अगर उस जमाने में याहिया खां रहते तो पाकिस्तान का सात हजार मुरब्बा मील एरिया हमारे पास रहता और उसके

एक लाख कैदी हमारे पास रहते । लेकिन हमने वहाँ के इलेक्टिड प्राइम मिनिस्टर से नेगोशियशंस कर के हमने उनकी जमीन को छोड़ा और उनके प्रिजनर्स को लोटा दिया । यह बात हमारे अपोजिशन के मेम्बर क्यों भूल जाते हैं ? एक्सटर्नल अफेअर्स स्वजेक्ट पर बात जरा सोच-समझ कर करनी चाहिए ।

चव्हाण जी भी बोलने में कोई कम नहीं हैं । वे भी बोलने वाले हैं । हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब जो यहाँ पर रिपोर्ट दिये हैं, उसी रिर्पोट में अच्छी अच्छी बातें कही गयी हैं । उन्होंने कहा है कि हमारे दूतावास के ऊपर 41 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है जो कि रिजनेवल है । मैं समझता हूं कि इसको रिजनेल नहीं कहना चाहिए । अगर हमारे दूतावासों को आपको रिजनेवल बनाना है तो उन पर कम से कम हमें सौ करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए । उपाध्यक्ष जी, आप भी देखें, हमारे दूतावास में लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं । वहाँ के खर्चों के मुताबिक हमारे लोग थोड़ा खर्चा करते हैं । आपको मालूम है कि महंगाई की वहाँ पर क्या हालत है । एक हेयर-कटिंग का 50 से 80 रुपया तक लगता है । बहुत से बच्चों ने तो सेलून तक नहीं देखा है युवा पत्नियाँ अपने पतियों की हेयर कटिंग करती है । बूढ़े लोगों का क्या होगा । एक कप चाय के 15 से 30 रुपए लगते हैं । एक बार विदेश में एक मित्र के साथ चाय पी, वहां पर चाय के 12 रुपए लगे तो मित्र ने कहा कि यहाँ चाय बहुत सस्ती है । मैंने कहा कि मैं जमीदार आदमी हूँ, 12 रुपए में मेरे यहां हफ्ते भर चाय बनती है और यहाँ एक कप का 12 रुपया लगा है, फिर भी कह रहे हैं कि सस्ती है । इन कठिनाइयों में हमारे कर्मचारी वहां पर जीवन-यापन कर रहे हैं । इसके लिए मैं विदेश मंत्री जी को लिख चुका हूँ, इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । वहाँ पर कर्मचारियों को हर देश की भाषा सीखनी पड़ती है । अगर पेरिस में जाते हैं तो फ्रेंच सीखनी पड़ती है, ईजिप्ट जाते हैं तो अरेबिक सीखनी पड़ती है, स्पेन में स्पेनिश सीखनी पड़ती, दुनियाँ की जितनी जुबानें हैं, उनको वे सीखनी पड़ती हैं । हमारे नौजावान अफसर सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा । तीन साल कुवैत में, तीन साल पैरिस में, तीन साल इंग्लैंड में रहें तो उनके वच्चों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए । बच्चे अगर बड़े हों तो कहीं भी होस्टल में रखा जा सकता है, लेकिन जो यंग आफीसर्स हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । आज हमारे कर्मचारी वहां पर संगठन बना रहे हैं, यहां तक कि बंगला देश और पाकिस्तान एंबेसीज के लोग भी उनके सदस्य बन रहे हैं वे सब लोग आपस में मिलकर बैठते हैं और हिन्दी में बोलते हैं । पिछली बार हम लोग जेनेवा में गए थे तो वहाँ पर "द्रोणाचार्य" नाटक उन लोगों द्वारा पेश किया गया, वह नाटक इतनी अच्छी तरह से पेश किया किया था कि अगर वही नाटक यहाँ पर पेश किया जाता तो 6 महीने तक उसका टिकट ही नहीं मिलता । इतनी मोहब्बत से वे लोग पेश आते हैं । इस तरह से हमारे दूतावासी देश की इज्जत बढ़ा रहे हैं देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं । जब कभी हमने उनसे बात की हमने उनसे कहा हम जनता के प्रतिनीधि है । हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग कहीं गल्ती करते हैं तो हिन्दुस्तान के ऊपर धब्बा लग जाएगा । हमारे विदेश मंत्री महोदय को उनकी मुसीबतों की ओर ध्यान देना चाहिए । पैसे का क्या है, जहाँ 20 हजार करोड़ रुपए का बजट है, बढ़ता ही जा रहा है, वहीं इस मद में 0. 40 परसेंट से घटकर 0.25 परसेंट हो गया है । यह क्यों हो गया है ? मेरा निवेदन है कि वहाँ पर हमारे

कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सेंट्रल स्कूल्स खोले जाने चाहिएं, इससे उन देशों में बसे हुए दूसरे भारतीयों को भी लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विदेशी दूतावासों में यह देखने गये थे कि वहां हिन्दी का प्रयोग कैसे हो रहा है। किन्तु ऐसा लगता है कि आप वहां कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में जाने के लिए गये थे।

श्री रामगोपाल रेड्डी : दूसरी बात यह है कि वहां पर हिन्दी की उन्नति के लिए कुछ विशेष नहीं किया जा रहा है तो टायपिस्ट नहीं हैं, चीजें तो ऐसी हैं कि सप्लाई की जा सकती हैं। इतने लोगों को भेजते हैं तो एक हिन्दी स्टेनोग्राफर और टायपिस्ट को भेजने में क्या दिक्कत है।

श्री मधुदण्डवते : कुछ लोग तो टाइपराइटर और टायपिस्ट को एक ही चीज समझते हैं।

श्री राम गोपाल रेड्डी : प्रतिवेदन में कहा गया है : उत्प्रवास सम्बन्धी एक नये कानून को लाइए करने का प्रस्ताव अन्तिम स्तर पर है। विधेयक को शीघ्र ही संसद में पुरःस्थपित किया जायेगा।

विदेशों में नौकरियाँ प्राप्त करने में भारतीयों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय पर सरकारी क्षेत्र में जनशक्ति निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रुप के विचार कर रही है।"

किसी ने गणपति की प्रतिमा तैयार करने की इच्छा की जब तक उन्होंने उसे तैयार किया वह बन्दर बन कर रह गया।

ऐसा नहीं होना चाहिये। इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिये।

एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री को मैं इकोनोपिक मिनिस्ट्री करता हूँ।

विदेश मंत्रालय को मैं आर्थिक कार्य मंत्रालय कहना चाहूंगा क्योंकि यह 4,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अर्जित कर रहा है। वह कहते हैं कि यह अदृश्य आय है। क्यों ? इतने विपुल प्रकाश में श्री वेंकटरामन यह नहीं देख पा रहे हैं कि श्रमिकों द्वारा पैसा भेजा जा रहा है। एजेन्ट यह शरारत नहीं कर रहे हैं मैंने देखा है। मैंने अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाया है। मैंने विदेश मंत्रालय को लिखा था। मैंने गृह मंत्रालय, पुलिस और विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों को लिखा था। उन्होंने बड़ी कड़ी कार्यवाही की थी। उन्होंने शीघ्र ही कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था, उनमें एक व्यक्ति काबुल से धोखाधड़ी कर रहा था। मैंने उसे इन्टरपोल के माध्यम से गिरफ्तार करवाया। किन्तु दुर्भाग्य से उस व्यक्ति के पास केवल ब्रिटेन का पासपोर्ट था। उसे इस देश में नहीं लाया जा सका वे सभी बेईमान लोग एजेन्ट नहीं हैं। वे यह सब कुछ चुपचाप कर रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को शीघ्र ही पकड़ा जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का मुख्यतः यही उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि श्री मकवाना इस बात को देखें और यह सुनिश्चित करें कि न्याय हो। हमारी आय में वृद्धि होगी। पिछले 3 अथवा 4 महीनों में हमारी आय में बहुत वृद्धि हुई है। हमने इस छोटी सी अवधि में 300 करोड़ से अधिक रुपये कमाये हैं। ये सारे आंकड़े इस

पुस्तक में विद्यमान हैं । मैं चाहता हूँ कि इस आय में और वृद्धि हो । हमारे वित्त मन्त्री महोदय को आशा है कि यह धनराशि 4,000 अथवा 5,000 करोड़ रुपये हो जायेगी । यदि उसका सही ढंग से प्रयोग हो तो मुझे विश्वास है कि यह धनराशि 6,000 करोड़ रुपये हो जायेगी और हमें बहुत कम रोक लगानी चाहिए । अनेक रोक लगा रखी हैं, तभी तो लोगों को बेइमान लोगों के पास जाना पड़ता है । विदेश मन्त्री महोदय ने अपने व्यक्तव्य में कहा है कि वह सरलीकरण करने जा रहे हैं, उन्होंने कई मामलों में सरलीकरण किया भी है किन्तु उसमें और आर्थिक सरलीकरण करने की आवश्यकता है ताकि लोग वहाँ आसानी से जा सकें और हमारे राजदूतों को तथा अन्य कर्मचारियों को इसके बारे में सूचित किया जाये ।

हमारे राजदूतों के कार्यकरण के सम्बन्धों में मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ । कुवैत में युद्ध आरम्भ हुआ तो हमारे राजदूत ने वहाँ खड़े होकर इराक और इरान में आने वाले सभी शरणार्थियों के लिए भोजन का प्रबन्ध किया । उन्होंने केवल हमारे लोगों को ही भोजन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बंगलादेश और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की । वे सब हमारे आभारी हैं । बंगलादेश और पाकिस्तान जैसे अनेक देशों में लोग यह सोचते हैं कि वे भारतीय हैं । उन्हें स्वयं को भारतीय समझने में गर्व अनुभव होता है । हमारे लोगों ने विदेशों में हमारे देश के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित की है और इसीलिए मैं अपने विदेश मन्त्री को बधाई देता हूँ । उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है ।

अपने स्कूल के दिनों में मैं जानता हूँ कि उन्होंने अभी अपनी परीक्षाओं के बारे में नहीं सोचा था । उन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी थीं किन्तु वह अपने जिले में प्रथम आये । उस समय मुझे आश्चर्य होता था कि उन्होंने कैसे परीक्षाएं पास की और इतनी भाषाएं कैसे सीखीं : जब तक इस संसद की अवधि समाप्त होगी, मुझे विश्वास है कि वह विश्व भर की भाषाएं सीख जायेंगे जो इस देश के लिए उपयोगी होगें ।

मैं उन्हें बधाई देता हूँ और श्रीमती इंदिरा गांधी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य के लिए इतने प्रबुद्ध व्यक्ति का चयन किया है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिन के अन्त में बोल रहा हूँ किन्तु इसका एक लाभ है कि मेरे से पहले अनेक व्यक्ति इस सदन में अपने विचार कर चुके हैं और मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है ।

प्रो. मधु दण्डवते : अन्त भला सो भला ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहाँ तक दिन का सम्बन्ध है, जो बात श्री मधु दण्डवते ने कही है, सही है, अन्त भला सो भला । इसके अतिरिक्त, मेरा विचार है कि जब हमने पिछले वर्ष इस मांग पर बहस की थी और जब आज हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो मेरा ध्यान पिछले एक वर्ष में जो इस देश में और विदेश में पड़ौसी देशों में हुआ है, उसकी ओर जाता है । इस प्रकार आज हमें विश्व की स्थिति में, क्षेत्रीय स्थिति में तथा भारत के पड़ौसी देशों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है । परिस्थितियां भयानक बनती जा रही है । मैं इसके लिए किसी कड़े शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ किन्तु मैं उसके लिए कोमल शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ । आज स्थिति बड़ी खतरनाक होगी अतः विदेश मन्त्री महोदय, आपका कार्य

बहुत कठिन हो गया है और मैं यह बात प्रारम्भ में ही कह देता हूँ कि यह सदन का तथा हम सब का कर्त्तव्य है कि हम आपको इस भयानक और कठिन कार्य में अपना सहयोग दें। मुझे अफसोस है कि मेरे मित्र श्री जेठमलानी इस समय यहाँ नहीं हैं। मैं जब उनका भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अमरीका के किसी रिपब्लिकन सेनेटर का भाषण सुन रहा हूं। हमने भारत की विदेश नीति को हमेशा राष्ट्रीय सहमति वाली नीति माना है और ऐसा होता भी रहा है। मेरे विचार से पिछले वर्ष सदन में इस मत की पुष्टि की गई थी—मैं भी इस सम्बन्ध में बोला था और सदन ने इसका स्वागत किया था। इस एक वर्ष में ऐसा क्या हो गया है कि स्थिति में एकदम परिवर्तन आ गया ? हमें समूचे विषय पर विचार करना होगा। अफगानिस्तान के प्रश्न को ही लें। मैं किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा करने नहीं जा रहा हूँ समूचे देश की, राष्ट्रीय नीति की प्रशसा करता हूं। क्या इस मामले में हमने गुट-निरपेक्ष सिद्धांतों के प्रति अपने आधारभूत रवैये में कुछ परिवर्तन किया है ? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने अफगानिस्तान में रूस के सशस्त्र हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया है। मेरे दल ने उनकी शीघ्र वापसी की मांग की है। मैंने मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को देखा है। जहाँ तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है, उन्होंने वही बात वहाँ भी कही है। हम किसी भी देश का हस्क्षेप किसी अन्य देश में नहीं चाहते ; हम प्रभुसत्ता सम्पन्न अफगानिस्तान चाहते हैं, समाजवादी अफगानिस्तान चाहते हैं, हम मित्र अफगानिस्तान चाहते हैं। आप 'मित्र' शब्द पर भी विचार करें। जब हम 'मित्र' अफगानिस्तान की बात करते हैं तो स्वाभाविक ही है कि रूस भी यही आशा करेगा कि उनका भी मित्र आफगानिस्तान हो वह एक अलग बात है। हमने अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया है। हमने इस सम्बन्ध में अनावश्यक विवाद और शोर भी खड़ा नहीं किया है। यहीं पर देश की विदेश नीति को चलाने की कुशलता का पता चलता है। यदि हमने भी कुछ पश्चिमी देशों की तरह औपचारिकता के नीति यह गीत गाना आरम्भ कर दिया होता कि 'सेनाएं वापस हटाओ' तो क्या होता ? यही देश निजी तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि जो हम जो कर रहे हैं वह सही है। यह मेरी धारणा है। विदेश मन्त्री शायद इस बात की पुष्टि करेंगे अमरीका और इंग्लैंड को छोड़कर कुछ पश्चिमी देश हमारी स्थिति की समझते हैं। हमारी स्थिति यह है कि अफगानिस्तान में रूस द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसी प्रकार अफगानिस्तान में अन्य किन्हीं राजनीतिक शक्तियों का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ताकि रूस को हस्तक्षेप करने की उत्तेजना का बहाना न मिले। मेरा विचार है कि इस बात का श्रेय भारत को जाता है कि उन्होंने इस विचार का सूत्रपात किया कि अफगानिस्तान समस्या का समाधान केवल राजनीतिक तरीके से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं। इस सम्बन्ध में भारत ने पहल की—भारत देश ने पहल की, मैं यह कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सरकार ने पहल की, मैं भारत के नाम से बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस सम्बन्ध में पहल की है और सामान्यतया इसे सभी ने स्वीकार किया है; गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भी इसे स्वीकार किया गया है। इस समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं है। यदि कोई इस समस्या का सैनिक समाधान ढूंढना चाहेगा तो यदि विश्व युद्ध नहीं तो क्षेत्रीय युद्ध अवश्य होगा। स्थिति की यही वास्तविकता आज है जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। वीरतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करने से और वीरतापूर्ण स्थितियाँ अपनाने से कुछ बनने वाला नहीं है आपको बड़े खतरनाक युग

से गुजरना होगा और उसके हर क्षण में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही साथ हमें अपने सिद्धांतों को भी जीवित रखना होगा।

मैं यह नहीं कहता हूँ कि 'अपने सिद्धांतों से समझौता कीजिए' कभी भी अपने सिद्धान्तों से समझौता न कीजिए। गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन बहुत वर्षों के बाद, सम्भवत: प्रथम बार भारत में हुआ था और यह बात मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। बल्कि मुझे थोड़ी सी चिन्ता भारत के रवैये से हो रही थी और मुझे यह डर था कि इस सम्मेलन में भारत पर किसी न किसी प्रकार का दबाव पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि यह गुट निरपेक्ष सम्मेलन भारत में सम्पन्न हुआ और चूंकि यह भारत में हुआ था केवल इसीलिए हम गुट निरपेक्ष देशों की एकता बनाए रख सके। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप में अनुभव करता हूं कि गुट-निरपेक्ष चूंकि आन्दोलन काफी समय से चला आ रहा है और मुझे तो अपने कार्यकाल का अनुभव है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन का यदि विभाजन नहीं होता तो इसके सिद्धान्तों को बदलने के लिए एक प्रकार का दबाव सा पड़ता रहा है। अत: इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन विलगाव का बड़ा खतरा था, परन्तु मैं कहूँगा कि किसी हद तक भारत के प्रयत्न सफल रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने सम्मेलन के प्रारूप का उल्लेख किया था। विदेश मन्त्री महोदय ने कुछ उन सदस्यों को अपने मूल प्रारूप को भेजकर बड़ा अच्छा किया जो कि मन्त्रणा समिति के सदस्य थे। मैंने उस प्रारूप को देखा है। किसी ने भी यह अनुभव नहीं किया था कि यह प्रारूप ज्यों का त्यों स्वीकृत हो जायेगा। न केवल इस सम्मेलन में, अपितु सभी सम्मेलनों में मेजबान देश ही सदैव प्रारूप तैयार करता है। इसमें केवल एक बात यह है कि मेजमान देश इसे अपनी अभिरूचि के अनुरूप तैयार करता है और अन्य देशों को इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सदैव स्वीकार ही कर लिए जाते हैं। उसमें सदैव दर्जनों संशोधन किए जाते हैं। दक्षिणी अमेरीका में हुए विदेश मन्त्रियों के भूतपूर्व सम्मेलन को मुझे याद है·····।

एक माननीय सदस्य : हवाना में।

श्री यशवंत राव चव्हाण : यह सम्मेलन दक्षिणी अमरीका के किसी एक देश में हुआ था-अब मुझे उस देश का नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर हमने देखा कि संशोधनों को स्वीकार करना पडता है। हमने कुछ संशोधन अवश्य पेश किए थे और दूसरे लोगों को वे स्वीकार करने पडे थे। अत: सदैव ऐसा ही होता है चूंकि कुछ ही संशोधन स्वीकार किये जाते हैं इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत ने कोई आधार खो दिया है या भारत अकेला पड़ गया है मेरे विचार से तो बात ऐसी नहीं है और यदि किन्हीं सिद्धान्तों पर हमें अलग कर दिया जाता है तो हमें उसे भी स्वीकारना होगा। परन्तु हमें अकेला होने की कोई बात नहीं थी। आपने हमें अकेले होने नहीं दिया यह अच्छी बात थी।

केवल एक बात मुझे कष्टदायक लगती है जिसका मैं अवश्य जिक्र करूंगा। हमने मूल प्रारूप में दियागो गार्सिया का उल्लेख किया था परन्तु अन्ततः बातचीत के दौरान उसे हमें छोड़ना पड़ा। मैं इसके कारण जानता हूं। सम्भवत: श्रीलंका ने यह वकालत की थी 'यदि आपने दियागो गार्सिया का उल्लेख किया तो जो सम्मेलन होने जा रहा था, उसमें अमरीका

भाग न ले।' मेरे विचार से यह राजनायिक चातुर्य है। कभी-कभी हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु जिन लोगों ने इन दो प्रारूपों की तुलना की थी, भारत द्वारा दियागो गार्सिया का उल्लेख प्रारूप में से निकाल देने पर उन्हें कष्ट हुआ था। मैं भी इससे विचलित था। मैं इसके लिए अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अन्तिम प्रारूप में यह बात जोड़ दी गई थी।

अन्ततः वे कौन से सिद्धान्त हैं जिन पर किसी देश की विदेश नीति निर्भर करती है? मेरे विचार से इसके दो मानदण्ड है। एक तो हैं प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित तथा दूसरी हैं भौगोलिक—राजनैतिक वास्तविकताएं। यदि कोई देश इन दो सिद्धान्तों पर नहीं चलता है, यदि वे राष्ट्रीयहितों को ध्यान में नहीं रखते और यदि वे भौगोलिक—राज नीतिक वास्तविकताओं को भूल जाते हैं तो वह देश आज की दुनिया में जीवित नहीं रह सकता है। आज की दुनिया बड़ी निष्ठुरतथा जटिलताओं से भरी है। दुनियां इतनी सहज एवं सरल नहीं है जिसे साधारण नैतिक अर्थोंमें समझा जा सके।

हमें गाँधी जी के सिद्धान्त विरासत में मिले हैं, और हम गाँधी जी का सम्मान करते हैं। आज भी हम अपने आपको गांधीजी की सन्तान कहकर पुकारते हैं परन्तु गांधी जी बड़े बुद्धिमान और व्यावहारिक व्यक्ति थे। वे शस्त्रों के प्रयोग के विरुद्ध थे। वे सर्वाधिक शान्तिप्रिय मनुष्य थे। परन्तु जब कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजनी पड़ी तो उन्होंने कहा था 'जाओ और सेना भेजो।' वे एक व्यवहारिक मनुष्य थे और यह जानते थे कि राष्ट्र का नेतृत्व कैसे किया जाता है।

यदि आज की दुनियाँ में कोई नैतिक समस्याएं हैं तो वे दो ही हैं। एक तो है शान्ति और युद्ध की समस्या और दूसरी है विश्व में गरीबी की समस्या। ये दो नैतिक समस्याएं हैं। अन्ततः हम जो कुछ अपनी आन्तरिक नीतियों के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए करते हैं, मैं समझता हूँ कि इन दो नैतिक समस्याओं के सम्बन्ध में यदि गाँधी जी आते तो अवश्य ही हमें इन दोनों समस्याओं के लिए कार्य करने के लिए हमें आशिर्वाद देते। और मेरे विचार से, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आपने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से हम शान्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और अपने नवीन आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से हम दूसरी समस्या से भी निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक वस्तु स्थिति का सम्बन्ध है कोई भी यह कह सकता है, कि केवल यह कहना बेकार है कि आज गाँधी जी जीवित होते तो वे ही क्या कर लेते? किसी के लिए भी यह बता सकना बहुत कठिन है। अतः यदि आज गांधी जी जीवित होते तो दुनिया की हालत इतनी बुरी नहीं होती जितनी कि आज है सम्भवतः ऐसा हुआ होता, लेकिन इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गाँधी जी बड़े ही व्यवहारिक मानव थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि भारत को सेना नहीं रखनी चाहिये, परन्तु वे किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध थे। फिर भी उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि हमें भारत के लिए सेना नहीं रखनी चाहिए। उनका कहना था कि स्वतन्त्र भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना रखनी चाहिए।

एक बार जब हम खान अब्दुल गफ्फार खाँ से निजी और व्यक्तिगत रूप में उनसे मिले तो उन्होंने हमें बताया कि गाँधी जी ने उनसे वायदा किया था कि यदि पख्तून लोगों पर कोई मुसीबत आती है या उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही की जाती है तो भारत सरकार

को पाकिस्तान के उप पार सेना भेजने की सलाह देंगे, अब यह अलग बात है कि वे ऐसा करने को जीवित नहीं रहे। और अब न हीं हम ऐसा करने जा रहे हैं। हम तो ऐसा कभी भी नहीं करते। उनकी यह शिकायत थी कि जो कुछ गाँधी जी करना चाहते थे हमने वह नहीं किया है। खान अब्दुल गफ्फार खां की यह शिकायत थी जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से यहां कहा थी। यह कोई समस्या नहीं है। यदि आप विदेश नीति को परखना ही चाहते हैं तो उसे दो मुख्य नैतिक समस्याओं के सन्दर्भ में ही समझा जायेगा। इन दो समस्याओं के आधार पर ही आप हमारी विदेश नीति को परखना चाहते हैं। यदि हमारी विदेश नीति इन दो नैतिक प्रश्नों पर सम्पूर्ण रूप से और वैधरूप में काम करती है और अपनी देश की सीमाओं के अन्दर और सामर्थ्य काम करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यह एक दम सत्य है कि यह चमत्कारिक बात होगी।

गत वर्ष मैंने कहा था कि तनाव-शैथिल्य का दशक समाप्त हो गया है और शीत-युद्ध का युग प्रारम्भ होने वाला है। अब मैं देख रह हूँ कि स्थिति अभी भी खराब और बदतर है। न केवल तनाव शैथिल्य पूर्णरूपेण मिट चुका है बल्कि विवाद भी आरम्भ हो चुका है। गत वाद-विवाद और इस वाद-विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी है और वह है राष्ट्रपति रिगन का चुनाव जीतना किसी व्यक्ति के विरुद्ध या अमरीका अथवा अमरीकी जनता के विरुद्ध हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। जिस प्रकार के मित्रता के सम्बन्ध हम सोवियत रूस से चाहते हैं वैसे ही अमरीका से भी चाहते हैं। स्थिति यह है कि जिस ढग से वे बातें करते है वह विश्व शान्ति के हित में नहीं है। हर एक को यह बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जो कुछ वे हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं उससे मुझे भय होता है। पिछले दो दिनों में तो समाचार-पत्रों में बड़ी ही चिंता पैदा करने वाला समाचार आया है। पहले तो हमें यह बताया गया था कि अफगानिस्तान के लिए संवाहक के रूप में पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमरीका से शस्त्रास्त्र स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है। अब हमने समाचार पढ़ा है और कल से ही पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान का कहना हैं कि हम तब तक शस्त्र स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हमें पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं दिए जाते हैं। अतः यह तो सौदेबाजी की बात है। यह कोई नैतिकता की बात नहीं थी कि उन्हें अफगानिस्तान में विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से होकर शस्त्र भेजना स्वीकार्य नहीं है। उनका तो यह कहना है कि जब तक हमें पर्याप्त मात्रा में शस्त्रास्त्र नहीं दिए जाते वे यह भूमिका नहीं निभायेंगे। इस प्रकार की सौदेबाजी हो रही है। विदेश मन्त्री महोदय आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए दियागो गार्सिया एक सैनिक अड्डा है और दुर्भाग्य से पाकिस्तान भी अमरीका का सैन्य-अड्डा होने जा रहा है। यह एक बहुत भयानक स्थिति है जिसका आज हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। हम तो पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं। मेरे विचार से तो हमें पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाने के लिए हर सम्भव पहल करनी चाहिए। परन्तु हमें वास्तविकता को भी नहीं भूल जाना चाहिये। हमें लगभग अपने गत दस या बीस वर्षों के अनुभव को भुला नहीं देना चाहिये। इन मित्रवत बातों के झाँसे में लड़ाई की तैयारियाँ चल रही हैं और जब तैयारियाँ चलती रहती हैं और पर्याप्तमात्रा में शस्त्रास्त्र हो जाते हैं तो उनसे लोगों में आक्रमणकारी कार्यवही की प्रवृति बलवती होती है।

मुझे याद है कि जब 1965 में हम ताशकन्द में मिले थे तो वहाँ पर हम कुछ पाकिस्तानी

मित्रों से आपस में बात कर रहे थे। स्वाभाविक है कि दो या तीन प्याले पीने के बाद लोग कुछ खुल से गये थे। मैं तो बतियाने का बड़ा शौकीन हूं मैं तो मद्यपान करता नहीं हूँ। एक व्यक्ति ने बड़ा ही मनोरंजक मजाक किया था। मैं इसे भूल नहीं सका हूं। मैंने उससे पूछा कि फिर आपने किस प्रकार गलत पूर्वानुमान लगाकर यह युद्ध छेड़ दिया? उनका कहना था कि सैनिक कमांडरों में यह कमी है कि वे कार्यवाही पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। ठीक है आप इस बात को ध्यान में रखिये कि ऐसे गलत अनुमान फिर से दोहराये न जाएं। इस प्रकार के गलत अनुमानों को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में, सैनिक मामलों में, युद्ध छेड़ने में—फिर चाहे वे कपोल-कल्पित युद्ध हो, छोटे युद्ध हों, स्थानीय युद्ध हों—स्थान नहीं मिलना चाहिये। महायुद्ध होने का अथवा परमाणु युद्ध होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि दोनों ही महाशक्तियाँ पर्याप्त बुद्धिमान हैं। वे जानते हैं कि उनमें से किसी एक के लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना असम्भव है। यदि कोई परमाणु युद्ध छेड़ता है तो समस्त मानवता नष्ट हो जायेगी। इसीलिए, वे बुद्धिमान हैं और ऐसा कभी नहीं करेंगे। वे इसकी बातें तो कर सकते हैं। उन्हें परमाणु-शक्ति का पता है। परन्तु उसी के साथ-साथ उन्हें इसका भय भी है। वे विश्व के अन्य छोटे देशों से लाभ उठाना चाहते हैं और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति और सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए वे उन्हें मोहरा बनाना चाहते हैं। वे यही सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

महोदय, अमरीका की स्थिति में एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। अमरीका ने युद्ध लड़े हैं। उन्होंने वियतनाम में युद्ध लड़ा और उसमें हार गये। उन्होंने कोरिया में युद्ध लड़ा और वहां उन्हें कटु-शिक्षा प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने यूरोप महाद्वीप में युद्ध लड़े और निस्सन्देह उनका श्रेय उन्हें मिला। यह अच्छी बात है कि उन्होंने उस समय प्रजातन्त्र को बचाने का प्रयास किया था और फासिस्टवाद को हटाया था। हम उनके आभारी हैं परन्तु वे केवल अमरीकी ही नहीं थे उसमें तो अंग्रेजों फ्रांसीसियों और रूसियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। महोदय एक बात से अमरीका की स्थिति कमजोर पड़ती है। उन्होंने अपनी भूमि पर गत 200 वर्षों से कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने केवल एक गृहयुद्ध लड़ा है और वह दो सौ वर्ष पूर्व लड़ा था जब परम्परागत हथियार थे। यूरोप महाद्वीप के राष्ट्रों को पता है कि युद्ध का क्या अर्थ होता है, हम भी उसका अर्थ जानते हैं। हमें पंजाब जाकर लोगों से पूछना चाहिये कि युद्ध क्या होता है। क्या उन्हें युद्ध चाहिये या शान्ति? सोवियत रूस देख चुका है। यदि वे कहते हैं कि उन्हें विश्व-शान्ति में विश्वास है तो इसका हर एक विश्वास कर सकता है। मैं ब्रजनेव महोदय का पूरा सम्मान करता हूँ जबसे उन्होंने तनाव-शैथिल्य की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अमरीका की तीखी भाषा में लिखे पत्र का उत्तर दिया। वह एक राजनेता जैसी बुद्धिमानी की बात थी। ठीक है हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान की समस्या का भी कुछ हल निकलना चाहिये परन्तु एल-सलवाडोर के बारे में आपको क्या कहना है। अमरीकी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? कार्टर के सिद्धान्त क्या हैं? अमरीका की सुरक्षा के लिए उनका हिन्द महासागर में उपस्थित रहना आवश्यक है। उनके निहित स्वार्थों को हिन्द महासागर और खाड़ी के देशों में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। अमरीका यहां से दस हजार मील दूर है। यदि उनकी बात न्याय संगत है तो उस अन्य देश के बारे में आपका क्या विचार है जो कि यह सावधानी बरते कि

उनका पड़ोस उनसे सुरक्षित है। हमें केवल पाकिस्तान से ही नहीं, अपितु सभी पड़ोसियों से सुरक्षा और शान्तिपूर्ण स्थिति के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे पड़ौसी देशों से सम्बन्ध के बारे में भी कुछ चर्चा हुई है। कुछ लोग उसका श्रेय लेना चाहते थे जो कुछ भूतपूर्व सरकार ने किया था। मैं उनको इसका श्रेय देने का इच्छुक हूँ। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। मैं सदैव कहता रहा हूँ कि एक दो अपवादों को छोड़कर जनता सरकार ने भी पूर्णरूप से सोवियत रूस के साथ मित्रता की विदेश नीति अपना रखी। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूँगा कि पड़ौसी देशों के प्रति उनका रवैया गलत था। मैंने विपक्ष के नेता के रूप में यह बात इस सभा में पहले भी कही है कि कुछ ऐसी भावना रही है कि पड़ौसी देशों को प्रसन्न रखा जाए और भारत ने उनके लिए चाटुकार की भूमिका निभाई थी। उनके साथ मित्र बनकर रहिये और उनके साथ न्यायपूर्ण ढंग से रहिये। हितों के आपसी समझौते के प्रति भी सजग रहने का प्रयत्न कीजिए। उनका सम्मान कीजिए जैसाकि हम करते ही आए हैं लेकिन स्वयं को ऐसी स्थिति में मत डालिए की आप हर समय उनकी इसी बात का ध्यान करते रहें कि वे क्या इच्छा रखते हैं, वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं और किस बात से वे भयभीत हैं। यह भारत की नीति के अनुरूप नहीं है। कलकत्ता को खतरे में डाल कर आप फरक्का के समझौते को कैसे न्यायसंगत ठहरा सकते हैं? बातचीत और विचार-विमर्श में हम भी सम्मिलित थे। मैं उस स्थिति को जानता हूं जिस पर बंगला देश अड़ा हुआ है। बंगला देश के प्रति हमारी सभी प्रकार की सद्भावनाएं हैं और भविष्य में भी रहेंगी। मन्त्री महोदय, परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आपसी राष्ट्रीय हितों के बारे में भी बहुत सावधानी बरतें। ऐसा पता चला है कि श्रीलंका या किसी अन्य स्थान पर पड़ौसी देशों के सचिवों का कुछ क्षेत्रीय ढंग का सम्मेलन होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे प्रयास सदैव स्वागत के योग्य हैं। हम सदैव ऐसे प्रयासों का स्वागत करेंगे। जाइये और उनसे मिलिए और बातचीत कीजिए तथा पता लगाइये यदि उनकी किसी प्रकार की वैध शिकायतें हैं तो उन्हें दूर कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं इन सब कदमों के विरुद्ध हूँ। परन्तु मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि इस बात में भी एक खतरा है। उन्होंने आपसी मामलों/समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने की सिर तोड़ कोशिश की है। ये छोटे-छोटे पड़ौसी ऐसा गन्दा खेल/खेल रहे हैं, उनकी यह मनोवृत्ति है कि भारत एक विशाल देश है, बड़ा राष्ट्र है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? कुछ पड़ौसी राज्यों को खुश करने के लिए क्या हम अपने देश को और छोटा देश बना लें? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) हमारा एक विशाल देश है। हम बौद्धिक रूप में, जन-शक्ति के रूप में और जनसंख्या के विचार से भी हमारा एक उर्वरक देश है। यह तो ठीक है, परन्तु इनमें से कुछ पड़ौसियों का सदैव यह प्रयास रहा है—मैं देशों के नाम नहीं लेना चाहता—कि कुछ समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला जाए। जब-जब उन्हें यह पता चला कि वे इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने में असफल रहे हैं तो वे उन्हें क्षेत्रीय रंग देने पर उतारू हो गये। यह भी वह काम करने का दूसरा ढंग है। अतः हमें इन बातों से सावधान रहना चाहिये। उनकी सहायता कीजिए। यदि आप अगला सम्मेलन दिल्ली में बुलाना चाहते हैं तो इसे किसी भी ढंग से अवश्य बुलवाएं। परन्तु इस एक बात के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इनमें से कुछ देश यह खेल भारत के विरुद्ध खेल रहे हैं।

जहां तक इन समस्याओं का सम्बन्ध है, कभी-कभी भारत के दीर्घ कालीन हित खतरे में पड़ जाते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों के बारे में सावधान रहें।

जिस एक और समस्या पर हमें और विशेषरूप से विचार करना है वह है उत्तर-दक्षिण का संवाद। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। यदि आप गरीबी की समस्या का कोई हल नहीं खोज सकते हैं तो मेरे विचार से जिन आंतरिक नीतियों की हम घोषणा करते हैं वे सफल नहीं होंगी। हम कहते हैं कि भारत में हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में हम इसके प्रति बचनबद्ध हैं, परन्तु हम इसमें तब तक कैसे सफल हो सकते हैं जब तक कि वे लोग जिनके विश्व में साम्राज्य रहे हैं और जिनको हमसे 200 वर्ष पूर्व प्रौद्योगिक क्रान्ति का लाभ मिला है, इसमें हाथ बटाने और अपने स्रोत हमें हस्तांतरित करने के लिए आगे नहीं आते हैं ?

आजकल हम विश्व बैंक की कठिनाइयों के बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही विश्व बैंक के अवकाश प्राप्त करने वाले अध्यक्ष भारत में आये थे और सहायता के बारे उन्होंने कुछ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था मैं उनकी बात पर कृपया विश्वास नहीं कर रहा हूँ। यह तो कहने का एक विनम्र ढंग है। इसे सुनने का भी एक विनम्र ढंग हैं। मुझे एक बात का डर यह है और किसी और ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है--मेरे विचार से प्रो. तिवारी ने इसका उल्लेख किया है। अब अमरीका की नीति वित्तीय सहयोग को द्विपक्षी रूप देने की है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का अमरीका का विचार नहीं है। यह एक नया रवैया अब देखने में आया है। अतः हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि हमारी स्वयं की कुछ सीमाएं हैं। हम तो हाथ फैलाने वालों में से हैं। देने योग्य हम अभी नहीं हुये हैं। अतः स्वाभाविक है कि लोग गलतफहमी में पड़ सकते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हमें अन्य देशों में अपने पक्ष में वातावरण तैयार करना चाहिए—विशेषकर कुछ पश्चिमी देशों में जोकि आजकल कुछ-कुछ सही रवैया अपनाए हुए हैं। परन्तु उन्हें उनके राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। मैंने यह सब कुछ देखा है क्योंकि कुछ ऐसे सम्मेलनों में भाग लिया है जहाँ पर नई आर्थिक व्यवस्था के बारे में ये बातें शुरू हो चुकी थीं और मैंने पाया था कि दो देश हमें सहायता प्रदान करने को तैयार नहीं थे उनमें से एक था पश्चिमी जर्मनी। दूसरा था अमरीका पश्चिमी जर्मनी के बारे में मुझे पता चलता है कि उनसे कुछ आशा की जा सकती है। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्वय ब्रांट ने एक उपयोगी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यदि इसे निम्नतम रूप में भी स्वीकार कर लिया जाए तो इससे तो भविष्य में प्रगति की आशा, की जा सकती है। परन्तु मुझे इस बात पर पूरा-पूरा सन्देह है कि आया वर्तमान अमरीकी प्रशासन इसके किसी भी भाग को स्वीकार करने का इच्छुक होगा।

प्रो. मधु दंडवते : इंग्लैंड भी .

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ठीक है उस दृष्टि से इंगलैंड कोई प्रथम श्रेणी का देश नहीं है, उसकी अपनी आर्थिक सीमाएं हैं। अतः हमें इन बातों पर विचार करना है।

श्री बी. आर. भगत (सीतामढ़ी) : अच्छा हो यदि अमरीका के राष्ट्रपति मैक्सिको सम्मेलन से सम्मिलित हों।

श्री यशवंतर.व चव्हाण : बिल्कुल ठीक है, परन्तु मैक्सिको सम्मेलन में सम्मिलित होने भर से काम नहीं चलता। सम्मिलित होने भर से हो सकता है वे और मुशीबतें खड़ी कर दें।

श्री बी. आर. भगत : क्या वे सम्मेलन में भाग लेने के इक्छुक नहीं हैं ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : स्वाभाविक है कि इसमें सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसके बारे में तीसरी दुनिया के लोगों को कोई वचन नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है यही मुख्य कठिनाई है। अतः विदेश मन्त्री महोदय, इसके करने का एक और भी ढंग है। गुट-निरपेश सम्मेलन तो इस स्थिति को बहुत पहले ही स्वीकार कर चुका है। और यदि उत्तर के देश आगे आकर हमारे साथ आने लाभ नहीं बाँटते तो क्या कम से कम हमें तृतीय विश्व के देशों को सामूहिक रूप से सहयोग के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए और स्वयं को आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर नहीं करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। मेरे विचार से यदि हम अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दें तो उत्तर के औद्योगिक देशों, अमीर देशों को इसके बारे में दो बार सोचना पड़ेगा। परन्तु दुर्भाग्य से मुझे इस बात का डर है कि हम अभी उस अवधि की शुरुआत में है जहां पर तीसरी दुनियां के देशों और गुट-निरपेप देशों पर भारी दबाव पड़ने वाला है। मुझे डर है कि गुट-निरपेश आन्दोलन में और अधिक विलगाव पैदा करने के प्रयास किये जायेंगे और इन्हीं खतरों का मैं मुख्य रूप से उल्लेख कर रहा हूँ। मैं यह तो नहीं कहता कि उनके कल ही घटने की सम्भावना है, परन्तु ये खतरे तो हैं ही। मेरे विचार से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व हमारे हाथों से कहीं निकल न जाये, कुछ भी हो हमें अपनी स्थिति मजबूत बनाये रखनी होगी। और यदि हम अलग-थलग भी पड़ जाते हैं तो उससे कुछ अन्तर नहीं पड़ने वाला है। हमें गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को पकड़े रहने चाहिए, और इसी मुख्य स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें सावधानी बरतनी है।

विदेश मन्त्री महोदय, मेरी शुभकामनायें आपके साथ हैं और मैं आपकी चापलूसी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। आपने विदेश नीति के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है और भारत सरकार ने भी अच्छा कार्य किया है और इस कठिन समय में हमारी मूल स्थिति बनी रहनी चाहिए और मेरे विचार से प्रधान मन्त्री महोदया ने जो कुछ एक वाक्य में कहा है इसमें भारतीय विदेश नीति समा जाती है। हम सोवियत रूस के भक्त नहीं हैं, हम अमरीका के भक्त नहीं बल्कि हम तो भारत भक्त हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वह तो छोटी सी बात का तत्व है और वास्तविक बात तो यह है कि उसी में हमारी आन्तरिक नीति और अन्तर्राष्ट्रीय नीति समाई हुई है। हमें इसका पालन करते रहना चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जैसे साधारण आदमी को बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं था किन्तु विरोधी दल के कुछ चन्द नेताओं के लैक्चर सुनने के बाद मेरे मन में यह उमंग आई कि मैं भी कुछ विचार इस सदन के सामने रखूं।

अभी अभी हमारे देश के नेता बोल रहे हैं, श्री चव्हाण साहब, उनका लैक्चर सुनने के बाद हमको बड़ी शान्ति मिली, लेकिन इस के पहले तो हमारे मन में एक प्रकार का बेहद

जोश और रोष था, लेकिन जो ब्यान आये, उससे हमें सन्तोष हुआ कि देश में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मामला आया तो निष्पक्षता की बात कर सकते हैं। इसके पूर्व मैंने देखा कि सदन में फारन-पालिसी पर बहस हो रही थी, तो हमें ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर कुछ वकील अमरीका के बैठे हुए हैं, कुछ वकील रूस के बैठे हुए हैं और कुछ वकील चाइना के बैठे हुए हैं और तीनों वकील बहस कर रहे हैं कि भारतवर्ष को किसके जिम्मे गिरवी रख दिया जाए। ऐसा हमें आभास हुआ। हमें तो यहाँ तक आश्चर्य हुआ—अभी थोड़ी देर पहले एक स्वामी जी लेक्चर दे कर गए ऐसा लगता था कि वह हमारे भारत के रहने वाले नहीं थे··· (व्यवधान) ···मुझे मालूम हुआ है कि वह जेठ मलानी साहब थे। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लेक्चर ऐसा सुना जैसे वह भारत के रहने वाले नहीं थे, जीवन भर विदेश में रहे हों। हमारे देश के बड़े लोगों, पोलिटीकल लोगों का यह हाल है। हमारे भारत की कुछ परम्परायें रही हैं, कुछ रीति-नीति रही है। भगवान राम जब अत्याचार को बरदाश्त नहीं कर सके तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद लंका वालों को कहा अच्छा तुम राज्य करो, रावण का इन्तजाम खराब था, इस तरह से वह राज्य उन्होंनें वहीं के लोगों को वापस कर दिया। वही परम्परा अभी भी इस देश में कायम रही—श्री लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधान मन्त्री थे। बहुत आर्जू-मिन्नत पाकिस्तान की की। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आक्रमण किया। भारत ने उस आक्रमण का मुकाबला किया और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सरहद में घुस कर कब्जा किया। उस समय अमरीका और दूसरी बड़ी शक्तियाँ बीच-बचाव करने लगीं, हमने पाकिस्तान की उस भूमि को जिस पर हमने कब्जा किया था, सहर्ष वापस कर दिया। हम को यह संतोष था कि शायद पाकिस्तान अब ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोबरा की। एक करोड़ रिफयूजी हमारे देश में आये। कमजोर का कोई भी साथ नहीं देता—उस समय हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी ने समूचे विश्व का दौरा किया—10 राष्ट्र भी उस समय हमारे पक्ष मे नहीं थे—आखिर उनको मजबूत होकर देश की हिफाजत के लिए खुद कहना पड़ा कि ये एक करोड़ लोग आये हैं, इनकी हिफाजत हम करेंगे। इसी बीच पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया। देश की रक्षा करने के लिए हमारी सेनायें फिर आगे बढ़ीं और यह कितनी आश्चर्यजनक चीज है कि हमारी सेनाओं ने केवल पश्चिमी भाग में कब्जा किया, बल्कि पूर्वी बंगाल पर भी कब्जा किया और उन की 1 लाख सेना हमारी गिरफ्त में आई। लेकिन उसके बाद भी यह देश कितना उदार है—हमारी प्रधान मन्त्री जी ने बड़ी उदारता के साथ उस जीती हुई जमीन को फिर से वापस कर दिया। दो-दो बार हमने पाकिस्तान को अजमाया, लेकिन धोखा खाया।

चाइना का जब आक्रमण हुआ—वह दिन भी हमें याद है। यहाँ पर नारा लगता था—"हिन्दी-चीनी भाई-भाई"। हमने उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने भी हमें धोका दिया। पाकिस्तान की दो बार आजमाइश हो चुकी है, चाइना की अजमाइश हो चुकी है--मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बार-बार आजमाइश करने से देश का नुकशान होगा। इसलिए हमको इन राष्ट्रों से सचेत रहना चाहिए। आज की परिस्थिति ऐसी है कि गुट-निरपेक्षता की बात तो जरूरी होती है लेकिन वास्तविकता यह है कि यह देश दो गुटों में बंटा हुआ है। आज हम अपने दोस्त और

दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा। जिस वक्त पाकिस्तान ने हम पर दूसरी बार हमला किया था—उस समय अमरीका का सातवाँ बेड़ा चल रहा था। उस समय जो स्वामी जी अभी भाषण करके चले गए—शायद एक बार भी उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया होगा कि अमरीका वालों क्यों सातवें बेड़े को इस तरफ भेज रहे हो। उस वक्त उस सातवें बेड़े का जवाब किसने दिया था आपत्ति के दिनों में जिसने हमारा साथ दिया—उसको साथी कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। हमको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि अमरीका ने हमारे साथ धोखा किया, चाइना ने धोखा किया। मुझे वह दिन याद है जब चाइना ने हम पर हमला किया था—चव्हाण साहब को विशेष रूप से महाराष्ट्र से बुला कर रक्षा मंत्री बनाया गया था। जब वह हमारे हवाई अड्डे पर आये तो हम लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ गए थे, हमने नारे लगाये थे—"राम रावण मारे थे, चव्हाण चाऊ मारेंगे"। जब तक हम चाइना से अपनी भूमि को वापस नहीं लेंगे—चैन से नहीं बैठेंगे—इस तरह का जोश उस समय हमारे अन्दर था।

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जनता पार्टी की हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। यह अच्छा काम किया-कि जिस दुश्मन ने हमारी सरहद को जीत कर हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है उनके विदेश मंत्री बिना बात किये हुए चीन के दौरे पर गये। हमारे उस समय के विदेश मंत्री जब चाइना गये थे, तो उनके वहाँ रहते ही उस देश ने वियतनाम पर हमला कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी को गुलाम बना सके किन्तु यह बात ठीक है कि अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, तो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर यह भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे श्री मोरारजी भाई जब अमेरिका गये थे तो वहाँ पर हाथ-जोड़ कर यह कह आए कि हम अपने यहां एटम बम नहीं बनाएगें। इस के पहले हमने एटम बम इसलिए बनाया था, जिससे हम अपने देश का विकास कर सकें। वह एटम बम इन्सान के विनाश के लिए नहीं बनाया गया था। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी बतलाना चाहता हूँ कि अमेरिका ने यह वायदा किया था कि जो एटम बम बनाएगा, उसकी हम सहायता नहीं करेंगे लेकिन आज क्या हो रहा है। हमारे बिल्कुल नजदीक में पाकिस्तान एटम बम बना रहा है और उसकी पूरी सहायता करने के लिए अमेरिका लगा हुआ है। वह बम किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब ऐसी स्थिति है, तो क्या हम हाथ पर हाथ रख बैठ जाएं ? अगर हम भी अपने यहाँ एटम बम या परमाणु बम नहीं बनाते हैं, तो हमारे देश के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हमारी हिफाजत उसी समय हो सकती है जबकि हम स्वयं मजबूत हों। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां के जो साइंटिस्ट्स हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए और उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे ऐसी चीजें अपने यहाँ बना सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो यह हमारी कायरता होगी और आने वाली पीढ़ियाँ हम कोसेंगी हमारे बगल में पाकिस्तान एटम बम बनाने जा रहा है, जिससे हमारे देश को भी खतरा है। हम ने यह एलान किया हुआ है और हम हमेशा से यह कहते आए हैं कि हम किसी भी देश की एक इन्च भूमि नहीं लेगें और न ही किसी देश को अपने यहाँ की एक इन्च भूमि लेने देगें। आप यह देखिये कि हमारे पड़ोस में एक विशाल देश है, चीन। उसने हम पर हमला किया है और पाकिस्तान ने भी कई बार हम पर हमला किया। उनकी क्या नीति है, यह हमने देख लिया है। ये दोनों मुल्क हमारे बोर्डर पर ही हैं। अमेरिका की हालत हम ने देख ली है। उसकी हालत यह

है कि वह किसी को जो सहायता देता है, वह इसलिए देता है कि वह उससे फायदा उठाएं। रूस भी हमको सहायता देता है और उसकी मित्रता को भी हमने देखा है श्री चव्हाण ने जो बात कही, वह ठीक बात ही है कि जो भी युद्ध हुआ है, वह अमेरिका की भूमि पर नहीं हुआ है और रूस की भूमि पर युद्ध हुआ है। इसलिए रूस वालों ने युद्ध की विनाश लीला को देखा है और वे इस कारण शान्ति चाहते हैं।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य पांचपांच बार घंटी बजाने पर भी अपनी बात कहते रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने मनकी बात कहलूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल से 22 सदस्य हैं आप उनका समय बेकार कर रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : अभी तो मैंने अपनी मैन बातें कहनी भी शुरू नहीं की है। मैं कल कन्टीन्यू कर लूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपआपना भाषण एक बजे तक जारी रख सकते हैं। मैं आपको दो या तीन मिनट का समय दे सकता हूँ। आपके दल से अभी अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने हैं।

श्रीराम नगीना मिश्र : सबसे मुख्य बात मैंने अभी नहीं कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी दल के प्रत्येक सदस्य को सभी मुद्दों पर बोलना जरूरी नहीं होता है। सत्तारुढ़ दल को एक लाभ यह है कि यदि कुछ मुद्दे आपके सहयोगी द्वारा छोड़े जाते हैं तो आप उस पर बोल सकते हैं। आपको कुछ मुद्दे दूसरे सदस्यों के लिए छोड़ देने चाहियें आप सभी मुद्दों पर क्यों बोलना चाहते हैं और दूसरे सदस्यों का समय क्यों लेना चाहते हैं। मैं केवल आपकी सहायता कर रहा हूँ शेष मैं आप पर छोड़ता हूँ।

श्री राम नगीना मिश्र : जो आप हुक्म देंगे, मैं वैसा ही करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो बड़े एक्सपर्ट नेता हैं, वे घंटी बजने पर भी अपनी बात कहते रहते हैं लेकिन हम जैसे जो सीधे-साधे लोग हैं, जब घंटी बजती है, तो दिमाग से मुख्य बात हट जाती है और वह भटक जाता है।

मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि आज जो गुट-निरपेक्षता की नीति है, उसकी सब लोग तारीफ करते हैं परन्तु मैं इसमें एक संशोधन और चाहता हूँ और वह यह है कि गुट-निरपेक्षता की नीति जो हम चला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना चाहिये। मान्यवर, एक शेर हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसके सामने हाथ जोड़ कर हम कहें कि हम तो बहुत सीधे-साधे आदमी हैं और आप को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि वह जो शेर है, उसका मुकबला करने के लिए हम में शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए आप शक्ति अर्जित कीजिए। एक बात और इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि दोस्त और दुश्मन को अगर आप बराबर बोलेगें, तो हमारे साथ कौन रहेगा। कोई आपका साथ नहीं देगा, यह मेरा निश्चित मत है। अभी अफगानिस्तान की बात चल रही थी। क्या यह बात सच नहीं है कि हमारी सरहदों पर पाकिस्तान से मिलकर चीनी सेनाएं जमी हुई हैं और क्या यह बात सच नहीं है कि पाकिस्तान को आज चीन से बहुत ज्यादा मदद मिल रही है ? अमेरिका से मदद मिल रही है। अगर वहां के लोगों की अमेरिका और चीन मदद न करें तो यह बात सत्य है कि रूस की सेनाएं अफगानिस्तान से तुरन्त वापस हो जाएं। अमेरिका और चीन ने अपनी सारी शक्ति

लगा कर वहां पर बगावत करा रखी है। अपनी रक्षा के लिए भी रूस यह जरूरी समझता कि उसकी सेनाएं भी वहाँ रहें। इसलिए हमारी प्रधान मंत्री जी यह बात ठीक कहती हैं कि वहां से पहले अमरीका और चीन दोनों का हतस्क्षेप बंद हो।

भारत की हमेशा यही पालिसी रही है कि हम किसी देश की न तो एक इंच भूमि लेना चाहते हैं और न किसी भी देश से लड़ाई चाहते हैं। हम किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहां जब भी कोई झगड़ा होता है तो उसके बारे में सबसे पहले पाकिस्तान से आवाज उठती है। अभी हम अखबारों में देख रहे हैं कि बंगला देश से हजारो अल्पसंख्यक वर्ग के आदमी भगाये जा रहे हैं यही बात पकिस्तान की भी है मैं अपने मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे विदेशों में हमारे जो हैं उनकी हिफाजत करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको भाषण समाप्त करना चाहिये, आपने अनेक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने अनेक अच्छी बातें कही हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अबश्री बरोट अपने विचार व्यक्ति करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र-सारी

एल्यूमीनियम की रद्दी पर आपात शुल्क में वृद्धि सम्बन्धी अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 83 सीमा शुल्क से 85 सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति तथा एल्युमीनियम की रद्दी पर आयत शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 86 प्रतिशत मूल्यानुसार कर सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटलपर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 2236/81]

बम्बई में कार्यालय के लिए स्थान की खरीद के लिए मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा काले धन के भुगतान के बारे में ध्यानाकर्षण पर दिए गए वक्तव्य में शुद्धि

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आज सवेरे दिये गये वक्तव्य में शुद्धि करना चाहता हूं। बम्बई में नारीमन प्वाइन्ट पर डालामाल हाऊस में कार्यालय के लिये स्थान खरीदने के लिये मेसर्स जैनिथ स्टील पाइपस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 31,90,500 रुपये का काले धन के कथित भुगतान के बारे में ध्यानकर्षण प्रस्ताव के दौरान पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने बताया था कि कानून की वर्तमान व्याख्या के अनुसार आय-कर अधिनियम के अध्याय 3 के उपबन्ध सहकारी समिति के सदस्यों के हित दूसरे सदस्यों को अन्तरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं।

मैंने यह बताया था कि कानून की दे यह कमी 1981 के वित्त विधेयक से दूर की जायेगी,

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय जब इन आधारों पर उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार किया गया तो उस समय वित्त विधेयक में उस सम्बन्ध में संशोधन सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि कानून मन्त्रालय ने ऐसा किये जाने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था । हमें यह परामर्श दिया गया कि इस उद्देश्य के लिये उचित संशोधन लाने से पहले मामले पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है । सरकार की इच्छा सहकारी फ्लेटों को आय-कर अधिनियम के अधिग्रहण उपबन्धों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने के लिये एक उचित व्यापक विधान प्रस्तुत करने की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री भीष्म नारायण सिंह बोलेंगे ।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मुझे सदन को सूचित करना है कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा सम्बन्धी समय सारणी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है··· (व्यवधान)

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर संचार मंत्रालय की मांगों से पहले चर्चा की जायेगी ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : इससे बड़ी असुविधा होगी । हम अपने कर्यक्रम के मूल क्रम के आधार पर बनाते हैं । मन्त्री महोदय ने उसमें बाद परिवर्तन कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपत्ति क्या है ?

श्री जी. एम. बनातवाला : बात यह नहीं है । आपको इसकी अनुमति नहीं चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक मांग के स्थान पर दूसरी मांग पहले बहस चाहते हैं ।

श्री जी, एम. बनातवाला : सदस्य अपना कार्यक्रम निर्धारित क्रम अर्थात कौन सी माँग कौन सी तारीख को आयेगी, के अनुसार बनाते हैं । हमारी सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । सदन को गम्भीर रूप से लिया जाना चाहिये । यह सदन के सदस्यों के साथ अन्याय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन दोनों माँगों का उल्लेख वहाँ किया गया है । (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय के अनुदानों की मांगे भी कार्य सूची में थी । केवल क्रम में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि यह क्रम में परिवर्तन है । किन्तु अब··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही छोटी बात है । किन्तु मन्त्री महोदय, वह कहते हैं कि उन्होंने संचार मंत्रालय के लिये कल तैयारी की थी । अब उन्हें अन्य मन्त्रालय के लिये तैयारी करनी होगी । (व्यवधान)

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : जो सदस्य बाद में बोलना चाहते हैं, वहे शायद कल यहाँ न हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके विचार नोट कर लिये गये हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या हम यह समझें कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे नोट कर लिया गया है— अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी।

मुझे सदन को सूचित करना है (व्यवधान)

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : इसके अतिरिक्त, इस परिवर्तन करने के लिये कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मुझे एक अनुरोध करना है : वास्तव में, मुझे यह बताया गया है कि विपक्ष की ओर से भी कुछ सदस्य अभी बोले नहीं है। अतः कल, यदि हम भोजन काल में भी सदन की कार्यवाही जारी रखें तो हमें कुछ अधिक समय मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसमें सदन को कोइ आपत्ति नहीं है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : तब कुछ सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, आपके दल ने एक ही समय में दो सदस्यों के नाम दिये हैं। यह एक सहायक बात है। (व्यवधान) आप जाकर भोजन कर सकते हैं। आप इसे खराब क्यों करते हैं। (व्यवधान) हमें एक घन्टे का समय मिल रहा है (व्यवधान) यह ठीक है।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : इस पर कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में निर्णय किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल टेकनीकल मत हो जाईये। यह आप सब के लिए कष्टदायी होगा।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : आप कहते हैं कि हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपवाद सहित नियमों से अधिशासित होते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : तब प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिलेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम सदस्यों के लाभ के लिये भोजनकाल के समय का भी प्रयोग करेंगे। वह अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अन्य अनेक नाम दिये गये हैं, मैंने संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध किया है और उन्होने यह सुझाव दिया है। मैंने उनसे अनुरोध किया है ताकि प्रत्येक सदस्य को इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिल सके।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा मत कहिये। अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। आप यह क्यों कह रहे हैं कि हमारे दल में केवल दो ही वक्ता हैं? आप इस बात का उल्लेख क्यों कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वह हमारे बीच की बात है। आप चिन्ता न करे, आप ही एक ऐसे सदस्य है जिन्हें हर विषय पर विचार व्यक्त करने का समय मिल रहा है और इसीलिए मुझे आपकी बात का उत्तर देना पड़ा है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इसके लिये तो आया ही हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, आप एक घनिष्ठ मित्र हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अन्य अनेको की तरह।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बड़े अच्छे मित्र है, आप में भाई सा स्नेह है···(व्यवधान)

राम और लक्ष्मण ! अतः कल मध्याह्न भोजन काल नहीं होगा।

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

[श्री सरुप सिंह हिरया नाईक]

मुझे आज सदन को सूचित करना है कि महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र नदूरबार से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री सरुप सिंह हीरया नाईक से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा से त्याग पत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय ने उनका त्यागपत्र 30 मार्च, 1981 से स्वीकार कर लिया है।

अब सभा कल 11 बजे समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.07 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 31 मार्च 1981/10 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6